Tuesday, 18 March, 1982

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 20, गुरुवार, 18 मार्च, 1982/27 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 353 से 356, 359 और 360	...	1-16
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 357, 358 और 361 से 373	...	16-24
अतारांकित, प्रश्न संख्या 3953 से 4165, और 4167 से 4183,	...	24-169
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	169-182
राज्य सभा से सन्देश	...	170-171
प्रेस द्वारा तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात समाचार प्रकाशित करने की आवश्यकता के बारे में	...	182-183
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में हिन्डन के पास अर्जित की गई भूमि के लिए किसानों को मुआवजे के भुगतान में विलम्ब		
डा. बसन्त कुमार पंडित	...	183-185
श्री आर. वेंकट रामन	...	183-196
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	186-190
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	191-195
श्री नारायण चौबे	...	193.195

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उचित मूल्य की दुकानों से वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को प्रर्याप्त गेहूं दिए जाने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 196-197

(दो) वर्ष, 1982 के लिए भारत सरकार को छुट्टियों की संख्या में कटौती तथा महाशिवरात्री, रामनवमी और बाल्मीकि जयन्ती को राजपत्रित छुट्टियों के रूप में घोषित करने की आवश्यकता

डा० कर्णसिंह ... 197

(तीन) कर्नाटक में रेशम उद्योग में संकट

श्री ओस्कर फर्नान्डीस ... 198

(चार) स्वर्गीय डा० बी० आर० अम्बेडकर के 14 अप्रैल को मनाये जाने वाले वर्ष गांठ दिवस को राजपत्रित छुट्टी घोषित करने की माँग

श्री राम विलास पासवान ... 198

(पांच) राजस्थान के भरतपुर जिले में ओला वृष्टि से फसलों को हुई हानि के लिए निर्धन किसानों को राहत देने की आवश्यकता

श्री राजेश पायलट ... 199

(छः) बाढ़-नियंत्रण निर्माण कार्यों से फसलों को हुई हानि के कारण दिल्ली के चौहान पट्टी के कृषकों को पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता

श्री जैनुल बसर ... 199-200

(सात) छोटे तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों को सहायता देने के उपाय

श्री हरिकेश बहादुर ... 200

(आठ) नेपाली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मलित करना

श्री आनन्द पाठक ... 200-201

(नौ) 15 मार्च, 1982 को असम मेल में हुई डकैती की जाँच करने, लूटे गये यात्रियों को मुआवजा देने तथा रेलों में सुरक्षा के उपाय करने की आवश्यकता

श्री कमला मिश्र मधुकर ... 201-202

(दस) पूना से प्रकाशित दैनिक "महाराष्ट्र हैराल्ड" द्वारा कुछ कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने का नोटिस देना

श्री वी. एन. गाडगिल ... 202

केन्द्रिय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक,

विचार करने का प्रस्ताव—

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर ... 203-205

श्री ईरा मोहन ... 205-206

श्री जैनुल बसर ... 206-215

श्री टी. आर. शेमन्ना ... 209-228

श्री ओस्कर फर्नान्डीस ... 212-213

श्री रामावतार शास्त्री ... 213-229

श्री समीनुद्दीन ... 216-221

श्री मूलचन्द डागा ... 217-221

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा ... 219-221

श्री संतोष मोहन देव ... 221-222

श्री गिरधारी लाल व्यास ... 222-224

श्री पी. ए. संगमा ... 224-229

खण्ड 2, 3 तथा ।

संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव

श्री पी. ए. संगमा ... 229

दर्शक दीर्घा में कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गये सभा के अपमान के सम्बन्ध में प्रस्ताव ... 231-244

वास्तुविद (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

श्रीमती शीला कोल ... 244-245

लोक सभा

गुरुवार, 18 मार्च, 1982/27 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हाजीपुर और बरौनी के बीच अतिरिक्त रेल गाड़ियां

*353. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार हाजीपुर-बरौनी लाइन पर अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने का है, क्योंकि आजकल 8.00 बजे से 17.40 बजे के इस समय कोई रेलगाड़ी नहीं है और यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : हाजीपुर-बरौनी खंड पर कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। 8.00 बजे और 17.40 बजे के बीच हाजीपुर से बरौनी की ओर जाने के लिए 16 डाउन गुवाहाटी मेल पहले ही उपलब्ध है, 15.3.82 से 454 डाउन सोनपुर-बरौनी सवारी गाड़ी के समय में परिवर्तन कर दिया गया है ताकि वह 12.20 बजे हाजीपुर से चले, जिससे कि हाजीपुर और बरौनी के बीच दिन में चलने वाली एक अन्य गाड़ी की व्यवस्था हो सके। बरौनी से हाजीपुर जाने वाले यात्रियों के लिए, 08.00 बजे और 17.00 बजे के बीच 453 बरौनी-महेन्द्रु घाट सवारी गाड़ी और 15 अप गुहावटी वाराणसी डाक गाड़ी उपलब्ध है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो अपने जवाब में कहा है, मैंने प्रश्न पूछा था इन्होंने बीच में एक गाड़ी का जिक्र किया, लेकिन यह मेल है। मैंने पूछा था कि आम जो लोग हैं और जो उधर के लोग हैं बिहार और उत्तर बिहार के उनको घोर संकट का सामना करना पड़ता है, आप यदि उस रास्ते से कहीं भी जायें चाहे कलकत्ता या गोरखपुर

तक तो यदि आप किसी तरह डिब्बे में घुस गये हैं और टट्टी, पाखाना लगे तो आप टायलट में नहीं जा सकते हैं आपको वहीं बैठकर करना पड़ेगा । यह हालत है ।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन बगैर बताये चुपचाप मंत्री जी को ले जायें ।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री जी गये होंगे तो मालूम होगा । वहां कोई वी. आई. पी. नहीं है, सब बराबर हैं । वहाँ फर्स्ट क्लास में भी वही दिक्कत है और एक गाड़ी में एक ही क्लास नहीं है, आपके मुताबिक भले ही फर्स्ट और सैकेन्ड क्लास हो, लेकिन वहाँ 8,10 क्लासेज चलती हैं जैसे गोदाम क्लास, छत क्लास भी है, बैठी और खड़ी क्लास भी है और हुक क्लास भी होती है । जब इतनी भीड है और लोग परेशान हैं तो उस परिस्थिति में आप कहते हैं कि हमारे यहां कोई विचार नहीं है, एकदम आउटराइट रिजेक्ट कर दिया ।

थोड़ा ऐसा भी करना चाहिये सेठी साहब, कि जब इस तरह का मामला हो तो कम-से-कम संतोष देने के लिये यह भी कहना चाहिये कि विचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी लाठी सी मार देते हैं, कि कोई प्रपोजल ही नहीं है । मंत्री महोदय ने मेल गाड़ी के सम्बन्ध में कहा है, लेकिन जहाँ तक यात्रियों का मामला है, आप सचमुच में क्या फील करते हैं कि यात्रियों को कठिनाई है या नहीं ?

सवाल मेरा यह है कि आपने जो कह दिया कि कोई प्रपोजल नहीं है, तो क्यों प्रपोजल नहीं है ? आपके पास वहाँ लाइन केपेसिटी कितनी है ? क्या वह फुल है ? अगर नहीं तो कितनी है और उसमें अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है ?

श्री मल्लिकार्जुन : प्रश्न तो अलग है, वह क्लास के बारे में कह रहे हैं । इंडियन सोसाइटी में हर क्लास है ।

प्रश्न यह है कि हाजीपुर से बरौनी तक सुबह से शाम तक कोई ट्रेन का बन्दोबस्त नहीं है । यात्रियों को ध्यान में रखते हुए, कोई गलत वायदा न करते हुए, जो रिसोर्सज हैं, उसके अन्दर अभी दो ट्रेनें बरौनी से हाजीपुर को चला रहे हैं । उसी तरह से हाजीपुर से बरौनी को चला रहे हैं । अगर ट्रेन का टाइम वह चाहें तो बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : एक सवेरे की ट्रेन में पब्लिक जायेगी और दूसरी शाम को जायेगी । अगर किसी को 20, 25 कोस जाना पड़ेगा तो वह एक बार सवेरे में और दूसरी बार साम में जायेगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : बरौनी महेन्द्रुघाट ट्रेन का टाइम 15 मार्च, से चेंज किया गया है और अब वह 12.20 पर बरौनी से स्टार्ट होती है । (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : एक ट्रेन 16 डाउन-गौहाटी वाराणसी मेल, 15.40 को स्टार्ट होता है । (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यह मेरी कांस्टीटुएन्सी का मामला है, मैं वहां की नस-नस जानता हूं । पहले बताइये मेल कहां कहां रुकती है, और कहां कहां से चलती है । मैं कह रहा हूं कि आम पब्लिक के लिये आप क्या कर रहे हैं ? आप कहते हैं कि मेल गाड़ी चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले पासवान मेल रुकेगी बोलने की तभी जवाब आयेगा।

श्री मल्लिकार्जुन : एक गाड़ी हाजीपुर से 15.40 पर स्टार्ट होती है और 18.45 पर बरौनी पहुंचती है। एक अन्य गाड़ी हाजीपुर से 12.20 पर चलकर 16.20 पर बरौनी पहुंचती हैं। दूसरी ओर से 12.25 हर बरौनी से एक गाडी चलती है जो 14.25 पर हाजीपुर पहुंच जाती है तथा इसके अतिरिक्त एक और गाड़ी भी बरौनी से 11.00 बजे चल कर 15.45 पर हाजीपुर पहुंचती है।

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्रश्न दो लाइन का है कि क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार हाजीपुर बरौनी लाइन पर अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने का है, क्योंकि आजकल 8 बजे से 17.50 के बीच कोई रेलगाड़ी नहीं है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया कि नहीं विचार है।

श्री राम विलास पासवान : मैं जानना चाहता हूं कि लाइन कैपेसिटी कितनी है ? इनको मालूम है कि प्रत्येक लाइन की अपनी कैपेसिटी होती है, कितनी गाड़ी चल सकती हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : लाइन कैपेसिटी 100 परसेंट सैचुरेटेड है, पूरा है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से फिर आग्रह करूंगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है, छोटे छोटे स्टेशनों पर यात्रियों को यात्रा का सुविधा देने का सवाल है। मंत्री महोदय ने कहा है कि हाजीपुर से गाड़ी चलती है और बरौनी पर रुकती है। क्या उन्होंने बीच के स्टेशनों के पैसेंजरों की दिक्कतों को रीयलाइज किया है ? वहां पर मोटर ट्रैफिक काफी चल रहा है। जब मोटर वाले फायदा उठा रहे हैं, तो रेलवे को भी काफी फायदा होने की सम्भावना है। इससे यात्रियों को भी सुविधा मिल जायेगी। क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगे ?

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को पूरी तरह एप्रिशिएट करता हूं। माननीय सदस्य ने यह समस्या रखी हैं कि मेल ट्रेन सब स्टेशनों पर नहीं रुकती है, वहां पर बहुत ओवर-क्राउडिंग है और यात्रियों को असुविधा होती है। वह चाहते हैं कि पैसेंजर ट्रेन की सुविधा बढ़ाई जाए। उनका मुख्य प्रश्न यह था कि दिन के समय दूसरी गाड़ी नहीं है। इस बारे में 15 मार्च से यह सुविधा दी गई हैं कि एक गाड़ी 12-20 बजे से चलाई जा रही है, जो कि पहले नहीं चलती थी। मैं माननीय सदस्य से केवल इतना कह सकता हूं कि इस समय हमारी मुश्किल कोचिज की कमी की भी है। जैसे ही कोचिज की कमी के बारे में सुधार होगा, उनके सुझाव पर विचार किया जाएगा।

कलकत्ता सर्किल के अन्तर्गत पुरातत्वीय स्मारक

*354. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कलकत्ता सर्किल के अन्तर्गत कुल कितने पुरातत्वीय स्मारक हैं;

(ख) इनमें से कितने स्मारक उड़ीसा के हैं;

(ग) क्या राज्य में पुरातत्वीय स्मारकों की बहुत बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के लिए एक स्वतंत्र सर्किल बनाने हेतु उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(घ) भारत सरकार उड़ीसा के लिए नया सर्किल कब तक स्थापित करेगी ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) संरक्षण अधिसूचना प्रविष्टियों के अनुसार पूर्वी सर्किल (कलकत्ता में मुख्यालय सहित) के अन्तर्गत कुल 243 स्मारक तथा स्थल हैं।

(ख) 65 उड़ीसा के हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) सरकार उड़ीसा के लिए पृथक सर्किल बनाना आवश्यक नहीं समझती।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मंत्री जी द्वारा दिया गया भाग (ख) का उत्तर सन्तोषजनक नहीं हैं। मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा था कि न केवल पूर्वी राज्यों में अपितु सम्पूर्ण देश में उड़ीसा में सबसे अधिक ऐसे प्राचीन स्मारक हैं, जो अपनी सुन्दरता और भव्यता के लिए सुविख्यात हैं। मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि उड़ीसा में ऐसे 65 स्मारक हैं जो केन्द्रीय सरकार के संरक्षण में हैं। उड़ीसा में स्मारकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए तथा कोणार्क में हलैक पगोडा और ललितागिरि, उदयगिरि और रत्नगिरि में बौद्ध-कला से सम्बन्धित स्मारकों को देखते हुए उनके संरक्षण, सर्वेक्षण और प्रलेखपोषण के बारे में उचित ध्यान नहीं दिया गया है तथा उनकी सुरक्षा के लिए शीघ्र धनराशि खर्च करने के लिए नहीं सोचा गया है। इस सन्दर्भ में मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद तथा पुरातत्वीय सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनी 25वीं बैठक में उडीसा के लिए नया सर्किल स्थापित करने संबंधी सिफारिश करने के बावजूद इस पर विचार नहीं किया गया है। हमें यह पता चला है कि इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि कलकत्ता सर्किल को विभक्त कर दिया गया है और एक नया सर्किल, जिसका मुख्यालय गोहाटी में होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र की देखभाल करेगा तथा उड़ीसा कलकत्ता सर्किल में ही रहेगा। अब मैं मंत्री जी से क्या यह पूछ सकती हूं कि एक स्वतन्त्र सर्किल के लिए कितने स्मारक तथा कितनी धनराशि का आवंटन औचित्यपूर्ण होगा ? क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या किसी अन्य सर्किल में उड़ीसा की तुलना में स्मारकों की संख्या कम है और उनके लिए कम धनराशि का आवंटन किया जाता है ?

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता की मैं सराहना करता हूं। लेकिन साथ-साथ क्या माननीय सदस्या मेरी इस बात को समझेंगी कि वर्ष 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीयस्थता तथा अवशेष अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार केवल उन स्मारकों की देख-भाल से सम्बन्धित हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया है, उड़ीसा में ऐसे 65 स्मारक हैं। पूर्वी क्षेत्र में ऐसे 243 स्मारक हैं, जिन्हें इस प्रकार का स्मारक घोषित किया गया है। उनमें से 108 स्मारक पश्चिम बंगाल में हैं 70 स्मारक पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं और 65 स्मारक उड़ीसा में है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक और सर्किल का गठन करने की आवश्यकता को देखते हुए, हमारे एक प्रस्ताव के

अनुसार, पूर्वी सर्किल को ऐसे दो भागों में विभक्त करने की हमारी योजना है, जिनके मुख्यालय गोहाटी में होंगे। नए सर्किल मुख्यालय गोहाटी में होंगे। यह निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यतः उपेक्षित रहा है और वहाँ ऐसे अनेक स्थान हैं, जहाँ ऐसे कितने ही स्मारक हैं, जिनकी अभी तक खोज नहीं की गई है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उड़ीसा को बंगाली सामंतशाही से मुक्त क्यों नहीं करते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मुझे डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी की टिप्पणी पर आपत्ति है। बंगाली साम्राज्य-विरोधी हैं और वे समाजवादी हैं। (व्यवधान)

श्री पी. के. थुंगन : मैं यह स्पष्ट करता हूं कि हम राज्यों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सर्किलों का गठन नहीं करते हैं। हम सर्किल उन स्थानों पर बनाते हैं, जहां राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं। जहाँ तक खर्च का सम्बन्ध है जिसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहती हैं, मैं यह बता देना चाहता हूं कि यदि आप गत तीन वर्षों में खर्च की गई धनराशि को देखें, तो आप पाएंगे कि उस सर्किल में खर्च की गति धनराशि का 50% से भी अधिक भाग केवल उड़ीसा के लिए ही खर्च किया गया है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : कितनी धनराशि खर्च की गई है ? मैं पृथक सर्किल का गठन करने का औचित्य बताती हूं।

श्री पी. के. थुंगन : वर्ष 1977-78 में सर्किल की कुल धनराशि का 68% भाग उड़ीसा के लिए खर्च किया गया, उसके बाद वाले वर्ष में भी 68 % भाग खर्च किया गया तथा बाद के वर्षों में क्रमशः 83 % और 83.95 % भाग केवल उड़ीसा के लिए खर्च किया गया। वर्ष 1978-79 में वास्तविक रूप से 6,94, 813 रुपये की धन राशि खर्च हुई, वर्ष में 1979-80 में 4,08, 166 रुपए खर्च हुए और वर्ष 1980-81 में 3, 23, 265 रुपये खर्च हुये। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए हमने 5, 85, 900 रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि 50% से भी अधिक भाग केवल उड़ीसा पर ही खर्च किया गया है। इसी से उड़ीसा के लिये एक पृथक सर्किल का गठन किया जाना उचित ठहरता है। उड़ीसा में स्मारकों की अत्याधिक संख्या को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छोटी-मोटी मरम्मत आदि के लिए भी उन्हें कलकत्ता में पुरातत्व अधीसक से अनुरोध करना पड़ता है, क्या यह सम्भव नहीं है कि यदि उड़ीसा के लिए सर्किल का गठन नहीं किया जा सकता, तो सर्किल के मुख्यालय को कलकत्ता से भुवनेश्वर अन्तरिक कर दिया जाए ? दूसरे, क्या यह उचित नहीं रहेगा कि जब तक नए सर्किल का गठन नहीं किया जाता या पूर्वी सर्किल के मुख्यालय का भुवनेश्वर अन्तरण नहीं किया जाता, तब तक उड़ीसा के उप सर्किलों को, अतिरिक्त वित्तीय शक्तियाँ प्रदान कर दी जाएं ?

श्री पी. के. थुंगन : जहाँ तक मुख्यालयों के अन्तरण का प्रश्न है, अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, पूर्वी सर्किल में 10 उप-सर्किल हैं और इन 10 उप-सर्किलों में 3 उड़ीसा में स्थित हैं, जो भुवनेश्वर, कटक और कोणार्क में हैं। इसके अतिरिक्त सहायक अधीक्षक, पुरातत्व विभाग जिसका विभाग कार्यालय पुरी में स्थित है और जो केवल जगन्नाथ मन्दिर के लिए ही है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में अब पूछने को और कुछ शेष नहीं रह गया है। हमें प्रश्न के महत्व को देखना चाहिए; हमें फिजूल हीसदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

अगला प्रश्न।

गैर-कानूनी गर्भपात के कारण होने वाली मृत्यु

*355. **श्री† मूलचन्द डागा** :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रतिवर्ष गैर-कानूनी गर्भपात के कारण 6.5 लाख महिलाओं तथा लड़कियों की मृत्यु होती है :

(ख) यदि हाँ, तो गैर-प्रशिक्षित नर्सों तथा अनर्हक डाक्टरों द्वारा ऐसे गर्भपात किए जाने को रोकने तथा साथ ही अस्पतालों में गर्भपात के आपरेशनों की सुविधाओं के बारे में उदारता बरतने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं : और

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम में जनता को इस बारे में शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य के एक उपाय के रूप में गर्भ के चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत गर्भपात की सुविधाएं बढ़ाने तथा प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करने के कदम उठा लिए गये हैं। ऐसी सुरक्षित, स्वास्थ्य कर और कानूनी गर्भपात की सेवायें उपलब्ध हैं इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन क्या है और जवाब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : डागा साहब, आपके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है ?

श्री मलचन्द डागा : भगवान जानते हैं। मेरा बिल्कुल स्पेस्फिक क्वेश्चन था—(क) क्या यह सच है कि देश में प्रतिवर्ष गैर-कानूनी गर्भपात के कारण 6.5 लाख महिलाओं तथा लड़कियों की मृत्यु होती है।

और इसका उत्तर है : जी नहीं।

कृपया उठाए गए कदमों आदि से सम्बन्धित मेरे प्रश्न के उत्तर को भी देखें।

अध्यक्ष महोदय 1971 के अन्दर यह मैडिकल टर्मिनेशन आफ प्रैगनेन्सी एक्ट बना और 1975 में इसके रुल्ज और रैगुलेशन बने। उसके बाद "मदर टैरेसा" ने जो बात कही है उस पर एक छोटा सा सवाल करूंगा—मैं समाचार-पत्र से उद्धृत कर रहा हूं।

"मदर टैरेसा ने आज वर्ष 1979 को नोबल शक्ति पुरस्कार प्राप्त किया और पुरस्कार

स्वीकार करने सम्बन्धी अपने भाषण में उन्होंने गर्भपात की भर्त्सना की तथा इसे आज संसार में मनुष्य का सबसे अधिक विनाशक बताया।

मदर टैरेसा, जिन्हें संसार के अनाथों के कल्याणार्थ काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया, ने कहा "मेरे विचार में जिन देशों ने गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की है वे सबसे अधिक गरीब देश हैं। वे पैदा न हुए बच्चे से आशंकित हैं और उसे मार देना आवश्यक समझते हैं।"

देश में इस कानून के लागू होने के बाद और उसके रुल्ज तथा रेगुलेशन्ज बनाये जाने के बाद आप एक भी उदाहरण दे दीजिए कि आपने किसी को सजा दी हो या किसी को इसका गुनाहगार ठहराया हो या उसका कन्विकेशन हुआ हो, इस कानून के अन्तर्गत

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पहले नम्बर तो पूछिए।

श्री मूल चन्द डागा : नम्बर बतला दीजिए कि कितने आपरेशन्ज हुए ?

श्री वी. शंकरानन्द : महोदय वर्ष 1971 में गर्भ चिकित्सकीय समापन अधिनियम मुख्य रूप से इसलिए पारित किया गया था कि आई. पी. सी. के उपबन्धों को उदार बनाया जाए, जिससे ऐसे लोगों को कठिन दंड देने की व्यवस्था थी, जो गर्भपात से किसी भी तरह सम्बन्धित थे, चाहें उनकी मंशा माँ का जीवन बचाने की ही क्यों न रही हो तथा इसका उद्देश्य गैर-कानूनी गर्भपात को भी समाप्त करना था।

माननीय सदस्य को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि किसी भी अधिनियम के दांडिक उपबन्ध और इसका दंड देने सम्बन्धी भाग स्वास्थ्य मन्त्रालय से सम्बन्धित कार्य नहीं है मैं। केवल यह स्मरण करा सकता हूं कि मेरे मन्त्रालय का मुख्य काम अधिनियम में उल्लिखित सुविधाओं को प्रदान करने की उनका विस्तार करने की, उन्हें मजबूत बनाने की व्यवस्था करना है। चिकित्सकीय लोगों की व्यवस्था करना उन्हें प्रशिक्षित करना और गर्भ के चिकित्सकीय समापन के लिए सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी भी मन्त्रालय की है। ये सब काम हमने किए हैं और आंकड़े बताए हैं कि वर्ष 1971 से ··

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अथवा कुछ ऐसी सूचना दे रहे हैं जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, श्री डागा का प्रश्न सटीक है उनका प्रश्न गैरकानूनी गर्भपात से सम्बन्धित है, न कि कानूनी गर्भपात से।

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, जिसकी वर्ष 1971 के अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत यह जिम्मेदारी है कि वह सुविधाओं और चिकित्सकीय लोगों की व्यवस्था करे और उनका विकास करे। यही उनको पूछना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : गर्भपात सम्बन्धी सेवाओं पर ध्यान देने के लिये प्रशिक्षित जनशक्ति की सुविधाओं और इनकी उपलब्धता में वृद्धि करने के रुप में क्या कदम उठाये गये हैं।

मेरे इस प्रश्न पर आप उत्तर दीजिए कि पिछले पाँच सालों से आज तक कितने

रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स हैं और ऐसी कितनी एप्लीकेशंस प्रेक्टिशनर्स की हैं जिनको कि आपने अप्रूव कर दिया है रूल्स एण्ड रेगुलेशंस के अन्तर्गत ?

श्री बी. शंकरानन्द : लगभग 161 अस्पताल हैं जहाँ डाक्टों के प्रशिक्षण संबंधी सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

श्री मूलचन्द डागा : वहाँ पर कितने मेडिकल डाक्टर हैं ? क्या इनकी संख्या बढ़ाई गई है ? मैं डाक्टरों की संख्या जानना चाहता हूं न कि ऐसे स्थान जहाँ पर इस गर्भपात की अनुमति दी गई है । मैं इसका उत्तर चाहता हूं क्योंकि आपने इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ नियम बनाये हैं । आप कहते हैं कि सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है । मैं कहता हूं कि आपने कौन सी सुविधायें बढ़ाई हैं ? मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूं ।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य की बेचैनी को समझ सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बी. शंकरानन्द : इसका उत्तर देने से पूर्व मैं कहूंगा कि मैंने जानकारी दे दी है कि 161 प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की गई है और लगभग 400 तालुका अस्पताल इस कार्य को कर रहे हैं । 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में भी एम. टी. पी. की सुविधा प्रदान की गई है । इन केन्द्रों में सभी डाक्टर प्रशिक्षित हैं ।

श्री के मलन्ना : सरकार द्वारा लिये गए मेडिकल और कानूनी उपायों के अतिरिक्त क्या इन गैर-कानूनी गर्भपातों पर रोक लगाने के लिये सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षाप्रद उपाय भी अपनाये गये है अथवा अपनाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री बी. शंकरानन्द : एकमात्र तरीका लोगों को सूचित करना है अर्थात् जनता को शिक्षित करना है कि ऐसी सुविधायें देश में विद्यमान हैं । इस प्रयोजन के लिये 1975 से 1981 तक पी. ए. सी. स्तर पर 1945 डाक्टरों सहित प्रशिक्षित किये गये कुछ डाक्टरों की संख्या 7303 है । एम. टी. पी. सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत केन्द्रों की कुछ संख्या 3390 है । हमने ये सुविधायें दी हैं । हमने जनता को सूचित किया है कि ऐसी सुविधायें उपलब्ध हैं और उन्हें नीम-हकीमों के पास जाने की जरुरत नहीं है । (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं दुख के साथ कहती हूं कि वास्तव में यह प्रसन्नता का विषय नहीं है । हमारे समाज में वास्तव में अविवाहित लड़कियों को बाध्य होकर इन नीम-हकीमों के पास जाना पड़ता है । यह सभी मुसीबत की जड़ हैं ।

अब तक मन्त्री महोदय ने हमें गैर-कानूनी गर्भपात के आंकड़े नहीं दिए हैं । इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक है । मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह मामला गृह मंत्रालय का है । लेकिन यदि यह शिक्षा, जिसका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, वास्तव में समाज को दी जानी है तो एक बात यह की जानी चाहिये कि स्वास्थ्य मंत्रालय गृह मन्त्रालय के साथ अपनी गतिविधियों में शीघ्र समन्वय लाये और इन लोगों को सजा दिलाये । यदि ऐसा नहीं किया गया तो दी जा रही इस शिक्षा का उपयोग क्या है ?

इस बात को देखते हुए मैं जानना चाहती हूं कि स्वास्थ्य मन्त्रालय गृह मन्त्रालय के सहयोग से वास्तव में इन दोषी व्यक्तियों, जो इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और व्यापार

करते हैं के खिलाफ एक अभियान शुरु करेगा। दूसरे क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयों और देश में अन्य सभी पार्टियों के सहयोग से पहल करेगा ताकि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को टीका-टिप्पणी के लिये एक आधार के रूप में न लिया जा सके।

श्री बी. शकरानन्द : मैं केवल यह कह सकता हूं कि स्वास्थ्य मन्त्रालय गैर-कानूनी गर्भपातों का रजिस्टर नहीं रखता है। दे में गैर कानूनी गर्भपातों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। गैर-कानूनी गर्भपातों के बारे में दिये गए ये सभी आंकड़े और तथ्य मात्र अटकलबाजी है यदि मैं इन्हें जान सकता तो निश्चित रूप से हमने कार्यवाही की होती। विभिन्न सुझाव, जो माननीय सदस्य ने दिये हैं अर्थात् हमें गृह मंत्रालय के साथ सामजस्य से कार्य करना चाहिये, अच्छे हैं।

श्री ईरा अब्बारासु : मेरा प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का है। भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। यदि आप कोणार्क और खजुराहों के मंदिरों में जायें तो आपको पता चलेगा कि इनमें यौन कार्यों का प्रदर्शन किया गया है जो संस्कृति अथवा धर्म के नाम पर अश्लील है। बढ़ती हुई जन संख्या को देखते हुए क्या सरकार इन्हें हटाने के लिए कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री बी. शंकरानन्द : जी नहीं।

माल गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए सिगनल पद्धति

*356. **श्री† तारिक अनवर :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार ने वर्तमान सिगनल पद्धत्ति में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है,

(ख) क्या इस परिवर्तन की इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि सरकार ने माल-गाड़ियों की गति बढ़ाने का फैसला किया है, और

(ग) क्या माल-गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए 'कपलर्स' और विद्यमान 'ओटोमैटिक वैक्यूम ब्रेक्स' के स्थान पर क्रमश, 'हैवी-ड्यूटी-कपलर्स' और 'फेल सेफ-एयर ब्रेक्स' लगाने की भी आवश्यकता होगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्रीमल्लिका अर्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यथोचित सीमा तक ब्रेकिंग दूरियों को सीमित करने के लिए माल डिब्बों में एयर ब्रेक आवश्यक समझे जाते हैं और ऐसा करके वर्तमान रफ्तार पर बढ़े हुए 4500 टन अथवा इससे अधिक गाड़ी-भार वाली गाड़ियों का सुरक्षित चालन संभव हुआ है। कपलरों की क्षमता अधिक रफ्तार को सीमित नहीं करती है, अपितु अधिक क्षमता वाले कपलर इन अधिक गाड़ी भार वाली गाड़ियों को खींचने के लिये अपेक्षित होते हैं।

श्री तारीख अनवर : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो रेल दुर्घटनाएं होती हैं, उसके बहुत सारे कारणों में एक कारण यह भी है कि हमारा सिगनल सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है और वह फाल्टी भी है। मेरा प्रश्न था कि सिगनल सिस्टम में क्या कोई चेंज करेंगे, मौडिफिकेशन करेंगे, उसके जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बारे में विचार करने में क्या हर्ज है, जब कि हम हर चीज में न्यू टैकनीक अपना रहे हैं ? रेलवें में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आम जनता में जो खौफ, डर पैदा हो गया है, उसको दूर करने के लिये अगर हम न्यू टैकनीक अपनायें तो उसमें क्या हर्ज है ?

मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि बम्बई-सबर्बन रेलवे सिस्टम में जो आटोमैटिक सिगनल सिस्टम है, अगर उसे देश में बड़े पैमाने पर अपनाया जाये तो इसमें क्या हर्ज है ?

श्री मल्लिकार्जुन : ड्राइवरों के अनुसार इस समय दो प्रकार की सिगनल पद्धति विद्यमान है । एक पद्धति 'सेमाफोर' है और दूसरी पद्धति 'मल्टी-आस्पेक्ट कलर लाइन सिगनल' है । ये दो प्रकार के सिगनल हैं । हमारा अनुसंधान संगठन है । यदा-कदा वे भी सिगनल पद्धति का विकास करने के लिए निरन्तर अनुसंधान-कार्य कर रहे हैं । जहां तक उनका मुख्य प्रश्न संबंधित है और माननीय सदस्य ने दुर्घटनाओं के बारे में भी उल्लेख किया है, सरकार ब्रेक शक्ति बढ़ाने और कुछ पद्धतियों में परिवर्तन करने के लिये पर्याप्त कदम उठा रही है । उदाहरणार्थ चार पहियों के माल डिब्बे हैं । जहां तक सिगनल पद्धति के आधुनिकीकरण का संबंध है, यह कार्य चल रहा है और सदैव अनुसंधान-कार्य किया जा रहा है ।

श्री आर. आर. भोले : प्रश्न यह है कि बम्बई जैसे शहर में क्या आटोमैटिक सिगनल पद्धति अपनाई जायेगी अथवा नहीं ।

श्री अर्जुन सेठी : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने भाग (क) के उत्तर में अभी बताया था 'जी नहीं', मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये उल्लेख करना चाहूंगा जो पृष्ठ 31 पर भारतीय रेलवे वर्ष पुस्तक 1980-81 में लिखा गया है । इसमें कहा गया है "दुर्घटनाओं विशेषकर मनुष्य की गलती के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए स्टेशनों को तेजी से आधुनिक सिगनल तरीकों से सज्जित किया जा रहा है ।" यह वाक्य है जिसका उन्होंने वर्ष 1980-81 के लिए प्रकाशित अपनी वर्ष पुस्तक में उल्लेख किया है । माननीय मंत्री महोदय किस प्रकार कहते हैं कि वे विचार नहीं कर रहे हैं और उनके पास सिगनल के नये तरीके नहीं हैं । अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं सदस्यों को सूचित कर चुका हूं कि इस समय दो प्रकार की 'सिगनल' पद्धति है । एक पद्धति 'सेमाफोर' है और दूसरी पद्धति 'मल्टीपल कलर' पद्धति है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बिलकुल ठीक है । श्री के. बी. चौधरी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको देख लिया है । इसमें और कुछ नहीं है । श्री के. बी. चौधरी यहां पर नहीं हैं । श्री नवीन रवाणी । वह भी यहाँ पर नहीं है । श्री के लकप्पा ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में विशेषज्ञ ग्रेड के डाक्टरों को स्थायी करने को मानदंड

*359. **श्री के. लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड के डाक्टरों को स्थायी करने का मानदंड क्या है;

(ख) कितने डाक्टर स्थायी पदों पर स्थायी किये जाने के हकदार हो गए हैं; और

(ग) क्या ऐसे सभी डाक्टरों को स्थायी कर दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड के अधिकारियों को, जो अपनी परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर लेते हैं, उनकी वरिष्ठता, उपयुक्तता और स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार स्थायी बनाया जाता है।

(ख) विशेषज्ञ ग्रेड के लगभग 120 डाक्टर स्थायी किये जाने के हकदार हो गये हैं।

(ग) ऐसे 111 अधिकारियों के स्थायीकरण के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे गये हैं।

श्री के. लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, डाक्टरों में उनको पदोन्नत और स्थायी करने में विलम्ब के कारण भारी आक्रोश है और इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यावेदन भी दिए गए हैं। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड के अधिकारियों को उनके द्वारा परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद स्थायी किया जायेगा। ऐसे कितने व्यक्तियों को स्थायी किया है जिन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन सभी अधिकारियों को स्थायी किया गया है जिन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली है। मंत्री महोदय ने इसके कारण बताए हैं जो 'वरिष्टत' उपयुक्तता और उपलब्धता हैं। यह अस्पष्ट शब्दावली है। मैं जानना चाहता हूं कि उपयुक्तता और उपलब्धता का क्या अर्थ है, वहां जो डाक्टर काम कर रहे हैं वे उपलब्ध हैं। उपयुक्तता संगत शब्दावली है। उनमें से कुछ को स्थायी नहीं किया गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे परिवीक्षाधीन डाक्टरों की संख्या क्या है जिन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली है और उनमें से कितनों को स्थायी किया गया है, वे इसकी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनको किन तिथियों से स्थायी किया गया है। मैं अपना अनुपूरक प्रश्न बाद में पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह चुनौती है।

श्री बी. शंकरानन्द : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि स्थायी तभी किया जाता है जब स्थायी करने के लिए पद उपलब्ध हो ? ऐसा नहीं है कि किसी को किसी सेवा में रखा गया है तो उसको स्थायी किया जाना चाहिये। कुछ ऐसे पद उपलब्ध होने चाहिए जिन पर उन्हें स्थायी किया जाये। अन्यथा उन्हें कैसे स्थायी किया जा सकता है ? उनको यह जानना चाहिए।

श्री के. लकप्पा : मैं इन बातों के बारे में ब्यौरा मुझे दिए ज्ञापनों से ही जान सकता हूं। सवाल यह है कि इन परिवीक्षाधीन अधिकारियों को स्थायी करने के मामले में काफी भेदभाव बरता गया है। वरिष्ठता, उपलब्धता और यहां तक कि उपयुक्तता की उपेक्षा की गई है। इन सबकी उपेक्षा की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि स्वास्थ्य रक्षा का कार्य समूचे देश में फैलाना है, जब देश के प्रत्येक भाग में डाक्टर भेजने की समस्या है तो ऐसे डाक्टरों की उपेक्षा

क्यों की जाती है जिन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली है। उपलब्धता का प्रश्न लीजिए। जो डाक्टर उपलब्ध हैं उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। उत्तर के अनुसार केवल 111 डाक्टरों को स्थायी किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लोक सेवा आयोग को कोई स्थाई सूची दी गई है और क्या उन अधिकारियों ने जिन्होंने यह सूची तैयार की है, इस मामले में भारी भेदभाव बरता है। मैं चाहता हूं कि एक मूल्यांकन समिति स्थापित की जाये जो भेदभाव के प्रश्न पर विचार करे और उपलब्धता, उपयुक्तता और इन परिवीक्षाधीन डाक्टरों की वरिष्ठता के बारे में विचार करे तो भी उनकी सेवाओं का इस देश में उपयोग किया जा सके।

श्री बी. शंकरानन्द : विशेषज्ञ ग्रेड दो में केवल 616 डाक्टर काम कर रहे हैं। इनमें से 374 स्थायी हैं। शेष अस्थायी हैं। उत्तर से आप देख सकते हैं कि स्थायी के लिए पदों की संख्या केवल 120 है। उनमें से 111 प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गए हैं। केवल 9 प्रस्तावों को संघ लोक सेवा आयोग भेजने की तैयारी की जा रही है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपका ध्यान इस की ओर दिलाना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि या तो उन्हें गलत सूचना दी गई है अथवा वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को तभी स्थायी किया जा सकता है जब स्थायी पद उपलब्ध हो। मुझे मंत्री महोदय को बताते हुए दुःख होता है कि इस संबंध में नियम बहुत स्पष्ट हैं। आप किसी व्यक्ति परिवीक्षा के लिए तब तक नहीं बुला सकते जब तक स्थायी पद उपलब्ध न हों। परिवीक्षा के लिए जब किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उसे स्थायी पद पर समझा जाता है, केवल उसे तभी स्थायी घोषित किया जाता है जब उसकी सेवा संतोषजनक समझी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में निर्णय दिया है कि आप किसी व्यक्ति को बहुत अधिक समय तक परिवीक्षा अवधि में नहीं रख सकते हैं। उन्होंने इसके लिए अधिकतम अवधि दो वर्ष निर्धारित की है। इसको देखते हुए क्या मंत्री महोदय हमें बता सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में कितने डाक्टर दो वर्ष से अधिक समय से परिवीक्षा पर हैं ?

श्री बी. शंकरानन्द : क्या मैं आपका ध्यान इस प्रश्न की ओर दिला सकता हूं···।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : निश्चय ही सरकार के सदस्य स्थायी रूप से परिवीक्षा पर रहते हैं (**व्यवधान**)

श्री बी. शंकरानन्द : कृपया प्रश्न पढ़िए। प्रश्न यह है कि स्थायी करने का मापदंड क्या है ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने यह कह कर सभा को गुमराह किया है कि किसी व्यक्ति को तब तक स्थायी नहीं किया जा सकता है जब तक स्थायी पद उपलब्ध न हो। आप किसी व्यक्ति को अधिक समय तक परिवीक्षा पर नहीं रख सकते हैं (**व्यवधान**)

श्री के. लकप्पा : मैंने प्रश्न पूछा है, वह मंत्री महोदय से क्यों लड़ रहे हैं ?

श्री बी. शंकरानन्द : मुख्य प्रश्न यह है :

'(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड के डाक्टरों को स्थायी करने का मानदंड क्या हैं।'

"(ख) कितने डाक्टर स्थायी पदों पर स्थायी किए जाने के हकदार हो गए हैं ?"

यह प्रश्न है और मैंने उत्तर दे दिया है (**व्यवधान**)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमने श्री लकप्पा को दिए गए उनके उत्तर से सुना है–चिकित्सा व्यवसाय में लोक सभा एक मजाक का पात्र बन जाएगी। यदि यह उत्तर दिया जाता है कि परिवीक्षा पर किसी व्यक्ति को तब तक रखा जाएगा जब तक स्थायी पद उपलब्ध नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम यह सूचना गुप्त रख सकते हैं ? क्या कोई कानून है ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, हम नहीं रख सकते, इसलिए वह अपना उत्तर सही करें।

श्री बी. शंकरानन्द : डा. सुब्रह्मण्यम—मैं जानता हूं कि वह नियम जानते हैं ··

एक माननीय सदस्य : क्या वह डाक्टर है ?

एक माननीय सदस्य : वह स्वामी है; डाक्टर नहीं।

श्री बी. शकरानन्द : मैं जानता हूं कि डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी स्थायी करने के नियम और प्रक्रिया जानते हैं क्या वह अनुभवी हैं। मैं उनकी सेवा को श्रेय देता हूं। (**व्यवधान**) वह कुछ समय कहीं काम कर रहे थे और वह स्थायी करने के नियम तथा प्रक्रिया जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरी तरह डाक्टर नहीं हैं।

श्री बी. शकरानन्द : मैं उनको श्रेय देता हूं। मैं मानता हूं कि यह परिवीक्षा के मामले में नहीं है, मैंने कहा था कि यह अस्थायी पदों पर कार्य करने वाले डाक्टरों के मामले में है। इसमें भेद है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि वह अपने को सही कर रहे हैं तो यह भिन्न मामला है। हमने यह यहां सुना है; यह रिकार्ड में है। उन्होंने कहा है··।

श्री बी. शंकरानन्द : मैंने अस्थायी डाक्टरों के संदर्भ में कहा था न कि परिवीक्षाधीन डाक्टरों के संदर्भ में।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब उन्होने अपने को सही कर लिया है, वह मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर. पी. यादव।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप मेरा मुंह बन्द करना चाहते हैं। मैं बैठने को तैयार हूं परन्तु उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यहां तक कि उन स्थायी पदों के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आप किसी को अस्थायी पद पर लम्बे समय तक नहीं रख सकते हैं। मैं जान सकता हूं कि कितने डाक्टर दो वर्ष से अधिक समय से अस्थायी पदों पर हैं। इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए (**व्यवधान**)

श्री बी. शंकरानन्द : यह अस्थायी डाक्टरों के संदर्भ में है न कि परिवीक्षाधीन डाक्टरों के संदर्भ में।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर. पी. यादव।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : चलो मुझे मंत्री महोदय से कोई आशा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम इसका तो आपको अनुभव हो गया।

उत्तर पूर्व रेलवे में बिना प्रकाश के चलने वाली गाड़ियां

*360. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व रेलवे में अधिकतर रेल गाड़ियां बिना प्रकाश के चल रही हैं;

(ख) क्या चलती रेलगाड़ियों में होने वाले अपराधों में हुई वृद्धि का यही मुख्य कारण है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी हमें खेद है कि सेठी जी जैसे अच्छे मन्त्री को वास्तव में बली-का-बकरा बनाया जा रहा है । सवाल के जवाब को देखने से आपको स्वयं अनुभव होगा कि किस तरह पार्लियामेंट का माखौल उड़ाया गया है । मैं बिहार के जिस इलाके से आता हूं और भी माननीय सदस्य बतायेंगे, इस ओर श्री राम विलास पासवान जी ने भी ध्यान आकर्षित किया है, कि मेल-एक्सप्रेस गाड़ियाँ पचास प्रतिशत और पैसेन्जर गाड़ियाँ शत प्रतिशत बिना लाइट के चलती हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि वे इस बात पर डटे हुए हैं कि गाड़ियां बिना लाइट के नहीं चलती है, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं और सदन से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, वे इस चुनौती को स्वीकार करें । हमारी समझ में यह नहीं आता है कि उनको इस तरह के फीगर्स कौन देता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी उसमें फिर से सुधार करें और इस बात को स्वीकार करें कि गाड़ियाँ ज्यादातर एन. ई. जोन में बिना लाइट के चलती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में आपने नहीं समझा होगा, गाड़ियां जब चलती हैं, तो इन्जन के आगे लाइट होती है ।

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय चैलेंज करने का प्रश्न नहीं है । वास्तविक स्थिति से सदन को अवगत कराना है । यथार्थ यह है कि कई कारणों की वजह से लाइट के बल्ब चोरी चले जाते हैं । आर्मेचर बैल्ट को ले जाते हैं और पंखों को लेकर जाते हैं । इस तरके से जो काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है इन सब को समाप्त करने के लिए सरकार ने मिड-ऑन जेनरेशन-सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस किया है । जिससे मिडिल-आफ-दि-ट्रेन में इसके द्वारा हर कोच में लाइट दी जा रही है । इस तरीके से इस सिस्टम को और आगे करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा है ।

श्री मल्लिकार्जुन : हमने आपकी सही बात का मेजरमेंट लेना है और सदन को बताना है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा गया है, उसके बारे में मन्त्री जी

जवाब नहीं देते हैं। हमने पूछा है कि उस जोन में क्या कर रहे हैं, जहां बिना लाइट के गाड़ियां चलती हैं। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि यह बात नहीं है। मन्त्री जी द्वारा कहा गया कि मिड-आन-लाइट की व्यवस्था की गई है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि यह इन्फार्मेशन क्यों दे रहे हैं, यद्यपि मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसूल की बात कर रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है, यथार्थ बात यह है कि इस तरीके से चोरी की जा रही है। लाइट के बल्ब लेकर चले जाते हैं। उसकी वजह से करन्ट पास नहीं होता है। आर्मेचर बैल्ट लेकर जा रहे हैं तो करन्ट कैसे पास होगा।

अध्यक्ष महोदय : यथार्थ की बात और उसूल की बात दोनों कर रहें हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : हमने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। यथार्थ की बात वे जानते होंगे। मेरी यह बात समझ में नहीं आती है, मैंने पूछा है कि वहाँ पर ज्यादातर गाड़ियां बिना लाइट के चलती हैं या नहीं ? पहले कहा नहीं, बाद में कहते हैं कि हां-सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं। सच बात क्यों नहीं बतलाते हैं। इसलिए हमने उनको चैलेंज किया है, वे इस चुनौती को स्वीकार करें।

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : सभा को गुमराह करने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि कुछ रेलगाड़ियां बिना बल्ब और बिना आर्मेचर बैल्ट के चल रही हैं। यह सम्भव है कुछ अवसरों में मेरे समक्ष ऐसे मामले आये हैं जहाँ रेलगाड़ियों में प्रकाश नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब चोरियां होती हैं तब उन मामलों को देखा जाता है और उनके स्थान पर दूसरा लगाया जाता है। हम इस स्थिति को बनाये रख रहे हैं। बल्बों और विशेषकर बेल्ट और आर्मेचर की चोरियां रोकने के लिए हम मिड-आन-जेनरेशन को लागू कर रहे हैं ताकि बैल्ट और आर्मेचर की चोरियाँ रोकी जा सकें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सदन को आप आश्वासन देंगे कि एन. ई जोन में कोई भी गाड़ी जिनका मैंने जिक्र किया है, बिना लाइट के अब नहीं चलेगी ? क्या आपको जानकारी है कि 15 मार्च को जब असम-मेल बरौनी के पास लुटी तब डिब्बों में लाइट नहीं थी और इसी लिए उसको लूटा गया ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है···(व्यवधान) असम मेल में हुई डकैती के बारे में मेरे पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जब भी हमारे ध्यान में बल्ब अथवा किसी अन्य बिजली के उपकरणों की चोरी का मामला आता है हम उनके स्थान पर दूसरा रखने का प्रयत्न करते हैं।

श्री के. मायातेवर : तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए मद्रास-तंजवूर मायावरम लाइन पर लगभग सभी रेल गाड़ियां ने केवल बिना लाइट की अपितु बिना ब्रेक की चल रही हैं - कुछ रेलगाड़ियों पर खिड़कियों के लिए कोई दरवाजे नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि उन पर इन्जन लगा होगा।

श्री के. मायातेवर : मद्रास में अनेक रेलगाड़ियों पर कोई खिड़की दरवाजा अथवा यहां तक कि मुख्य दरवाजा नहीं है। क्या मन्त्री महोदय कृपा करके इस मामले को देखेंगे। *लेड़ीज*

कम्पार्टमेंट्स में कोई खिड़किया अथवा डाक दरवाजे नहीं हैं। इसके अतिरिक्त लेड़ीज कंपार्टमेंट्स में रेलवे ने पुरुष पुलिसजनों को तैनात किया हुआ है। जब लाइट नहीं है और जब ऐसी बाते होती हैं तब क्या होगा ? इसलिए क्या वह कम से कम लेड़ीज कंपार्टमेंट्स में महिला पुलिसजनों को तैनात करेंगे ?

श्री पी. सी. सेठी : मैंने माननीय सदस्य की इस शिकायत को गम्भीरता से लिया है कि लेडीज कंपार्टमेंट्स में पुरुष पुलिसजनों को तैनात किया जाता है। हम उपचारात्मक कार्यवाही करेंगे। मैं मानता हू कि चलती रेलगाड़ियों में बल्बों की चोरियां होती हैं। परन्तु जहां तक बिना ब्रेक के रेलगाड़ी के चलने की बात है, कोई भी रेलगाड़ी बिना ब्रेक पावर के नहीं चल सकती है।

श्री जमीलुर्रहमान : असम मेल की बात राजेन्द्र बाबू ने उठाई है। पहले असम मेल जब दिल्ली से रवाना होती थी तो उसका स्टापेज मोकामा में नहीं था। अब उसको स्टीम इन्जन लगाने के लिए मोकामा में रोक देते हैं और स्टीम इन्जन लगाकर बरौनी ले जाते हैं। इस बीच चोरी डकैती की घटनाएं हो जाती हैं। क्या यह सच है कि पहले डिजल इन्जन नई दिल्ली से मुगलसराय और मुगलसराय से डीजल इंजन बरौनी जाता था और बीच में स्टापेज नहीं था और क्या बीच में स्टापेज बना कर आपने ट्रेन में क्राइम करने का एक जरिया नहीं बना दिया है और अगर यह सच है तो इसको आप रिमूव करेंगे। करने के लिए क्या कर रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : असम मेल अगर मोकामा में रुकती है जिस के कारण चोरियां करने का मौका मिलता है तो चोरियां न हों इसका प्रबन्ध सरकार को करना है और वह कर रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सोलापुर तथा बंगलोर के बीच सीधी रेल गाड़ी

357. **श्री के. बी चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोलापुर तथा बंगलौर के बीच सीधी रेल गाड़ी चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) एक यात्री गाड़ी के स्थान पर, विजयनगर एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित करके इसे शीलापुर से/तक चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

पत्तनों पर से न उठाई गई खेपों पर प्रभार

*358. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तनों पर से समय पर खेप की डिलीवरी न लेने के कारण खेप-प्राप्तकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले विलम्ब-शुल्क से संबंधित नियम क्या हैं;

क्या इस तथ्य दो देखते हुए कि पत्तनों पर खेपे महीनों पड़ी रहती हैं, सरकार का विचार

विलम्ब शुल्क की दरें बढ़ाने तथा खेप प्राप्त कर्त्ताओं द्वारा अपने माल को शीघ्र उठवाये जाने के सम्बन्ध में कुछ अन्य उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

(विवरण)

(क) बड़े पत्तन, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक पत्तन द्वारा निश्चित की गई दरों के अनुसार विलम्ब शुल्क प्रभार लगाते हैं। ये प्रभार उन व्यापारियों से वसूल किये जाते हैं जो सम्बन्धित पत्तन द्वारा निश्चित की गई युक्त अधिक (फ्री पीरियड) के अन्दर पत्तनों से अपना माल नहीं उठाते।

(ख) और (ग) गम्बई और कलकता को छोड़ किसी भी बड़े पत्तन पर माल न उठाये जाने की समस्या नहीं है।

युक्त अवधि के बाद पत्तनों पर माल को रखे रहने की प्रवृति को कम करने के लिए बम्बई पत्तन ने 24.12.81 से विलम्ब शुल्क की दरें बढ़ा दी है। सशोधित दरों के अनुसार अन्तिम युक्त दिन से 30 दिनों के बाद लागू दरें पहले के 30 दिनों के दौरान लागू दरों से 50 प्रतिशत अधिक होगी और अन्तिम मुक्त दिन से 60 दिनों के बाद वागू दरें पहले के 30 दिनों में लागू दरों की अपेक्षा 100 प्रतिशत अधिक होगी।

कलकत्ता पत्तन ने अपने वहां से शीघ्र माल उठाए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) फ्री-टाईम के बाद, सामान्य किराया बसूल करने के अलावा उस माल पर जो जहाजों से उतारे जाने के 30 दिन बाद उठाया नहीं जाता तीन गुणा दड़ात्मक किराया भी लिया जाता है।

(2) जो माल नहीं उठाया जाता वह अन्य शेड़ों और याड़ों को भेजना और इस काम के लिए सम्बन्धित व्यापारी से किराया वसूल करना।

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 में निर्दिष्ट समय के बाद यदि पत्तन से माल नहीं उठाया जाता तो उस की सार्वजनिक रूप से नीलामी की जाती है। इस के अलावा जो माल उठाया नहीं जाता उस की शीघ्र विक्री के लिए और मौजूदा सीमा शुल्क क्रियाविधि में आवश्यक परिवर्तन का सुझाव देने के लिए योजना आयोग ने जनवरी 1982 में एक अध्ययन दल का गठन किया जिसके अध्यक्ष डा. एम.क्यू. दालवी सलाहकार यू. एस. डी. पी., परिवहन परियोजना (योजना आयोग से सम्बन्द्ध) है। कार्य दल की रिर्पोट की प्रतीक्षा की जा रही है।

नकली औषधियों की बिक्री

*361. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**

श्री एस. एम. कृष्ण :क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश भर में नकली औषधियों का निर्माण तथा बिक्री बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकरों को निर्देश दिये हैं कि वे इस खतरनाक प्रवृति को रोकने के लिए कदम उठायें; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में राज्य सरकारों को निर्देशों की मुख्य बातें क्या हैं और इस व्यापक बुराई को दूर करने के लिए स्वयं केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) (क) देश में नकली औषधियों के निर्माण और बिक्री की शिकायतें कभी-कभी सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को कह दिया गया है कि वे अपने औषधि नियन्त्रण-तंत्र को मजबूत करते तथा चिकित्सा व्यवसाय, उपभोक्ता-समूहों तथा जनता के निकट सम्पर्क बनाये रखने के लिए विशिष्ट कदम उठायें ताकि नकली औषधियों के खिलाफ तेजी से अभियान चलाया जा सके।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की संशोधित करके उसमें नकली औषधियों के निर्माण और बिक्री करने पर कड़े दण्डों का व्यवस्था कर दी गई है। समय-समय पर बैठकों का आयोजन करके और बेहतर तालमेल तथा गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को तेज करने के उद्देश्य से सूचना का आदन-प्रदान करके केन्द्रीय औषध नियत्रण संगठन राज्य औषध नियंत्रण संगठनों से निरंतर सम्पर्क बनाये रखता है।

केन्द्रीय सरकार की एक योजना के अधीन औषधि निरीक्षकों और औषधि विश्लेषकों के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं ताकि औषधि निरीक्षकों को नकली औषधियों को पकड़ने, छापे मारने के लिए की जानेवाली कानूनी कार्यवाई करने, आदि के बारे में प्रशिक्षण मिल सके।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को घटिया कैप्सूल की सप्लाई

*362. **श्री डी. एम. पुत्ते गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली द्वारा घटिया टेट्रा-साइक्लीन कैपसूल तथा बी-काम्पलैक्स फोर्ट कैपसूल खरीदे गये हैं और विभिन्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के माध्यम से लाभार्थियों को सप्लाई किये गये हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है जो इस काम के लिये उत्तरदायी है और कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स

*363. **श्री रतन सिंह राजदा : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे भूमि का उपयोग करने की एवज में मैसर्स प्योर ड्रिंक्स, नई दिल्ली की ओर कितना किराया बकाया है, और

(ख) क्या सरकार ने बकाया की वसूली कर ली है, यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) मैसर्श प्योर ड्रिंक्स (प्रा०) लि०, नयी दिल्ली को कोई रेलवे भूमि लाइसेंस पर नहीं दी गयी है। लेकिन, मैसर्स. ओरियंटल बिल्डिंग एंड फर्निशिंग कम्पनी (प्रा०) लि., (जो मैसर्स प्योर ड्रिंक्स की सहयोगी फर्म है) को रेलवे का एक प्लाट लाइसेंस पर दिया गया था। रेलवे ने 31-8-81 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए मैसर्स ओरिएंटल बिल्डिंग एंड फर्निशिंग कम्पनी (प्रा०) लि० से कब्जे की बकाया राशि, क्षति तथा ब्याज के लिए मध्यस्थ के समक्ष 61,20,054.10 रु० का दावा किया है।

(ख) दावे का निर्णय सध्यस्थ द्वारा किया जाना है और मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिये जाने के बाद ही आगे कार्यवाई की जायेगी। मध्यस्थ ने मामले पर पहले ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

दिल्ली-अमृतसर लाइन का विद्युतिकरण

*364. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से छठी योजना के दौरान दिल्ली-अमृतसर रेल लाइन का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण आरम्भ करने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) धन राशि सीमित होने के कारण उच्च घनत्व वाले अन्य मार्गों को यातायात के महत्व और कर्षण के माध्यमों में परिवर्तन किये बिना यातायात में वृद्धि की निरन्तरता के आधार पर प्राथमिकता दी गयी है। यह मार्ग पर्याप्त रूप से डीजल कर्षण से सेवित है, जिसे समान क्षमताओं के साथ एक सीमावर्ती राज्य के लिए तरजीह दी जाती है।

रानीगंज-बांकुड़ा लाइन

*365. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** :

श्री वासुदेव आचार्य : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा तैयार किये गये ब्लू-प्रिन्ट के आधार पर प्रस्तावित रानीगंज-बाँकुड़ा बरास्ता मेझिया रेल लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर पहले किये गये सर्वेक्षण को, कोयले के यातायात की मात्रा के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर पुनर्मूल्यांकन करके उसे अद्यतन

किया जा रहा है। पुनर्मूल्यांकन की रिपोर्टें के शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है और रिपोर्ट को देखते हुए इस मामले पर विचार किया जायेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये द्रुत कार्यक्रम

*366. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मन्त्री सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये द्रुत कार्यक्रम के बारे में 4 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं० 1915 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्रुत कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पिछले रिक्त पड़े पदों को भरने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई है,

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने द्रुत कार्यक्रम के दौरान डिविजनल, जोनल और मन्त्रालय स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती और पदोन्नति पर नजर रखने के लिये विशेष रूप से किसी अधिकारी को नामित किया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-4-1981 से 31-12-1981 तक एक त्वरित कार्यक्रम चलाया गया था।

(ख) विभिन्न रेलों/उत्पादन यूनिटों से प्राप्त प्रारम्भिक सूचना के अनुसार, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी की कोटियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 11,169 व्यक्तियों की भर्ती/पदोन्नति की गयी है।

(ग) मंत्रालय स्तर पर अपर निदेशक, स्थापना (आरक्षण), जो रेल मंत्रालय में आरक्षण कक्ष का प्रधान है, क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी, जिन्हें अनुसूचित जाति/अमुसूचित जनजाति के मामलों के सम्बन्ध में सम्पर्क अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है, तथा मंडल स्तर पर एक सहायक कार्मिक अधिकारी, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती/पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रगति पर नजर रखते हैं।

क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों में वरिष्ट कार्मिक अधिकारी (आरक्षित पद) द्वारा मंडल के सहायक कार्मिक अधिकारियों के कार्य पर भी निगरानी रखी जाती है।

औद्योगिक एककों तथा रेलवे के लिये अपेक्षित कोयला वैगनें

*367. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक एककों तथा रेलवे के लिए आवश्यक दैनिक सप्लाई को बनाए रखने के लिए कितने कोयला वैगनों की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या कोयले की अपेक्षित मात्रा की ढुलाई के लिए रेलवे के पास पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी हाँ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय सरकार ने अनिवार्य उपभोक्ताओं को सप्लाई बनाये रखने के लिए प्रतिदिन किये जाने वाले कोयले के लदान के माल-डिब्बों की संख्या के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया है :—

क्षेत्र	(चौपाहियों के हिसाब से) (लक्ष्य)
1. इस्पात कारखाने	3000
2. बिजली घर	4250
3. रेल इन्जन	1300
4. सीमेंट	745
5. साफ्ट कोक	160
6. हार्ड कोक	100
7. उर्वरक	280
8. रसायन	105
9. वस्त्र	200
10. निर्यात	25
11. कागज	170
12. सिंचाई परियोजनाएं	50
13. अन्य उपभोक्ता	930
	11,315

रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने की योजना

*368. **श्री सन्तोष मोहन देव :**

श्री नारायण चौबे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे-विशेषज्ञों ने किराये और माल-भाड़े की दरों में वृद्धि किए बिना रेलवे को आत्म-निर्भर बनाने की कोई योजना तैयार की थी, और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार को ऐसे किसी योजना की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1981 में इंडियन रेड क्रास सोसायटी द्वारा फैंका गया रक्त

*369. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन रेड क्रास सोसायटी, नई दिल्ली में प्रायः स्वैच्छिक तथा व्यवसायिक रूप से रक्तदान करने वालों से रक्त लिया जाता है और उसे लेने वालों के अभाव में 21 दिन के पश्चात फैंक दिया जाता है; और

(ख) इण्डियन रेड क्रास सोसायटी के रक्त बैंक द्वारा 1981 में कितने सी. सी. रक्त फैंका गया और इस प्रकार के अपव्यय को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1981 में एकत्र किए गये रक्त की कुल 19620 यूनिटों में से केवल 11 यूनिटें (प्रत्येक में 250 सी. सी.) फैंकनी पड़ी थी क्योंकि ये रक्ताधान के लायक नहीं थी।

भारतीय लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना

*370. **श्री रेणुपद दास** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की मूल मानक कृतियों के लिए भारतीय लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना वर्ष 1973 से बन्द कर दी गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो अपनी मूल मानक कृतियों के लिए अभी तक कितने लेखकों को पुरस्कार दिये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर के मूल मानक ग्रन्थों के लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत, जो सन् 1973 में तैयार की गई थी, 18 ग्रन्थों के लेखकों को सन् 1981 में पुरस्कार दिये गये हैं। यह योजना इस समय स्थगित है।

समुद्र सम्बन्धी कानून से सम्बन्धित संयुक्तराष्ट्र-सम्मेलन

*371. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र सम्बन्धी कानून से संबन्धित संयुक्तराष्ट्र-सम्मेलन ने अपने प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो समुद्री तल से विभिन्न वस्तुएं प्राप्त करने, समुद्री तट से लगे विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाएं निर्धारित करने, आर्थिक क्षेत्र का विस्तार करने तथा महाद्वीपीय कगार की सीमा के निर्धारण से सम्बधित मुख्य-मुख्य सम्बन्ध क्या हैं; और

(ग) क्या भारत ने इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) समुद्री कानून विषयक तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपने प्रारूप को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। इसका 11वाँ अधिवेशन 8 मार्च से 30 अप्रैल, 1982 तक न्यूयार्क में हो रहा है। सम्मेलन के समक्ष समुद्री कानून पर अभीसमय का एक प्रारूप है, जिसमें लगभग 320 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट है जिनसे समुद्री कानून के विभिन्न पहलुओं पर सम्मेलन की सहमति का पता चलता है।

(ख) अभिसमय के प्रारूप की कुछ मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं :

(1) 12 मील का प्रादेशिक समुद्र जिस पर तटवर्ती राज्यों की प्रभुसत्ता हो लेकिन जिसमें विदेशी जहाजों और नौसेना के सशस्त्र पोतों के लिए निष्कलुष यात्रा का अधिकार हो।

(2) 24 मील का सन्निय अंचल जिस पर तटवर्ती राज्य सीमाशुल्क, स्वास्थ्य और आप्रवासन के लिए नियंत्रण रख सकें।

(3) 200 मील का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिस पर तटवर्ती राज्यों का पूर्ण अधिकार हो और जो केवल उनके अधिकार-क्षेत्र में हो तथा उस क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक प्राणवान और निष्प्राण संसाधनों पर तथा उस क्षेत्र के सभी अन्य आर्थिक उपयोगों पर उनका नियन्त्रण हो। इस क्षेत्र के अन्दर तटवर्ती राज्यों को वैज्ञानिक अनुसंधान तथा समुद्री प्रदूषण को रोकने और नियन्त्रित करने का अधिकार भी हो।

(4) एक महाद्वीपीय जल सीमा, जिसकी सीमा समुद्री कानून विषयक अभिसमय के प्रारूप के अनुच्छेद 76 में निर्धारित की गई है (जो भारत के मामले में कहीं-कहीं 350 समुद्री मील तक हो सकती है) उक्त महाद्वीपीय जल सीमा पर तटवर्ती राज्यों का प्रभुसत्तात्मक अधिकार हो और जिसके जड़ पदार्थों के संदोहन और मत्स्य उद्योग पर उनका अनन्य क्षेत्राधिकार और नियन्त्रण हो।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र, जो समस्त मानव जाति की आम सम्पति हैं, के स्रोतों के संदोहन को विनियमित करने के लिए विभिन्न निकायों की स्थापना।

(ग) अभिसमय का प्रारूप तैयार करने में भारत बराबर निकट रूप से संबद्ध रहा है।

खड़गपुर-आडरा सैक्शम का विकाश

*372. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर-आडरा सैक्शन पर मालगाड़ियों सहित और अधिक रेलगाड़ियाँ चला कर तथा सैक्शन का विद्युतीकरण करके उसका विकास करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) खड़गपुर-मिदनापुर-आद्रा खंड पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस समय खड़गपुर और आद्रा के बीच 5 जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं और अन्य 5 जोड़ी गाड़ियाँ खड़गपुर और मिदनापुर के बीच चल रही हैं। सवारी डिब्बों की कमी के कारण कोई नयी सवारी गाडियां चलाना सम्भव नहीं है।

माल गाड़ियों को माल यातायात की उपलब्धता के आधार पर चलाया जाता है।

यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए इस खंड को विद्युतीकृत किये जाने का औचित्य नहीं बनता।

वर्ष 1898 के कुष्ठ रोगी अधिनियम में संशोधन

*373 **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुष्ठ रोग के संबध में वर्तमान प्रबुद्ध चिकित्सा मत को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक काल की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्ष 1898 के पुराने कुष्ठ रोगी अधिनियम में शीघ्र और उपयुक्त संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है :

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय से संबंधित आदर्श जन-स्वास्थ्य कानून का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी हां। चूंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को इस अधिनियम को रद्द करने की सलाह दे दी गई है। माडल जन स्वास्थ्य कानून का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य वार अपराध

3953. **श्री के. राममूर्ति** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत हुए अपराधों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) अपराधियों को क्या जुर्माना और सजा दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) 1977, 1978 और 1979 में जाँचे गए नमूनों, मिलावटी पाए गए नमूनों, अदालत द्वारा निर्दोष पाए गए तथा जिन मामलों में जुर्माना या कैद की सजा दी गई उनकी संख्या का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3678/82]**

भारत तथा अल्जीरिया के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु स्थापित की गई समितियां

3954. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **विदेश मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अल्जीरिया के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाने के प्रयोजन से समितियां गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों की स्थापना का उद्देश्य एक उपयुक्त तिथि पर मंत्री स्तर पर एक संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित करने के लिए आधार तैयार करना था;

(ग) यदि हाँ, तो इन समितियों ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं और क्या दोनों सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं के बारे में अन्तिम रूप से कोई करार हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत और अल्जीरिया के बीच संयुक्त आयोग स्थापित करने से संबद्ध करार के अनुरूप भारत-अल्जीरियाई संयुक्त आयोग की पहली बैठक अल्जीरिया में 8 से 11 फरवरी, 1982 तक हुई। भारतीय शिष्ट मंडल का प्रतिनिधित्व योजना मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस. बी. चव्हाण ने किया। अल्जीरिया के शिष्ट मंडल का नेतृत्व अल्जीरिया के योजना एवं भूमि विकास मंत्री, श्री अब्दुल

हमीद इब्राहिम ने किया। सयुक्त आयोग की अधिकारी स्तर की प्रारंभिक बैठक नई दिल्ली में 5 से 9 जनवरी, 1982 तक हुई। संयुक्त आयोग ने अपने कार्य को दो उप-समितियों में आयोजित करने का निर्णय लिया—एक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग के बारे में और दूसरी वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग के बारे में।

(ग) और (घ) संयुक्त आयोग की बैठक में पारित कार्यवृत्त में प्रस्तुत बातों के आधार पर दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग (जिसमें भारी, हल्के और मध्यम उद्योग उर्जा और पेट्रो रसायन औषधि-निर्माण, जल संसाधन, परिवहन तथा योजना शामिल है) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान संवर्धित करने के बहुत से उपाय तय किये गये दोनों पक्षों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जिन पर अल्जीरियाई और भारतीय दलों के बीच बातचीत चल रही है और बहुत सी परियोजनाएं तय की जिन पर भविष्य में सहयोग संभव है।

श्रीलंका में तमिल मूल व्यक्तियों की समस्या

3955. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को श्री लंका में तमिल मूल के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के बारे में विभिन्न तमिल संगठनों से कोई अभ्यावेदन मिला है, और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन के ब्यौरे क्या हैं और केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत और विदेश स्थित तमिल संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये अभ्यावेदन मुख्यतः अगस्त 1981 में श्रीलंका में साम्प्रदायिक दगों और उसके संदर्भ में श्री लंका के बागान कामगारों के प्रत्यावर्तन से सम्बद्ध प्रश्नों के बारे में हैं।

अगस्त 1981 में श्रीलंका में हुए दंगे यद्यपि अनिवार्यतः श्रीलंका का आंतरिक मामला है तो भी हम श्रीलंका सरकार से सम्पर्क बनाए रहे और उन्हें अपनी चिन्ता से अवगत कराया। श्रीलंका सरकार भी हमें वहां के घटनाचक्र की जानकारी देती रही और उसके द्वारा की गई कार्यवाही से स्थिति सामान्य हो गई है। इन साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भी श्रीलंका सरकार ने प्रबन्ध किए हैं।

प्रत्यावर्तन और उससे सम्बद्ध मामलों के बारे में किसी औपचारिक वार्ता का प्रस्ताव तो नहीं किया गया है, फिर भी भारत सरकार शेष राज्यविहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है और हम आशा करते हैं कि संबंधित व्यक्तियों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए समस्या का कोई व्यापक हल निकल जाएगा।

पासपोर्ट कार्यालय

3956. **श्री भीकू राम जैन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं; निकट भविष्य में कितने पासपोर्ट कार्यालय खोलने का विचार है;

(ख) देश में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में तुलनात्मक कार्यभार कितना है; और

(ग) इस प्रणाली में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) 18; एक।

(ख) भारत के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों का तुलनात्मक कार्यभार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार वर्तमान प्रणाली में सुधार लाने के लिए निरन्तर आवश्यक कदम उठा रही है। प्रस्तावित उपायों में शामिल है नयी तरह की पासपोर्ट पुस्तिका की व्यवस्था, कार्यभार में वृद्धि, के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, पासपोर्ट पुस्तिकाओं की नियमित और समय पर सप्लाई, पासपोर्ट कार्यालयों में और बैंक काउन्टर खोलना तथा शिमला में एक नया पासपोर्ट संपर्क कार्यालय स्थापित करना।

विवरण

वर्ष 1981 में भारत स्थित विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों के तुलनात्मक कार्यभार का विवरण

क्रम सं.	शहर	प्राप्त पासपोर्ट आवेदन की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या	विविध सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	प्रदान की गई विविध सेवाओं की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	अहमदाबाद	74,864	69,181	28,592	29,420
2.	बंगलौर	50,781	47,593	9,625	9,158
3.	भोपाल	15,228	15,627	8,182	7,976
4.	भुवनेश्वर	7,921	7,793	5,786	5,784
5.	बम्बई	2,61,516	2,57,744	2,62,238	2,54,519
6.	कलकत्ता	32,068	35,274	15,285	16 612
7.	चंडीगढ़	81,604	76,042	15,628	15,538
8.	कोचीन	1,47,073	1,37,875	94,116	91,768
9.	दिल्ली	88,286	89,332	40,093	38,758
10.	गोहाटी	2,114	2,193	455	471
11.	हैदराबाद	1,03,671	90,186	15,912	15,806
12.	जयपुर	64,816	61,322	8,526	8,331
13,	जलन्धर	1,26,985	98,236	29,347	26,254
14.	कोजीकोडे	1,07,494	83,205	42,086	40,115

1	2	3	4	5	6
15.	लखनऊ	81,029	74,455	12,043	12,429
16.	मद्रास	2,08,857	1,85,631	30,658	33,730
17.	पटना	15,031	16,022	2,375	2,386
18.	श्रीनगर	6,836	5,850	1,265	1,280
	कुल	14,73,174	13,53,561	6,22,212	6,10,345

स्टेशन मास्टरों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

3957. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्टेशन मास्टरों के पदों का दर्जा बढ़ाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) दर्जा बढ़ाने के इस प्रस्ताव से कितने स्टेशन मास्टरों को लाभ होने की समावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

गैर सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों की प्रबन्ध समितियों पर नियन्त्रण रखने का प्रस्ताव

3958. **श्री के. मालन्ना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों से सम्बन्ध शासी निकायों की पद्धति पर गैर सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों की प्रबन्ध समितियों को नियंत्रण में रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि प्रबन्ध समितियों में व्याप्त कुप्रबन्ध और कदाचार को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम में संशोधन करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संकृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी. के. युंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) गैर-सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों को नियंत्रित करने का अधिकार सरकार को देने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रत्येक गैर-

सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा बनाई जाने वाली प्रबन्ध योजना के लिए शिक्षा निदेशक की पूर्व अनुमति अपेक्षित होती है। अल्पसंख्यक स्कूलों के मामले में प्रबन्ध योजना के लिए ऐसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के संबंध में सरकार प्रबन्ध समितियां नियुक्त नहीं करती है। तथापि, दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 59 के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों की प्रबन्ध समितियों में, अन्यों के साथ-साथ, स्कूल का प्रमुख संबंधित स्कूल के शिक्षकों द्वारा अपने में से ही चुने गए दो शिक्षक तथा शिक्षा निदेशक द्वारा नामित दो सदस्य होने चाहिए। प्रबन्ध समिति द्वारा किए गए कूप्रबन्ध अथवा धन के गबन की विशिष्ट शिकायतों की जांच दिल्ली प्रशासन द्वारा की जाती है तथा अधिनियम और नियमावली में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाती है

बाहर के देशों द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों की कान्सुलरों के रूप में नियुक्ति

3959. **डा. वसन्त कुमार पंडित** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय राष्ट्रिकों का विवरण क्या है, जिन्हें विदेशों द्वारा कान्सुलरों के रूप में जिनकी नियुक्ति को कलेन्डर वर्ष 1980 और 1981 के दौरान विदेश मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है,

(ख) वे भारतीय राष्ट्रिक किन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं,

(ग) वे किस-किस पद पर हैं, और

(घ) वे किस-किस स्थान पर कार्य कर रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (घ) 1. श्री के. एस. जी. हाजा शरीफ 29 अक्तूबर, 1980 से मद्रास में टर्की के अवैतनिक प्रधान कोंसल नियुक्त किए गए। इनका कोंसली कार्य क्षेत्र है—तमिलनाडु, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश के राज्य। श्री हाजा शरीफ ने उसके बाद त्याग पत्र दे दिया है।

2. श्री जासू शाह। अगस्त, 1980 से बम्बई में आस्ट्रिया का अवैतनिक कोंसल नियुक्त नियुक्त किया गया। उनका कोंसली कार्य क्षेत्र है—महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोआ दमन एवं दीव के राज्य।

3. श्री एस. बी., ऐबारा 18 अगस्त. 1980 से कलकत्ता में पेरु के अवैतनिक कोंसल नियुक्त किए गए। उनका कोंसली कार्यक्षेत्र कलकत्ता है।

4. श्री अविजीत मजूमदार। अक्तूबर, 1980 से कलकत्ता में स्पेन के अवैतनिक उप कोंसल नियुक्त किए गए . उनका कोंसली कार्यक्षेत्र पश्चिम बंगाल का राज्य है।

5. डा. जे. एन. बनर्जी 21 जून, 1980 से बम्बई में मलेशिया के अवैतनिक कोंसल नियुक्त किए गए। उनका कोंसली कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र का राज्य है।

6. श्री एन. एम. देसाई 11 नवम्बर, 1980 से बम्बई में डेनमार्क का अवैतनिक प्रधान कोंसल नियुक्त किए गए। उनका कोंसली का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोआ, दमन एवं दीव और दादरा तथा नागर हवेली के राज्य।

7. श्री सुरेन्द्र डेम्पो 15.8.81 से बम्बई में पुर्तगाल के अवैतनिक कोंसल नियुक्त किए

गए । उनका कोंसली कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, गोआ, दमन, दीव और दादरा तथा नागर हवेली के राज्य हैं ।

8. श्री एन. एन. लंगराना 14-1-81 से मद्रास में यूनान के अवैतनिक कोंसल नियुक्त किए गए । उनका कोंसली कार्यक्षेत्र तमिलनाडु, केरल, और आन्ध्र प्रदेश के राज्य हैं ।

9. कुमारी विभा सिंह 22-5-81 से दिल्ली में नॉरु की अवैतनिक कोंसल नियुक्त की गयी, उनका कोंसली कार्यक्षेत्र दिल्ली है ।

अपराध और यौन साहित्य का आयात

3960. **श्री अनन्तरामुलु मल्लु** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को आल इंडिया पब्लिशर्ज एसोसियेशन से अपराध यौन तथा अनेक साहित्य का आयात रोकने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. युंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आयात नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत, ऐसी पुस्तकों, मैगजीनों (पत्र) तथा पत्रिकाओं को, जिनमें अश्लील सामग्री हो अथवा कामुकता, अहिंसा आदि का चित्रण किया गया हो, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अथवा लाइसेंसों पर आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

स्कूलों और कालेजों में यौन शिक्षा का आरम्भ किया जाना

3961. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **शिक्षा मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजना अवधि में स्कूलों और कालेजों में यौन शिक्षा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो शैक्षणिक संस्थाओं में ऐसे पाठ्यक्रम आरम्भ करने का क्या उद्देश्य है; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव की कार्यान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीलाकौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आगामी वर्ष के लिए वैगन-क्रय करने का कार्यक्रम

3962. **श्री वाई. कृष्णन** :

श्री एन. ई. होरो : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने आगामी वर्ष के लिए अपने वैगन-वसूली-कार्यक्रम के बारे में हाल में निर्णय लिया है;

(ख) आगामी वर्षों के लक्ष्य की तुलना में क्या इसमें कोई परिवर्तन या कमी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और तत्सम्बन्धीव्य ौरजीाक हैया ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हाँ।

(ख) और (ग) रेलों द्वारा माल और डिब्बों की खरीद यातायात आवश्यकता और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध योजना राशि को ध्यान में रखकर वर्षानुवर्ष के आधार पर की जाती है।

पहले यह विचार किया गया था कि 1982-83 में चौपहियों के हिसाब से 22,000 माल डिब्बों की खरीद की जायेगी ताकि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चौपाहियों के हिसाब से 1,00,000 माल डिब्बों की पूर्ति की जा सके। लेकिन, उपलब्ध राशि के आधार पर, इस अवधि के दौरान चौपहियों के हिसाब से केवल लगभग 78,000 माल डिब्बे खरीदना ही सम्भव होगा। परिणामस्वरूप, 1982-83 के रेलवे बजट में धन के आवंटन के अनुरूप, 1982-83 के दौरान चौपहियों के हिसाब से 15,650 माल डिब्बों को खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है।

कोयले की कमी के कारण भावनगर और राजकोट डिवीजन में रद्द की गई रेलगाड़ियां

3963. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम रेलवे के भावनगर और राजकोट डिवीजन में कोयले की सप्लाई न होने के कारण रद्द की गई रेल गाड़ियों के नाम क्या हैं तथा कितनी अवधि के लिए इनको रद्द किया गया; और

(ख) कोयले की कमी होने से रेल गाड़ियों को इस प्रकार रद्द न करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उस क्षेत्र की जनता को परेशानी न उठानी पडे ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (फरवरी तक) के दौरान कोयले की कमी के कारण औसतन क्रमश: 8.0.7.० और 17.5 (जोड़ी) सवारी गाड़ियां प्रति दिन रद्द रहीं।

(ख) रेलों और उद्योगों की संयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में भाप कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अत:, सम्पूर्ण उद्योगों के लिए भाप कोयला उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कभी-कभी रेलें स्वच्छा से अपनी आवश्यकताओं में कटौती कर देती हैं और विवश होकर उन्हें अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय तथा कम महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियां रद्द करनी पड़ती हैं . भाप कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कोयला विभाग तथा कोयला उत्पादक कम्पनियों के साथ निकट सम्पर्क बनाएं खा जा रहा है।

साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन

3964. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य कला परिषद, दिल्ली पहले वार्षिक संस्कृति कवि सम्मेलन आयोजित करती रही है और संस्कृत लेखकों को सम्मान देती रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन लेखकों के नाम क्या हैं जिनको साहित्य कला परिषद द्वारा

सम्मानित किया गया है और इस वर्ष सहित गत तीन वर्षों में कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले संस्कृत कवियों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) साहित्य कला परिषद, दिल्ली समय-समय पर कवि सम्मेलनों का आयोजन और संस्कृत विद्वानों को सम्मानित करती रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में श्री दीना नाथ शर्मा सारस्वत को संस्कृत साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1979-80 में सम्मानित किया गया था। 1979-80 में संस्कृत कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित कवियों ने भाग लिया :

1. श्री जगन्नाथ पाठक
2. श्री सुभाष विद्यालंकार
3. श्री आनन्द झा
4. श्री वटुकनाथ शास्त्री खिस्ले
5. श्री रामकिशन मिश्र
6. श्री रामस्वरूप शास्त्री
7. श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी
8. श्री भगवती प्रसाद पाण्डया
9. श्री नलिनी शुक्ल
10. श्री वेदानन्द झा
11. श्री हर्षनाथ मिश्र
12. श्री हर्ष कुमार
13. श्री नित्यानन्द शर्मा
14. श्रीमती आर्दश ढींगरा
15. श्री परीक्षित शर्मा
16. श्री वेद प्रकाश
17. श्री किशन लाल
18. श्री श्रीकृष्ण सैम्बल
19. सुश्री प्रवेश सक्सैना

पर्यटक सवारी डिब्बा

3965. **श्री लक्ष्मण मलिक क्या रेल मन्त्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने विभिन्न रेलवे जोनों में जनता के लिए तथा पर्यटकों के लिए पर्यटक सवारी डिब्बा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रखी है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन में भी उपलब्ध है;

(ग) उनके मन्त्रालय ने ऐसी पर्यटक कारों का उपयोग करने के लिए क्या प्रभार निर्धारित कर रखे हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) पर्यटक यानों और सैलूनों का किराया यात्रा करने वाले व्यक्तियों की वास्तविक संख्या या अंकित यात्री वहन क्षमता की दुगुनी संख्या, जो भी अधिक हो, का सामान्य दर-सूची किराया लिया जाता है । यह किराया स्थल से स्थल आधार पर लगाया जाता है । कुल देय किराये के 10 प्रतिशत के हिसाब से सेवा-प्रभार भी लगाया जाता है ।

इसके अलावा, किराया और खाली डिब्बा कर्षण प्रभार भी जहां-कहीं प्रभार्य होता है, सामान्य नियमों के अनुसार वसूल किया जाता है ।

कोटा-बीना लाइन पर चल रही शटल गाडियों को छाबरा गुना तक बढ़ाना

3966. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा बीना लाइन पर, शटल गाड़ी कोटा से बेरोन के लिए शाम को छुटती है और रात को उसका इंजन पानी लेने के लिए बेरोन से सालपुरा जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस शटल गाड़ी को रेलवे विभाग छाबरा-गुना तक क्यों नहीं बढ़ा देता तथा इन्जन के साथ ही यात्री डिब्बे क्यों नहीं भेज दिये जाते; और

(ग) क्या जनता की माँग को देखते हुए इस शटल गाड़ी को छाबरा-गुना तक बढ़ाने पर विचार किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 135/136 कोटा-बीना शटल गाड़ियां माल डिब्बों को भी ढोने वाली मिली-जुली गाड़ियां हैं । बारां में गाड़ी के समाप्त हो जाने पर इन्जन माल डिब्बों के साथ सालपुर चला जाता है । इन गाड़ियों को छाबरा गुगर तक बढ़ाना, छाबरा गुगर में टर्मिनल सुविधाएं न होने के कारण संभव नहीं है । गुना तक बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त रेक की आवश्यकता होगी, जो डिब्बों की कमी के कारण व्यावहारिक नहीं है । इसके अलावा, बारां से आगे गाड़ी रात्रि के असुविधाजनक समय पर पहुंचेगी, जब अधिक यातायात मिलने की सम्भावना नहीं है ।

नई दिल्ली नगरपालिका के नर्सरी शिक्षकों की वरीयता के विवादों को हल करना

3967. **श्री फूलचन्द वर्मा** :

श्री टी. नागारत्नम : क्या **शिक्षा मन्त्री** नई दिल्ली नगरपालिका के नर्सरी स्कूल के शिक्षकों को स्थायी करने के बारे में 6 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के नर्सरी शिक्षकों को स्थायी करने की वरीयता सूची के हर विवाद हल कर लिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हल कर लिए गए हैं तो क्या नर्सरी शिक्षकों को सलेक्शन ग्रेड देने पर विचार किया गया है अथवा नहीं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी हाँ।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, नर्सरी अध्यापकों को प्रवरण ग्रेड देने के मामलों पर कार्यवाई की जा रही है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में लम्बी अवधि तक डाक्टरों की पदोन्नति न होना और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का पुनर्गठन किया जाना

3968. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वस्थ्य सेवा के अन्तर्गत अनेक डाक्टर 10 वर्षों से भी अधिक समय से अपने-अपने वर्तमान ग्रेड में पदोन्नति न होने के कारण रुके हुए हैं;

(ख) क्या सरकार इतने लम्बे समय तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को पदोन्नति ने मिल पाने की स्थिति को हल करने के लिए "केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का पुनर्गठन" सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो किस संभावित तिथि तक "केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के पुनर्गठन" को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के पुनर्गठन और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा पर लागू होने वाले नियमों के प्रारूप को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

एक सौ अस्सी दिन तक काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिक

3969. **श्री रामलाल राही** : क्या **रेल मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग में ऐसे कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं, जो 180 दिन काम कर चुके हैं और उनमें से कितने श्रमिकों को नियमित किया जा चुका है तथा शेष श्रमिकों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा, और

(ख) क्या रेल विभाग में नेमित्तिक श्रमिकों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कितने समय के लिए लगाया गया है तथा तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) नेमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परन्तु यह निर्धारित किया गया है कि नये नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती महाप्रबंधक के निजी पुर्वानुमोदन से ही की जानी चाहिये।

गूंगे बहरे व्यक्तियों को विकलांग मानना

3970. **प्रो. मधु दण्डवते : क्या समाज कल्याण मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार गूंगे बहरे व्यक्तियों को अच्छे व्यक्तियों की भांति शारीरिक रूप से विकलांग मानती है :

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें वे अवसर तथा समाज कल्याण सुविधायें दी जाती हैं जैसी कि अंधे व्यक्तियों को दी जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी. के. थुगन) : (क) बहरे व्यक्तियों को शारीरिक रूप से विकलांग समझा जाता हैं, परन्तु गूंगे व्यक्तियों को ऐसा नहीं समझा जाता है।

(ख) और (ग) एक **विवरण सदन** के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों, जिनमें दृष्टिहीन और बधिर शामिल हैं, के कल्याण के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों में से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

1. केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी "ग" और (घ) के पदों/सेवाओं में तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के समतुल्य पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत रिक्त पद (दृष्टिहीनों, बधिरों और अस्थि विकलांगों के लिए एक-एक प्रतिशत) आरक्षित किये गये हैं।

2. बैंकों द्वारा ब्याज की विभिन्नात्मक दर की योजना के अन्तर्गत अपने निजी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पात्र विकलांग व्यक्तियों तथा संस्थाओं को कार्यकारी पूंजी के रूप में 1,500 रुपये तक तथा आवधिक कर्ज के रूप में 5, 000 रुपये तक के ऋण, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर पर दिए जाते हैं।

3. विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने को प्रोत्साहित करने लिए नियोक्ताओं को आय कर अधिनियम के अन्तर्गत उनके द्वारा विकलांग व्यक्तियों को दिये गए वेतन के, जहां ऐसे वेतन की राशि 20,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो, 1-1/3 का वेटिड डिडक्शन स्वीकार्य है।

4. विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए इस देश में 21 विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

5. "दृष्टिहीनों, बधिरों और अस्थि विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियों की योजना" के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं ताकि वे ऐसी शिक्षा अथवा किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान की दुकान/फ्लोर पर तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी जीविका कमाने योग्य हो कर समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें।

6. विकलांग व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 12 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गये हैं।

7. 5 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों से संलग्न 11 ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों को स्थापित किया गया है। ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे।

8. विकलांगों के लिये स्वेच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत संगठनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने और शिक्षा को बढ़ावा देने के योग्य बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में स्वेच्छिक संगठनों इत्यादि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत, अनुमानित लागत (आवर्ती तथा गैर आवर्ती दोनों) की /90 प्रतिशत सहायता और भवन-निर्माण की स्थिति में अधिकतम 2.50 लाख रुपये या अनुमानित लागत का 90 प्रतिशत सहायता इनमें से जो कम हो उपलब्ध है।

9. विकलांग व्यक्तियों को अधिक रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये विकलांग व्यक्तियों उत्कृष्ट नियोक्ताओं को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

10. विकलांग व्यक्तियों द्वारा सहायक यन्त्रों/उपकरणों के क्रय/फिटिंग के लिए सहायता को योजना के अन्तर्गत आर्थिक और शारीरिक पुनर्वास हेतु विकलांग व्यक्तियों जिसमें गूंगे और बहरे भी सम्मिलित हैं की सहायक यन्त्र/उपकरण मुक्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

11. 1-4-1981 से प्रारम्भ की गई समेकित शिक्षा की संशोधित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुछ मदों पर निश्चित आधार पर लागत का 100 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। इनमें अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त अध्यापकों का वेतन, परिवहन लागत, पुस्तकों और स्टेशनरी का मूल्य, निर्धारण लागत और उपकरण की आरम्भिक लागत सम्मिलित है।

धनबाद-पथेरदीह गाडी का भोजूदीह तक बढ़ाया जाना

3971. **श्री ए. के. राय** : क्या रेल मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भोजुदीह और पथेरदीह यार्ड (जो स्टेशन नहीं है) के बीच में रेलवे लाईन विद्यमान है, जिसका यदा-कदा माल-गाड़ियों के लिये प्रयोग किया जाता है,

(ख) क्या धनबाद पथेरदीह गाड़ी को मामूली हेर-फेर करने के बाद सरलता से भोजुदीह तक बढ़ाया जा सकता है,

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि यह मामला उनके मंत्रालय के साथ अनेक बार उठाया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) : पाथरडीह यात्री स्टेशन पर प्लेट फार्म लाइनें 'डेड एड' पर समाप्त हो जाती हैं। धनाबाद और पाथरडीह के बीच वर्तमान गाड़ी को भोजुडीह से/तक बढ़ाने के लिए वर्तमान यात्री लाइन का भोजुडीह तक विस्तार करना पड़ेगा, जो लोगों की रिहायश, दामोदर नदी, कोयला खानों और उस क्षेत्र की पठारी स्थलाकृति के कारण सम्भव नहीं है।

यदि वर्तमान माल लाइन का यात्री सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है तो इससे

माल यतायात के परिचालन पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसा करना वांछनीय नहीं है। चूंकि सुविधाजनक सड़क सेवाएं पहले ही उपलब्ध हैं अतः कम दूरी के यातायात के लिए सवारी गाड़ियां चलाने के उद्देश्य से अतिरिक्त निवेश करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

श्री गंगानगर एकसप्रेस गाड़ी में सादुलपुर स्टेशन पर डिब्बा जोड़ने की प्रथा

3972. **श्री कुंभाराम आर्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और हनुमानगढ़ के बीच बरास्ता रिवाड़ी चलने वाली श्री गंगानगर एक्सप्रेस में सादुलपुर स्टेशन पर डिब्बा लगाने की प्रथा को क्यों समाप्त कर दिया गया है, और

(ख) क्या यात्रियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस गाड़ी में डिब्बा लगाने की प्रथा बहाल करने के प्रबंध करेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : दिल्ली-सादुलपुर-हनुमानगढ़ के बीच सादुलपुर से श्री गंगानगर एक्सप्रेस के साथ कोई सवारी डिब्बा नहीं चल रहा था। लकिन, सादुलपुर में 92 डाउन बीकानेर-दिल्ली डाक गाड़ी के साथ हनुमानगढ़ और दिल्ली के बीच दो थ्रू डिब्बे लगाये जाते हैं।

नीलाचल एक्सप्रेस के नई दिल्ली पहुंचने का समय बढ़ाना

3973. **श्री के. प्रधानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 175-176 नीलाचल एक्सप्रेस का दिल्ली में पहुंचने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को 1 अप्रैल, 1982 से कार्यान्वित किया जाना है, और

(ग) उपर्युक्त रेल गाड़ी के नई दिल्ली से पुरी और पुरी से नई दिल्ली पहुंचने तथा छूटने के समय में परिवर्तन का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : 175/176 नयी दिल्ली-पुरी नीलाचल एक्सप्रेस सहित विभिन्न गाड़ियों के समयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उन्हें आगामी समय सरणी में प्रकाशित किया जायेगा।

कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा प्रचार पर व्यय की गई धनराशि

3974. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा प्रचार के लिए उपयोग किए दैनिक पत्रों के नाम, भाषावार, क्या हैं,

(ख) उन संवाददाताओं के नाम, समचारपत्रों वार क्या है जिन्हें कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा नियमित रूप से प्रेस विज्ञाप्तियां भेजी जाती हैं, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा प्रचार पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा जारी विज्ञापन दो प्रकार के हैं: (1) वर्गीकृत विज्ञापन और (2) प्रदर्शन विज्ञापन। निविदा सूचनाये, रोजगार सूचनाएं लोक अधिसूचनाएं आदि जैसे वर्गीकृत विज्ञापन सामान्यत: स्टेटमैन, विजीनेस स्टेडर्ड, एकोनोमिक टाइम्स, अमृत बाजार पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स, हिन्दु, मैरीन टाइम्स सभी अंग्रेजी (आनन्द बाजार पत्रिका और जुगौतर) (सभी बंगाली) आदि समाचार पत्रों में जारी की जाती हैं। प्रदर्शन विज्ञापन पत्तन के मुवक्किल के बारे में पत्तन परिचालन कोण से सूचना देती है जिसका उपयोग दैनिक समाचार पत्रों में कभी-कभी किया जाता है। उदाहरण के लिए गत दो वर्षों में यह किसी भी समाचार पत्रों में जारी नहीं किया गया।

(ख) उन मुख्य संवादाताओं के नाम नीचे दिए जा रहे हैं जिनका नाम नियमित डाक सूची में है :—

(1) श्री मिहिर मुखर्जी, स्टेट्स मैन

(2) श्री सुभमय चटर्जी, अमृत बाजार पत्रिका

(3) श्री सान्तनु सन्याल, एकोनोमिक टाइम्स

(4) श्री अमलेन्दु बोस, विजिनेस स्टैंडर्ड

(5) श्री प्रभात मिश्रा, आनन्द बाजार पत्रिका

(6) श्री अमिताभ चक्रवर्ती जुगांतर

(7) श्री अजय कानुनगो, बासुमति

(8) श्री दीपक बसक, प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया

(9) श्री स्वपन मुखर्जी, यूनाइटेड न्यूस आफ इन्डिया,

(10) श्री अमिताभ सेन, फाइनेन्सियल एक्सप्रेस

(11) श्री ए. मुखर्जी, हिन्दुस्तान टाइम्स

(12) श्री ए. कुंडु, हिन्दुस्तान समाचार

(13) श्री शिबदास बनर्जी, टाइम्स आफ इन्डिया

(14) श्री के. बी. दास, डिपुटी प्रिंसिपल इन्फार्मेशन अधिकारी, प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो

(15) श्री ए. बी. दास आल इन्डिया रेडियो

(16) श्री असीम सांग, दूरदर्शन केन्द्र

(17) श्री उदय बनर्जी, सत्ययुग,

(18) श्री डी, साहा, आजकल

(19) श्री सत्य घोष, हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड

(20) श्रीमती मंजुला बसक, मैंरीन टाइम्स

(ग) गत तीन वर्षा की अवधि में कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा प्रचार पर खर्च किए गये राशि निम्न लिखित हैं—

	1979-80	1980-81	1981-82 (दिसम्बर 81 तक)
		लाख रुपए	
वर्गीकृत/विज्ञापन	5.59	5.65	3.92
प्रचार पर (प्रदर्शन विज्ञान सहित)	5.52	0.73×	3.67××

× अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला 1980 और राष्ट्रीय उद्योग मेला 1980 में भाग लेने के खर्च शामिल हैं।

×× अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला 1981 में भाग लेने के खर्च शामिल है।

इनाम देने का मानदण्ड

3975. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय इनाम देने के लिए अध्यापकों को चुनने हेतु अपनाये जाने वाले मानदण्ड का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : 15 वर्ष के शिक्षा अनुभव वाले कक्षा-अध्यापक तथा 20 वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले मुख्य अध्यापक, जो मान्यता प्राप्त प्राथमिक/मिडिल/उच्च उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा शारीरिक और मासिक रूप से विकलांगों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों/मुख्य-अध्यापकों के रूप में वास्तविक रुप से कार्य कर रहे हैं, अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।

सेवा निवृत्त अध्यापक इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं है किन्तु जिन अध्यापकों ने पंचांग वर्ष में कुछ अवधि (कम से कम चार महीने) के लिए कार्य किया है, उन पर विचार किया जाता है।

अध्यापकों के चयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है :

(1) स्थानीय समुदाय में प्रतिष्ठा।
(2) शैक्षिक दक्षता तथा इसको सुधारने के लिए इच्छा।
(3) बच्चों में रुचि तथा उनके प्रति स्नेह।
(4) समुदाय के सामाजिक जीवन में हिस्सा लेना।

रेलवे तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मासिस्टों के वेतनमानों में असमानता

3976. **श्री आर. एन. राकेश :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने अपने पत्रांक पी. सी.-111-78/यू. पी. जी./9 दिनांक 8 फरवरी, 1979 के अनुसार फार्मासिस्टों एवं स्टोर कीपरों के वेतनमान पुनरीक्षित करके 425-700 रुपये और चयन ग्रेड 550-750 रुपये कर दिया ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में काम कर रहे फार्मासिस्टों

एवं स्टोर कीपरों ने अपने वेतनमान रेलवे के औषधालयों तथा अस्पतालों में काम कर रहे उनके समकक्ष कर्मचारियों के समान करने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्य करने वाले फार्मासिस्ट-एवं-स्टोर कीपरों को पुनरीक्षित वेतनमान कब तक दे दिए जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : रेल मंत्रालय ने फार्मेसिस्टों के 2.3 प्रतिशत पदों का 425-700 रुपये के वेतनमान में और 2.6 प्रतिशत पदों का 550-750 रुपये के वेतनमान में दर्जा बढ़ा दिया है।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मेसिस्टों के वेतनमानों में संशोधन करने के प्रश्न पर कैडर पुनरीक्षा समिति विचार करेगी जिसका गठन किया जा रहा है।

बर्ष 1981-82 के दौरान चलाई गई यात्री गाड़ियों की संख्या

3977. **श्री सूर्य नारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : -

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान अब तक कितनी नई यात्री रेल सेवायें चालू की गई और इन सेवाओं के प्रारम्भिक और अंतिम स्थान क्या हैं, और

(ख) वर्ष 1982 83 के दौरान चालू की जाने वाली, यदि कोई हो, नई रेल यात्री सेवाओं के प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान क्या होंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण-संलग्न है।

(ख) 1981-82 (31-3-1982 तक) की शेष अवधि के दौरान कोई सवारी गाडी चलाये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1981-82 (फरवरी, 1982 कक) के दौरान चलायी गयी अनुसूचनगरीय गाड़ियों का विवरण।

क्र. सं.	गाड़ी सं.	स्टेशन से	स्टेशन तक
ब. ला 1	307/308 एक्सप्रेस	अरकोणम	जोलारपेट्टे
2	397/398 पैसेंजर	कन्याकुमारी	नागरकोइल
3	401/402 ,,	नागरकोइल	तिरुनेलवेलि
4	153/154 बाता० एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	बम्बई	अहमदाबाद
5-7	3 जोड़ी शटल (पैसेंजर)	अरकोणम	तिरुवेल्लूर
8	539/540 पैसेंजर	गोंडा	लखनऊ
9	541/542 ,,	लखनऊ	गोंडा

1	2	3	4
10	501/502 एक्सप्रेस	लखनऊ	गोरखपुर
11	503/504 मेल	,,	,,
12	505/506 एक्सप्रेस	समस्तीपुर	कानपुर
13	321/322 पैसेंजर	रामपुर हाट	राजगांव
14	47/48 एक्सप्रेस*	बरवाडीह	पटना
15	1 बी डी/2बी डी पैसेंजर	,,	देहरी-आन-सोन
16	325/326 एक्सप्रेस **	बेंगलुर	मारिकुप्पन
17	551/352 पैसेंजर	गोरखपुर	भटनी
18	555/556 शटल (पैसेंजर)	,,	बस्ती
मी.ला 19	501ए/502ए एक्सप्रेस*** (सप्ताह में तीन बार)	दिल्ली	अजमेर
20	223/224 पैसेंजर	कटखल	लालाघाट
21	63/64 शटल (पैसेंजर)	पुलेरा	जयपुर
22	127/128 पैसेंजर	कटिहार	बारसोई

* बरवाडीह-पटना खंड पर 131/132 गोमो-पटना पैसेंजर के चालन में कमी करके।

** 352/357 मारिकुप्पम.बंगारपट्टै पैसेंजर को बदल कर।

*** 501/502 पिक सिटी एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन अजमेर आने-जाने के लिए चालन क्षेत्र बढ़ा कर।

मनखुर्द बेलापुर लाइन

3978. **श्री सूरज भान :**

श्री वी. एन. गाडगिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनखुर्द-वसी-बेलापुर रेल परियोजना (महाराष्ट्र) के लिए योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो गई है.

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना का कोम कब शुरू हो जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट प्रयास किए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शीघ्र स्वीकृति देने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया जा रहा है।

बम्बई-पत्तन-न्यास के फालतू कर्मचारियों को खपाना

3979. **श्री सुमषा यादव** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति ने अपने 139वें प्रतिवेदन में, गत 25 वर्षों से बम्बई पत्तन न्यास द्वारा उठाये जा रहे निरन्तर बढ़ते हुए घाटे पर टिप्पणी की थी और क्या इस घाटे का मुख्य कारण गत 10 वर्षों से लगभग 600 अतिरिक्त कर्मचारियों को रखा जाना बताया गया था,

(ख) यदि हां, तो किन कारणों की वजह से, इन फालतू कर्मचारियों को अन्यत्र खपाने और पत्तन-न्यास के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए पत्तन न्यास और मन्त्रालय द्वारा कोई प्रभावी और ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं; और

(ग) बम्बई पत्तन न्यास द्वारा निरन्तर पत्तन न्यास और केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यह सच है कि लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी दी थी कि बम्बई पोर्ट की रेलवे को घाटा हो रहा है और इस घाटे का मुख्य कारण पोर्ट रेलवे में कर्मचारियों की बहुलता है ·

(ख) फालतू कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने के लिए पदों के पुनःसमायोजन, कुछ स्थानों को एक साथ मिला देने और कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को एक में मिला देने आदि अनेक उपाओं पर यूनियनों से बातचीत की गई लेकिन यूनियनों से कोई सहयोग नहीं मिला। यहां तक कि कुछ पदों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने के बारे में भी उन्होंने सहमति नहीं व्यक्त की। संक्षेप में मौजूदा कानूनों के नियमों और विनियमों के अधीन खर्च में कटौती करने के सभी उपायों का यूनियनों से विरोध किया। बम्बई पत्तन में श्रमिक शांति बनाये रखने के लिए व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बम्बई पोर्ट ट्रस्ट में खर्च में कटौती करने के उपायों को कार्हान्वित करना छोड़ दिया गया है।

(ग) देश में सभी बड़े पत्तनों पर पोर्ट रेलवे घाटे में चल रही है और सरकार का ध्यान इस समस्या पर पिछले कुछ समय से आकृष्ट है। इस समस्या पर पत्तन अध्यक्षों के पिछले सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ जो जनवरी 1982 में हुआ था। यह निर्णय किया गया कि अध्यक्ष विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट और रेलवे मन्त्रालय के एक अधिकारी को शामिल करें दो सदस्य की एक समिति बनाई जाय जो बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे सहित विभिन्न पत्तनों की रेलवे के कार्यचालल की समीक्षा करेगी और पोर्ट रेलवे के कार्यचालन में सुधार करने और घाटे को कम करने के लिए भी उपाए सुझायेगी।

अधिगृहित भूमि के लिए रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान

3980. **श्री दिग्विजय सिंह** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले में हलवड नगर पचायत से अधिगृहीत भूमि की क्षतिपूर्ति का अब तक भुगतान नहीं किया है;

(ख) क्या नगर पंचायत ने इसके लिए भूख-हड़ताल करने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो विवाद का विषय क्या है और इसे कब सुलझाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल प्रशासन ने हलवड़ नगर पंचायत से भूमि के 3 प्लाट प्राप्त किये थे और कर्मचारी क्वार्टरों और माल शेड के लिए अधिग्रहित किये गये प्लाटों के भुगतान की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

बहरहाल, लगभग 6.5 एकड़ वाले भूमि के तीसरे टुकड़े के सम्बन्ध में भुगतान का प्रबंध नहीं किया जा सका क्योंकि हलवड़ ले मामलातदार की ओर से भूमि की लागत के मूल्यांकन के बारे में सूचना प्राप्तनहीं हुई थी। रेलवे ने मामलातदार, हलवड़ से इस बारे में तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ताकि नगर पंचायत की भुगतान की व्यवस्था की जा सके और भुगतान की गई राशि को रेलवे के नामखाते में डाला जा सके। रेलवे की ओर से राज्य सरकार को भुगतान किये जाने की कोई समस्या नहीं है, जिन्हें अन्तिम रूप से भूमि के स्वामियों को धन का भुगतान करना है और राज्य प्राधिकारियों की ओर से बताये जाने पर उन्हें तुरन्त भुगतान कर दिया जायेगा।

(ख) रेलवे को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) उत्तर के भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विकलांग लोगों का उत्थान

3981. **श्री हीरालाल आर. परमार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विकलांग लोगों के उत्थान के लिए गुजरात राज्य को अपना सहयोग देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) ऐसी कोई योजना नहीं है।

सफदरजंग अस्पताल में प्रयोग के लिये कपड़े का खरीदा जाना

3982. **श्री जैनुल बशर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों को सरकार ने निदेश जारी किये हैं कि अस्पतालों में प्रयोग किये जाने वाले कपड़े और बिस्तर की चद्दरें गद्दे और तकिये के कपड़े आदि जैसी अन्य चीजें खादी बोर्ड या गाँधी आश्रम से खरीदी जायें।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को पता है कि सफदरजंग अस्पताल ने खादी का कपडा खरीदने के बजाय प्राइवेट मिल का कपड़ा खरीदा है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाई की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारत सरकार के आदेशों के अनुसार वर्ग "ग" और "घ" कर्मचारियों को दी जाने वाली वर्दियों के लिये केवल खादी के कपडे का ही उपयोग किया जाना होता है, लेकिन ड्राइवरों को मिल में बने सर्ज की गर्म वर्दियां दी जाती हैं। वैसे, अस्पताली कपड़ों, अर्थात् चादरें आदि के लिए मिल में बने कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिल्ली परिवहन निगम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जांच करना

3983. **श्री हरीश कुमार गंगवार :**

श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 1982 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में "प्रोब इन टू दी कोरएल चार्जेज एडेष्ट डी. टी. सी. (दिल्ली परिवहन निगम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना)" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें लगभग 200 व्यक्तियों द्वारा रोजगार प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू बोर्ड का सामना न किया जाना और प्रधान मत्री द्वारा इस मामले की जांच करने के लिए सी. बी. आई. को आदेश दिए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हाँ। सरकार प्रश्नानुसार प्रकाशित समाचार से अवगत है और मामले की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम में लिपिकीय पद की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार लेना एक आवश्यक अंग है। दिल्ली परिवहन निगम में लिपिक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है जैसा कि प्रकाशित समाचार में बताया गया है कि साक्षात्कार का सामना किए बगैर नौकरी दी गई है।

चक्रधरपुर डिवीजन को विस्फोटकों की सप्लाई

3984. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के पी. डब्ल्यू. आई. विभाग ने बड़ी मात्रा में विस्फोटकों की सप्लाई हेतु टैन्डर आमंत्रित किये थे और उन्हें 5 जनवरी 1982 को खोला जाना था;

(ख) क्या यह सच है कि इस बारे में सभी नियमों का उल्लंघन किया था, और कुछ ठेकेदारों को मनमाने ढंग से बुलाया गया था और उन्हें टैन्डर देने को कहा गया जिसके परिणम स्वरूप रेल विभाग को लाखों रुपयों की हानि हुई थी: और

(ग) यदि हाँ, तो इस कार्यवाही का क्या आधार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि प्रचलित नियमों के अनुसार, रेलवे सीमित निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए सक्षम है। इस मामले में, चक्रधरपुर राऊरकेला खंड में तथा भारी यातायात वाले अन्य मार्गों पर किसी-किसी जगह के लिए गिट्टी खरीदने की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए तथा उसकी सुसंगत और सामयिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, उस क्षेत्र में काम कर रहे 10 ठेकेदारों से, जिनका विगत में, कार्य निष्पादन अच्छा था, सीमित निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं। ये निविदाएं 16-12-81 को आमंत्रित की गयी थीं और 5-1-81 को खोली गयी थीं। रेलवे को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 में सुधार करना

3985. **डा. कृपा सिन्धु भोई :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में सम्बलपुर को निरगुण्डी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 की खराब स्थिति है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए विशेष प्रावधान का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) उड़ीसा में सम्बलपुर को निरगुण्डी के साथ जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 यातायात के लायक और अच्छी स्थिति में हैं। चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 के सुधार कार्य के लिए अब तक लगभग 155 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत के लिए अब तक लगभग 177 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

"नौएडा" बस दुर्घटना के बारे में जांच करना

3986. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में 11 दिसम्बर, 1981 को हुई "नौएडा" बस दुर्घटना के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने इस हादसे की मैजिस्टेरियल जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट अब पेश कर दी गई है और दिल्ली प्रशासन उस पर विचार कर रहा है।

(ग) दिल्ली प्रशासन भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नीचे लिखे उपाए कर रहा है :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का पुल के दोनों ओर अलग-अलग ब्रेकर बनाने के लिए कहा गया है ताकि गाड़ियां अधिक तेज गति से न चलाई जा सके।

(2) सम्बन्धित अधिकारियों को पुल के दोनों ओर ब्लिकंर्ज लगाने के लिए कहा गया है।

(3) इस क्षेत्र में राडर की सहायता से अक्सर चैकिंग की जाती है ताकि अधिक तेज गति से गाड़ियाँ न चलाई जाएं।

(4) यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने के लिए स्टाप पर मोबाइल कोर्ट बढ़ाई जाती हैं।

(5) प्रत्येक यात्री परिवहन गाड़ी के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह अलग से स्पीड गवर्नर लगायें जिससे भारी परिवहन गाड़ियाँ 50 किलोमीटर प्रति घन्टा की रफ्तार से अधिक तेज न चलाई जा सकें।

पारपत्र पुस्तिकाओं की कमी

3987. **श्री गुलाम मौहम्मद : खां क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पारपत्र कार्यालयों में पारपत्र पुस्तिकाओं की कमी और पर्याप्त स्टाफ की जानकार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां।

कुछ समय पहले पासपोर्टों की अप्रत्याशित मांग के कारण पासपोर्ट पुस्तिकाओं और कर्मचारियों की कमी अनुभव की गई थी।

अब पासपोर्ट पुस्तिकाएं तैयार करने की गति प्रतिदिन 3000 से बढ़ा कर 5000 कर दी गई है और सभी पासपोर्ट कार्यालयों में इन पुस्तिकाओं की नियमित और समय पर सप्लाई किये जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है और इसके और सुधारने की आशा है।

जहाँ तक अमले का प्रश्न है, पासपोर्ट कार्यालयों के लिए कुछ अतिरिक्त पदों की मंजूरी जुलाई 1981 में दी गई थी और हाल ही में उनके स्टाफ में और वृद्धि की गई है जिससे पासपोर्ट के बढ़े हुए काम को प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके।

3988

नामबारी रेलवे कालोनी

3989. **श्री अजय विश्वास :**

श्री आनन्द पाठक :

श्री सुबोध सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्राधिकारियों ने नामबारी रेलवे कालोनी का पार्श्व भूमि से कुछ निर्धन परिवारों को बिना नोटिस दिए बेदखल कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सम्बन्ध परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या विस्तृत कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। बिना नोटिस दिए किसी को भी बेदखल नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जे करने वाले व्यक्तियों की उस भूमि की बेदखली के बाद उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी रेलों की नहीं है।

रामजस कालेज, दिल्ली में सौहार्द की कमी

3989. **श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत कुछ वर्षों से रामजस कालेज, दिल्ली में सौहार्दपूर्ण वातावरण का लगातार अभाव रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अशांति के क्या कारण हैं; और

(ग) वहां के तनाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) और (ख) ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं होगा कि रामजस कालेज, दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से लगातार सदभावना का अभाव है। तथापि पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रिंसिपल, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनसे कालेज की सामान्य समय-सारणी पर असर पड़ा। विश्वविद्यालय को प्रिंसिपल के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। कालेज के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वेतन की अदायगी न होने के मामले के सम्बन्ध में नवम्बर, 1981 में कालेज को बन्द कर दिया गया था 1 फरवरी, 1982 में एक लेक्चरार पर हमले की घटना घटी।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय ने प्रिंसिपल के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वेतन न दिये जाने का मामला भी सदभावपूर्ण ढंग से निपटा लिया गया था। फरवरी, 1982 में एक शिक्षक पर हमले के मामले की दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। कालेज के शासी निकाय ने नियमित प्रिंसिपल के स्थान पर जो कि अवकाश पर चले गए हैं एक स्थानापन्न प्रिंसिपल नियुक्त किया है। कालेज में अब आम दिनों की तरह कार्य हो रहा है।

मानव शरीर की निदनात्मक जाँच के लिए उपकरणों का उपलब्ध न होना

3990. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानव शरीर की निदानात्मक जांच के उपकरण भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) दिल्ली में जनता के इस्तेमाल के लिए कैट-स्केनर (जांच उपकरण) कितने हैं; और

(ग) आबादी के गरीब वर्ग के लोगों के लिए इन आधुनिकतम निदानात्मक जांच उपकरणों को आयात करने के लिए सरकार आयात नीति को उदार बनाने, आयात शुल्क कम करने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में क्या कदम उठायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) एक्सरे उपकरण भारत में बनाये जाते हैं और ये देश में आसानी से उपलब्ध हैं।

(ख) दो।

(ग) वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल आयात नीति, 1981-82 के परिशिष्ट 10 की मद संख्या 5 के अनुसार ओ. जी. एल. के अन्तर्गत चिकित्सा उपकरण आयात कर सकते हैं। अन्य मामलों में आयात आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

रेलवे पासों का कैंसिल किया जाना

3991. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय, जोन, मंडल और स्थानीय स्तरों पर गठित विभिन्न रेलवे परामर्शदाता तथा उपभोक्ता समिति, जो भंग हो चुकी है, के सदस्यों को जारी किए गए रेलवे पासों को रद्द किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेल मन्त्रालय द्वारा नियुक्त सभी समितियों को भंग कर दिया गया है और उनके सदस्यों को जारी किये गये मानार्थ कार्ड पास रद्द कर दिये गये हैं। परामर्श समितियों के सदस्यों को इस प्रकार के कोई पास जारी नहीं किये गये थे।

समुद्री-जहाजों के निर्माण के सम्बन्ध में नीदरलैण्ड की इच्छा से सम्बन्धित सूचना

3992. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री-जहाजों, कन्टेनरशिपों का निर्माण करने और समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य-पदार्थों की प्रोसेसिंग करने के सम्बन्ध में नीदरलैंड की इच्छा की सरकार को कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के कालेजों को मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दिया जाना

3993. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने इस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी के प्रत्येक उपयुक्त अन्डर ग्रेजुएट कालेज को 16000 रुपये मूल्य की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस धनराशि के आवंटन से सम्बन्धित कालेज, चिकित्सा पद्धति और राज्य-वार वितरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस शीर्ष के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई खर्च नहीं किया गया है क्योंकि इस योजना की मंजूरी केवल दिसम्बर, 1981 में ही जारी की गई थी। इस योजना के लिए राज्यवार आवंटन की व्यवस्था नहीं की जाती।

(ग) अनुदान की शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

अनुदान की शर्तें

(1) सहायता अनुदान के लिए आवेदन पत्र भेजने की तारीख को कालेज को आरम्भ हुए पांच वर्ष हो चुके हों और वे केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री/ डिप्लोमा देने के लिए कोर्स का आयोजन करता रहा हो।

(2) कालेज को यह वचन भी देना चाहिए कि वे केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/ केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा संस्तुत मानकों को अपनायेंगे।

(3) कालेज में पर्याप्त योग्यता प्राप्त स्टाफ होना चाहिए जो प्रयोगशाला में लगाये जाने वाले उपकरणों का उपयोग करना जानते हों और इन उपकरणों के उपयोग के बारे में छात्रों को प्रशिक्षित कर सकते हों।

(4) कालेज में संदर्भ के तौर पर छात्रों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त रूप से सुसज्जित पुस्तकालय होना चाहिए।

(5) कालेज में शरीर क्रिया विज्ञान और विकृति विज्ञान विभागों की प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिये ताकि इस योजना के अन्तर्गत खरीदे गये उपकरणों का छात्रों द्वारा यथोचित उपयोग किया जा सके।

(6) उनके आवेदन पत्र सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से भेजे जाने चाहिएं और राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान के लिये उनके मामलों की अवश्य संस्तुति की गई हो।

(7) पुस्तकों तथा प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के बाद लेखों के सहित खरीद के बिलों की फोटोस्टेट प्रतियाँ अनुदान रीलीज होने के दो महीने के अन्दर-अन्दर भारत सरकार को अवश्य भेज दी जाँय।

(8) खरीदी गई पुस्तकों तथा उपकरणों की भारत सरकार के एक ऐसे अधिकारी द्वारा टेस्ट जांच की जा सकेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए भेजा जायेगा।

(9) यदि कोई असंगति पायी जाती है तो रिलीज किया गया। अनुदान तुरन्त भारत सरकार को लौटाया जायेगा अनुदान लौटाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुरोध करने के के एक मास के अन्दर-अन्दर उसे अवश्य लौटाया जायेगा।

(10) पुस्तकों की प्रविष्टियां 'भारत सरकार की पुस्तक बैंक योजना" नामक एक अगल रजिस्टर में की जायें।

(11) कालेज द्वारा ये पुस्तकें ऋण के आधार पर दी जाएं और वे उसे प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के बाद वापस कर दी जाएं।

सी. एण्ड. डब्ल्यू. डिपुओं में आच्छादित स्थान

3994. **श्री एम. अरुणाचलम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी एण्ड डब्ल्यू डिपुओं में ओपन लाईन में दैनिक मरम्मत के कार्य के लिए आच्छादित स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है,

(ख) यदि हां, तो वर्षा ऋतु के दौरान मरम्मत का कार्य कैसे हो पाता है, और

(ग) क्या अधिकारीगण वर्षा ऋतु में किए गये कार्य की जांच करने जाते हैं और क्या बार-बार दुर्घटनायें होने का मूल कारण यही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ बड़े सवारी और माल डिब्बा डिपुओं (मरम्मत लाइनों) में छतदार स्थान की व्यवस्था की गयी है। धन उपलब्ध होने पर भावी निर्माण कार्यक्रमों में और अधिक मरम्मत लाइनों पर छतदार स्थान की व्यवस्था कर दी जायेगी।

(ख) सवारी और माल डिब्बा डिपुओं में दैनिक अनुरक्षण-मरम्मत का कार्य उस समय के मौसम की हालत पर ही किया जाता है जैसा बहुत पहले से किया जाता आ रहा है।

(ग) अधिकारी, वर्षा ऋतु सहित सभी ऋतुओं में, निरीक्षणों के लिए जाते हैं। बारम्बार होने वाली दुर्घटनाओं का कारण छतदार स्थान की व्यवस्था न होना नहीं है।

अध्यापकों की भूमिका

3995. **श्री ए. यू. आजमी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बदलते हुए सामाजिक परिवेश में अध्यापकों की भूमिका को सुधारने, उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने तथा शिक्षा को विश्व में उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिये एक पावन आन्दोलन चलाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) शिक्षा की कोटि सुधारने तथा राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान को निर्धारित करने में अध्यापकों की भूमिका को मान्यता देने के लिए अध्यापकों की योग्यताओं तथा व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने पर बल देना जारी रहेगा। सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। छात्रों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करने की दृष्टि से कार्यक्रमों की समीक्षा करने के उद्देश्य से गठित एक समिति फिलहाल इस संबंध में विचार विमर्श कर रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू होने से, उन विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के मामलों में, जिनके वेतनमान अन्य सेवाओं के समतुल्य हैं, अध्यापकों के स्तरों और योग्यताओं में कुछ हद तक एकरूपता आई है। स्कूल अध्यापकों के वेतनमान, अन्य बातों के साथ साथ, राज्यों में प्रचलित वेतन पद्धति के अनुरूप, निर्धारित किये जाते हैं।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन को पासपोर्ट पुस्तकों की कम सप्लाई

3996. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में आवेदकों को पासपोर्ट देने में होने वाली अनावश्यक देरी के क्या कारण हैं,

(ख) क्या पासपोर्ट कार्यालय को पर्याप्त मात्रा में पासपोर्ट पुस्तकें उपलब्ध कराने में सरकार की ओर से देरी होती है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कार्यालयों को समय पर पर्याप्त मात्रा में पासपोर्ट पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं,

(घ) क्या पासपोर्ट आवेदनों का शीघ्रता से निपटान करने के लिये पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी है, और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार और कर्मचारी नियुक्त करने के बारे में विचार करेगी जिसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन के उन कर्मचारियों को वरीयता दी जायेगी जिन्हें काम न होने के आधार पर नौकरी से निकाल दिया गया था।

विदेश मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन द्वारा पासपोर्ट जारी किए जाने में कुछ देरी हुई है जिसका मुख्य कारण पासपोर्ट सेवाओं के लिए अभूतपूर्व भीड़ और कर्मचारियों की कमी है।

(ख) और (ग) पासपोर्टों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में पासपोर्ट पुस्तिकाओं की कमी अनुभव की गई। पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई और भारतीय सुरक्षा प्रैस, नासिक द्वारा स्टाक भरने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई थी। स्थिति में अब सुधार हो गया है तथा इसके और सुधरने की आशा है।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार ने इस कार्य के लिए पहले ही आपेक्षित अतिरिक्त पदों के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार ने कोचीन-स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को इस बात के लिए भी प्राधिकृत कर दिया है कि इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक वे स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को भर्ती कर सकते हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता से हाजीरा, सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग :

3997. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता से हाजीरा, सूरत (गुजरात) तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के बारे में निर्णय ले लिया गया है, और

(ख) इस राजमार्ग पर कितना व्यय होगा और निर्माण कार्य कब शुरू होगा, तथा कब पुरा होगा और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) उक्त सड़क कलकत्ता-धुलिया खंड पहले ही से राष्ट्रीय राज मार्ग (रा. रा. सं. 6) का भाग है। धुलियाँ हाजीरा-सूरत सड़क एक मौजूदा राज्य सड़क है। धन के अभाव के कारण, भारत सरकार इस समय किसी भी राज्य में कोई नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की स्थिति में नहीं है और यही बात धुलिया-हाजीरा-सूरत सड़क के सम्बन्ध में भी है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

3998. **श्री रामप्रसाद अहिरवार :**

श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ योजना कब आरंभ की गई थी और विभिन्न वर्गों को प्रति छात्रवृत्ति कितनी कितनी राशि दी गई;

(ख) प्रत्येक वर्ग को छात्र वृत्ति के वास्तव मूल्य में 1960-61 वर्ष को आधार वर्ष मानते हुए आज रुपये का मूल्य क्या है और रूपये के मूल्य में कमी को देखते हुए किसी वर्ग की क्षति-पूर्ति करना शेष है;

(ग) भिन्न-भिन्न छात्रवृत्तियों के लिए पात्र छात्रों के अभिभावकों की आय की सीमा 1960-61 में क्या थी और आज यह सीमा क्या है ;

(घ) क्या उनका संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार छात्रवृत्ति पाने वालों को आवास, पुस्तकें, लेखनसामग्री, चिकित्सा सहायता आदि जैसी कुछ सुविधाएं (सस्ती अथवा निःशुल्क) देने का है; यदि हाँ, तो किस प्रकार ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) (क) योजना 1961-62 में आरम्भ की गई थी। छात्रवृत्ति की पुरानी और नई दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) छात्रवृत्ति की दरों के संशोधन का रूपए के अवमूल्यन से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि भारत में शिक्षा के लिए अत्यधिक सहायता दी जाती है।

(ग) से (ङ) अभिभावकों की आय सीमा 6000/-रुपए प्रति वर्ष है जिसमें सभी भत्ते और आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कुछ कटोतियां भी शामिल नहीं हैं। 1961-62 से अब तक आय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि योजना का लाभ वास्तव में निम्न आय वर्गों को मिले, अतः वर्तमान आय सीमा को संशोधित न करने का निर्णय किया गया है।

(च) छात्रों को पहले से ही छात्रावास, पुस्तक, लेखन सामग्री, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं कम दरों पर उपलब्ध की जा रही हैं।

विवरण

पाठयक्रम	1961-62 में दरें		1-7-1981 से संशोधित दरें	
	दिवा छात्र	छात्रावास में रहने वाले	दिवा छात्र	छात्रावास में रहने वाले
	रु०	रु०	रु०	रु०
1. पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्क्रम और आई. ए./ आई. एस. सी./ तीन वर्षीय बी. ए./ बी. एस. सी. /बी. काम. आदि पाठयक्रमों का प्रथम वर्ष	50/=प्र. मास	60/=प्र.मास	60/=प्र०मा०	100/=प्र०मा०

1	2	3	4
2. बी. ए. / बी. एस. सी. /बी. काम. आदि (दूसरा और तीसरा वर्ष का पाठयक्रम)	75/=प्र०मा०	85/=प्र०मा०	90/=प्र०मा० 140/=प्र०मा०
3. बी. ई./बी. टेक/एम. बी. बी. एस. /एल. एल. बी./बी. एड. व्यावसायिक और इंजीनियरी अध्ययन आदि में डिप्लोमा	100/=प्र०मा०	110/=प्र०मा०	120/=प्र०मा० 170/=प्र०मा०
4. एम. ए./एम. एस. सी./एम.काम./ एल. एल. एम./ एम. एड. आदि	100/=प्र०मा०	110/=प्र०मा०	120/=प्र०मा० 170/=प्र०मा०

बेकार खड़े सवारी डिब्बे

3999. **श्री ओस्कर फर्नाण्डीस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में रेल के सवारी डिब्बे बेकार खड़े हैं और उनकी मरम्मत की जाने की आवश्यकता है, और

(ख) यदि हां, तो क्या मरम्मत कार्य को करने के लिए सरकार अनुषंगी-मरम्मत कार्यशाला की स्थापना को प्रोत्साहन देने के बारे में विचार कर रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) मरम्मत के लिए खड़े माल डिब्बों की कुल संख्या बड़ी लाइन पर 940 और मीटर लाइन पर 250 है। यह बड़ी लाइन और मीटर लाइन पर डिब्बों की कुल संख्या का क्रमश: 5.1 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत है।

(ख) डिब्बा मरम्मत क्षमता में वृद्धि करने के लिये सरकार पहले से ही जगाधरी और न्यू बोंगाईगांव स्थित अपने कारखानों का विस्तार करने की प्रक्रिया में संलग्न है। कोचिंग स्टाक की मरम्मत के लिये भुवनेश्वर, तिरूपति और भोपाल में नये कारखाने भी स्थापित किये जा रहे हैं।

संगीत नाटक आकादमी को वित्तीय सहायता

4000. **श्री जेविअर अराकल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी को 1980 से कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है ;

(ख) इस राशि का वितरण उसके द्वारा किस प्रकार किया जाता है और 1980 तथा 1981 के लाभार्थी कौन हैं; और

(ग) 1980 से आगे कितने आवेदन पत्र रद्द किए गये और उसके क्या कारण थे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) संगीत नाटक अकादमी को संस्कृति विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुदान दिये गये थे।

	योजनेतर	योजनागत
1980-81	34,00 000/-रु०	13,80 000/-रु०
1981-82	36,60.000/-रु०	36,02,000/-रु०

(ख) अकादमी ने, 1980-81 में 193 अनुदानग्राही संस्थाओं को योजनेतर के अन्तर्गत 6.14.500/रुपये तथा योजनागत के अन्तर्गत 2,43.676·25 रु० सांवीकृत किए। 1981-82 के दौरान 215 संस्थाओं को 8,69,500/रु० की राशि के अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संगीत, नृत्य और नाटक से सम्बन्धित कुछ चुनिन्दा प्रकाशनों के लिए भी अकादमी अनुदान देती है। कुछेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अध्यक्ष की विवेकाधीन निधि में से दो-दो हजार रुपये तक के छूट-पुट सांकेतिक अनुदान भी दिये जाते हैं। उन संस्थाओं की एक सूची, जिन्होंने 1980-81 और 1981-1982 के दौरान संगीत नाटक अकादमी से अनुदान प्राप्त किए, सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जिन आवेदन-पत्रों को अनुदान के लिये नहीं चुना जा सका उनकी संख्या 1980-81 के दौरान 73 तथा 1091-82 में 141 थी।

वित्तीय सहायता के लिए प्रति वर्ष 16 फरवरी तक निर्धारित प्रपत्र में अकादमी द्वारा आवेदन-पत्र आमत्रित किए जाते हैं जो राज्य अकादमी/राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशींसत होने चाहिएं। इन आवेदन-पत्रों पर, अकादमी की महा-परिषद के सम्बन्द्ध क्षेत्र के सदस्यों से प्राप्त सूचना तथा प्रत्येक आवेदन-पत्र में दिए गये ब्यौरों के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाता है। इसकी सिफारिशों पर अकादमी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। सामान्यतया उन कार्यक्रमों के लिए अनुदान संस्वीकृत नहीं किए जाते हैं। जो अकादमी की नीतियों और कार्यक्रमों के संदर्भ में महत्वपूर्ण और मूल्यवान नहीं समझे जाते।

टिकट निरक्षक कर्मचारियों की ओर से याचिका

4001. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, भारतीय रेलवे टिकट निरीक्षक कर्मचारियों के 10 हजार हस्ताक्षरों युक्त, 21 अप्रैल, 1981 की एक सामूहिक याचिका प्राप्त हुई है जिसमें उनकी मांगें प्रस्तुत की गई हैं?

(ख) यदि हां, तो याचिका में उठाई गई मांगें क्या हैं;

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गये हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) जी नही। तथापि इण्डियन रेलवेज टिकट चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन के 25- 1-80 के अभ्यावेदन की एक प्रतिलिपि लोक सभा सचिवालय (याचिका समिति) से प्राप्त हुई थी और एसोसिएशन द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणी उक्त सचिवालय को भेज दी गयी थी। याचिका समिति के समक्ष एसोसिएशन की मुख्य माँग टिकट जाँच कर्मचारियों की रनिंग कर्मचारियों के रूप में माने जाने और उन्हें रनिंग भत्ता दिये जाने के बारे में है।

किरिबल बरबिल लाइन

4002· **श्री हरिहर सोरन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा में किरिबर और बरबिल के बीच रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी हाल में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी प्रयोजन के लिए केरल को आबंटित रेल शायिकाएं

4003. **श्री के. कुन्हम्बु** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेल गाड़ियों में सरकारी प्रयोजन के लिए आसूचना पर यात्रा शुरू करने हेतु अधिकारियों के प्रयोग के लिए केरल सरकार को कितनी रेल शायिकाएं आबंटित हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने शायिकाओं के कोटे में वृद्धि करने के लिए कभी कोई अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय केरल सरकार को शायिकाओं का कोई अलग कोटा आबंटित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ईराक दूतावास के भारतीय कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किया जाना

4004. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित ईराकी दूतावास के सभी भारतीय कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो इस पर भारतीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में ईराकी सरकार को कोई दोष-पत्र भेजा गया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी· नरसिंह राव) : (क) ईराकी मिशनों में स्थानीय राष्ट्रिकों को भरती न किए जाने के इराक सरकार के नीति विषयक निर्णय के अनुसरण में नई दिल्ली स्थित

ईराकी राजदूतावास में भारतीय कर्मचारियों की सेवाऐं दिसम्बर 1981 से समाप्त कर दी गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस निर्णय से प्रभावित होने वाले सभी भारतीय कर्मचारियों को उस मॉडल संविदा के अनुसार सेवान्त लाभ दे दिए गए थे जो इस मंत्रालय द्वारा 1975 में भारत स्थित सभी विदेशी राजनयिक मिशनों को परिचालित किया गया था।

आगरा रेल दुर्घटना में मारे गये तथा घायल हुए रेल कर्मचारियों की संख्या

4005. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 जनवरी, 1982 को आगरा और दिल्ली के बीच हुई दुर्घटना में रेलवे के कुल कितने कर्मचारी मारे गये थे; और

(ख) कुल कितने रेल कर्मचारी घायल हुए थे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आगरा छावनी स्टेशन पर 27-1-82 को हुई टक्कर में 4 रेल कर्मचारियों की मृत्यु हुई, 2 को गम्भीर चोटें आयीं और 6 मामूली घायल हुए।

दिल्ली के अस्पतालों में आपातकालीन रक्त आधान के मामलों में कृत्रिम-रक्त दिया जाना

4006. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सकों ने रक्त की कमी वाली श्रेणी के रोगियों को सही रक्त उपलब्ध न होने पर आपातकालीन रक्त आधान मामलों में कृत्रिम रक्त देने की कोशिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के रक्त आधान के क्या परिणाम हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई बंदरगाह पर भीड़भाड़

4007. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई बंदरगाह पर भीड़भाड़ के लिए निहित स्वार्थ उत्तरदायी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) बम्बई बंदरगाह पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यह कहना सही नहीं है कि बड़े बंदरगाह पर भीड़भाड़ के लिए "निहित स्वार्थ" उत्तरदायी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बंबई बंदरगाह पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) मध्य स्त्रोत में माल के उतारने/रखाने के लिए पत्तन 30 रुपए प्रति टन का छूट देता है । छूट का दर 60 रुपए प्रतिदिन बढ़ाया जा सकता है यदि सभी माल की निर्वहन मध्य-स्त्रोत में हो जाय ।

(2) सीमा शुल्क क्लेक्टर बंबई ने ग्रेटर बंबई के परेसित को डाक से पूर्ण कंटेनर हटाने की मंजूरी दे दी है ।

(3) पालपोतों का परिचालन रोज किया जा रहा है और जिन पालपोतों का माल रखने उतारने का दर निम्न होता है उन्हें बर्थन बाहर निकल जाने का दंड दिया जाता है ।

(4) पालपोतों के बर्थिंग प्राथमिता को करने के लिए कड़ा नियंत्रण किया जा रहा है ।

(5) बंबई पत्तन न्यास द्वारा 13-7-1981 से बर्थों को वेज्ञानिकित किया गया है जो प्रभावी पाया गया है ।

(6) बोर्ड ने 71,000 वर्ग फीट वाले माल गोदामों और 15 एकड़ के प्रत्येक खुले क्षेत्रों के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है । माल को डाक से हटाने की योजना है ।

(7) गोदियों में माल उतारने की अच्छी व्यवस्था करने की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(8) गोदियों से लम्बे समय तक माल न उठाए जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक महीने/दो महीने से अधिक समय तक न उठाये जाने वाले माल पर विलम्ब शुल्क की दर बढ़ायी गई है ।

(9) गोदियों के अंदर यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा कर यातायात व्यवस्था में सुधार किया गया है और पुलिस कर्मियों को कई और स्थानों पर तैनात किया गया है ।

विशाखापटनम के लिए स्थानीय विद्युत रेलगाड़ी पद्धति

4008. **श्री ज. ए. स्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशाखापतनम के लिए उपनगरीय तथा स्थानीय विद्युत रेलगाड़ी पद्धति के लिए योजना बनाने की आवश्यकता की जानकारी है, और

(ख) विशाखापतनम के लिए ऐसी स्थानीय विद्युत रेल गाड़ी पद्धति को शुरू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विशाखापतनम में उपनगरीय बिजली गाड़ियां चलाने के बारे में इस मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है । विशाखापटनम इस्पात कारखाना प्राधिकारियों का विचार एक स्थानीय बिजली गाड़ी प्रणाली का है, जो उनकी परियोजना का ही एक भाग हो सकती है ।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत के नियमों में संशोधन

4009. **श्री ए. टी. पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 1 सितम्बर, 1981 के जी. एस. आर. 837 के अन्तर्गत, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत के नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) (एक) मिश्रित मामला पाउडर में क्रूड फायबर और (दो) गरम मासाला पाउडर में क्रूड फायबर और वाष्पशील तेल मिलाने की सीमा के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शकरानन्द) : (क) अभी नहीं।

(ख) जो सुझाव मिले वे इस प्रकार हैं :—

(1) मिश्रित मसाला पाउडर में क्रूड फायबर, विभिन्न स्थानों से मिले, सुझाव या तो इस सीमा को कम करने के लिए हैं अथवा 15 प्रतिशत की प्रस्तावित सीमा से अधिक करने के लिए हैं।

(2) गरम मसाला पाउडर में क्रूड फायबर और वाष्पशील तेल:—

ये सुझाव क्रूड फायबर को 10 प्रतिशत की प्रस्तावित सीमा से बढ़ाने और वाष्पीशील नेल मत्व को 0 5 प्रतिशत की प्रस्तावित सीमा से कम करने के लिए है।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

संग्रहालयों से प्राचीन वस्तुओं की चोरी

4010. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संग्रहालयों से प्राचीन वस्तुओं की बड़े पैमाने पर चोरियों की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) 1979 से अब तक प्राचीन वस्तुओं की चोरी के कारण वर्ष वार कितनी हानि हुई है; और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सवेक्षण के अधीनस्थ संग्रहालयों से सम्बन्धित दो वारदातें हुई हैं : (i) 1980 में लालकिला (दिल्ली स्थिति) के संग्रहालय से पाँच पुरावशेषों की चोरी की और (ii) 1981 में बोधगया (विहार) के संग्रहालयों से पांच कास्य मुर्तियों की दिन दहाड़े लूट की।

लाल किले के संग्रहालय से चुरायी गयी सभी वस्तुएं वरामद की जा चुकी हैं जिनमें से चार पूर्णतः अक्षत दशा में थीं और पाँचवी क्षतिग्रस्त दशा में थी। यह मामला न्यायाधीन है।

बोधगया के संग्रहालय से लूटी गयी पाँच कांस्य मूर्तियों में से एक की पुलिस द्वारा वरामद किये जाने की रिपोर्ट मिली है और अब तक यह मामला पुलिस अधिकारियों के अन्वेषणधीन है। अभी तक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष चार वस्तुओं का अनुमानित मुल्य 1,20,000 रुपये है।

तामलुक-डिघा लाइन

4011. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में तामलुक से डिघा तक (दक्षिण पूर्व रेलवे) नई रेल लाइन बिछाने की योजना को अन्तिम रूप देने हेतु योजना मंत्रालय से विचार विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केशवपुर, नन्दकुमार, मोरघाट, कंटाय और रामनगर के रास्ते तामलुक से दीघा तक नई लाइन के निर्माण के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा एक सर्वेक्षण अब किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने पर उसकी जाँच की जायेगी और प्रस्ताव की तकनीकी व्यावहारिकता और वित्तीय अर्थ सक्षमता तथा धन की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति के संबंध में योजना आयोग के परामर्श से कोई अन्तिम निर्णय लिया जायेगा :

देश में साक्षरता की प्रतिशतता

4012. **श्री आर. आर. भोले** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि और सरकार द्वारा भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद हमारे देश में साक्षरता की प्रतिशतता विश्व में अभी भी सबसे कम है; और

(ख) साक्षरता की दर बढ़ाने, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए सरकार का क्या विशेष प्रयास करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) (1) प्रारंभिक शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा सहित) को छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग बना दिया गया है तथा पूर्ण कालिक प्रारंभिक शिक्षा में 6-14 आयु-वर्ग में 180 लाख बच्चों के अतिरिक्त दाखिले का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यों में गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम उन बच्चों के लिए भी शुरू किये गये हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता होगी और जो शिक्षण की इस प्रकार की प्रणालियों द्वारा ही लाभान्वित होंगे।

(2) 6-14 आयु-वर्ग के लिए व्यापक प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार और प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन को नये 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई

4013. **श्री सी. चिन्ना स्वामी** : क्या शिक्षा मन्त्री "जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है के बारे में" 20 अगस्त, 1981 के तारांकित प्रश्न सं. 64 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसे सभवतः कब तक सभा पटल पर रखा जायेगा;

(घ) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यलय के उन विद्यार्थियों के नाम क्या हैं जिनसे "मेस" बकाया वसूल करने के लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो प्रत्येक छात्र से कितना रुपया वसूल किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) 20 अगस्त, 1981 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 64 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति में कार्यान्वयन रिपोर्ट सभा पटल पर रखने के लिए पहले ही संसदीय कार्यविभाग को भेज दी गई है।

(घ) से (ङ) अभी किसी भी छात्र के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाई शुरू नहीं की गई है। तथापि विश्वविद्यालय ने दोषी छात्रों/उनके अभिभावकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित कर दिया है कि यदि देय राशि का भुगतान निर्धारित तारीख तक नहीं किया जाता, तो विश्वविद्यालय को उनकी जिम्मेदारी तथा लागत पर कानूनी कार्यवाई का सहारा लेना पड़ेगा। अभी तक 10 छात्रों ने 4693.34 रुपये की देय राशि का भुगतान कर दिया है।

दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट जारी करने में अनियमितताएं

4014. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवी 1982 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में, 'बंगलिंग इन बस परमिट्स' (बस परमिटों में घपलेबाजी) शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा बसों के लिए आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट, जारी करने में कुछ अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य परिवहन अधिकरण परमिट देने के लिए सक्षम अधिकरण है। यह एक अर्ध-न्यायिक सस्था है जिसकी स्थापना मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत की गई है। इसके निर्णय से दुखी कोई भी व्यक्ति राज्य के अपीलीय ट्रिब्यूनल के सम्मुख निश्चित समय के अन्दर अपील कर सकता है। कुछ दुखी आवेदकों ने राज्य परिवहन अधिकरण के आदेश के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में पहले ही से अपील की हुई है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

अजमेर स्थित कार्यालयों का स्थानान्तरण

4015. **श्री दौलतराम सारण** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर स्थित रेलवे के कुछ कार्यालयों को वहां से स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे टिकट प्रिंटिंग प्रेस अथवा इसका कुछ भाग अजमेर से बंबई अथवा अन्य किसी स्थान को स्थानान्तरित किया जा रहा है ;

(ग) क्या बम्बई के स्थानीय स्टेशनों के टिकट रेलवे टिकट प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में प्रिंट किए जाते थे और अब ये टिकट अजमेर के स्थान पर बम्बई में प्रिंट किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) चूंकि यातायात में वृद्धि होने के कारण पश्चिम रेलवे में टिकटों की मांग अजमेर टिकट मुद्रणालय की उत्पादन क्षमता से बढ़ गई है, अतः यह निश्चित किया गया है कि अजमेर मुद्रणालय के कार्य भार को प्रभावित किए बिना बंबई मंडल के उपनगरीय खंड के लिए अपेक्षित टिकटों को महालक्ष्मी मुद्रणालय में मुद्रित किया जाये । यह व्यवस्था मांग पूरी करने में कारगर सिद्ध हुई है तथा उपनगरीय टिकटों के संबध में अजमेर से इनके परिवहन में होने वाला विलम्ब भी समाप्त हो गया है ।

प्रायोजना अनुमान

4016. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रायोजनाओं के अनुमान तैयार करने में प्रायः कितना समय लगता है और रेलवे बोर्ड द्वारा इनकी कितने समय में मंजूरी दी जाती है;

(ख) क्या अपेक्षित वस्तुओं की कीमत तथा प्रायोजना पूरा करने में लगने वाला समय अनुमान तैयार करते हुए ध्यान में रखा जाता है;

(ग) पूर्व रेलवे के कितने प्रायोजना अनुमान तथा नक्शे रेलवे बोर्ड के पास अलग-अलग एक वर्ष से तथा दो वर्षों से मंजरी के लिए लम्बित हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

(घ) क्या पिछले दो वर्षों से लम्बित प्रायोजनाओं के अनुमानों को उन प्रायोजनाओं को कार्यान्वित करने से पूर्व संशोधित किया जाना होगा; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी नीति बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने का है जिसमें समयबद्ध परियोजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया जाये ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) परियोजनाओं के लिए अनुमान तैयार करने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें मंजूरी देने में लगने वाला समय प्रत्येक मामले में अलग-अलग होता है जो प्रत्येक मामले की विशिष्टताओं पर निर्भर करता है और इसका सामान्यीकरण संभव नहीं है ।

(ख) अनुमानों को तैयार करने के समय रहने वाली लागतों को ही अपनाया जाता है, क्योंकि मूल्यों में होने वाली भावी वृद्धि की दरों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता । परियोजना रिपोर्ट में यथा प्रस्तावित किसी परियोजना को पूरा करने के लिए समय-निर्धारण में लागतों में होने वाली उस वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाता तो उस अवधि में होता है ।

(ग) पूर्व रेलवे का कोई भी अनुमान रेलवे बोर्ड कार्यालय में एक वर्ष से अधिक समय से मंजूरी के लिए नहीं पड़ा है।

(घ) मूल्यों में होने वाली वृद्धि विभिन्न कारणों में से एक ऐसा कारण है जो किसी अनुमान की कुल लागत को प्रभावित कर सकता है। संगत रेल संहिताओं में ऐसे नियम विद्यमान हैं जिनमें विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा अनुमानों में संशोधन करने के लिए मंजूरी प्रदान करने के अधिकारों की सीमाएं निर्धारित हैं।

(ङ) सभी परियोजना अनुमान कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय का यथोचित ध्यान रख कर तैयार किये जाते हैं। लेकिन, योजनाओं के वास्तविक कार्य-वयन की प्रगति, धनराशि और/अथवा अनिवार्य सामानों, जिनका अनुमान तैयार करते समय अथवा उसे मंजूरी देते समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, की अनुपलब्धता के कारण काफी हद तक प्रभावित होती है और हो सकता है कि परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना सदा व्यावहारिक न हो।

नागरिकता विहीन लोगों के सम्बन्ध में भारत श्रीलंका की बातचीत

4017. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के राज्य-विहीन लोगों के बारे में भारत-श्रीलंका समझौता दिनांक 21 अक्तूबर, 1981 से समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका सरकार के साथ इस मामले पर दुबारा बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ग) श्रीलंका में भारतीय मूल के राज्य विहीन व्यक्तियों के बारे में 1974 के पूरक भारत-श्रीलंका करार की अवधि 30 अक्तूबर, 1981 को पूरी हो चुकी है। इस विषय पर किसी औपचारिक बातचीत का प्रस्ताव तो नहीं है, लेकिन शेष राज्यविहीन व्यक्तियों की समस्या के बारे में भारत सरकार श्रीलंका की सरकार के सम्पर्क में है और हमें आशा है कि संबद्ध व्यक्तियों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इस सवाल का कोई व्यापक समाधान निकल आएगा।

"डालर 14 एम प्राजेक्ट टू कर्ब ड्रापआउट्स" शीर्षक समाचार

4018. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टाइम्स आफ इण्डिया दिनांक 22 फरवरी, 1982 में "डालर 14 एम प्राजेक्ट टू कबे ड्राप आउट्स" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ड्राप आउट्स की समस्या पर नई दिल्ली में हाल ही में हुई इस सम्मेलन में पूरी तरह से चर्चा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा सचिव द्वारा की गई थी और जिसमें यूनिसेफ, योजना आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् एन. आई. पी. ए. के अधिकारियों तथा सभी राज्यों एवं सघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों एवं शिक्षा निदेशकों ने हिस्सा लिया था और क्या सम्मेलन का मुख्य प्रायोजन वर्तमान स्थिति का जायजा लेना और प्रत्येक राज्य में आने वाली रुकावटों का पता लगाना था; और

(ग) यदि हां, तो इन रुकावटों का पता लगाया गया और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)। (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) 17 फरवरी, 1982 को हुए शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में यूनिसेफ द्वारा समर्थित शिक्षा की नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया गया था। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की आवश्यकताओं तथा पर्यावरणात्मक परिस्थितियों के अधिक अनुकूल बनना है। ये परियोजनाएं शिक्षा की कोटि को सुधारते समय शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई को बीच में छोड़ने वालों की संख्या कम करने में भी सहायक होती हैं। इन परियोयोजनाओं के कार्यान्वियन में आने वाली विभिन्न रूकावटों पर विचार-विमर्श किया गया था तथा उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी;

जिन मुख्य रूकावटों का पता लगाया गया था, वे इस प्रकार हैं :—

(1) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाले राज्यों में राज्य शिक्षा संस्थान (एस. आई. ई.) राज्य शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एस. सी. ई. आर. टी.) में पर्याप्त शैक्षिक स्टाफ सहायता का अभाव।

(2) कुछ अनिवार्य व्यय वहन करने के लिए पर्याप्त प्रतिस्थानी वित्त पोषण का अभाव।

(3) राज्य स्तर पर पूर्णकालिक लेखा-स्टाफ का अभाव।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र रूकावटों को दूर करने तथा प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के साथ-साथ इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन की त्रैमासिक समीक्षाएं करने के लिए आगे की उपयुक्त कार्यवाई करने हेतु सहमत हो गए हैं।

टिकट निरीक्षण कर्मचारियों के लिए रनिंग भत्ता

4019. **श्री अजित बाग** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के टिकट निरीक्षण कर्मचारियों को रनिंग भत्ता दिये जाने की मांग के समर्थन में दिनांक 12-11-1981 का पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी हाँ। श्री समर मुखर्जी, संसद सदस्य से दिनांक 12-11-1981 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिन्हें पत्र सं० ई (पी. एंड ए.) 11-80/एल जी-3/10. दिनांक 8-3-1981 (प्रतिलिपि संलग्न) (विवरण रूप में) के द्वारा स्थिति से अवगत कर दिया गया था।

विवरण

रेल मंत्री द्वारा श्री समर मुखर्जी, ससद सदस्य को भेजे गये दिनांक 8 मार्च, 1982 के अर्ध सरकारी पत्र सं. ई (पी एंड ए) 11-80/एल जी-3/10 की प्रतिलिपि।

टिकट जांच कर्मचारियों को रनिंग भत्ता दिये जाने की मांग से संबंधित कृपया श्री केदार पाण्डेय को भेजा गया अपना 12-11-1981 का पत्र सं. एस. एम./2023/एफ-2/81 देखें।

इंडियन रेलवे टिकट चैकिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से भेजे गये दिनांक 25-11-1980 के अभ्यावेदन की एक प्रति 9-12-1980 को लोक सभा सचिवालय (समिति शाखा) से प्राप्त हुई थी। एसोसिएशन द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणियां 30-1 1981 को लोक सभा सचिवालय को भेज दी गयी थीं। याचिका समिति ने 6-1-1982 को मौखिक साक्ष्य लिये थे और समिति के विचार विमर्श के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

शुभकामनाओं सहित।

प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार

4020. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार पर सम्भवतः कुल कितना व्यय किया जायेगा;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के उन दक्षिणी क्षेत्रों में जहां अधिकतर आदिवासी रहते हैं, कुछ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो कितने और कहां प्रौढ़ केन्द्र खोले जायेंगे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिये होने वाला संभावित कुल खर्च लगभग 21.09 करोड़ रुपए होगा।

(ख) मिर्जापुर जिले के आदिवासी बहुत दक्षिण क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1982-83 के दौरान विचार किया जाएगा, बशर्ते कि धन-राशि उपलब्ध हो।

(ग) उपरोक्त क्षेत्र में केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के बाद ही प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या तथा उनके स्थान को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

दिल्ली के सीनियर सेकण्डरी स्कूलों में हिन्दी के बारे में शिकायतें

4021. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग तथा मंत्रालय को दिल्ली के सीनियर सेकण्डरी स्कूलों में हिन्दी के बारे में तथा त्रिभाषाई सूत्र को लागू न किये जाने के बारे में अन्याय किया जा रहा है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन तथा मंत्रालय द्वारा 2-3 महीनों के बाद भी शिकायत का कोई प्रभावी उत्तर नहीं किया जाता अथवा कोई समाधान नहीं किया जाता, और

(ग) शिक्षा अधिनियम और 1973 के नियमों के अनुसरण में त्रिभाषाई सूत्र के अंतर्गत 9वीं और 10वीं कक्षाओं में तीनों भाषाएं पढ़ाने के लिये शिक्षा विभाग ने क्या कदम उठाये हैं, तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को क्या निर्देश जारी किये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, हिन्दी के अध्ययन के लिए सुविधाओं के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर, राजकीय तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश भेज दिए गए हैं कि जो छात्र हिन्दी पढ़ना चाहते हों उनको हिन्दी के अध्ययन के लिए सभी सुविधाएं अधिनियम तथा दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली के उपलब्धों के अनुसार प्रदान की जाएं।

दिल्ली के स्कूलों में 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए तीन भाषाओं अर्थात् (1) हिन्दी (2) अंग्रेजी तथा (3) संस्कृत अथवा कोई क्षेत्रीय भाषा अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई अन्य भाषा के अध्ययन की व्यवस्था अनिवार्य आधार पर की जाती है। यद्यपि सभी छात्र कक्षाएं 9 और 10 में भी दो भाषाएं निरंतर अनिवार्य आधार पर पढ़ते हैं, फिर भी, बोर्ड ने कक्षा 8 के अन्त में तीसरी भाषा की परीक्षा पास करने के लिए सुविधा की व्यवस्था की है यदि कोई छात्र कक्षा 8 के अन्त में तीसरी भाषा की परीक्षा पास नहीं करता हैं तो उसे बोर्ड की माध्यमिक स्कूल परीक्षा में बैठने से पहले कक्षा 9/10 में तीसरी भाषा का अध्ययन तथा इसकी परीक्षा पास करनी पड़ती है।

के. के. एक्सप्रेस रेलगाड़ी का विलम्ब से चलना

4022. **श्री जार्ज जोसफ मुण्डाकल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के. के. एक्सप्रेस रेलगाड़ी के आने जाने के समय में कोई सुधार हुआ है

(ख) गत तीन महीनों के दौरान कितनी बार यह रेलगाड़ी अपने गन्तव्य स्थान नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम ठीक समय पर पहुंची है, और

(ग) इस रेलगाड़ी को समय पर चलाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फरवरी 1982 के महीने में 126 अप नयी दिल्ली तिरुवनन्तपुरम के. के. एक्सप्रेस के कार्य-निष्पादन में कुछ सुधार हुआ है।

(ख) दिसम्बर 1981 से फरवरी 1982 तक के महीनों में दोनों तरफ के 26 फेरों में से 125 डाउन के. के. एक्सप्रेस गन्तव्य स्टेशन पर 7 दिन और 126 अप के. के. एक्सप्रेस 11 दिन सही समय पर पहुंची।

(ग) इन गाड़ियों के समय-पालन में सुधार लाने के दृष्टिकोण से इन गाड़ियों के चालान पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

चिकित्सा सुविधाओं के बारे में ई. जी. एस. कर्मचारियों की मांगें

4023. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ई. जी. ए. के अन्तर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों ने जो इन कर्मचारियों में 62 प्रतिशत है, माँग की है कि उन्हें "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उनकी मजूरी में से काटी धनराशि से बनाये जाने वाले कोष में से उन्हें चिकित्सा सुविधाएं, चल चिकित्सा वाहन और प्रसूति लाभ दिये जाएं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) सरकार को ऐसी किसी मांग की जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सहायक लोको फोरमैन के लिए परीक्षा

4024 **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान इलाहाबाद डिवीजन और उत्तर रेलवे मुख्यालय ने 550-750 रुपये के वेतनमान में सहायक लोको फोरमैन, पावर कन्ट्रोलर ट्रैक्शन फोरमैन (रनिंग) और ट्रेक्शन कन्ट्रोलर के पदों के लिए परीक्षा ली गई थी,

(ख) यदि हां, तो परीक्षा के लिए कितने-कितने कर्मचारियों/उम्मीदवारों को बुलाया गया था उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कितने-कितने कर्मचारी/उम्मीदवार थे,

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों/उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया था, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के पदों को रिक्त रखा हुआ है, और

(ङ) यदि हाँ, तो इन पदों को शीघ्र न भरने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) परीक्षा में बुलाये गये कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

सामान्य उम्मीदवार	96
अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	8
अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।	

(ग) जी नहीं। अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार पास हुआ।

(घ) और (ङ) वर्तमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित पदों की अनुवर्ती प्रवरणों के लिए अग्रेनीत किया गया है।

रेल कर्मचारी

4025. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1977 और 1 जनवरी, 1982 को रेलवे में नियमित तथा अनियमित (स्थायी और अस्थायी) विभिन्न श्रेणियों और संवर्गों-श्रेणी और संवर्ग वार) विभिन्न कितने कर्मचारी वास्तव में काम कर रहे थे : और

(ख) गत चार वर्षों के दौरान, (वर्षवार) समय-समय पर इन कर्मचारियों की भरती का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों पर कर्मचारियों की 700 से अधिक कोटियां हैं। संवर्गों की संख्यां भी काफी है। आप इस बात से सहम्मत होगें कि स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की कोटिवार तथा संवर्ग-वार सूचना इकटठा करना एक विशाल कार्य होगा और इसके लिए सभी रेलवे क्षेत्रों, मंडलों, उत्पादन यूनिटों तथा अन्य कार्यालयों को घोर परिश्रम करना होगा और यह इस सम्बन्ध में प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। बहरहाल, 1-1-1977 और 1-1-1982 को स्थायी/अस्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जहां कहीं रेल कर्मचारियों की सीधी भर्ती की व्यवस्था है, वहां भरती इस प्रकार की जाती है :—

(1) वर्ग 'घ' में कारखानों के मामले में नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करके अथवा कुछ सीमा तक बाहरी व्यक्तियों द्वारा अथवा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रोजगार कार्यालय के जरिए।

(2) वर्ग 'घ' में सामान्यत : रेल सेवा आयोग के जरिए।

(3) वर्ग 'घ' में सामान्यत: वर्ग 'ग' से विभागीय पदोन्नति द्वारा।

(4) वर्ग 'क' में संघ लोक सेवा आयोग के जरिए।

केरल में नई रेल लाइनें

4026. **श्री पी.जे. कुरियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में प्रस्तावित नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है,

(ख) जांचाधीन लाइनें कौन सी हैं, और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी लाइनों को आरम्भ करने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) केरल राज्य में बड़े आमान की एक नयी बड़ी लाइन एर्णाकुलम-एलपी का निर्माण प्रगति पर है। इस लाइन का कान्याकुलम तक बढ़ाये जाने के लिए एक सर्वेक्षण और कुट्टीपुरम-गुरुवायूर-त्रिच्चूर लाइन का निर्माण करने के लिए एक अन्य सर्वेक्षण को पूरा कर लिया गया है। नयी रेल लाइनों के निर्माण के लिए धन की उपलब्धता में अत्यन्त कमी को देखते हुए, चालू वित्त वर्ष में इन दोनों रेल लाइनों को शुरु करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नारियल जटा सामान पर अधिभार समाप्त करना

4027. **श्री बी. एस. विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नारियल जटा उत्पादन निर्माताओं से नारियल जटा सामान पर बढ़े हुए अधिभार को समाप्त करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है :

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई निर्णय लिया गया है : और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग मेंउप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नारियल जटा उत्पादनों के निर्माताओं की ओर से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने 15-2-82

से "रस्सी या डोरी या रेशा नारियल जटा" के "फुटकर" परेषणों के माल भाड़े की दर में वृद्धि के विरुद्ध लिखा था।

(ख) और (ग) : रस्सी या डोरी या रेशा नारियल जटा" के "फुटकर" परेशणों के माल भाड़े में की गयी वृद्धि को अब वापस ले लिया गया है और भाड़ा दर को इससे पहले जैसी स्थिति पर पुन: ला दिया गया है।

बण्डेल भद्रेश्वर तक तीसरी लाईन

4028. **प्रो. रूपचन्द पाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पूर्व रेलवे की हावड़ा डिवीजन में बण्डेल तथा भद्रेश्वर के बीच एक तीसरी रेल लाइन की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छठी योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नई स्वास्थ्य योजना

4029. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नई स्वास्थ्य योजना शुरु करने का विचार है : और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तथा उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरा नन्द) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षी योजना में पुरानी जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के स्थान पर एक नई स्वास्थ्य गाइड योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1984 तक प्रत्येक 1000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए औसतन एक स्वास्थ्य गाइड को प्रशिक्षित करने का विचार है। स्वास्थ्य गाइड एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता है, जो प्राय: महिला होती है और उसे लोगों द्वारा चुना जाता है तथा उसे परिवार नियोजन को बढ़ावा देने, रोग निवारक और स्वास्थ्य सम्बर्द्धक पहलुओं में बुनियादी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने और आपाती समय में छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करने और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

विदेशी भाषा सीखने के लिए ग्राम जनता के लिए स्कूल

4030. **श्री टी.एस. नेगी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फ्रेंच, रूसी तथा इंग्लिश आदि विदेशी भाषा सीखने के लिए ग्राम जनता हेतु स्कूल खोल रही है और क्या ये स्कूल केवल रात को चलते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इटारसी जाने वाली माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

4031. **श्री एम. वी. चंद्रशेखर मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 1982 को इटारसी जाने वाली माल गाड़ी के 14 वैगन पटरी से उत्तर जाने के कारण दो व्यक्ति मारे गये थे और दो गम्भीर रूप से घायल हो गये थे :

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन बैगनों में सैनिक साज-सामान, साबुन और सब्जियाँ थीं :

(ग) यदि हां तो जांच का क्या परिणाम निकला था : और

(घ) कुल कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

(घ) रेलवे सम्पत्ति की लगभग 1,71, 500 रुपये की क्षति पहुंचाने का अनुमान लगाया गया है।

पाक का आरोप कि भारतीय यात्री वापिस नहीं लौटते

4032. **श्री गुलाम रसूल कोचक** :

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में इस आशा के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिक पाकिस्तान में ही रुके रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इन समाचारों का खडन किया है;

(ग) क्या भारत ने यह बात कहीं है कि भारत आने वाले अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक भारत में रूके रहते हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत की यात्रा पर आये और कितने पाकिस्तानी नागरिक स्वदेश लौटे;

(ङ) जो पाकिस्तानी नागरिक स्वदेश नहीं लौटे हैं उनका भविष्य क्या है; और

(च) क्या सरकार उन का पता लगायेगी और उन्हें वापिस भेजेगी।

विदेश मंत्री श्री पी. बी. नरसिंह राव : (क) से (च) सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं। सम्भव है वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कुछ भारतीय पाकिस्तान में ठहर गए हों, लेकिन इससे बड़ी संख्या में पाकिस्तानी यात्री भारत में रुक जाते हैं। 1979, 1980 और 1981 के पूर्वार्द्ध में भारत में रुकने वाले ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या पाकिस्तान में रुकने वाले भारतीयों की संख्या से 250, प्रतिशत अधिक थी। 1 जनवरी, 1979 से 30 जून, 1981 तक की अवधि के दौरान 630, 178 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने भारत में प्रवेश किया; जिनमें से उसी अवधि के दौरान 584,950 पाकिस्तान वापस गये। इस प्रकार 45,228 पकिस्तानी राष्ट्रिकों के भारत में रुक जाने की संभावना है।

इसलामाबाद स्थित भारतीय राजदूतावास ने सरकारी प्रैस विज्ञप्तियों के माध्यम से इन तथ्यों पर प्रकाश डाला है। ऐसे लोगों को ढूंढने की कार्रवाई निरन्तर चल रही है।

यात्री गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा

4033. **श्री राम जेठमलानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में प्रतिदिन कुल कितने यात्री यात्रा करते हैं और उनमें से कितने प्रतिशत सभी स्टेशनों पर रुकने वाली यात्री गाड़ियों में यात्रा करते हैं।

(ख) सभी स्टेशनों पर रुकने वाली यात्री गाड़ियों में बिना टिकट के अनुमानत: कितने लोग यात्रा करते हैं तथा परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष राजस्व की कितनी हानि होती है।

(ग) क्या जिन ब्रांच लाइनों को अलाभकारी माना जाता है उनमें छोटे स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री प्रत्येक बोगी में चैकिंग,- उतरने वाले प्रत्येक यात्री से वसूली तथा पुन: बिक्री को रोकने के लिए सभी टिकटों को नष्ट करते की पर्याप्त व्यवस्था है।

(घ) क्या भाप के इन्जनों को तेजी से समाप्त किया जा रहा है और इस प्रकार मुक्त होने वाले कर्मचारियों को बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए, व्यवस्था में सुधार करने के लिए अधिक लाभप्रद ढंग से नियोजित किया जा सकेगा।

(ङ) यदि हाँ, तो कैसे : और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान भारतीय रेलों पर दैनिक प्रारम्भिक यात्रियों की कुल संख्या 99.00 लाख रही थी। सभी स्टेशनों पर ठहरने वाली साधारण गाड़ियों में यात्रा करने वाले दूसरे दर्जे के यात्रियों का कुल यात्रियों से प्रतिशत 90 है।

(ख) वर्ष 1976-77 में सभी भारतीय रेलों पर आरम्भ की गयी नमूना जांच के आधार पर गैर-उपनगरीय खडों पर बिना टिकट यात्रा के कारण प्रति वर्ष 18 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) बाहर जाने वाले यात्रियों के टिकटों की जांच करने और आने वाले यात्रियों के टिकट एकत्रित करने के लिए प्रबन्ध मौजूद हैं। स्टेशन-कार्य संचालन के रुपये पैसे सम्बन्धी समग्र लेन-देन को ध्यान में रखते हुए मार्गवर्ती स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री की व्यवस्था भी मौजूद है। निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर चल टिकट परीक्षकों के दल गाड़ियों में घूम-घूम कर यात्रियों के टिकटों की जांच करते हैं।

(घ) से (च) भाप रेल इन्जनों को उत्तरोत्तर बदलकर उनके स्थान पर डीजल और बिजली रेल इन्जन लगाये जा रहे हैं। भाप रेल इन्जनों से रनिंग कर्मचारियों को उन डीजल अथवा बिजली कर्षण पर लगाया जाता है जिन्हें भाप कर्षण से बदला गया है और अनुरक्षण कर्मचारियों का उपयोग डीजल या बिजली रेल इन्जनों अथवा सवारी एवम् माल-डिब्बों के अनुरक्षण-कार्य में लगाकर किया जाता है।

"जहाजों से बरामद निषिद्ध वस्तुएं"

4034. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम के जहाजों से पिछले 2 वर्षों में पकड़े गये निषिद्ध सामान का मूल्य कितना है, और

(ख) उन जहाजों के अधिकारियों तथा कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन के जहाजों से निषिद्ध सामान पकड़ा गया'

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में विक्षोभकारी रिपोर्ट

4035. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और इसकी कुछ संबद्ध संस्थाओं, विशेष रूप से अतिसार रोग सस्थान, कलकत्ता के कार्यकरण के बारे में कुछ विक्षोभकारी रिपोर्ट प्राप्त होती रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और इसकी संस्थाओं के बारे में कुछ रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी हैं जिनमें कुछ संदिग्ध योग्यता वाले विदेशी विशेषज्ञों द्वारा परिषद की गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगाया गया है ।

"गुजरात में वाडिनार पत्तन का विकास"

4036. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने जामनगर के पास बाडिनार पत्तन के विकास के लिए एक प्रस्ताव किया था, क्योंकि उसे एक सर्वोत्तम पत्तन के रूप में विकसित किये जाने के लिए अत्याधिक संभावना है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बडिनार पत्तन के किनारे बड़े स्टीमरों को खड़ा किया जा सकता है क्योंकि वहां समुद्र का पानी गहरा है और गाद जमा होने की कोई सम्भावना नहीं है;

(ग) क्या योजना आयोग सदस्य द्वारा हाल में गुजरात के दौरे के समय राज्य सरकार ने इस मामले को उनके सामने पेश किया था और उन्होंने उनको सहानुभूति पूर्वक विचार का आश्वासन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने बहुत सुन्दर कार्यों एवं अन्य शर्तों पर वडीनर पोर्ट के विकास के लिए अनुरोध किया है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने पूर्णत: यांत्रिक लादान सहुलियतों से युक्त गहरे पानी में बल्कि कारगो के उतारने चढ़ाने के लिए कारगो बर्थ बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर अनुमानित व्यय 14 करोड़ रुपये होंगे। इस क्षेत्र में रेलों की सहुलियत प्राप्त नहीं है। वडीनर पोर्ट तक बड़ी लाइन बिछाने और तकनीकी आवश्यकताओं, उस पर अनुमानित व्यय का पता लगाने के लिए रेल मन्त्रालय को विस्तृत सर्वेक्षण अभी करना है।

(ग) और (घ) अगस्त 1981 में योजना आयोग के सदस्य ने दौरे के समय गुजरात सरकार द्वारा न तो कोई ऐसा प्रस्ताव रखा गया और न ही इस बारे में माननीय सदस्य ने कोई आश्वासन ही दिया।

अध्यापकों के दर्जे के बारे में यूनेस्को आई. एल. ओ. चार्टर

4037. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 5 अक्तूबर 1966 को विशेष इन्टर गवर्नमेंटल कॉफ्रेंस द्वारा अध्यापकों के दर्जे के बारे में पारित यूनेस्को-आई एल. ओ. चार्टर की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्याभारत सरकार ने उस पर हस्ताक्षर कर रखे हैं और/अथवा उनके उपवन्धों को क्रियान्वित करने के लिए वचनवद्ध हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) अध्यापकों के स्तर से सम्वन्धित सिफारिशों का एक दस्तावेज, अध्यापक स्तर सम्बन्धी विशेष अन्तर सरकारी सम्मेलन, पैरिस द्वारा 5 अक्तूबर, 1966 को पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने अथवा उसके प्रति प्रतिबन्ध होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह केवल सिफारिश थी।

"एफ. 35 मेटाडोर जैसे हल्के मोटर वाहनों का अन्तर्राज्जीय परिवहन"

4038. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकरण के साथ निजी वाहनों के रूप में पंजीकृत एफ 35 मेटाडोर जैसे हल्के मोटर वाहन परमिट फीस जो दिल्ली में नहीं ली जाती को अदायगी के बिना हरियाणा पंजाब, उत्तर प्रदेश राजस्थान आदि पड़ौसी राज्यों में प्रवेश कर सकते;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में आदेश क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसे अन्य वाहन खाली अथवा माल के साथ अन्य राज्यों में प्रवेश कर सकते हैं और किन शर्तों और आजादी के साथ ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी : (क) से (ग) प्रश्न में उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में सम्वन्धित राज्यों से स्थिति ली जा रही है।

तमिलनाडु में उपरि पुलों का निर्माण

4039. **श्री सी. पलानीअप्पन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीह बाजार-सेलम टाउन, सेंट्रल थियेटर-सेलम टाऊन और ब्रेट्स रोड-सेलम टाउन में उपरि पुलों का निर्माण करने के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्तावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जयन्ती जनता एक्सप्रेस के सरूपगंज में रुकने की व्यवस्था करना

4040. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयन्ती जनता एक्सप्रेस दिल्ली से अहमदाबाद जाते हुए सरूपगंज स्टेशन पर रुकती है लेकिन अपनी वापसी की यात्रा में यह वहां पर नहीं रुकती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह अपनी वापसी यात्रा के दौरान भी वहां पर कब रुकना शुरू कर देगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां। 31 उप दिल्ली-अहमदाबाद जयन्ती जनता एक्सप्रेस सरूपगंज स्टेशन पर ठहरती है, जब कि 32 डाउन एक्सप्रेस वहां नहीं ठहरती।

(ख) डाउन दिशा में 32 डाउन अहमदाबाद-दिल्ली जयन्ती जनता एक्सप्रेस को सरूपगंज स्टेशन पर ठहराने का यातायात की दृष्टि से औचित्य नहीं बनता।

इंडियन काउंसिल आफ पैरा मेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन के बारे में प्रस्तावित विधान

4041. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** "इन्डियन काउंसिल आफ पैरामेडिकल रिहेबिलिटेक्शन प्राफेशन" में विधान के बारे में 17 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न सख्या 4268 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इस बीच इन्डियन काउंसिल आफ पैरा-मेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन के लिए प्रस्तावित विधान बनाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी है,

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रक्रिया सम्बन्धी तथा अन्य औपचारिकतायें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सिफारिश की है कि पैरा-चिकित्सा-पुनर्वास-व्यवसाय के लोगों के प्रशिक्षण कार्य क्रम में एकरूपता लाने और उनके आचरण संहिता बनाने के लिए एक पैरा-चिकित्सा कार्मिक परिषद बनाने की जरुरत है। उन परा-चिकित्सा कार्मिकों में भौतिक-चिकित्सक, व्यावसायिक-चिकित्सक, आर्थोटिक और प्रास्थैटिक इन्जीनियर, मनश्चिकित्सक, चिकित्सीय सामाजिक कार्य-कर्त्ता और व्यवसाय-परामर्श दाता भी शामिल हैं।

(ग) सरकार द्वारा उक्त सिफारिशें स्वीकृत हो जाने के बाद ही यह कार्यवाही की जायेगी ।

"पैसिव समोकिंग में आल्सो लीड टू कैन्सर"

4042. **डा. कर्ण सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "हिन्द" दिनांक 3 मार्च, 1982 में "पैसिव समोकिंग में आल्सो लीड टू कैन्सर" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार को देखा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संसद द्वारा पहले से ही पारित धूम्रपान विरोधी विधान को लागू करने तथा इस बात को देखने का है कि धूम्रपान के खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए भावी कदम शीघ्रता से उठाये जायें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां

(ख) "सिगरेट (उत्पादन, सप्लाई और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 को और अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्यन्वित करने के लिये सरकार ने पहले ही कदम उठा लिए हैं । धूम्रपान से होने वाली हानियों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए यथेष्ट उपाय किये जा रहे हैं जिनमें धूम्रपान करने वालों तथा धूम्रपान न करने वालों (निष्क्रिय धूमम्रपान-कर्त्ताओं) में कोई भेद नहीं रखा जाता है ।

हज यात्रा

4043. **डा. आशफाक हुसैन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में राज्य-वार कितने व्यक्ति हज यात्रा पर सऊदी अरब गये;

(ख) राज्य वार कितने व्यक्तियों ने पिछले तीन वर्षों में हज यात्रा के लिये आवेदन दिया;

(ग) इस अवधि में, वर्ष-वार कितने व्यक्तियों को हज पर जाने की विशेष अनुमति दी गई;

(घ) इस अवधि में कितने व्यक्ति जलपोत से गये तथा कितने व्यक्ति हवाई जहाज से गये; और

(ङ) क्या इस वर्ष कम सख्या में व्यक्तियों को जलपोत से यात्रा की अनुमति दी जा रही है और यदि हाँ, तो इसमें कितनी कमी की जा रही है ।

विदेश मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखे गया । देखिये संख्या एल. टी. 3679/82]

हज के जहाजों में 400 सीटों का और हज के चार्टर विमानों में 150 सीटों का कोटा केन्द्र सरकार का है । ये सीटें मुख्यत: हज से संम्बद्ध चिकित्सा दल सदस्यों के लिए हज कार्य के सिलसिले में सऊदी अरब जाने वाले सरकारी कर्मचारियों, खुदम-उल हुज्जाज (हज स्वयं सेवकों) हज सद्भावना शिष्ट मंडल के सदस्यों और नेपाली तीर्थ यात्रियों के लिए होती है ।

शेष सीटें अनुकम्पा के आधार पर उन वृद्ध व्यक्तियों को दी जाती है जिनके आवेदन कुर्रा (लाटरी) में अस्वीकार कर दिए गये हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 3679/82]

(ङ) जी हाँ, समुद्री जहाज द्वारा सऊदी अरब जाने वाले तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या 1981 में 13,245 थी जो 1982 में घटाकर 9,915 कर दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का राजस्थान विश्वविद्यालय को निदेश

4044. **श्रीमती माधुरी सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री के प्रमाण पत्र भेजने को समय-सूची के बारे में कोई निदेश दिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस प्रकर का कोई निदेश जारी नहीं किया गया है। तथापि परिणाम घोषित होने के पश्चात् विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमाण पत्रों को जारी करने में होने वाले विलम्ब के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान विश्वविद्यालय सहित, सभी विश्वविद्यालयों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि सफल छात्रों को उनके परिणाम घोषित हो जाने के तुरन्त बाद डिग्रियां प्रदान कर दी जाएं।

वर्ष 1982-83 के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने के लिये प्रस्तावित वित्तीय सहायता

4045. **डा. आर. रोथूआना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक कितने कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप-केन्द्र स्थापित किये हैं, और

(ख) वर्ष 1982-83 में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इन राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार की ओर से कितनी-कितनी वित्तीय साहायता आवटित करने का विचार किया गता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) यह सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

1-4-1981 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या और 1982-83 के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित धनराशि।

क्र. स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	उप-केन्द्रों की संख्या	1982-83 के लिए परिव्यय (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	मिजोरम	14	132	36.78
2.	नागालेण्ड	17	68	27.73

1	2	3	4	5
3.	मणिपुर	29	145	88.21
4.	मेघालय	23	97	49.96
5.	अरूणाचल प्रदेश*	79	78**	5.47
6.	त्रिपुरा	28	124	60.65

नोट: 1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपने प्लान आवंटनों में से की जाती है।

2. कालम 5 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से 1982-83 के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के परिव्यय में निम्नलिखित भी शामिल है

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए गये/किए जाने वाले ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और उप-केन्द्र।

(ख) दाइयों का प्रशिक्षण।

(ग) बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना की 50% लागत का केन्द्रीय हिस्सा।

(घ) स्वास्थ्य गाइड योजना।

(ङ) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के निर्माण की लागत

3. * अरुणाचल प्रदेश में केवल स्वास्थ्य यूनिटें हैं और वहां पर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं।

** ग्रामीण औषधालय।

इतिहास की पुस्तकों में संशोधन करने संबन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत

4046. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों में मूल-भूत संशोधन करने सम्बन्धी मार्ग-दर्शी सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए सुविख्यात इतिहासकारों द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तकों के बारे में कोई मतभेद अनुभव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्कूलों में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से निर्धारित/अनुशंसित एतिहासिक पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की हैं। इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नमक की ढुलाई के लिये वैगनों का आवंटन

4047. **श्री मोती भाई आर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे के किन-किन स्टेशनों से

नमक की ढुलाई के लिये कौन-कौन सी श्रेणी के वैगन आबंटित किये गये हैं तथा उनमें से कुल कितने कितने वैगनों का उपयोग किया गया;

(ख) गत छः महीनों के दौरान अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कोयले से लदे हुए, श्रेणी-वार कूल कितने-कितने वैगन आये हैं; और

(ग) किन-किन पार्टियों को पूरी गाड़ी आबंटित की गई तथा पूरी गाड़ी आवटित करने के क्या नियम हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अगस्त, 1981 से जनवरी, 1982 तक पश्चिम और उत्तर रेलवे से नमक सहित आबंटित स्टेशनों के नाम लदान किये गये माल डिब्बों की कोटिवार संख्या नीचे दी गयी है :—

प्राथमिकता श्रेणी में माल डिब्बों की संख्या

स्टेशनों के नाम :	आबंटित किये गये				लादे गये			
	ख	ग	घ	ङ	ख	ग	घ	ङ
पश्चिम रेलवे :								
बड़ी लाइन :								
बोरीवली, मीरा रोड, म्यांदर, बसीन रोड, नाला सोपार, पालदार, शफाला, दहाणु रोड, कलवा रोड, बोईसर, वनगाँव उम्बेरगांव, मंजाण, भिलाउ, वेड़छा, बाली, डूंगरी, खरगोदा, पाटरी, हलवद, मलिया, मियाणा, गाँधीधाम, चीरई, खखरेची, खम्बात, बंदर, भरुच, सायन, धांबधरा, बिन्ड मिल और हापा।	2345	16749	4435	1384	2345	12842	4403	1286
मोटर लाइन								
गाँधीधाम, कांडला, चिरई, आदेसर, पामाखिपाली, संतालपुर, जामनगर, मीठापुर, सलाया, मोतीखावड़ी, लवणपुर मिका, नवलखी, खम्भालिया, हारीज, भावनगर, कांकरीट, जेट्टी, भावनगर बंदर, भावनगर टर्मिनस, राजुला सिटी, पीपावाव बंदर, कुडा, विक्टर, महुआ और पोरबंदर	—	1:308	4667	—	—	13419	4652	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर रेलवे								
मीटर लाइन								
सांभर झील, नवा शहर, गोविन्दी, मारवाड़, ठठाना, मिठरी कुचामन, सिटी, मारवाड़ बालिया: फलौदी, पचपदरा साल्ट डिपो, पोकरण और सुजानगढ़	1931	10402	1229	182	1589	9156	1173	159

(ख) अगस्त, 1981 से जनवरी, 1982 (महीनेवार) तक अहमदाबाद क्षेत्र में प्राप्त कोयले के माल डिब्बों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गयी है :—

महीना	पावर हाउस के लिए	टैक्सटाइल मिलों केलिए	टैक्सटाइल से इतरु उद्योगों के लिए
अगस्त, 1981	7346	972	2074
सितम्बर, 198	7652	1061	2188
अक्टूबर, 1981	7817	1018	1815
नवम्बर, 1981	6875	1008	1858
दिसम्बर, 1981	6593	764	2147
जनवरी, 1982	5319	1418	3111
जोड़	41602	6221	13193

(ग) सामान्यत: पावर हाउसों के लिए अलग से कोयले का लदान ब्लाक रेकों में किया जाता है लेकिन वस्त्र और अन्य उद्योगों के लिए, जिनका आवंटन एक रेक से कम होता है, उनकी आवश्यकताओं को एक पूरी ट्रेन बनाने के लिए मिला दिया जाता है।

अहमदाबाद क्षेत्र के लिए कोयले का संचलन बहुत क्षेत्रों से होता है जैसे झरिया फील्ड्स सेन्ट्रल इण्डिया कोल फील्ड्स, मेंच, चंदा उमरेर, आदि और उन पार्टियों की सूची नहीं रखी जाता है जिनको पूरी गाड़ी आवंटित की जाती है।

कलकत्ता स्थित निदेशक संचलन (रेलवे) प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में सभी राज्यों तथा केन्द्रीय प्रायोजित प्राधिकारियों को कोयला उपभोक्ताओं की प्रत्येक कोटि के लिये उच्चतम सीमा निर्दिष्ट करते हुए पत्र लिखते हैं। इसके बाद प्रायोजित प्राधिकारी प्रत्येक उपभोक्ता के लिए आगामी वर्ष के कोटे की सिफारिश करते हैं। निदेशक संचलन (रेलवे द्वारा इन कोटों की जांच की जाती है तथा यदि आवश्यक हो तो संशोधनों सहित स्वीकार किये जाते हैं। तब वे सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को स्वीकृति जारी करते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तथा कोयले की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, इन स्वीकृतियों के अनुसार मालडिब्बों का आवंटन किया जाता है।

दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत बड़ी लाइन और मीटर गेज के रेल पथों की लम्बाई.

4048. **श्री उत्तम राठौर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे अन्तर्गत बड़ी लाइन के तथा मीटर-गेज के रेल पथों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) रेलवे के कुल कितने डिविजन हैं और उसमें रेल पटरी कितनी हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक तथा सिकन्दराबाद (मीटर-गेज के डिविजनल मैनेजर ने मुडखेड-आदिलाबाद और खाँडवा-पूरना सेक्शनों का कब दौरा किया था; और

(घ) डी. एम. आर. ने कितनी बार इन रेल पथों का दौरा किया ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे में बड़ी आमान और मीटर आमान रेल पथ की कुल किलोमीटर दूरी का बड़ी लाइन पर 3238.22 कि. मी. और मीटर लाइन पर 3693.50 कि. मी. अर्थात् कुल 6931.72 कि. मी. है।

(ख) दक्षिण मध्य रेलवे में 5 मण्डल हैं और 1-4-81 को उन्हें आवंटित किलोमीटर दूरी इस प्रकार है :—

	आवंटित कि. मी. दूरी		
	ब. ला. कि. मी.	मी. ला. कि. मी.	कुल कि. मी.
सिकन्दराबाद (ब. ला.)	1166.29	—	1166.29
हैदराबाद (मी. ला.)	—	1551.03	1551.03
विजयवाड़ा	981.52	426 11	1407.63
गुन्तकल्लु	767.12	584.26	1351.38
हुबली	323.29	1132.10	1455 39
जोड़	3238.22	3693.50	6931.72

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान महाप्रबन्धक, दक्षिक मध्य रेलवे ने मुडखेड आदिलाबाद और पूर्णा खण्डवा खण्डों का दौरा नहीं किया है। मण्डल रेल प्रबन्धक हैदराबाद ने मुडखेड-आदिलाबाद खण्डों का दो बार और 1-4-81 को दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा मध्य रेलवे से खंडवा-पूर्णा खंड का कार्य-भार सम्भालने के बाद तीन बार इस खंड का नीरीक्षण किया है।

(घ) एक बार भी नहीं।

"वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान जारी किये गये अखिल भारतीय परमिट"

4049. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान दो, तीन पांच और दस से अधिक बार किन-किन पार्टियों और व्यक्तियों को अखिल भारतीय राष्ट्रीय रूट परमिट दिये गये हैं, और

(ख) ऐसे मामलों में दो बार से अधिक परमिट देने के क्या कारण हैं;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) संभवतया, मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 63 की उपधारा 11 से 15 तक के उपबन्धों के अधीन दिए सार्वजनिक गाड़ियों के लिए राष्ट्रीय परमिटों का उल्लेख किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, मणिपुर पजाब, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश राज्यों और चंडीगढ़ दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना से पता चला कि उन्होंने 1980-81 और 1981-82 में किसी एक व्यक्ति को दो, तीन से अधिक राष्ट्रीय परमिठ नहीं दिए हैं।

गोवा, दमन और दीव में, श्री अशोक गुप्ता नामक एक व्यक्ति को मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 63 की उपधारा 12 के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार तीन राष्ट्रीय परमिट दिए थे।

अन्य राज्य सरकारों, संघीय प्रशासनों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

अहमदाबाद-दिल्ली रेलवे लाइन

4050. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर के रास्ते से होकर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच तथा जोधपुर और मारवाड जंक्शन के बीच ब्राड गेज रेलवे लाइनें बिछाने के लिये सर्वेक्षण कार्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) ये रेलवे लाइनें ब्राडगेज रेलवे लाइनों में कब तक परिवर्तित की जायेंगी और इसके लिये निर्धारित किया गया चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जोधपुर के रास्ते अहमदाबाद और दिल्ली के बीच बड़े आमान की लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जयपुर के रास्ते अहमदाबाद और दिल्ली के बीच वर्तमान मीटर आमान लाईन के आमान परिवर्तन का एक प्रस्ताव है। योजना आयोग ने इस प्रस्ताब को अभी स्वीकृत नहीं किया है। जहां तक लूनी के रास्ते जोधपुर से मारवाढ़ तक रेलवे लाइन का सम्बन्ध है, एक प्रारंभिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और उसकी रिपोर्ट की जाँच कर लिये जाने के बाद कोई निर्णय लिया जायेगा।

(ख) कार्यक्रम को चरणबद्ध करने का अभी प्रश्न नहीं उठता।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के लिए विज्ञान शिक्षा संगठित करने के लिए निर्धारित की गई धन राशि

4051. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी योजना अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए विज्ञान शिक्षा संगठित करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) देश में विज्ञान शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या कार्यक्रम बनाया है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के विभिन्न कालेजों में विज्ञान शिक्षा की प्रगति के लिए अब तक क्या कार्यक्रम शुरू किए हैं; और

(घ) छठी योजना अवधि के शेष समय में उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कार्य करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 280 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से, छठी योजना में विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए 102 करोड़ रुपये का अस्थाई आवटन है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए गए तथा विश्वविद्यालयों और कालेजों में कार्यान्वित कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) इन कार्यक्रमों को छठी योजना की बाकी अवधि में जारी रखने का प्रस्ताव है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए गए तथा विश्वविद्यालय और कालेजों में कार्यान्वित कार्यक्रमों की सूची :—

(1) पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना तथा उनका व्यवसायिकरण।
(2) कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम/विश्वविद्यालय नेतृत्व परियोयोजनाएं
(3) शिक्षण सहायक उपकरणों का निर्माण।
(4) विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए उपस्कर
  (क) विश्वविद्यालय
  (ख) उत्तर स्नातक कालेज
  (ग) अवर स्नातक कालेज।
(5) विशेष सहायता विभागों/उच्च अध्ययन केन्द्रों के लिए वरणात्मक सहायता।
(6) अनुसंधान परियोजनाएं (छोटी/बड़ी विभागीय सहायता)
(7) शिक्षावृत्तियां आदि/जीवन वृत्ति पुरस्कार।
(8) इन्स्ट्रू में टेशन केन्द्र
(9) केन्द्रीय परिस्कृत केन्द्र
(10) संगणक केन्द्र
(11) विज्ञान शिक्षा केन्द्र।

भारत के पश्चिम जर्मनो के साथ संबंध

4052. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो महीनों के दौरान सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनयिक क्षेत्रों में भारत के पश्चिम-जर्मन के साथ सम्बन्धों के बारे में यदि कोई उल्लेखनीय बातें हुई हैं तो वे क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच सम्बन्ध बहुत विस्तृत और बहुआयामी हैं और गत वर्षों में इन सम्बन्धों में वृद्धि हुई है। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक और गहन सहयोग है।

विशेषकर भारत-जर्मन संघीय गणराज्य के सम्बन्धों की विगत दो महीनों की उल्लेखनीय बातें यह हैं :

(क) दक्षिण दिल्ली में लोदी स्टेट मार्ग नं० 2 का नाम बदल कर मैक्स मूलर मार्ग रखा गया जो इस महान जर्मन विद्वान के प्रति श्रद्धांजलि थी जिसने पश्चिमी विश्व को भारत सम्बन्धी जानकारी देने में महान योगदान दिया था।

(ख) नेशनल गेलरी आफ मार्डन आर्ट में जर्मन संघीय गणराज्य से जर्मन अभिव्यक्ति के चित्रों की एक प्रदर्शनी लगायी गयी थी। इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत-जर्मन सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था।

"राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4,7, और 40 की खस्ता हालत"

4053. **श्री टी आर. शमन्ना** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे कि अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4,7, और 40 का कुछ भाग खस्ता हालत में है और सड़कों को पक्का करने हेतु तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, और

(ख) क्या सरकार का विचार है इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों और पूलों की मरम्मत कराने हेतु तत्काल कदम उटाने का है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) चूंकि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण की देख भाल करना भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, इसलिए भारत सरकार को सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की सामान्य स्थिति की जानकारी है। धनाभाव की समूची स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का निरंतर सुधार किया जाता है और उन्हें यातायात के योग्य बनाये रखा जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4,7, और 40 यातायात के योग्य है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों को क्रम से मजबूत करने का काम हो रहा है। जहां कहीं मानसून आदि से सड़क भारी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है, वहाँ विशेष मरम्मत और बाढ़ से क्षतिग्रस्त खंडों की मरम्मत कर दी जाती है।

छपरा जंक्शन से चलने वाली रेलगाडियां

4054. **प्रो. सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे के छपरा जंक्शन से पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाली रेलगाड़ियां रोजाना पांच से छः घन्टे विलम्ब से चलती हैं :

(ख) क्या लोको शेड से इन्जनों के आने में विलम्ब होने से ऐसा होता है : और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) लोको शेड से इंजनों के चलने में देरी के कारण छपरा स्टेशन से गाड़ियों के विलम्ब से प्रस्थान के कुछ मामले हुए हैं। शेड से इन्जन की विलिम्ब से निकासी की घटनाओं को न्यूनतम

करने तथा छपरा से गाड़ियों के सही समय पर प्रस्थान में सुधार लाने के लिए इंजनों और लोकोशेडो का निरीक्षण गहन करने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा लिये जाने वाला प्रति व्यक्ति शुल्क

4055. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**

श्री सूरज भान : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन इंजीनियरिंग कालेजों के नाम क्या हैं, जो प्रति व्यक्ति शुल्क लेते हैं;

(ख) प्रति छात्र कितनी धनराशि वसूल की जाती है और यह धनराशि किस तरह एकत्रित की जाती है;

(ग) इस सम्बन्ध में सम्बद्ध राज्य सरकारों को क्या सलाह दी गई है; और

(घ) केन्द्र के परामर्श पर विभिन्न राज्यों से क्या टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति छात्र शुल्क वसूल करने वाले इन्जीनियरी कालेजों के नाम संलग्न **विवरण** में दिए गये हैं।

(ख) इन कालेजों में एकत्र की गई प्रति छात्र की सही राशि का पता लगाना कठिन है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की राज्य सरकारों ने पिछले वर्षों में निम्नलिखित प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किए थे।

आन्ध्र प्रदेश·····25,000/-रुपये प्रति छात्र

कर्नाटक 5,000/-रुपये प्रति छात्र (कर्नाटक के छात्रों के लिए (10,000/रुपये प्रति छात्र) उन छात्रों के लिए जो कर्नाटक के नहीं हैं। इनमें विदेशी छात्र भी शामिल हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने दाखिले के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करने की अवांछनीयता के बारे में राज्य सरकारों को सलाह दी है।

(घ) वे अधिकांश राज्य, जिन में ऐसी संस्थाएं नहीं हैं, हमारे विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हो गए हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने विभिन्न विभागों को ये हिदायतें जारी की हैं कि नीतियां बनाते समय वे इनको ध्यान में रखें। कर्नाटक सरकार ने उत्तर दिया है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। बिहार सरकार ने असामान्य परिपाटी को रोकने के लिए बिहार राज्य इन्जीनियरी और फार्मेसी शिक्षा संस्था (विनियमन तथा नियन्त्रण) अध्यादेश 1981 को पहले ही लागू कर दिया है।

विवरण

देश में प्रति व्यक्ति शुल्क एकत्र करने वाले इन्जीनियरी कालेजों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. सिद्धार्थ इन्जीनियरी कालेज, विजयवाड़ा।
2. एन. बी. के. आर. प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, वकाडु नीलोर जिला।

3. चैतन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदरावाद ।
4. एस. आर. आर. इन्जीनियरी कालेज, भीमावराम ।
5. इन्जीनियरी कालेज, श्रीराम नगर, गरीविदी ।
6. के. एस. आर. स्मारक इन्जीनियरी कालेज, कुड्डप्पा ।
7. मुफ्फाखां जाह इन्जीनियरी, तथा प्रौद्योगिकी कालेज, हैदरावाद ।
8. इन्जीनियरी कालेज, मछलीपटनम ।
9. काकातिया प्रौद्योगिकी संस्थान ।
10. कोनारी लक्ष्मैया इन्जीनियरी कालेज, टडेपल्ली (विजयवाड़ा में)
11. गांधी प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध सस्थान, विशाखापटनम ।
12. इन्जं.नियरी कालेज, रांगा रेड्डी जिला, प्रबन्ध, वासावी शैक्षिक सोसायटी, हैदराबाद ।
13. इन्जीनियरी कालेज, रंगा रेड्डी जिला प्रबन्ध, मेटरू श्री शैक्षिक ट्रस्ट, हैदराबाद

बिहार

1. जगन्नाथ मिश्र प्रौद्योगिकी संस्थान, दरभंगा ।
2. मगध इन्जीनियरी कालेज, गया ।
3. भारतीय इन्जीनियरी कालेज, मोतीहारी ।
4. वैशाली प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर ।
5. पटना प्रौद्योगिकी सस्थान, पटना ।
6. सर सैयद प्रौद्योगिकी सस्थान बेहरा, दरभंगा ।
7. जवाहर लाल प्रौद्योगिकी संस्थान, दरभंगा ।
8. छोटानागपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, दरभंगा ।
9. भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थान, पाटलीपुत्र, पटना ।
10. संजय गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, डालमिया नगर, रोहतास ।

कर्नाटक

1. एम. एस. रमेय्या प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।
2. आर.बी. इन्जीनियरी कालेज, बंगलौर ।
3. श्री सिद्धगंगा प्रौद्योगिकी संस्थान, टुमकुर ।
4. मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपाल ।
5. दयानन्द सागर इंजीनियरी कालेज, बंगलौर ।
6. बंगलौर प्रौद्योगिक संस्थान बंगलौर ।
7. इस्लामिया प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।
8. श्री सिद्धार्थ—प्रौद्योगिकी संस्थान टुमकुर ।
9. बापूजी इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, दावनगोर ।
10. एच. के. ई. इन्जीनियरी कालेज, रायचूर ।
11. बंजुनाथेश्वरा इन्जीनियरी कालेज, धारवाड ।
12. के.एल. ई. इन्जीनियरी कालेज, बेलगाँव ।

13. के. एल. एस. इन्जीनियरी कालेज, बेलगांव ।
14. घांसिया इन्जीनियरी कालेज रामनगरम ।
15. डा. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।
16. एन. ई. एस. इन्जीनियरी कालेज, शिमोगा ।
17. ए. डी. आई. चंचानगरी प्रौद्योगिकी संस्थान, चिकमगलूर ।
18. एस. जे. एम. इन्जीनियरी कालेज, चित्रदुर्ग ।
19. विजयनगर इन्जीनियरी कालेज, बालेरी ।
20. अंजुमन इन्जीनियरी कालेज, भटकल ।
21. के. ई. एस. इन्जीनियरी कालेज गुलबर्गा ।
22. गुरूनानक देव इन्जीनियरी कालेज, बिदार ।
23. बी. एल. डी. ई. एस इन्जीनियरी कालेज, बीजापुर ।
24. आर. टी. सी. इन्जीनियरी कालेज, जुलीकेटी ।
25. एस. टी. डी. ई. इन्जीनियरी कालेज, रांस, नेबेनूर ।

वे सहायता प्राप्त इन्जीनियर कालेज जो दाखिला छात्रों में से 20% से प्रति व्यक्ति शुल्क एकत्र करते हैं

26. बी. एम. एस. इन्जीनियरी कालेज, बंगलौर ।
27. एन. आई. ई. इन्जीनियरी कालेज, मैसूर ।
28. श्री एस. जे. इन्जीनियरी कालेज, मैसूर ।
29. पी. ई. एस. इन्जीनियरी कालेज, मडया ।
30. मालनद इन्जीनियरी कालेज, हुन ।
31. बी. वी. बी. इन्जीनियरी कालेज, हुबली ।
32. वासवेश्वर इंजीनियरी कालेज, बागलकोट ।
33. इन्जीनियरी कालेज, गुलबर्ग ।

रेल मंत्रालय के सतर्कता निदेशक को प्राप्त शिकायतें

4056. **श्री डी. एम. ए. शिवप्रकाशम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से दिसम्बर, 1981 के महीनों में सतर्कता निदेशक, रेल मंत्रालय को कितनी शिकायतें मिली हैं :

(ख) इन शिकायतों में से कितनी ससद् सदस्यों ने की थी : और

(ग) उन शिकायतों पर रेल प्रशासन ने क्या कार्रवाही की है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग के उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1379

(ख) 108

(ग) संसद सदस्यों द्वारा अग्रेषित 65 शिकायतों को अन्तिम रूप में निपटाया जा चुका है और दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवम् अपील नियमों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की गयी है ; शेष 43 शिकायतें अन्तिम रूप दिये जाने के विभिन्न चरणों में हैं और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध यथा-उपेक्षित कार्रवाई की जायेगी ।

"भाप से चलने वाले चिदम्बरम् जहाज पर नाविकों की हड़ताल"

4057. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप से चलने वाले चिदम्बरम् नामक जहाज के नाविकों ने हाल ही में हड़ताल कर दी थी,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे,

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम ने निगम के एजेंट के मद्रास स्थित कार्यालय में निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी का पद देना स्वीकार कर लिया था जैसे कि नाविकों ने मांग की थी, और

(घ) यदि हां, तो भारतीय नौवहन निगम के उक्त वरिष्ठ अधिकारी को क्या-क्या कृत्य सौंपे गये जो कि मद्रास तथा नौवहन ऐजेन्ट कार्यालय में कार्य करेगा।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां, एम. वी. चिदाम्बरम पर काम कर रहे नाविक 31.12.81 से 7.1.82 तक हड़ताल पर रहे।

(ख) यह हड़ताल नेशनल यूनियन आफ सीफेरर्स आफ इण्डिया, मद्रास के अनुयायी कर्मीदल द्वारा परेशान करने और धमकाने वाली तथा कथित घटनाओं के विरोध में हुई। इनकी मांग यह थी कि मद्रास स्थित कर्मीदलों को भारतीय नौवहन निगम के एम. वी चिदाम्बरम और टी. एस नानकोरी, पाल पोतों पर रोजगार दिया जाय।

(ग) और (घ) जी नहीं, भारतीय नौवहन निगम ने निगम के मद्रास स्थित एजेंट के कार्यालय में निगम के किसी अधिकारी को तैनात करने का निर्णय नहीं किया है। फिर भी यह स्वीकार किया गया था कि याी पाल पोतों के ठहरने की अवधि में मद्रास में इन पाल पोतों पर काम कर रहे कर्मीदलों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय नौवहन निगम का एक प्रतिनिधि रहेगा।

भारत पाकिस्तान सांस्कृतिक आदान प्रदान

4058. **श्री मगन भाई बरोट** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल में हुई विदेशी-मन्त्री स्तर की वार्ता में भारत-पाक के बीच पारस्परिक व्यापार सम्बन्धों को एक सुदृढ़ आधार देने की संभाव्यता का पता लगाया है; और

(ख) क्या सरकार सांस्कृति शिष्ट-मण्डलों तथा चल चित्रों के आदान-प्रदान के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार से बात-चीत करेगी ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच अधिक निकट के संबंध हो सकें।

विदेश मन्त्री श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार सम्बन्धों के विस्तार की खोज करती रहती है बशर्ते कि पाकिस्तान बिना किसी भेदभाव के व्यापार फिर से शुरु करने पर सहमत हो।

(ख) सांस्कृति सम्पर्क बढ़ाने के लिए सरकार ने वार्षिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तानी पक्ष ने बताया कि वह इन प्रस्तावों पर विचार करेगा।

"जहाजों से माल की डिलीवरी लेने में विलंब"

4059. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यापारी जहाजों में अपने माल की डिलीवरी लेने में जानबूझ कर विलम्ब करते हैं और इस प्रकार पत्तनों को गोदामों के रूप में इस्तेमाल करते हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष उपाय कर रही है कि जहाजों में माल की डिलीवरी निर्धारित समय पर ले ली जाये : और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बम्बई और कलकत्ता पत्तनों को छोड़ अन्य किसी भी बड़े पत्तन पर व्यापारियों द्वारा अपने माल की डिलिवरी जानबूझ कर देर से लेने की समस्या नहीं है।

(ख) और (ग) बम्बई और कलकत्ता के पत्तन अपने वहां से व्यापारियों द्वारा शीघ्र माल के उठाये जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहे हैं :

बम्बई पत्तन : पत्तन ने अभी हाल में फ्री-टाईम के बाद एक महीने विलम्ब तक यदि माल न उठाया जाए जो उसके बाद विलम्ब शुल्क 50 प्रतिशत और दो महीने बाद 100 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

कलकत्ता पत्तन

(1) फ्री टाईम के बाद सामान्य किराया वसूल करने के अलावा अधिक मात्रा वाल माल पर, जो युक्त अवधि के बाद वहां पड़ा रहता है, तीन गुणा दंडात्मक किराया वसूल किया जाता है।

(2) जो माल वहां से उठाया नहीं जाता उसे दूसरी शैडों और यार्डों को भेजना और माल उठवाए जाने का सम्बन्धित व्यापारियों से किराया वसूल करना।

(3) जहाँ आवश्यक हो, सीमा शुल्क विभाग की स्वीकृति लेने के बाद आयात किया हुआ माल यदि दो महीनों के अन्दर नहीं उठाया जाता, तो उस की सार्वजनिक रूप से नीलामी की जाती है।

चित्तरंजन से डीजल लोकोमोटिव इंजन निर्माण सयन्त्र को स्थानान्तरित करना

4060. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद भी रेल बोर्ड डीजल लोकोमोटिव इन्जन निर्माण संयन्त्र को चित्तरजन से देश के किसी अन्य स्थान पर स्थनान्तरित करने की नीति पर चले जा रहे हैं तथा इस प्रकार पश्चिम बंगाल की रोजगार क्षमता को कम कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि रेल बोर्ड चित्तरंजन स्थित इस संयंत्र को डीजल इन्जन बनाने के क्रयादेश नहीं दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एसे क्रयादेश देने के लिये तथा तत्संबन्धी आवश्यक निदेश देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि रेल बोर्ड द्वारा उत्पन्न किया गया भ्रम दूर हो सके और देश के लिये यह संयन्त्र सुदृढ़ हो सके ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डीजल इन्जन/रेल इन्जन निर्माण संयन्त्र को चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाना से हटाकर देश के किसी अन्य भाग में ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) 1982-83 के दौरान 25 डीजल रेल इन्जनों का निर्माण करने और 10 डीजल रेल इन्जनों की रि-पावर पैकिंग करने के लिए एक आर्डर चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाने को दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जैसाकि ऊपर बताया गया है, डीजल रेल इन्जनों के रिर्माण के लिए आर्डर चित्तरंजन रेल इन्जन कारखाने को भेजा जा चुका है।

निरक्षरता उन्मूलन पर किया जाने वाला व्यय

4061. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निरक्षरता उन्मूलन के क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी राशि व्यय करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने देश में रह रहे निरक्षर लोगों की नवीनतम संख्या के बारे में राज्य-वार कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार कुल सख्या क्या है;

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कितनी राशि रखी गई है;

(ङ) चालू योजनावधि में इस कार्यक्रम में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(च) छठी पंचवर्षीय योजन.वधि की शेष अवधि में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा (वर्ष-वार) क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 15-35 आयु वर्ग में प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन के लिए छठी योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिए 128 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है।

(ख) और (ग) जी, हां। 1981 की जनगणना के अनुसार सभी आयु वर्गों (0-4 सहित) में देश में (राज्यवार) अनपढ़ व्यक्तियों के अद्यतन आंकड़े संलग्त विवरण (अनुबंध-I) में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी.-3680/82**]

(घ) विवरण संलग्न है (अनुबंध-II) [**ग्रन्थालल में रखा गया देखिए संख्या एल. टी.-3680/82**]

(ङ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में चालू योजना अवधि में अब तक का दाखिला इस प्रकार है :—

1980-81	.....	23.53 लाख
1981-82	.....	29.98 लाख।

(30-9-81 की यथा स्थिति के अनुसार)

(च) छठी पंचवर्षीय में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए

गए हैं। तथापि, इस कार्यक्रम के लिए किए गए आवंटनों में ही 15-35 आयु वर्ग में यथा सभव अधिक से अधिक प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा के एक घटक के रूप में शामिल किया गया था। प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन को भी नए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

अमरीका-चीन के सैनिक सम्बन्ध

4062. **श्री रशीद मसूद** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका और चीन के बीच बढ़ते हुए सैनिक सम्बन्ध की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति एशिया उप-महाद्वीप की शान्ति के लिये खतरा है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी वी नरसिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत की सुरक्षा से सम्बद्ध सभी घटनाओं पर निरन्तर निगाह रखी जा रही है।

खतरे की जंजीर के बिना चलने वाली गाड़ियां

4063. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

श्री नवीन रवाणी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलवे में बहुत सारी मेल/एक्सप्रेस और यात्री गाड़ियाँ खतरे की जंजीर की व्यवस्था के बिना चल रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन गाड़ियों के क्या नाम हैं:

(ग) ये गाड़ियां कब से खतरे की जंजीर की व्यवस्था के बिना चल रही हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन गाड़ियों में डकैती और अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) स (ग) इस सुविधा का अकारण दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से 1524 गाड़ियों में खतरे की जंजीर के उपकरण को आंशिक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में स्थिति की अवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(घ) (1) जहां तक सम्भव होता है, रात्रि के समय चलने वाली लम्बी दूरी की रेल/एक्सप्रेस सवारी गाड़ियों में राज्य पुलिस द्वारा मार्ग रक्षी तैनात किये जाते हैं :

(2) इस समस्या को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी है:

(3) किसी गाडी के बिना ठहराव वाले स्थान पर रुकने पर मार्गरक्षी दल को सावधान करने के लिए इन्जन कर्मियों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे बार-बार सीटी बजायें :

(4) रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजकीय प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है; और

(5) डिब्बा परिक्षों/चल टिकट परीसकों को ये अनूदेश दिये गये हैं कि वे सावधान रहें और मार्गरक्षी दल के दरवाजा खटखटाने पर शीघ्र उत्तर दें। उन्हें अनधिकृत यात्री न ले जाने के अनुदेश भी मौजूद हैं।

रेलों पर अपराध की रोकथाम में रेलों और राज्य सरकार के कार्य कलाप में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राज्य स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर स्थायी समितियों का गठन किया जा रहा है जिनमें पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, रेल प्रशासन और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

भारतीय बार-कांउसिल द्वारा की गई सिफारिश

4064. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बार-कांउसिल ने कानपुर विश्वविद्यालय की कानून की डिग्री की मान्यता को रद्द करने की सिफारिश की है;

(ख) इस प्रकार की सिफारिश करने का क्या आधार है; और

(ग) सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कत्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) बार परिषद् द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार उनके द्वारा अभी तक ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"जनकपुरी और दक्षिण दिल्ली के बीच डी. टी. सी. बस सेवा"

4065. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी के आकार और उसकी आबादी को ध्यान में रखते हुए जनकपुनी और दक्षिण दिल्ली के बीच बस सेवा बहुत ही कम है और यात्रियों को प्राइवेट बसों पर आश्रित रहना पड़ता है.

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में इन सेवाओं में और भी कमी हुई है विशेष कर रुट नं 711 पर जो इन कालोनियों को आर. के. पुरम. एन. डी. एस. ई. और सफदरजंग के कार्यालयों और अस्पताल काम्प्लेक्सों से जोड़ती है, और

(ग) इस मार्ग पर सेवा बढ़ाने तथा जनवपुरी को दक्षिण दिल्ली के अन्य भागों तथा नेहरू प्लेस, मालवीया नगर-111 और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालयों से जोड़ने के लिए वैकल्पिक सेवा चलाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं।

(ख) बसों की सेवा में सुधार हुआ है और छोडे गये ट्रीपों का प्रतिशत जो दिसम्बर 1981 में 20 प्रतिशत था घटकर मार्च 1982 में 15 प्रतिप्रत रह गया है।

(ग) जनकपुरी और लाजपत नगर के बीच-धौला कुंआ से होकर चलने वाली मौजूदा बस सेवा रुट नं. 711 जो 10/20 मिनटों (भीड़/बिना भीड़ वाली अवधि) के अन्तराल पर चलती है, दक्षिण दिल्ली से जनकपुरी के लिए यातायात की दृष्टि से पर्याप्त है। जनकपुरी को दक्षिण दिल्ली में नेहरू प्लेस मालवीय नगर, आई. आई. टी. और जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं क्योंकि धौला कुंआ से बस बदलकर यात्री दक्षिण दिल्ली के किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं।

तुगलकाबाद में 'इंनलैंड कन्टेनर' डिपो

4066. **श्री भीकू राम जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार तुगलकाबाद में एक 'इन्लैंड कन्टेनर' डिपो तथा दूसरा डिपो प्रगति मैदान, नई दिल्ली में बनाने का है; और

(ख) इन डिपुओं के कृत्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तुगलकाबाद में एक नियमित इनलैंड क्लियरेंस डिपो स्थापि करने का विनिश्चय किया गया है। इसकी स्थापना होने तक, प्रगति मैदान साइडिंग, नयी दिल्ली में एक पायलट परियोजना के आधार पर एक डिपो तैयार करने का विनिश्चय किया गया है जिसके शीघ्र ही शुरू कर दिये जाने की सम्भावना है।

(ख) आई. एस ओ कन्टेनरों को सम्हालने आयात/निर्यात माल को भरने/खाली करने तथा उनकी सीमा शुल्क की दृष्टि से निकासी करने का काम, इस डिपो के मुख्य काम होंगे।

अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों की खपत के नियन्त्रण के कदम

4067. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में देश के कुछ भागों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि अल्कोहल-युक्त पेय पदार्थों की खपत में वृद्धि हो रही है और नियमित रूप से पीने वालों की संख्या बढ़ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस आदत को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व के अधीन पंजाब में पुलों के लिए ऋण सहायता"

4068. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने उनके मंत्रालय से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब राज्य अन्तर्राज्यी सीमा पर स्थित है तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काशमीर के

सीमावर्ती राज्यों से घिरा हुआ है, सात प्रमुख पुलों को अन्तर्राष्ट्रीय अथवा आर्थिक महत्व की योजना के अन्तर्गत शामिल करके निर्माण के लिए शतप्रतिशत ऋण सहायता स्वीकृत करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनक मन्त्रालय को क्या प्रतिक्रिया है;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जनवरी, 1982 में पंजाब सरकार ने छठी योजना (1980-85) के भाग के रूप में अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन ऋण सहायता के लिए सात पुलों का प्रस्ताव किया है। विभिन्न राज्यों ने जिन में पंजाब भी शामिल है, जो प्रस्ताव भेजे हैं, उन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ब्यास गोईदवाल लाइन

4069. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गोईदवाल केन्द्रीभूत औद्योगिक परियोजना को 4000 एकड़ क्षेत्र में फैलाने का विचार है जहां 1000 औद्योगिक एककों पर 900 एकड़ों का औद्योगिक बेल्ट होगा, की 1,50 लाख व्यक्तियों के लिए स्थापना की जायेगी, व्यास से गोईदवाल साहिब तक रेल लाइन के निर्माण के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है,

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस परियोजना को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में ही चालू करने हेतु शीघ्र निर्माण के लिए कुछ आदान देने की भी पेशकश की है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी हां। पंजाब सरकार को रेलवे ने इस प्रस्ताव को स्थान देने के लिए अपनी असमर्थता सूचित की है क्योंकि यह कार्य वित्तीय दृष्टिकोण से और परिचालनिक आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं है।

"राष्ट्रीय राजपथ संख्या एक को चौड़ा कर के चार भागों मे विभाजित करना"

4070. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक को चार भागों वाली मानक सड़क के रूप में निर्मित करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) अमृतसर तक इसका निर्माण कर लेने में कितना समय लगेगा;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी राशि दे दी गई है;

(घ) क्या इस व्यस्त सड़क पर प्रतिदिन होने वाली घटनाओं की अधिक संख्या को देखते हुए इस राजपथ को चौड़ा करने की तुरन्त आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा अब तक हुई प्रगति का लेखा जोखा

रखने तथा निर्माण कार्यक्रम का अनुसरण कराने के लिए मन्त्रालय द्वारा क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेनों में बनाने का कार्य यातायात की अधिकता और साधनों के उपलब्ध होने पर किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के उन सेक्शनों पर पहले ध्यान दिया जाता है जहाँ पर यातायात की भीड़ अधिक होती है। पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के 4 लेनों का काम बारी-बारी से शुरू किया गया है शुरू में भीड़-भाड़ वाले शहर खन्ना और राया से गुजरता हुआ मार्ग के 4 किलो मीटर को 4 लेनों का काम पूरा कर दिया गया है जिस पर 28.5 लाख रुपये का व्यय हुआ है और लुधियाना, गोराया सेक्शन के 22.5 किलोमीटर का काम चल रहा है जिस पर 4>7 81 लाख रुपये व्यय होगा और जिसके मार्च 84 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है। धन के उपलब्ध होने पर 1980-85 में गोराया-जलंधर (34 किलोमीटर) सेक्शन और जलंधर-अमृतसर सेक्शन (22 किलोमीटर) के कुछ अधिक भीड़ वाले स्ट्रेचेज को 4 लेनों का काम करवाने की भी व्यवस्था है जिस पर अनुमानित व्यय 15 करोड़ रुपये है। 1981-82 के दौरान चालू कामों के लिए 112 5 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। इन कार्यों की प्रगति की निगरानी तिमाही प्रगति रिपोर्ट बहुधा आवधिक समीक्षा और निरीक्षण के द्वारा की जाती है।

पंजाब में राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

4071. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य को कुछ महत्वपूर्ण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रति क्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) (क) से (ग) छठी योजना (1980-85) के प्रारम्भ से पंजाब सरकार ने नीचे लिखी दो राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के प्रस्ताव भेजे हुए हैं :—

(1) चंडीगढ़-लुधियना-मोगा-फिरोजपुर-फाजिलका सड़क, और

(2) चंडीगढ़-पटियाला-संगरुर-बरनाला-भटिंडा सड़क।

परन्तु धनाभाव के कारण और प्राथमिकता वाले अन्य कार्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है।

अलाभकारी लाइनों का चलाया जाना

4072. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उन रेल लाइनों-बड़ी लाइन, मीटर लाइन तथा संकरी लाइन जिन्हें गत 3 वर्षों के दौरान अलाभप्रद पाया गया है;

(ख) क्या उनको उनके आस-पास रेलों के मुख्य जाल के साथ जोड़कर लाभप्रद लाइनों में बदलने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या निकट भविष्य में ऐसी कोई कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें सूचना दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-3681/82]

(ख) और (ग) ऐसी शाखा लाइनें कोई नहीं है जो अलग-थलग पड़ी हों। ये सदैव जंकशन विन्दुओं पर मुख्य लाननों से सम्बद्ध होती हैं। इन हानियों को कम करने, के लिए कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में कमी, रात में काम करना बन्द करने, एक इन्जन प्रणाली आदि जैसे उपाय किये गये हैं। जहां-कहीं औचित्यपूर्ण समझा जाता है, अमान परिवर्तन के लिए निकटस्थ मुख्य लाइनों के आमान परिवर्तन की वांछनीयता की जांच करने के उद्देश्य से, इन्जीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण भी किये जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

दिल्ली में व्यक्तियों और परिवहन कम्पनियों को जारी राष्ट्रीय माल परिवहन परमिट

4073. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अलग-अलग संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में जिन व्यक्तियों परिवहन कम्पनियों को राष्ट्रीय माल परिवहन परमिट दिये गये उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परमिटों की मंजूरी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं और इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्रित की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विभिन्ना राज्यों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना

4074. **श्रीमती जन्यती पटनायक** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में प्रत्येक राज्य को कुल कितना धन आवंटित किया गया;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय का वर्ष 1982-83 में अविकसित राज्यों का वार्षिक आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में उड़ीसा में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए कुल कितना धन आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां। ससद द्वारा 1968 में अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा और खेलों के देश व्यापी कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर समुचित बल दिया गया है।

(ख) से (ङ) क्योंकि शिक्षा के मामले में, शारीरिक शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, अतः यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वे समस्त शैक्षिक ढांचे में उनके द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता के प्रयोजन से उचित वार्षिक बजट आबंटनों की व्यवस्था करें। अतः केन्द्रीय सरकार शारीरिक शिक्षा और खेलों के राज्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उड़ीसा राज्य सहित विभिन्न राज्यों के लिए निधियों का राज्यवार कोई आबंटन नहीं करती है। इसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा और खेलों की केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आबंटित निधियों के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार कोई आबंटन नहीं किया जाता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो योजनाओं की सहायता की अनुमोदित पद्धति के अनुसार उनसे प्राप्त किए जा रहे प्रस्तावों पर निर्भर करती है

छठी योजना के दौरान नसबन्दी के लक्ष्य तथा उनकी उपलब्धता

4075. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने छठी योजनावधि में नसबन्दी के कोई लक्ष्य निश्चित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के लिए नसबन्दी के क्या-क्या लक्ष्य से गए हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में मिली सफलता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छठी योजनावधि में परिवार नियोजन सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के लिए 240 लाख नसबन्दी आपरेशनों का अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) से (घ) सारा योजनावधि के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। ये लक्ष्य पिछले वर्ष के कार्य को ध्यान के रख कर वार्षिक रूप से निर्धारित किये जाते हैं। 1980-81 तथा 1981-82 में नसबन्दी आपरेशनों के लिए निर्धारित किये गये राज्यवार लक्ष्यों तथा इसकी उपलब्धियों की प्रतिशतता विवरण में दी गई है।

(ङ) राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के कार्यों का विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मानटरिंग और समीक्षा की जाती है और समय-समय पर जो आवश्यक कार्यवाई की जा रही है वह इस प्रकार है (1) उपचार उपायों के बारे में राज्य

सरकार के प्राधिकारियों को उचित सलाह देना तथा (2) इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्यों द्वारा अनुभव की गई समस्याओं को हल करना। शिक्षा और प्रेरणा के जरिए छोटे परिवार के आदर्श के संदेश का प्रसार करने के प्रयासों को तेज भी किया गया है।

2. ग्राम स्वास्थ्य गाईड योजना जो अभी तक राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच आधे-आधे खर्च के आधार पर चल रही थी, अब इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है और इसके लिए अब केन्द्रीय सरकार सारा धन देती है तथा यह निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य गाइड, जो अधिकतर महिलायें ही होंगी, लोगों का उनके घरों में परिवार नियोजन के नाम-क्लिनिकल तरीकों की सप्लाई करने तथा छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवाओं और सप्लाइयों को सशक्त बनाया जा रहा है और उनका विस्तार किया जा रहा है।

विवरण

1980-81 तथा 81-82 के दौरान नसबन्दी आपरेशन का राज्यवार लक्ष्य और प्रतिशत उपलब्धि का विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघशासित क्षेत्र/एजेन्सी	1980-81		1981-82	
		लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	आनुपातिक लक्ष्य (अप्रैल, 81 से जनवरी, 82 तक) को प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	244.100	95.6	244.100	100.6
2.	असम	60,400	39.6	60,400	27.8
3.	बिहार	275,900	33.5	275,900	35.1
4.	गुजरात	162,300	123.6	162,300	121.1
5.	हरियाणा	53,700	60.6	53,700	66.3
6.	हिमाचल प्रदेश	15,800	94.3	15,800	109.2
7.	जम्मू और कश्मीर	22,700	46.4	22,700	40.3
8.	कर्नाटक	190,400	75.1	190,400	100 0
9.	केरल	100,000	113.0	100,000	106.5
10.	मध्य प्रदेश	246,400	52.7	246,400	72.4
11.	महाराष्ट्र	295,500	105.5	295,500	151.1
12.	मणिपुर	6,100	35.0	6,100	35.7 ×
13.	मेघालय	5,500	4.8	5,500	4.2 ×
14.	नागालैंड	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
15.	उड़ीसा	115,600	78.1	115,600	77.4
16.	पजाब	65,700	72.5	65,700	72.5
17.	राजस्थान	134,000	75 0	134,000	103.5
18.	सिक्कम	250	120.0	250	135.9 × ×
19.	तमिलनाडु	182,200	72.0	182,200	81.6
20.	त्रिपुरा	7,000	7.4	7,000	8.7 × ×
21.	उत्तर प्रदेश	412,400	19.1	412,400	28.1
22.	पश्चिम बगाल	230,000	91.1	230,000	77.3
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	600	70.0	600	78.0
24.	अरूणाचल प्रदेश	1,300	7.0	2,300	90.4 ×
25.	चण्डीगढ़	1,750	77 5	1,750	5.4 × ×
26.	दादर और नागर हवेली	600	70.0	600	78.0
27.	दिल्ली	15,000	104.0	15,000	124.1
28.	गोवा, दमन और द्वीव	4,900	47.3	4,900	41.0 ×
29.	लक्षद्वीव	250	10.0	250	11.2 ×
30.	मिजोरम	1,200	149.6	1,200	134.4 × ×
31.	पांडिचेरी	2,350	178.4	2,350	189.1
32.	रक्षा मन्त्रालय	15,000	144.7	15 000	129.2 × × ×
33.	रेल मन्त्रालय	26,000	47 9	26,000	55.2
	अखिल भारत	2,895,900	70.0	2,895,900	80.3

× अनन्तिम

× दिसम्बर, 81 तक

× × नवम्बर, 81 तक

× × × अक्तूबर, 81 तक

नागालैंड के लिए कोई लक्ष्य नहीं है।

यात्री यातायाता से आय

4076. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में यात्री यातायात से कुल कितनी आय हुई;

(ख) उस वर्ष यात्री यातायात पर कितनी राज-सहायता दी गई; और

(ग) भाड़े यातायात से कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई और इस पर कितनी राज-सहायता दी गई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1981-82 के दौरान यात्री यातायात से कुल 983.97 करोड़ रुपये की आमदनी होने की प्रत्याशा है।

(घ) यातायात के किसी प्रवाह के लिए आर्थिक सहायता का तात्पर्य इसके परिचालन में हुई हानि से है। कोचिंग सेवाओं अर्थात, यात्री और पार्सल दोगों सेनाओं के परिचालन पर 1981-82 के दौरान 416.09 करोड़ रुपये की हानि होने की प्रत्याशा है। यात्री यातायात के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1981-82 के लिए माल यातायात से कुल 2357.77 करोड़ रुपये की आमदनी होने की प्रत्याशा है। समग्र रूप में माल यातायात के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं है। तथापि कम दर के पण्यों के लिए माल सेवाओं पर 119.12 करोड़ रुपये की हानि होने की आशा है।

इंडियन रेडक्रास सोसाइटी द्वारा कपड़े की बिक्री

4077. **श्री निहाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन रेडक्रास की दिल्ली ब्रांच प्रत्येक महीने के पहले शनिवार को उस कपड़े की बिक्री करती है जो उसे विदेशों से उपहार के रूप में प्राप्त होता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि यह कपड़ा उसे गरीब लोगों को मुफ्त बांटने के लिए प्राप्त होता है; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य का कपड़ा बेचा गया और इस धनराशि को किस प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना और उस पर खर्च

4078. **श्री निहाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए; और

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान कितने अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएंगे और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) सम्भवतः यह संदर्भ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से है। स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कार्य राज्य सेक्टर में आता है। 1-4-1980 को उत्तर प्रदेश में 907 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे : राज्य सरकार के अनुसार 1980-81 के दौरान दस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं तथा 1981-82 के दौरान 32 खोले जाने की सम्भावना है। योजना आयोग ने नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए व्यय के निम्नलिखित मानदण्ड मंजूर किये हैं;

(क) भवन निर्माण — 4 लाख रुपये
(ख) उपकरण और फर्नीचर — 50,000 रुपये
(ग) आवर्ती व्यय — 1.5 लाख रुपये ।

सब-स्टैन्डर्ड पेनिसिलीन आंख-मरहम का पकड़ा जाना

4079. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार ने हाल में कुछ सब-स्टेण्डर्ड पैनिसिलीन आँख-मरहम पकड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस मरहम की सप्लाई करने में दोषी पाई गई फर्मों के और उनके कर्मचारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उपरोक्त उस फर्म की शाखा का नाम क्या है जो इस मरहम का निर्माण करती है और बाजार में कितनी मात्रा में सप्लाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) इस मन्त्रालय को घटिया पेनिसिलीन आइ अ.इंटमेंट के स्टाक पकड़े जाने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

धनबाद-मुजाफरी और चन्द्रपुरा और मुजाफरी के बीच यात्री गाड़ियों में टिकटों की बिक्री

4080. **श्री ए. के. राय** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनवाद-मुजाफरी यात्री गाड़ी और चन्द्रपुरा तथा मुजाफरी के बीच जनवरी, 1982 में प्रतिदिन औसत टिकट बिक्री कितनी थी,

(ख) क्या यह सच है कि चन्द्रापुरा और मुजाफरी के बीच टिकटों की बिक्री गाड द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी की तुलना में कम है,

(ग) क्या गाड़ी को चन्द्रपुरा में दो भागों-एक मुजाफरी और दूसरा बरमो पुशरा में बंटना संभव है ताकि दोनों क्षेत्रों और साथ-साथ रेल को लाभ हो सके,

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अनेक सामाजिक संगठनों से पहले ही मांग की जा चुकी है, और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चूंकि टिकटों की बिक्री के आँकड़े गाड़ीवार नहीं रखे जाते इसलिए सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) से (घ) चन्द्रपुरा में $\frac{1}{2}$ डी सी. बी. और 3/4 डी· सी. बी. धनबाद स्थानीय गाड़ियों को द्विशाखित करने की व्यवहार्यता की जाँच की गयी है लेकिन चन्द्रपुरा और बेरनों में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण उसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

आसनसौल वाराणसी पैसेन्जर गाड़ी के साथ लगने वाले डिब्बों की संख्या

4081. **श्री ए. के. राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसौल वाराणसी पैसेन्जर 129 अप गाड़ी में कितने डिब्बे लगने चाहिये और फरवरी 1982 में उसमें कितने डिब्बे जोड़े गये तथा तिथिवार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में भारी भीड़ के कारण दुर्घटना हुई थी जिसके कारण यात्री हताहत हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 129 अप आसनसौल-वाराणसी सवारी गाड़ी में डिब्बों की निर्धारित संख्या 13 है। फरवरी, 1982 के दौरान 129 अप गाड़ी 9 दिन 8 डिब्बों, 8 दिन 9 डिब्बों, 2 दिन 10 डिब्बों, 3 दिन 11 डिब्बों, 4 दिन 12 डिब्बों और 2 दिन 13 डिब्बों के साथ चली।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवारी डिब्बों की अत्यधिक कमी के कारण, यह गाड़ी कम डिब्बों के साथ चल रही है, लेकिन सवारी डिब्बों की उपलब्धता में सुधार हो जाने पर इसे निर्धारित डिब्बों के साथ चलाया जायेगा।

धनबाद-मुजाफरी और धनबाद-चन्द्रपुर सवारी गाड़ियों में मूल सुविधाएं प्रदान करना

4082. **श्री ए. के. राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे की धनवाद मुजाफरी और धनबाद चन्द्रपुर सवारी गाड़ियों में कुल कितने लाइट-कनेक्शन, पंखे और पानी की टूटियां लगी हुई हैं तथा उनमें से दिनांक 1 मार्च 1982 को वास्तव में कितनी विद्यमान थी और चालू हालत में थीं,

(ख) वर्ष 1981 में उनमें से कितने बदले गये और कितनों की मरम्मत की गई तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई,

(ग) क्या गत छः महीनों में यात्रियों को दी जाने वाली मूल सुविधाओं में कोई सुधार हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

	बत्ती के लिए लगाये गये कुल प्वाइन्टों की संख्या	627
	पंखों के लिए लगाये गये कुल प्वाइन्टों की संख्या	335
	कुल बत्तियां मौजूद/चालू	533
	कुल पंखे मौजूद/चालू	271
	कुल टोटियां मौजूद/चालू	124/120
(ख)	1981 में मरम्मत किये गये बदले गये लैम्प	3660
	पंखा आर्मेचर	6
	पंखे	12
	केजगार्डस	50
	टोटियाँ	1380
	बदले जाने वाले सामान की लागत	13311 रु०
	गाड़ी बत्तियों के सामान के लिए टोटियों के लिए	13000
		26311 रु०

(ग) और (घ) गाड़ी वालियों के सामान की बडे पैमाने पर लगातार चोरी होने तथा इन गाड़यों में गुंडागर्दी होने से कभी-कभी यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। अत: इन मूल सुविधाओं में सुधार बाने के लिए किये गये प्रयास को शरारती तत्वों द्वारा अन्शत: निष्फल कर दिया जाता है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए, यह विनिश्चय किया गया है कि इन सेवाओं के लिए 2 रेकों में गाड़ी में बत्ती की प्रणाली को मिड आन जेनरेटिंग प्रणाली में बदल दिया जाये। उस प्रणाली से गुन्डागर्दी और चोरियों की अश्रय नहीं मिल पाता और इससे सुधार होने की सम्भावना है।

उड़ीसा में दक्षिणपूर्व रेलवे के रेल सेवा आयोग का कार्यालय

4083. **श्री के. प्रधानी :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल सेवा आयोग का कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित करने का विचार है, और

(ग) उड़ीसा राज्य में ऐसे कार्यालय के स्थान का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर में एक रेल सेवा आयोग की स्थापना करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस प्रस्ताव पर शीघ्र ही कोई निर्णय लेने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

दिल्ली फार्मेसी परिषद द्वारा पंजीकृत फार्मासिस्ट और कैमिस्ट

4084. **श्री निहाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और** परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली फार्मेसी परिषद् द्वारा वर्ष 1978 से 1981 के दौरान पंजीकृत फार्मासिस्टों और केमिस्टों की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि फार्मेसी परिषद् ने अपने राजपत्र में पंजीकृत व्यक्तियों का क्रमांक दिया है जब कि उसमें उसके नाम और पते दिये जाने थे और क्या यह सच है कि लखनऊ फार्मेसी परिषद के पंजीकरण का नवीकरण किया गया है जबकि बंगाल फार्मेसी परिषद के पंजीकरण का नवीकरण नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने पहले ही वर्ष 1974 में फार्मासिस्टों के नए पंजीकरण बंद करने के आदेश दिये हैं और यदि हां, तो परिषद् रजिस्ट्रार द्वारा नए पंजीकरण करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने फार्मेसी परिषद् दिल्ली के क्रियाकलापों की जांच की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) दिल्ली फार्मेसी परिषद द्वारा कोई राजपत्र प्रकाशित नहीं किया जाता है। यह परिषद्, फार्मेसी अधिनियम की धारा 29(3) के अन्तर्गत फार्मासिस्टों का एक रजिस्टर रखती

है जिसमें रजिस्टर किए गए फार्मासिस्टों के नाम, अर्हताएं और पते होते हैं। अधिनियम की धारा 32 (1) (ख) के अधीन, पश्चिम बंगाल फार्मेसी परिषद को छोड़कर उत्तर प्रदेश फार्मेसी परिषद और अन्य राज्य परिषदों के सदस्यों का पंजीकरण पारस्परिक आधार पर किया जाता है। परिषद के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल के सदस्यों का पजीकरण इस परिषद द्वारा ऐसे पंजीकरण के आवेदनों का सत्यापन हो जाने तक रोक दिया गया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

फार्मेसी अधिनियम, 1948 के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत दिल्ली फार्मेसी परिषद ने 1978 से 1981 के दौरान निम्नलिखित फार्मासिस्टों को पंजीकृत किया :—

1978	446
1979	368
1980	200
1981	220

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना में क्षात्रों का शामिल होना

4985. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित कराए जाने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना में शामिल होने के लिए केवल बड़ी सख्या में शहरी छात्र सक्षम होते हैं;

(ख) क्या ग्रामीण छात्रों के पास सामान्यत: परीक्षा के लिए केन्द्रों तक पहुंचने के लिए साधन नहीं होते;

(ग) यदि हाँ, तो क्या राट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में इस तरह के केन्द्र खोलेगी ताकि इस प्रकार के क्षेत्रों के मेधावी छात्र लाभान्वित हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में इस तरह के कितने केन्द्र स्थापित किए जायेंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)। (क) से (घ) राज्य शैक्षिक प्राधिकारियों के परामर्श से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्र-वृत्तियों के लिए परीक्षाओं के संचालनार्थ केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। सामान्यत: प्रत्येक जिले के मुख्यालय में कम से कम एक केन्द्र होता है।

ऐसा अनुभव किया गया है कि इस योजना से अधिक शहरी छात्रों को लाभ पहुंचेगा। तथापि, उपलब्ध सूचना से यह पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी परीक्षा में बैठते हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की योजना को विकेन्द्रित करने का एक प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विचाराधीन है।

इस प्रस्ताव के अनुसार प्रथम स्तर का चयन राज्य स्तर पर किया जाएगा ताकि राज्य सरकारें चयन पद्धति में अधिकाधिक भाग लें। यह आशा की जाती है कि इससे प्रतिभा का

व्यापक रूप से पता लगाने में सहायता मिलेगी तथा अन्तिम चयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के छात्र अधिक संख्या में आएंगे।

श्रमिकों की समस्याएं

4086. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के नाम परिपत्र जारी किया है जिसके अधीन रेल कर्मचारियों के पंजीकृत कार्य सगठनों को श्रमिकों की समस्यायें रेलवे अधिकारियों की जानकारी में लाने के निर्दिद कर दिया है, और यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इस सम्बन्ध में जारी किये गये परिपत्र में उल्लिखित बातों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) क्या रेल कर्मचारियों के पंजीकृत श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों की कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में सक्षम अधिकारियों को सूचित करने के अवसर दिये जाते हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्रीमल्लिका अर्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसे संगठनों के साथ कोई पत्र-व्यवहार अथवा वार्ता नहीं की जाती जो रेल प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम को दुर्घटनाओं के कारण हुई हानि

4087. **श्री हीरालाल आर. परमार** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन निगम को बसों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी हानि उठानी पड़ी;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम की बसों को दुर्घटनाओं में ग्रस्त होने से हुई हानि का ब्यौरा दिया गया है :—

(लाख रुपये)

वर्ष	क्षति की लागत
1979-80	8.53
1980-81	16.11
1981 82	11.68
(दिसम्बर 1981 तक)	36.32

परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए उपसमिति की नियुक्ति।

4088. **श्री वी. वी. देसाई** : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की

प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त उपसमिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों ने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और बहुत से अन्य राज्य इन लक्ष्यों से पीछे हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो कौन-कौन से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और कौन से राज्य लक्ष्यों से पीछे रह रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि समग्र कार्य-निष्पादन से पता चला है कि केन्द्रीय सकार और राज्य सरकारों द्वारा अब तक 70 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं; और

(ङ) इस उप समिति के कृत्य क्या हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) गर्भरोधक के विभिन्न तरीकों तथा जच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—3682/82]**

(घ) अप्रैल, 1981 जनवरी, 1982 के दौरान नसबंदी आपरेशनों तथा लूप निवेशनों की उपलब्धि इस अवधि के आनुपातिक लक्ष्यों के 80 प्रतिशत से अधिक है। प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकताओं के बारे में दिसम्बर, 1981 तक आनुपातिक लक्ष्यों की उपलब्धि 76.4 प्रतिशत है। दिसम्बर, 1981 तक गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, बच्चों का डी. टी. से प्रतिरक्षण, बच्चों का अपोषणज अरक्तता से बचाव की उपलब्धि आनुपातिक लक्ष्यों के 70% से अधिक है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

रेल की पटरी का बदला जाना

4089. **श्री आर. पी. सारगी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चक्रधरपुर रेलवे हास्पीटल आफिसर्स क्लब में रंग व धुलाई आदि का कार्य तथा चक्रधरपुर स्थित पुरानी रेल पटरी को बदलने का कार्य दक्षिण पूर्व रेलवे के. पी. डब्ल्यू. आई. विभाग द्वारा बिना निविदाएं आमन्त्रित किए एक पार्टी को दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो किस अधिकारी ने बिना निविदाएं आमंत्रित किए ये कार्य सौंपे तथा किन-किन पार्टियों को यह सौंपा गया, और

(ग) यदि कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी तो इसकी तारीख क्या है और किन-किन पार्टियों ने निविदाओं में भाग लिया और उनमें से प्रत्येक ने क्या दरें दी थी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चक्रधरपुर में रेलवे अस्पताल और आफिर्सस क्लब की रंगाई, सफेदी और डिस्टेम्पर तथा चक्रधरपुर वार्ड में रेल-पथ परिपथन के लिए वर्तमान धातु स्लीपरों और धातु क्रांसिग स्लीपरों के बदले लकड़ी के स्लीपरों की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय ठेकेदारों से कोटेशन मांगे गये थे।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है, **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3683/82]**

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये भारतीय राष्ट्रिकों की पीछे छूट गई सम्पत्तियां

4090. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि बांगला देश सरकार ने (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये) भारतीय राष्ट्रकों द्वारा पीछे छोड़ी गई सभी सम्पतियों को वर्ष 1974 के नियम संख्या 45 जिसे बांग्ला देश सरकार ने पाकिस्तान अध्यादेश संख्या एक के अधिलंधन में जारी किया था तथा जिसके बाद तथाकथित छिपाई हुई सम्पत्तियों का पता लगाने हेतु तहसीदारों/ बांगलादेश के राष्ट्रकों को मई 1971 में अनुवर्ती निदेश जारी किए थे के अधीन जब्त कर लिया है और उसने बांग्लादेश सरकार नेहरू-सियाकत संधि की पूरी तरह अपेक्षा करते हुए, उन सम्पत्तियों को, उनके वास्तविक स्वामियों (भारतीयों) को कोई मुआवजा दिए बिना ही उनके पट्टे बांग्लादेश के राष्ट्रिकों को जारी कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस प्रश्न पर बांग्लादेश सरकार से बात-चीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ।

विदेश मन्त्री (श्री पी. वे. नरसिंह राव) : (क) बंगलादेश सरकार ने शत्र सम्पत्ति (आपात् उपबन्धनों) का बने रहना (निरसन) अधिनियम, 1974 अधिनियमित किया है जिसमें 1969 के अध्यादेश संख्या । को 23 मार्च, 1974 से निरसिति किए जाने की, जब से यह नया अधिनियम लागू माना गया, और शत्रु-सम्पति अभिरक्ष को निहित की सारी शत्रु सम्पत्ति बंगलादेश सरकार को निहित किए जाने की व्यवस्था है । बंगलादेश भूमि प्रशासन और सुधार मंत्री ने 21 अप्रैल, 1981 को एक प्रश्न के उत्तर में बंगलादेश संसद में बताया था कि 841,92.44 एकड़ भूमि और 21926 मकान इस समय बंगला देश में निहित की गई सम्पत्ति के रूप में दर्ज हैं । ऐसा समझा जाता है कि बंगलादेश के प्राधिकारी प्रतिपूर्ति के प्रश्न को सुलझाए बिना ही, निहित सम्पत्ति पर कब्जा कर रहे हैं और उसे पटटे पर दे रहे हैं । भारत सरकार के पास उस बारे में कोई सही जानकारी नहीं है कि बंगलादेश सरकार द्वारा कब्जे में ली गई इस सम्पति का अनुपात क्या है अथवा बंगला देश के राष्ट्रिकों को पट्टे पर दी गई सम्पत्ति की संख्या क्या है और न ही उसे बंगला देश सरकार द्वारा मई 1977 में जारी किए गये अनुवर्ती अनुदेशों की पूरी जानकारी है । अखबारों में छपी खबरों से हमें पता चला है कि बंगलादेश में शत्रु सम्पत्ति अधिनियम विरोध समिति ने यह सम्पति उन कानूनी मालिकों को लौटा देने की माँग की है जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बेदखल कर दिया गया था । 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन भूत पूर्व पूर्वी पाकिस्तान के प्रयासी जो सम्पत्ति या सम्पत्ति अधिकार वे पीछे छोड़ आए हैं उन्हें बेच सकते हैं, उसका विनिमय कर सकते हैं या जैसे वे चाहें उसे निपटा सकते हैं ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने बंगलादेश में भारतीय राष्ट्रिकों को अपनी सम्पत्ति रखने का अधिकार न देने का, और उनकी सम्पत्ति बंगलादेश में सीधे अन्य व्यक्तियों को दिये जाने का और उन्होंने अपने पीछे जो बंगलादेशी सम्बन्धी छोडे थे उनको इस सम्पत्ति से बेदखल किए जाने का भी मामला उच्चतम स्तर पर उठाया है । बंगलादेश सरकार ने यह संकेत दिया

है कि जो विशिष्ट मामले उसके ध्यान में लाएंगे उन पर वह विचार करेगी। भारत सरकार इस मामले की निरन्तर समीक्षा कर रही है।

दिल्ली में सेवा नगर पुल दुर्घटना की जांच

4091. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 9 दिसम्बर 1981 से दिल्ली में सेवा नगर पुल-दुर्घटना के संबंध में कोई जांच आरंभ की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जांच समिति ने यदि कोई निष्कर्ष निकाले हैं तो उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि कोई जांच समिति नहीं नियुक्त की है तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और निवारक उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

(घ) मुख्य इन्जीनियर (निर्माण) को हिदायतें दी गयी सभी अस्थाई निर्माण-कार्य मजबूरी से और कार्यकुशल ढग से कराये जायें और इस बात को सुनिश्चत करने के लिए सभी प्रकार से सावधानी बरती जाये कि भविष्य में अन्य स्पैनों में सेंटरिंग/शटरिंग ढहने न पाये।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन देना

4092. **श्री रामलाल राही** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असहाय विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन अथवा रोजगार देने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई नई नीति बनाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में असहाय विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन देने के लिये सरकार ने कितने मामलों में निर्णय लिया है और इस बारे में ब्यौरा दया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) (क) से (ग) असहाय विधवाओं को रोजगार या पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। हालांकि 20 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रदेश निश्चित संवर्गों के व्यक्तियों, जिसमें विधवाएं भी सम्मिलित हैं, को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान कर रहें हैं। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लाभान्वितों की संख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

1979-80 के दौरान कुछ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लाभान्वितों के बारे में उपलब्ध जानकारी नीचे दिए गये अनुसार है :—

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	लाभान्वितों की संख्या
1. बिहार	34,365
2. हरियाणा	10,116
3. हिमाचल प्रदेश	24,695
4. गुजरात	11,074
5. गोवा, दमन और दीव	2,500
6. कर्नाटक	3,07.454
7. केरल	1,34,600 (1978-79)
8. मिजोरम	200
9. उड़ीसा	51,227
10. पजाब	89,312
11. तमिलनाडु	1,00,071
12. उत्तर प्रदेश	30,246
13. पश्चिम बंगाल	28,000

हाजीपुर स्टेशन पर आरक्षण सुविधाएं

4093. **श्री राम विलास पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाजीपुर स्टेषन पर जिन रेलगाडियों के लिए आरक्षण सुविधा उपलब्ध है उनका ब्यौरा क्या है, और

(ख) सरकार शेष रेल गाड़ियों के लिए आरक्षण सुविधा कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हाजीपुर रेलवे स्टेशन को 2 डाऊन ए. टी. मेल, 16 डाउन वाराणसी गुवाहाटी एक्सप्रेस, 191 अप सोनभद्र एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे की 2-2 शायिकाओं का और 78 डाउन पटना एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे की 6 शायिकाओं का कोटा आबंटित किया गया है। माँग, यातायात और उपायोग के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए वर्तमान कोटा उपयुक्त समझा जाता है।

वाराणसी आसनसोल यात्री गाड़ी में चौदह डिब्बों का लगाया जाना।

4094. **श्री राम बिलास पासवान :**

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी आसनसोल यात्री गाड़ी पूर्व रेलवे में ग्रांड कोर्ड

रेलवे लाइन पर गया और धनबाद के बीच आने वाले छोटे स्टेशनों के यात्रियों के लिये 24 घंटों में केवल एक ही गाड़ी

(ख) क्या यह सच है कि पहले इस गाड़ी में यात्रियों के लिए 14 डिब्बे लगाये जाते थे जबकि अब केवल 6-7 डिब्बे लगाये जाते हैं।

(ग) क्या यह भी सच है कि गया-धनबाद लाईन के दोनों ओर मोटर चलने लायक सड़क नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप इस लाइन के दोनों ओर के छोटे स्टेशनों के यात्रियों को बहुत कठिनाइयाँ होती हैं और दुर्घटनाएं नियमित रूप से होती रहती हैं,

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस गाड़ी में पुनः 14 डिब्बे लगाने और एक नई यात्री गाडी चलाने का है,

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (च) 129/ 30 आसनसोल- वाराणसी सवारी गाड़ी में डिब्बों की निर्धारित संख्या 13 है। सवारी डिब्बों की कमी के कारण, यह गाड़ी कम सवारी डिब्बों के साथ चल रही है। सवारी डिब्बों की उपलब्धता में सुधार हो जाने पर, इस गाड़ी को निर्धारित डिब्बों के साथ चलाया जायेगा। धनबाद तथा गया के बीच सीधी सडक नहीं है, लेकिन गाड़ी दुर्घटनाएं इस कारण से नहीं होतीं। सवारी डिब्बों की कमी तथा मार्गवर्ती खड पर लाइन क्षमता की कमी के कारण, कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

मोतिया बिन्द का आप्रेशन करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ

4095. **श्रीतारिक अनवर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ऐसा कोई वरिष्ठ क्षेत्र विशेषज्ञ है, जिसका मोतियाबिन्द का आपरेशन हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है तथा क्या उसने इस सम्बन्ध में सरकार को सूचित किया है;

(ग) क्या उसके बारे में इस नेत्र विशेषज्ञों के समक्ष बोर्ड द्वारा इस आशय की कोई परवर्ती जांच की गई है कि वह नेत्र का आपरेशन करने के योग्य है,

(घ) यदि नहीं; तो रोगी के नेत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस उपाय का पालन किया जाना आवश्यक न समझे जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) यदि नेत्र विशेषज्ञों के बोर्ड ने आंख की नाजुक शल्य चिकित्सा करने के सम्बन्ध में उसके स्वाभाविक दृष्टि की जाँच कर ली है, उनकी रिपोर्ट क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में एक वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ कार्य कर रहा है।

व्यक्तिगत आवश्यक कारणों से उन्हें छुट्टी मंजूर की गई थी जिसके दौरान उन्होंने अपनी आंख के मोतियाबिन्द का आपरेशन कराया था।

(ग) से (ङ) वह अधिकारी आपरेशन करने के योग्य है इसकी पुष्टि करने के लिए सउकी आगे चिकित्सीय परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। इस अधिकारी द्वारा किए गए किसी आपरेशन के असफल होने की सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है।

दिल्ली परिवहन निगम की पंचवर्षीय योजना

4096. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की पंचवर्षीय योजना वर्ष 1980-85 का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह योजना कब तैयार की गई थी और इस के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) अप्रैल 1980 से मार्च, 1985 तक की अवधि के लिए दिल्ली परिवहन निगम की छठी पचवर्षीय योजना में 68 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का अनुमोदन और 1600 बसों को खरीदने, ओखला में एक दूसरे केन्द्रीय वर्कशाप की स्थापना करने, अनुरक्षण डिपुओं के सम्बद्ध आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था और यात्रियों के लिए सुविधा जैसे रोड़ आदि। योजना में इलैक्ट्रिक ट्रौली बसों की नई स्कीम को शुरू करने की व्यवस्था की गई है योजना की स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए 921 बस चेसिस खरीदी गई हैं और 96 बसों को छोड़ कर बाकी बसों की बाडी बिलिडिंग का काम पूरा हो गया है। 96 बसों के मामले में बाडी बिल्डिंग का काम कुछ ही दिनों में पूरा हो जायेगा। दूसरे वर्कशाप का काम चल रहा है और यह 4-5 महीने में चालू हो जायेगा। इस अवधि के दौरान डीपो की संख्या 21 से 23 हो गई है और 5 डीपों के लिए जमीन ले ली गई है। इस अवधि के दौरान 190 बस शेल्टर का निर्माण किया गया है। करीब और 201 पूरा होने वाला है।

ओखला में दूसरी केन्द्रीय वर्कशाप

4097. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला में दूसरी केन्द्रीय वर्कशाप पर निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ था;

(ख) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या प्रगति योजनानुसार चल रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) किंग्जवे कैम्प स्थिति वर्तमान वर्कशाप में सुधार करने के मामले में क्या प्रगति हुई है;

(च) क्या बाहरी ठेकेदारों से बचने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों की बोडी बनाने का कार्य भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नोवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) नवम्बर, 1980

(ख) लगभग 60 प्रतिशत काम हुआ है।

(ग) और (घ) सीमेंट की कमी तथा अपेक्षित किस्म का स्ट्रवचरल स्टील न मिलने और तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण काम की गति जरा धीमी रही।

(ङ) से (छ) मौजूदा वर्कशाप में, जिसकी आधारभूत निर्माण क्षमता 1200 बसों के लिए है, अब उसकी क्षमता से अधिक काम पड़ा है। इसके ढ़ाचे में परिवर्तन करना तभी संभव होगा जब केन्द्रीय दूसरी वर्कशाप का निर्माण पूरा हो जाये और जो काम मौजूदा वर्कशाप में हो रहा है, उसमें से कुछ काम वहाँ चला जाए। यह योजना बनाई गई है कि दूसरी वर्कशाप में, दो टायर वाली पद्धति पर सभी डिपुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की गाड़ियों को ओवर हालिंग करने का काम होगा और चैसियों के नवीकरण और गाड़ियों की मरम्मत आदि का काम मौजूदा वर्कशाप में ही होगा। इस तरह की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं कि दिल्ली परिवहन निगम अपने मौजूदा परिसर में बस-बाड़ियों का निर्माण शुरू करे ताकि बाहरी ठेकेदारों द्वारा बस-बाड़ियों के फैब्रिकेशन करवाये जाने की नौबत न आए।

सुपर-फास्ट गाड़ियों में स्थानीय यात्रियों के चढ़ने से उक्त गाड़ियों के यात्रियों को होने वाली असुविधा

4098. **श्री तारिक अनवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा, पटना, जमशेदपुर, गया आदि स्थानों को जाने वाले लम्बी दूरी के यात्रियों को दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर शाम को चलने वाली सुफर फास्ट और फास्ट रेल गाड़ियों के 'थ्री' 'टायर', और 'टू टायर' सवारी डिब्बों में चढ़ने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि बड़ी संख्या में स्थानीय तथा विशेष कर अलीगढ़ के यात्री प्रतिदि नइन रेल गाड़ियों में यात्रा करते हैं; और

(ख) क्या रेलवे का विचार सुबह और शाम को टूंडला तक की लोकल एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू करने का तथा 191 अप और 192 डाऊन सोनभद्र एक्सप्रेस, 167 अप और 168 डाऊन बिक्रमशिला एक्सप्रेस, 153 अप और 154 डाउन जयन्ती जनता एक्सप्रेस और 81 अप और 82 डाउन, 103 अप और 104 डाउन, ए. सी. डीलक्स एक्सप्रेस तथा 175 अप और 176 डाउन नीलांचल एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों में कम से कम 300 किलोमीटर तक की यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश के मामलों की रिपोर्ट मिली है। आरक्षित डिब्बों में ड्यूटी करने वाले चल टिकट परीक्षकों और डिब्बा परिचरों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे इन डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकें लेकिन, कभी-कभी अनियंत्रतित यात्रियों पर काबू

पाना कर्मचारियों के लिए कठिन हो जाता है। समय-समय पर रेलवे मजिस्ट्रेटों सहित बड़ी संख्या में चल टिकट परीक्षकों रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के कार्मिकों को तैनात करके, गहन अचानक जांच की जाती है और आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले अनधिकृत यात्रियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाई की जाती है। रेल कर्मचारियों द्वारा जानबूझ कर की गई लापरवाही के मामलों को गम्भीर माना जाता है और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ख) अपेक्षित संसाधनों के अभाव में, फिलहाल अतिरिक्त गाड़ियां चलाना सम्भव नहीं है।

लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेल प्रशासनों द्वारा डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में उपलब्ध स्थान के उपयोग तथा थोड़ी दूरी के यात्रियों के लिए अन्य गाड़ियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर कुछ डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं।

बड़ी शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों से अनुचित पैसा लिया जाना

4099. **श्री तारिक अनवर : क्या शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत सी शिक्षा संस्थाएं पजीकरण फार्म के नाम पर प्रवेश लेने के लिए छात्रों से तथा रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों से पोस्टल आर्डर के रूप में अथवा आवेदन पत्र के फार्म की लागत के रूप में पैसे लेकर काफी पैसा बना रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इसको रोकने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)। (क) और (क) विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत डाक्टरों की आवश्यक अर्हतायें

4100. **श्री के. लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में सभी चिकित्सा पद्धतियों के कितने डाक्टर नियुक्त किए गए हैं और उनके पास प्रत्येक पद्धति में न्यूनतम आवश्यक डिपलोमा डिगरी क्या हैं;

(ख) बिना किसी अनुभव वाले लिए गए डाक्टरों की श्रेणियां क्या-क्या हैं और वे श्रेणियां कौन-सी हैं जिनमें पांच वर्ष के अनुभव को अर्हता निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धतियों में डाक्टरों की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता भिन्न-भिन्न हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं; और क्या सरकार का विचार एकरूपता के लिये उसको समान बनाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क)

	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
इलोपैथिक	3041	1089
आयुर्वेदिक	—	102
होम्योपैथिक	—	77
यूनानी	—	6

प्रत्येक पद्धति की न्यूनतम अनिवार्य डिप्लोमा/डिग्री अर्हता सन्लग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) अपेक्षित अनुभव न रखने वाले किसी भी पद्धति के किसी फिजीशियन को नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद्धति के डाक्टरों की नियुक्ति के लिए अर्हतायें भिन्न भिन्न होना जरूरी है।

चिकित्सा परिषद्, अधिनियम 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची के भाग ii में तथा उसकी तीसरी अनुसूची में मान्यता प्राप्त हो और प्रशिक्षण कोर्स की अवधि चार वर्ष या उससे अधिक हो।

विवरण

क्रम सं.	एलोपैथिक पद्धति के डाक्टर		अनिवार्य अर्हतायें
1.	जी. डी. एम. ओ. ग्रेड 2-1429		-एम. बी. बी. एस.
2.	जी. डी. एम. ओ. ग्रेड.-1-858		जी. डी. एम. ओ. ग्रेडII में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी जो. डी. एम. ओ. ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं। यह पदोन्नति शत प्रतिशत खाली पदों की उपलब्धता पर निर्भर होती है।
3.	सुपरटाइम ग्रेड-II	-167	इन रिक्तियों में से 50 प्रतिशत रिक्तियां जी. डी. एम. ओ. ग्रेड-I में कम से कम दस वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारियों और विशेषज्ञ ग्रेड में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारियों से 2:3 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। ये

1	2	3	4
3.			पदोन्नतियां सम्बन्धित अधिकारियों की योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाती हैं। शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां नियमानुसार सीधी भरती द्वारा भरी जाती हैं।
4.	सुपरटाइम ग्रेड-I	-37	ये रिक्तियां शत प्रतिशत आधार पर सुपर टाइम ग्रेड-2 में कम से कम छः वर्ष की सेवा वाले तथा इस पद के लिए अपेक्षित अर्हतायें और अनुभव रखने वाले अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं। यदि सेवा में कोई पात्र अधिकारी उपलब्ध न हो तो ये पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती द्वारा या प्रतिनियुक्त द्वारा भरे जाते हैं।
	आयुर्वेदिक फिजीशियन		
(1)	वरिष्ठ आयुर्वेदिक फिजीशियन		एक भारतीय चिकित्सा पद्धति के किसी विश्वविद्यालय/सांविधिक राज्य बोर्ड परिषद संकाय से आयुर्वेद में डिग्री या डिप्लोमा।
(2)	चिकित्सा अधिकारी—सह—एक—अधीक्षक		—तदैव—
(3)	आयुर्वेदिक फिजीशियन	65 –	—तदैव—
	होम्योपैथिक फिजीशियन		
(1)	वरिष्ठ होम्योपैथिक फिजीशियन—एक—		केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम 1973 की दूसरी अनुसूची में शामिल कोई डिग्री या डिप्लोमा जो कम से कम चार वर्ष का हो और होम्योपैथी की किसी राज्य पंजी या केन्द्रीय पंजी में पंजीकरण।
(2)	होम्योपैथिक फिजीशियन—52—		वरिष्ठ होम्योपैथिक फिजीशियन के पद वाली अर्हतायें।

1	2	3	4
	यूनानी फिजीशियन		
(1)	यूनानी फिजिशियन	—4—	भारतीय चिकित्सा पद्धति के किसी विश्वविद्यालय या सांविधिक राज्य बोर्ड/परिषद/संकाय/परीक्षा निकाय से यूनानी तिब्बत में डिग्री या डिप्लोमा जो केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1970 (1970 क 48) की दूसरी और तीसरी अनुसूची के भाग दो में मान्यता प्राप्त है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 4 वर्ष और उससे अधिक है।

उत्तर रेलवे में पेंशन के लम्बित मामले

4101. **श्री के लकप्पा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी, उत्तर रेलवे के पास 10 फरवरी, 1982 के दिन पेंशन तथा क्लेम के कुल कितने मामले अन्तिम निर्णय के लिए लम्बित थे;

(ख) इन का निपटान अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों का निपटान कब तक किया जायेगा ?

रेल मत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 10.2 1982 को 6 मामले बकाया थे, जिनमें 3 पेंशन तथा 3 दावे के मामले थे।

(ख) कार्यकारी कार्यालयों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता के कारण।

(ग) छः मामलों में से पांच को निपटाया जा चुका है। मात्र शेष मामले के सम्बन्ध में सेवा के ब्यौरों से सेवा की निरन्तरता स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं होती, इसलिए इस मामले की पुनः जांच की जा रही है।

हाट बाक्स की जांच न करने के कारण रेल दुर्घटनाएं

4102. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष बार हाट-बाक्स के कारण माल गाड़ियों और सवारी गाड़ियों की कितनी-कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, और

(ख) क्या यह सच है कि यदि बीच के स्टेशनों पर 'हाट-बाक्स' की जांच कर ली जाती तो ये दुर्घटनाएं टल सकती थीं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान हाट बाक्स के कारण हुई गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दिखाई गयी है :

वर्ष	सवारी गाड़ियाँ	माल गाड़िया	जोड़
1979-80	—	25	25
1980-81	1	45	46
1981-82 (जनवरी तक)	—	39	39

(ख) गाड़ी परीक्षण उपयुक्त समय अन्तराल पर किया जाता है। इसके अलावा, स्टेशनों समपारों आदि पर तैनात कर्मचारियों की स्टेशनों, समपारों से गुजरने वाली सभी सवारी गाड़ियों को ध्यानपूर्वक देखना होता है और यदि कोई हाट एक्सल अथवा कोई अन्य खतरनाक हालत उनके नोटिस में आती है तो वे किसी भी गाड़ी को रोकने के लिए कार्रवाई करते हैं।

गाड़ियों की जाँच के निर्धारित समय में परिवर्तन

4103. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल **मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल तथा यात्री गाड़ियों की जांच के निर्धारित समय में हाल में परिवर्तन किया गया गया है, और

(ख) क्या यह भी सच है कि जांच के निर्धारित समय में कटौती करना टल सकने वाली दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यात्री गाड़ियों की जांच करने के कार्यक्रम में हाल ही में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया गया है।

जहां तक माल गाडियों का सम्बन्ध है, दिसम्बर, 1980 से मार्ग में मध्यवर्ती जांच किये बिना एक छोर से दूसरे छोर तक गाड़ियाँ चलायी जा रही हैं। यह केवल रोलर बियरिंग, सेटर बफर कालर और सलैक एडजस्टर आदि से युक्त विशेष स्टाक वाली गाड़ियों के लिए किया गया हैं। ऐसे विशेष विशिष्टता वाले माल डिब्बों को अलग रेकों में रखा जाता है और ब्लाक रेकों के रूप में चलाया जाता है ताकि हम्प यार्डों आदि से बचाया जा सके और इस प्रकार इन्हें हम्पिंग अथवा लूज शंटिंग के कारण होने वाली क्षति से बचाया जा सके। इन रेकों का सुरक्षित चालन सुनिश्चित करने के लिए रेलों को अनुदेश दिये गये हैं कि सलैक एडजस्टर को बनाये रखें और ब्रेक गियर की सभी कमियों को ठीक करें, सभी गाड़ियों की गहनता से जांच करें और सभी कर्षण परिवर्तन स्टेशनों पर चल रहे धुरा बाक्सों को गर्म बनाये रखें। चालन के दौरान रोलर बियरिंग की खराबियों का पता लगाने के लिए भारतीय रेलों पर लगभग 20 यार्डों में उन रोलर बेयरिंगों या माल डिब्बों की, जिनका निर्धारित निरीक्षण किया जाना है, विशेष जांच भी की गयी है, यह नहीं कहा जा सकता कि परिहार्य हुई दुर्घटनाओं का मुख्य कारण निर्धारित जांच के कार्य में कटौटी करना है।

गत तीन वर्षों के दौरान हुई मालगाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या

4104. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार मालगाड़ियों की कितनी-कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ख) उपरोक्त दुर्घटनाओं के कारण वर्ष-वार कुल कितने घण्टे यातायात बन्द रहा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गाड़ियों की जितनी दुर्घटनाएं हुई उनकी संख्या तथा इन दुर्घटनाओं के कारण जितने घंटे यातायात अवरूद्ध रहा, उसकी संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	मालगाड़ियों की दुर्घटनाओं की संख्या	जितने घंटे यातायात अवरूद्ध रहा
1979-80	570	3589
1980-81	667	4194
1981-82 (जनवरी तक)	639	4434

उत्तर पूर्व रेलवे में चलने वाली गाड़ियों में स्वीकृत संख्या से कम संख्या में डिब्बे लगाया जाना

4105. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व रेलवे के समस्तीपुर-सोनपुर डिवीजन के कटिहार-बी. जे. के. पू. तथा दरभंगा सैक्शनों पर चलने वाली गाड़ियों में सवारी डिब्बों को स्वीकृत संख्या से कम संख्या में डिब्बे लगाये जा रहे हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि भीड़ भाड़ तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं का सरुप कारण यहीं हैं, और

(ग) सरकार इस बात के लिये क्या कदम उठा रही है कि इस सैक्शन पर गाड़ियों में स्वीकृत सख्या में डिब्बे जोड़े जायें ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर मण्डल में कटिहार-बरौनी तथा दरभंगा-समस्मीपुर खण्डों पर कुछ गाड़ियां कम भार सहित चल रही हैं।

(ख) गाड़ियों का कम भार सहित चलना, गाड़ियों में भीड़-भाड़ के कारणों में से एक कारण तो है, लेकिन यह दुर्घटनाओं का कारण नहीं है।

(ग) गाड़ियों को पूरे भार सहित चलाने के लिए यथा शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

पिथौड़ागढ़ में आउट एजेंसी

4106. **श्री हरिश रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ शहर में कोई आउट एजेंसी खोली गयी है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पिथौरागढ़ में एक आउट एजेंसी पहले से ही कार्य कर रही है; जो पार्सल और माल यातायात को सम्हालती है।

लखनऊ-टनकपुर लाइन पर लखनऊ-मैलानी जिम कारबेट गाड़ी को नियमित रूप से चलाया जाना

4107. **श्री हरिश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ-पीलीभीत-टनकपुर लाइन पर यात्रियों की भीड़-भाड़ को देखते हुए सरकार का विचार लखनऊ-टनकपुर लाइन पर लखनऊ जिम कारबेट गाड़ी को नियमित रूप से चलाने का विचार है,

(ख) यदि नहीं, तो पीलीभीत-टनकपुर-पिथौरागढ़ तथा नेपाल के लोगों को यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पीलीभीत-टनकपुर खड पर तीन जोड़ी यात्री गाड़ियाँ चल रही हैं। इनके अलावा, दूसरे दर्जे का एक शयन यान भी प्रतिदिन लखनऊ और टनकपुर के बीच 7/8 नैनीताल एक्सप्रेस और 147/148 यात्री गाड़ी से चल रहा है। गर्मी के मौसम में तथा त्यौहारों के अवसर पर इनके अलावा 25/26 लखनऊ-मैलानी एक्सप्रेस को काठगोदाम तक बढ़ा दिया जाता है जो टनकपुर के यात्रियों की भी आवश्यकताएं पूरी करती है।

मद्रास जम्मू-तवी जनता एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

4108. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जाने वाली मद्रास जम्मू-तवी जनता एक्सप्रेस 6 फरवरी, 1982 को इटारसी-नागपुर सेक्यन के बीच पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितने व्यक्ति घायल हुए और उक्त गाड़ी के पटरी से उत्तर जाने के क्या कारण थे; और

(ग) जनवरी, 1982 से गाड़ियों के पटरी से उतर जाने की कितनी घटनाएं हुई हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह दुर्घटना 7-2-82 को हुई थी।

(ख) इस दुर्घटना में एक व्यक्ति को गहरी चोटें आयीं, इस दुर्घटना के कारण की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य क्षेत्र, बम्बई द्वारा की जा रही है।

(ग) 1-1-82 से 28-2-82 तक की अवधि में सभी रेलों पर गाड़ी के पटरी से उतरने की 139 घटनाएं हुई थी।

पांच रेलवे बोर्ड कर्मचारियों का पैनल

4109. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति/नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से सितम्बर, 1981 में रेलवे बोर्ड के पांच कर्मचारियों का पैनल प्राप्त हुआ था।

(ख) यदि हां तो उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कितने लोगों को अभी तक अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत-नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं,

(घ) क्या यह भी सच है कि गैर-पैनल वाले सामान्य उमीदवार की अनुभाग अधिकारी

के रूप में नियुक्ति करके संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का उल्लंघन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो किन नियमों के अधीन ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पैनल में सम्मिलित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के उम्मीदवारों को अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवारों का बिना पेनल वाले उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापना किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर पर पुल

4110. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दामोदर नदी पर एक रेल-सड़क पुल बनाने के बारे में संसद सदस्यों की ओर से 15 दिसम्बर, 1981 को कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या-क्या मुख्य बातें उठाई गयी हैं; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जिस पत्र का उल्लेख किया गया है वह इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मेझिया के रास्ते बांकुरा से रानीगंज तक बड़े आमान की एक नयी लाइन की योजना के एक भाग के रूप में मेझिया और रानीगंज के बीच दामोदर नदी पर एक पुल का निर्माण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण को, जिसे कुछ वर्ष पूर्व कराया गया था, अब अद्यतन किया जा रहा है। अद्यतन की गयी सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रकाश में इस मामले पर अन्तिम रूप से विचार किया जायेगा बशर्ते कि यह योजना व्यवहारिक और अर्थ-सक्षम हो तथा संसाधन उपलब्ध हों।

छात्रों को दी जाने वाली रेलवे रियायत का दुरुपयोग

4111. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मन्त्रालय वास्तविक छात्रों को दी जाने वाली रेल यात्रा रियायत सुविधाओं का कुछ व्यक्तियों द्वारा जो वास्तव में छात्र नहीं परन्तु दस्तावेजों में हेराफेरी के द्वारा छात्र बन जाते हैं, भारी पैमाने पर दुरुपयोग किये जाने को रोकने के लिये किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिये छात्र रियायत के लिये आयु-सीमा लगाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो उसको रोकने के लिये उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हेराफेरी अथवा दुरुपयोग का कोई विशिष्ट मामला रेल मन्त्रालय के नोटिस में नहीं आया है।

(ख) केवल 25 वर्ष की आयु तक के क्षेत्र इस रियायत के पात्र हैं। यह रियायत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों के मामले में 27 वर्ष तक की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय सेवा और सहायता केन्द्र सम्बधी योजनायें शुरू करना

4112. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवा और सहायता केन्द्र सम्बन्धी योजनाएं शुरू की है;

(ख) यदि हां तो किन-किन विश्वविद्यालयों में ऐसी विश्वविद्यालय सेवा और सहायता केन्द्र शुरू किए गए हैं; और

(ग) इस नई योजना के कृत्यों का ब्यौरा क्या है और इसे शुरू करने का क्या प्रायोजन है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) जी, हां।

(ख) एक **विवरण** संलग्न है।

(ग) यह योजना, उपस्करों के अनुरक्षण और मरम्मत करने में विश्वविद्यालयों की सहायता करने और विभिन्न विभागों द्वारा जिन बहुमूल्य और परिष्कृत उपस्करों का सामान्य सुविधा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है उन्हें एक साथ रखने के उद्देश्य से भी प्रारंभ की गई थी। केन्द्र के कार्य इस प्रकार हैं, यन्त्रों की मरम्मत और सफाई करना, मौजूदा उपस्करों के लिए पूरक उपकरणों के नमूने तैयार करना और उनका निर्माण करना अथवा उनकी व्यवस्था करना। यन्त्रों से सम्बन्बित वैज्ञानिकों और तकनिशियनों को प्रशिक्षण देना, यन्त्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना, और एक संयुक्त केन्द्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में मुख्य बड़े उपस्करों को एक साथ रख कर विश्लेषणपरक सेवाएं उपलब्ध कराना।

विवरण

क्र०सं०	उन विश्वविद्यालयों के नाम जिनमें विश्वविद्यालय सेवा और यन्त्र केन्द्र सम्बन्धी योजनाएं संस्वीकृत की गई है।
1.	इलाहाबाद
2.	आंध्र
3.	बनारस हिन्दू
4.	बंगलौर
5.	भागलपुर
6.	भोपाल
7.	बर्दवान

1	2
8.	कालीकट
9.	कोचीन
10.	दिल्ली
11.	डिब्रूगढ़
12.	गौहाटी
13.	गुजरात
14.	गुरु नानक देव
15.	हिमाचल प्रदेश
16.	इन्दौर
17.	जबलपुर
18.	यादवपुर
19.	जवाहर लाल नेहरू
20.	शिवाजी विश्वविद्यालय
21.	जोधपुर
22.	कल्याणी
23.	कर्नाटक
24.	काश्मीर
25.	केरल
26.	कुमांऊ
27.	कुरुक्षेत्र
28.	एल० एन० मिथिला
29.	मद्रास
30.	मदुरै कामराज
31.	मगध
32.	मराठवड़ा
33.	मैसूर
34.	नागपुर
35.	नार्थ बंगाल
36.	उस्मानिया
37.	पंजाब
38.	पटना
39.	पूना
40.	पंजाबी
41.	राजस्थान
42.	रवि शंकर

1	2
43.	रुकड़ी
44.	सम्बलपुर
45.	सरदार पटेल
46.	सागर
47.	शिवाजी
48.	साउथ गुजरात
49.	श्री वेंकटेश्वर
50.	उदयपुर
51.	उत्कल
52.	विक्रम
53.	बी० आई० टी० एस० पिलानी
54.	जम्मू
55.	कलकत्ता
56.	नागार्जुन

दिल्ली के रामजस कालेज में हुई घटनाएं

4113. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के रामजस कालेज में हुई घटनाओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि दिल्ली विश्वविद्यालय को विभिन्न कालेज स्टाफ संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 16 फरवरी, 1982 को रामजस कालेज के एक लेक्चरार पर किए गए हमले की निन्दा की गई है और कुलपति से आग्रह किया गया है कि वह ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए कार्यवाही करें तथा दिल्ली के उप-राज्यपाल को यह सिफारिश करें कि वह 16 फरवरी का मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यौरों को सौंपे।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार लेक्चरार पर हमले की घटना वाले मामले की दिल्ली पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है जिसने अपराधियों को पकड़ लिया है। कालेज के शासी निकाय ते नियमित प्रिंसिपल जो अवकाश पर चले गए हैं, के स्थान पर एक स्थानापन्न प्रिंसिपल नियुक्त किया है। अब कालेज सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

न्यूजीलैंड का मिशन बन्द करने संबंधी निणय

4114. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्री एस. वी. सिदनाल :

श्री चिंतामणि जेना : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में स्थित अपना हाई-कमीशन बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को किसी औपचारिक निर्णय से अवगत करा दिया गया है; और

(ग) राष्ट्र मण्डल के सह-सदस्य को इस कार्यवाही पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ग) जी, हाँ। न्यूजीलैंड की सरकार ने सरकारी खर्चे को कम करने के लिए नई दिल्ली स्थित अपने रिहायशी राजनयिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के अपने निर्णय से भारत सरकार को अवगत कराया है। भारत सरकार ने इस निर्णय पर अपनी निराशा से उन्हें अवगत करा दिया है।

कोटा जंक्शन में अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए आवास

4115. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काटा जक्शन में अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ठहरने की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और वहाँ पर कितने अति विशिष्ट व्यक्तियों को ठहराया जा सकता है और इसके लिए प्रति व्यक्ति शुल्क क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कोटा जं. में यात्रियों के उपयोग के लिए तीन सार्वजनिक विश्रामकक्ष और एक डारमिटरी की व्यवस्था की गयी है। विश्रामकक्षों के लिए 12 रुपये से 18 रुपये के बीच डारमिटरी में प्रत्येक पलंग के लिए 8 रुपये प्रभार लिए जाते हैं।

कोटा जंक्शन पर कोटा-बीना यात्री गाड़ी का विलम्ब से पहुंचना

4116. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा-बीना यात्री गाड़ी गत तीन महीनों के दौरान कोटा जक्शन पर किन-किन तारीखों को समय पर पहुंची;

(ख) यह गाड़ी किन मुख्य कारणों से वहां देर से पहुंची; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह गाड़ी कोटा जंक्शन पर समय पर पहुंचे, ताकि देहरादून एक्सप्रेस का मेल करा सके, क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिसम्बर 1981 से फरवरी 1982 तक की अवधि के दौरान, 92 अप बीना-कोटा-पैसेंजर 16-12-81, 20-12-81, 26-1-82, 28-1-82 और 33-2-82 को ठीक समय पर कोटा पहुंची।

(ख) 92 अप के विलम्ब से चलने का मुख्य कारण बीना में 5 डाउन पंजाब मेल के साथ मेल लेने के लिए बीना से इसका विलम्ब से चलना तथा फलतः दूसरे पथ से चलना था।

(ग) 92 अप बीना-कोटा पैसेंजर तथा अन्य गाड़ियों के चालन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और समय-पालन में सुधार लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

व्यापारियों द्वारा मांगे गये वैगन और सप्लाई किए गए वैगन

4117. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान छाबरा, कवई, अटरा, बरी, अण्टा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, चोमाला, बाड़ा और मोदक स्टेशनों पर व्यापारियों ने कितने-कितने रेलवे वैगनों की मांग की थी और इस मांग की तुलना में उन्हें कितने-कितने वैगन सप्लाई किए गए; और

(ख) माँग के अनुसार वैगन सप्लाई न करने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले दो महीनों, अर्थात् जनवरी तथा फरवरी, 1982 के दौरान अतरु, बारां, अंता चौमहला, भवानी मंडी, रामगंज मंडी तथा मोरक स्टेशनों पर व्यापारियों द्वारा माँगे गये माल डिब्बों की कुल संख्या और उन्हें सप्लाई किये गये माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :

महीना	मांगे गये माल डिब्बों की संख्या	सप्लाई किये गये माल डिब्बों की संख्या
जनवरी, 1982	1,484	912
फरवरी, 1982	1,665	1,356

(ख) उच्चतर प्राथमिकता वाले यातायात, अर्थात् सीमेंट, उर्वरक तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई को तरजीह दिये जाने के कारण लदान मांग के अनुरूप नहीं रहा है।

फरवरी 1982 के अंत में इन स्टेशनों पर बकाया माँगों की संख्या तथा पार्टियों द्वारा अपवर्तित। रद्द की गयी अथवा वापस ले ली गयी मांगों की संख्या नीचे दी गयी है.

स्टेशन	बकाया मांगों की संख्या	अपवर्तित/रद्द/वापस ले ली गयी मांगों की संख्या
अतरू	—	16
बारां	74	36
अंता	4	23
चौमहला	—	1
भवानी मंडी	4	38
रामगंज मंडी	183	38
मोरक	44	5

झालावाड़-भोपाल रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

4118. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झालावाड़-भोपाल, झालावाड़, उज्जैन तथा झालावाड़-शिवपुरी रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण करने का विचार है,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका सर्वेक्षण चालू योजना में सम्मिलित करने का विचार है और इस बारे में पूर्ण ब्यौरे क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) प्रस्तावित लाइनों के लिए कोई सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साधनों की स्थिति की वर्तमान कठिनाई सर्वेक्षणों को प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं देती।

जेपुरमलकोनगड़ी लाइन

4119. **श्री के. प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा के कोरापुट जिले में जेपुर तथा मलकोनगुड़ी के बीच एक रेल लाइन के निर्माण हेतु उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव के छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किये जाने की आशा है;

(ग) उपरोक्त रेल सम्पर्क की अद्यतन अनुमानित लागत क्या है, और

(घ) उक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति की दशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। धनराशि की कमी फिलहाल इस योजना पर विचार करने की अनुमति नहीं देती।

(ग) जिस लाइन के लिए सुझाव दिया गया है, कच्चे अनुमान के अनुसार उस पर लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रत्नागिरि में एक संग्रहालय का निर्माण करने का प्रस्ताव

4120. **श्री के. प्रधानी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में रत्नागिरि के स्थान पर एक संग्रहालय का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) भवन का अनुमानित खर्च 37,16,000 रुपये है। यह खर्च केन्द्र सरकार ही वहन करेगी।

(ग) व (घ) संग्रहालय हेतु भवन निर्माण के लिए भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण द्वारा अनुमोदित आवश्यक प्राककलन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भेज दिया गया है। वह विभाग आवश्यक निविदायें आमन्त्रित करने के बाद इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगा।

पत्तन बाधाओं के कारण कंटेनर सर्विसेज को हुई हानि

4121. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन कंटेनर लाइन्स के जहाजों को कटेनर सर्विसेज में भारी हानि हो रही थी जब कि वास्तव में "ब्रेक बल्क" जहाजों की तुलना में कैंटेनर सर्विसेज सस्ती होनी चाहिए थी,

(ख) क्या इसका कारण हमारे पत्तनों में विभिन्न बाधाओं का होना है,

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो इस हानि के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) यह सच है कि इन्डियन कन्टेनर लाईन्स के जहाजों को कंटेनर सेवाओं पर हानि हो रही है। परन्तु यह सच है कि कन्टेनर जहाजों की नौवहन सेवाए ब्रेक-बल्कि जहाजों की सेवाओं की तुलना में सस्ती है।

(ख) कन्टेनर सेवाओं पर घाटा होने के कुछ कारण हमारे पत्तनों पर निम्नलिखित कमियाँ हैं।

(1) आधार भूत सुविधाओं का अभाव।

(2) माल की भराई और उत्तराई और करने की सुविधाओं की कमी।

(3) विदेशी पत्तनों पर श्रमिक व्यवस्था पर खर्च की तुलना में अधिक खर्च

(4) विदेशी कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता जिनकी क्षमता 800 और अधिक टी. ई. यू. की है जबकि आई. सी. एल. की क्षमता 400 टी. ई. यू. की है।

(5) भारतीय पत्तनों पर माल पाने वाले व्यापारी अपना माल उठाने में 30 से 40 दिनों तक का समय लेते हैं जबकि विदेशी पत्तनों पर माल 5 से 7 दिनों के अन्दर ही उठा लिया जाता है। इस विलम्ब के कारण जहाज मालिकों को भारी हानि होती है।

(ग) और (घ) छठी योजना में, कटेनरों का स्टोर और इनकी हेंडलिंग करने, यार्डों की स्थापना करने और कंटेनर हेंडलिंग के लिए विशिष्ट उपकरण खरीद कर पत्तनों को कन्टेनराईज करने के लिए भारी धनराशि नियत की गई है। मूल बात, भारती डाक में मद्रास में एक कंटेनर टर्मीनल का निर्माण करना है जो देश में आधुनिकतम टर्मीनल होगा और जहां सभी किस्म के कंटेनर जहाजों की हेंडलिंग की जा सकेगी। यह टर्मीनल 1982 के मध्य में तैयार हो जाएगा। यह भी प्रस्ताव है, कि बम्बई में बल्लार्ड पीयर और 1, 2, 3 नम्बर की इन्दिरा गोदियों पर एक कंटेनर टर्मीनल की स्थापना की जाए। बम्बई में गोदी के बाहर एक कटेनर फ्रेट-स्टेशन की स्थापना करने के भी प्रायास किए जा रहे हैं।

हावा-शेवा के प्रस्तावित नये पत्तन पर अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आधुनिक कंटेनर टर्मीनल की योजना भी बनाई जा रही है।

बंगलौर अंतर्देशी कंटेनर डिपु तथा शुष्क पत्तन परियोजना

4122. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर अंतर्देशीय कंटेनर डिपु तथा शुष्क पत्तन परियोजना को स्थगित करने के क्या कारण हैं : और

(ख) क्या इस परियोजना को संभाव्य नहीं पाया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बंगलौर कैंट पर पायलट इनलैंड क्लियरेंस डिपो पहले ही स्थापित किया जा चुका है और वहां काम हो रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन के लिए नई योजना

4123. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1982-83 के लिए परिवार नियोजन की एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसकी क्रियान्विति के क्या परिणाम प्राप्त होने की आशा है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव है :—

(1) बहु प्रचार साधनों और परस्पर व्यतिगत सम्पर्क नीतियों का कारगर और युक्तियुक्त उपयोग कर छोटे परिवार के सिद्धान्त के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने और जानकारी देने के लिए गहन प्रयास किए जायेंगे ।

(2) परिवार कल्याण सेवाएं और सामग्री स्वीकारकर्ताओं के घरों के यथासम्भव निकट सुलभ की जाएंगी ।

(3) महिला साक्षरता को तेजी से बढ़ाने की सुविधाओं और प्रयासों का तेजी से विस्तार किया जायेगा ।

(4) स्कूलों, कालेजों तथा उनके बाहर युवकों को जनसंख्या शिक्षा दी जायेगी । इसे सरकारी विभागों/एजेन्सियों तथा संगठित क्षेत्र द्वारा कर्मचारियों के लिए आयोजित किये जाने वाले सभी शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा ।

(5) सभी स्तरों, सबसे निचले स्तर, ग्रामीण संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि पर लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को घनिष्ठ रूप से सहायता, प्रोत्साहन, और सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

(6) जो राज्य कार्यनिष्पादन में पीछे रह गये हैं, उनके लिए विशिष्ट क्षेत्र नीति अपनाई जाएगी ।

(7) लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु से सम्बन्धित : कानून के बारे बारे में लोगों को शिक्षित करके उसे लागू किया जायेगा ।

(ग) इन उपायों के परिणामस्वरूप आशा है यह कार्यक्रम गति पकड़ लेगा जिससे छठीं योजना के अन्त तक 36 प्रतिशत दम्पत्तियों को सुरक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ।

दक्षिण रेलवे में अड्डरले और हिलग्रुव स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटना

4124. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में अड्डरले और हिलग्रुव स्टेशनों के बीच जो दुर्घटना हुई उसके क्या कारण हैं जबकि कोयले के बैगन वाली एक गाड़ी आगे और एक दुसरी श्रेणी का डिब्बा उलट गया और पुल से नदी में गिर गया :

(ख) कितने व्यक्ति मारे गये :

(ग) दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है :

(घ) क्या कोई जांच की गई थी : और

(ङ) यदि हाँ, तो समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या थे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) (घ) और (ङ) 21-2-1982 को अड्डर्ले और हिलग्रोव स्टेशनों के बीच हुई दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा के सायुक्त, दक्षिणी क्षेत्र बैंगलुरू द्वारा की गयी है उन्होंने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । उनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार इस दुर्घटना का कारण उपस्कर की उस खराबी से था जो रेल कर्मचारियों की गलती से उत्पन्न हुई थी ।

(ख) आठ रेल कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी ।

(ग) कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है । प्रत्येक मृत व्यक्ति के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह के आधार पर 1000/-रुपये की राहत राशि दे दी गयी है ।

डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण का कर्मचारियों की संख्या पर प्रभाव

4125. **श्री एम. अरुणाचलम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1961 में आरम्भ किये गये डीजलीकरण के समय भारतीय रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय परिसंघ तथा रेल मंत्रालय के बीच इस आशय का एक करार हुआ था कि कर्मचारियों की संख्या नहीं घटाई जायेगी । तथा पदोन्नति के अवसरों में कोई बाधा नहीं आयेगी :

(ख) यदि हां, तो फिर भारतीय रेलवे की लोको वर्कशापों में कर्मचारियों की संख्या क्यों कम हो गई है तथा पदोन्नतियाँ रूक गई हैं :

(ग) भारतीय रेलवे में रोजगार क्षमता बनाये रखने हेतु उनके मंत्रालय के पास क्या प्रस्ताव हैं :

(घ) क्या तेजी से किये जा रहे डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण के कारण मैकेनिकल विभाग के श्रेणी 'ए' तथा श्रेणी 'बी' के कर्मचारी फालतू हो गये हैं :

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्हें विद्युतीय तथा डीजलीय विभागों में कार्य प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है : और

(च) यदि हां, तो उनमें से अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है : और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रिकार्डों की जांच की गयी है परन्तु 1961 कि ऐसे किसी करार, जिसका हवाला दिया गया है, का पता लगाना सम्भव नहीं हो सका है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यांत्रिक विभाग के वर्ग 'क' और 'क्ष' का कोई कर्मचारी फालतू नहीं हुआ है ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता है ।

आयुर्वेदिक छात्र कार्यवाही समिति, दिल्ली की मांगें

4126 **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री ई. बालानन्दन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक छात्र कार्यवाही समिति, दिल्ली ने एक अभ्यावेदन के माध्यम से अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मागों को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां,

(ख) (1) दिल्ली में प्राइवेट आयुर्वेदिक कालेजों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता देना;

(2) इन कालेजों के छात्रों का एक वर्ग का नुकसान न हो इसके लिए आयुर्वेदिक और और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के परीक्षा निकाय द्वारा फरवरी और अक्तूबर, 1982 में 2 वार्षिक परीक्षायें आयोजित की जायें;

(3) परीक्षा निकाय द्वारा प्रदत्त बी. ए. एम. एस. डिग्री को मान्यता दी जाये;

(4) छात्रों की अस्पताल में ड्यूटी लगाने और उनकी इण्टर्नशिप की व्यवस्था की जाये;

(5) धनवंतरी आयुर्वेदिक कालेज, मुण्डका को तत्काल बन्द कर दिया जाये और वहां पर दाखिल छात्रों को स्थानांतरित करके अन्य आयुर्वेदिक कालेजों में भेज दिया जाये; और

(6) दिल्ली प्रशासन में एक आयुर्वेद निदेशालय खोला जाये और परीक्षा-निकाय का प्रर्णकालिक सचिव नियुक्त किया जाये ।

(ग) और (घ) आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के परीक्षा-निकाय द्वारा प्रदत्त बी. ए. एम. एस. डिग्री को मान्यता देने के लिए केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा कार्यवाही शुरु की जा चुकी है और सक्षम प्राधिकारी ने धनवंतरी आयुर्वेदिक कालेज, मुण्डका का

संबंधन वापस ले लिया है । लेकिन प्रशासनिक कारणों की वजह से एक वर्ष में दो बार परीक्षायें आयोजित करना संभव नहीं पाया गया है । दिल्ली प्रशासन अन्य ऐसे मामलों अर्थात् प्राइवेट कालेजों को वित्तीय सहायता देने, छात्रों की अस्पताल में, ड्यूटी लगाने और उनकी इण्टर्नशिप की व्यवस्था करने असम्बद्ध धनवंतरी आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों के स्थानांतरण दिल्ली प्रशासन में आयुर्वेद निदेशालय की स्थापना और परीक्षा निकाय के लिए पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति के बारे में ध्यान दे रहा है ।

मद्रास-त्रिवेन्द्रम लाइन का विद्युतीकरण

4127. **श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मद्रास त्रिवेन्द्रम लाइन का विद्युतीकरण करने पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो विद्युतीकरण करने सम्बन्धी कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मद्रास-आरकोणम मुख्य लाइन के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है । आरकोणम जोलारपेट्टै खण्ड के विद्युतीकरण की हाल ही में स्वीकृति दी गई है । मद्रास आरकोणम -जोलारपेट्टै खंड के विद्युतीकरण का कार्य छठी पचवर्षीय योजना में पूरा होने की संभावना है बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो । फिलहाल जोलारपेट्टै से आगे के शेष भाग के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बढ़ती हुई घातक दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुये यात्रियों का बीमा करने का प्रस्ताव

4128. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री मगन भाई बरोट : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में घातक दुर्घटनाओं में वृद्धि को ध्यान में रखत हुए सरकार यात्रियों का बीमा करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्षतिपूर्ति के भुगतान की सम्पूर्ण संकल्पना पहले से ही बीमा सिद्धान्त पर आधारित है । इकहरी यात्रा टिकटों पर 5 पैसे से 1 रुपये तक और मासिक उपनगरीय टिकटों पर 25 पैसे से 1.50 रुपये तक एक मामूली, पूरक प्रभार लगाया जाता है और उसे एक विशेष निधि में जमा कर दिया जाता है जिसमें से मृतकों के निकट सम्बधियों के साथ-साथ घायलों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान लेटक्स त्रिवेन्द्रम के श्रमिकों की संख्या

4129 **श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लेटक्स, त्रिवेन्द्रम में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या क्या है और उनमें से कितने श्रमिक 19 फरवरी, 1982 को उपस्थित थे;

(ख) गत चार महीनों के दौरान कितने नैमित्तिक श्रमिक नियुक्त किये गये और उसका मास-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिनांक 19 जनवरी, 1982 को कितने नैमित्तिक श्रमिक मौजूद थे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 710 है। कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले चार महीनों में भर्ती किये गये नैमित्तिक कर्मचारियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

नवम्बर, 1981	23
दिसम्बर, 1981	330
जनवरी, 1982	63
फरवरी, 1982	446
कुल	862

19 जनवरी, 1982 को कितनी उपस्थिति थी, उसके आंकड़े कम्पनी से मंगवाये जा रहे हैं।

"भारत के त्यौहार" सबधी समितियों में प्रतिनिधित्व देने के बारे में ब्रिटेन में रह रहे भारीतयों द्वारा की गई शिकायतें

4130. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान त्यौहार के भारतीय आयोजकों और भारतीय हाई कमीशन की ओर से मतभेद होने के कारण लदन में आयोजित किये जाने वाले "भारत के त्यौहार" सम्बन्धी विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व देने के बारे में ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों द्वारा की गई शिकायतों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार शिकायतें की गई हैं; और

(ग) इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है और वहाँ रह रहे भारतीयों को पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ग) जी नहीं। हाई कमीशन को ब्रिटेन स्थित भारतियों से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि भारत महोत्सव के आयोजक महोत्सव में उनके भाग लेने पर उपेक्षा का रवैया दिखा रहे हैं। बल्कि हाई कमीशन द्वारा भारतीय समुदाय को महोत्सव में शामिल किए जाने के प्रयासों के प्रति इस समुदाय ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिखाई है।

50 प्रतिशत रेल दुर्घटनाएं उपकरणों की खराबी के कारण

4131. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान 19 फरवरी 1982 के 'इकनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित उप समाचार की ओर आकर्षित किया गया जिसमें इस बात को प्रकाश में लाया गया है कि 50 प्रतिशत रेल दुर्घटनाएं उपकरणों की खराबी, सुरक्षा साधनों की समय पर सप्लाई न होना, और रेलवे द्वारा प्राप्त किए गए दूसरे दर्जे के सुरक्षा उपकरण :

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस तरह के मामलों वाले राज्य में उचित जांच कराये जाने का विचार है : और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में कोई जाँच कराने का प्रस्ताव नहीं है। रेलों से कहा गया है कि वे गाड़ी चलाने में संरक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पुर्जों की खरीद के लिए उन अनुमोदित सप्लायरों की एक सूची तैयार करे जो बेहतर किस्म की मदों की सप्लाई कर सकने में समर्थ हों और केवल उन्हीं प्लिावरों से वे मदें खरीदें।

दिल्ली में विकास पुरी से लेकर नगर के अन्य स्थानों तक नये बस मार्ग बनाने का प्रस्ताव

4132. **श्री हीरालाल आर. परमार : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी दिल्ली की डी. डी. ए. कालोनी विकास पुरी से नगर के अन्य स्थानों तक तथा आई. टी. ओ., करौल बाग, रेलवे स्टेशन, मण्डी हाउस आदि तक के लिए 20 मिनट की या इससे कुछ न्यूनाधिक समय की बस सेवा में वृद्धि करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : रिहायसी कालोनियों सहित विकासपुरी जो विकासशील है, में बढ़ते हुए परिवहन आवश्यकताओं को देखते हुए यातायात की आवश्यकताओं के लिए आवधिक सर्वेक्षण किया जाता है। जब कभी ऐसे सर्वेक्षण से अनियमित दिखाई पड़ती है तब ऐसी सेवाओं को ठीक करने की कोशिश की जाती है।

त्रिवेन्द्रम में रेल सेवा आयोग का कार्यालय

4133. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में रेल सेवा आयोग के कितने-कितने कार्यालय हैं;

(ख) उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम में रेल सेवा आयोग का कोई कार्यालय है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम में रेल सेवा आयोग का एक कार्यालय खोलने हेतु कदम उठाने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दो रेल सेवा आयोग हैं जिनमें से एक मद्रस में तथा दूसरा बेंगलूरु में है। बेंगलूरु स्थित रेल सेवा आयोग दक्षिण-मध्य रेलवे के हुबली मंडल तथा पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलूरु की भर्ती सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) तिरुवन्तपुरम में रेल सेवा आयोग की स्थापना करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

त्रिवेन्द्रम-अम्बासामुदवम लाइन

4134. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-नेदुमानगाद-अम्बासामुदवम रेल लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में योजना पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिस लाइन का सुझाव दिया गया है उसके लिए न तो सर्वेक्षण किया गया है और न ही धन राशि की स्थिति इस लाइन को प्रारम्भ करने की अभी अनुमति देती है।

राष्ट्रीय स्तर पर माल परिवहन सेवा

4135. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कोई माल परिवहन सेवा चला रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार की कोई योजना राष्ट्रीय स्तर पर कोई माल परिवहन सेवा चलाने की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

माल परिवहन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

4136. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितनी माल परिवहन कम्पनियाँ हैं;

(ख) क्या सरकार की किसी माल परिवहन कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने की योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) माल परिवहन उद्योग मुख्यत: असंगठित गैर सरकारी क्षेत्र में हैं। इनमें से अधिकांश आपरेटरों के पास एक-एक ट्रक है। ऐसे आपरेटरों की ठीक-ठीक संख्या की सूचना प्राप्त नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अप तथा डाउन सौदालपुर हिसार गाड़ियों का रद्द किया जाना

4137. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के लुधियाना डिवीजन में सौदालपुर से हिसार तक और हिसार से सौदालपुर तक चल रही दोनों गाड़ियां रद्द कर दी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन गाड़ियों के रद्द किये जाने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1 एच. एस /: एच. एस. और 3 एच. एच /4 एच. एस. सादुलपुर-हिसार यात्री गाड़ियों को कोयले की कमी के कारण रद्द किया गया था। इन गाड़ियों को पुनः 11-1-82 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

के. के. एक्सप्रेस की बारम्बारता में वृद्धि करने का प्रस्ताव

4138. **श्री के. कुन्हम्बु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली और त्रिवेन्द्रम/बंगलौर के बीच चल रही के. के. एक्सप्रेस की बारम्बारता में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्लौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन की समस्या का अध्ययन करने हेतु दिल्ली परिवहन निगम द्वारा एक प्राइवेट फर्म को अग्रिम राशि दिया जाना

4139. **डा. वसन्त कुमार पंडित** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली की परिवहन समस्या का अध्ययन करने के लिये एक प्राइवेट कंपनी को, उचित मंजूरी प्राप्त किये बिना ही, 60,000 रुपये अग्रिम राशि दी है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम के उक्त सौदे की कोई जांच की है, और

(ग) दिल्ली में एशियाई खेलों के दौरान सम्भावित यातायात की प्रभावपूर्ण ढंग से आवश्यकता पूर्ति के लिए समूचे तौर पर क्या परिवहन-प्रबन्ध किये गये हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली में अतिरिक्त यातायात की आवश्यकता पूर्ति के लिए अपेक्षित संख्या में बसें पड़ौसी राज्यों के परिवहन उपक्रमों से लेने की योजना है।

हैजे के अजांचित एल्यूमीनियम फास्फेड टीके का उपयोग

4140. **डा. बसन्त कुमार पंडित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारिवारिक सम्पर्कों के कारण हैजे की बीमारी को रोकने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कलकत्ता में नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कोलरा एण्ड एण्टेटिक डिसोसिज के माध्यम से (एक) स्विट्जरलैंड के हां फमैन रोश द्वारा निर्मित एक नई औषध फान्सिल, तथा (दो) अजांचित एल्यूमोनियम फास्फेट हैजा टीके का उपयोग किया था;

(ख) क्या भारत में परीक्षण के आधार पर इस अत्यन्त नशीले सल्फा कंपाउण्ड का उपयोग करने से पूर्व भारतीय औषध नियत्रक से सलाह ली गई थी;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की पुष्टि कर ली है कि यह औषध भारत में अथवा कहीं और किसी मानक फार्माकोपोसिया में सम्मिलित है;

(घ) क्या नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कोलरा एण्ड एक्टेटिक डिसोसिज और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने इस औषध के हानिकारक तथा उपयोग परस्त होने वाले प्रभावों के बारे में सरकार को अवगत कराया था; और

(ङ) क्या एक नई तथा जाँची नहीं गई औषध के आयात उत्पादन, वितरण तथा परीक्षण सम्बन्धी सामान्य नियमों का पालन किया गया था; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण थे तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि हैजा के रोगियों के सम्पर्क में आने वाले उनके परिवारों के सदस्यों में वी. कालरी के सचरण पर फेनासिल की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए हैजा अनुसधान केन्द्र (अब राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान) ने 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कलकत्ता में उक्त औषध के क्षेत्रीय परीक्षण किए थे।

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली द्वारा तैयार की गई ऐलुमिनियम फास्फेट युक्त हैजा वैक्सीन को जिसे उस संस्थान ने विषाक्तता रहित प्रमाणित किया था, हैजा अनुसंधान केन्द्र ने पश्चिम बगाल सरकार के साथ मिल कर एक परीक्षण में इस्तेमाल किया था।

(ख) जी, नहीं। परीक्षण में इस्तेमाल की गई यह औषधि एकल खुराक में विषाक्त नहीं थी जैसा कि हैजा अनुसंधान केन्द्र (अब राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान) ने किया था। किसी विशेष प्रतिकूल प्रभाव की कोई सूचना नहीं मिली।

(ग) यह औषधि ब्रिटिश भेषज संहिता में शामिल है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह औषधि एकल खुराक में दी जाये तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है और इस परीक्षण में ऐसा ही किया गया था।

(ङ) फेनासिल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा और ऐलुमिनियम फासफेट वाली हैजा वैक्सीन केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा सप्लाई की गई थी।

खालिस्तान आंदोलन को संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता लेने का प्रयत्न

4141. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में (खालिस्तान मूव टु गेन यू. एन. रिकोगनीशन) (खालिस्तान आंदोलन को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता लेना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठ ये जा रहे हैं; और

(घ) क्या यह प्रश्न हाल ही में अमेरिका द्वारा डा. जगजीत सिंह चोहान को वीसा दिए जाने से संबंधित है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हां। सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर की ओर दिलाया गया है।

(ख) लेकिन सरकार को ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है जिससे इस खबर की पुष्टि होती हो कि तथा कथित खालिस्तान आन्दोलन में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता की मांग की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य में औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का कार्यकरण

4142. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत औषध परीक्षण प्रयोगशालायें कार्य कर रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय के अधीन निम्नलिखित औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं :

1. केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला,
   3-किड स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
2. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान,
   कसौली, (हिमाचल प्रदेश)
3. केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला,
   राजनगर, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)

भीड़ के आक्रमण के कारण दिल्ली परिवहन निगम को हुई हानि

4143. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में दौरान भीड़ के आक्रमण में दिल्ली परिवहन की कितनी-कितनी बसों में आग लगाई गई और क्षति पहुंचाई गई; और

(ख) इससे दिल्ली परिवहन निगम को कितनी हानि हुई,

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम की जली/क्षतिग्रस्त बसों की संख्या और उसके परिणामस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम को हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	बसों की संख्या		हानि की अनुमानित लागत
	जली	क्षतिग्रस्त	(लाख रुपये)
1980	कुछ नहीं	115	0.83
1981	कुछ नहीं	116	0.39

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में रोग और उनके उपचार पर व्याख्यान शृंखला

4144. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न रोगों और उनके उपचार के व्याख्यान की शृंखलाएं आयोजित की हैं;

(ख) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न उपाय बरतने के बारे में युवकों का मार्ग दर्शन करने के लिए शिक्षा संस्थानों में ऐसे व्याख्यान दिये जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) हां।

(ख) और (ग) विशिष्ठ क्षेत्रों में हुई नवीनतम प्रगति की जानकारी देने के लिए विभिन्न चिकित्सा और अनुसंधान सस्थान समय-समय पर व्याख्यान, गोष्ठियां, कार्यशालाएं आदि आयोजित करते हैं। विभिन्न व्यवसायिक निकायों और संघों द्वारा भी ऐसे प्रयास किए जाते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों पर शारीरिक हमले

4145. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कालेज प्रोफेसरों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए शारीरिक हमलों के हाल के मामलों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या प्रोफेसरों पर हमलों के इस तरह केमामलों में, शैक्षणिक सस्थानों में राजनीति और छात्र-उपद्रव (वायोलेंस) के कारण वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) और (ख) फरवरी 1982 के मध्य में एक कालेज शिक्षक पर हमले की एक घटना को छोड़कर, दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर पर किसी प्रकार के हमले की कोई घटना सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

(ग) फरवरी की घटना की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, पता चला है कि अपराधी को पकड़ लिया है।

सड़क परिवहन विकास वित्त निगम की स्थापना करना

4146. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क परिवहन विकास वित्त निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निगम के उद्देश्य और लक्ष्य क्या होंगे,

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सड़क परिवहन विकास निगम बनाने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य विशिष्ट केन्द्रीय संस्थान की स्थापना करना है जिससे कि परिवहन सेवाओं में वृद्धि करने के लिए ऋण की व्यवस्था कर राज्य परिवहन उपक्रमों को सहायता दी जाए।

चिकित्सा शिक्षा पुनर्विलोकन समिति के निदेशपद

4147. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा पुनर्विलोकन समिति के निदेशपद क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय :

(1) स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की वर्तमान प्रवेश पद्धति (प्रवेश-परीक्षाओं समेत) तथा स्थानीय प्रतिबन्धों की समीक्षा करना और इस सम्बन्ध में अलग से उपयुक्त सिफारिशें करना;

(2) स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के बारे में पूरी तरह सुधार करने के लिए उपाय सुझाना;

(क) संस्थागत उद्देश्य;

(ख) शिक्षण और प्रशिक्षण तथा अध्ययन के विषय, प्रासंगिता और गुणावत्ता; और

(ग) मूल्यांकन पद्धति और मानक;

(3) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर अध्ययनों के पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग उचित अवधि की सिफारिश करना;

(4) वर्तमान इन्टर्नशिप प्रोग्राम की जांच करना और इसके भावी पैटर्न के लिए सिफारिशें करना;

(5) रेजीडेंसी योजना के साथ-साथ हाउसमैनशिप कार्यक्रम की पुनरीक्षा करना और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए एक समान पैटर्न की सिफारिश करना;

(6) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के आवश्यक भाग के रूप में शोध या शोध-प्रबन्ध की वर्तमान आवश्यकताओं की जाँच करना और इस बारे में उपयुक्त सिफारिशें देना।

(7) चिकित्सा स्नातकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की व्यवहार्यता की जांच करना।

(2) समिति छठी पंचवर्षीय योजना और उसके बाद के लिए चिकित्सा कार्मिकों की नियुक्तियों (एम. बी. बी. एस. डाक्टरों, जनरल स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के लिये वास्तविक अनुमान भी सुझायेगी।

(क) स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों में सरकार की आवश्यकताएं।

(ख) निजी क्षेत्र में डाक्टरों की मांग;

(ग) विकासशील देशों में द्विपक्षीय समझौतों, अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और तकनीकी सहयोग के कारण उत्पन्न होने वाली जरूरतें; और

(घ) चिकित्सा कार्मिकों के वितरण में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की आवश्यकता।

3. यह समिति किसी अन्य सबंधित मामले पर भी विचार कर सकती है और उसके बारे में सिफारिशें दे सकती है।

नीलांचल एक्सप्रेस में सुविधायें बढ़ाना

4148. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी नीलाचंल एक्सप्रेस में लम्बी दूरी के यात्रियों के आराम के लिए तत्सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने की मांग की गयी है : और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उड़ीसा में कुछ स्टेशनों के लिए नीलांचल एक्सप्रेस में शायिकाओं का अतिरिक्त कोटा निर्धारित करने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कटक स्टेशन पर इस गाड़ी के ठहरने का समय बढ़ाने के लिए भी एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। कटक स्टेशन पर 1-5-82 से इस गाड़ी के ठहराव को 7 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त कोटे की मांग पर विचार किया गया था, लेकिन उसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

दक्षिण मध्य रेलवे में बिना टिकट यात्रा को रोकने के कदम

4149. **श्री के. ए. स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में एक्सप्रेस गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या में वृद्धि का पता है।

(ख) दक्षिण मध्य रेलवे में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं : और

(ग) आकस्मिक छापे न मारे जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह धारणा कि आन्ध्र प्रदेश में एक्सप्रेस गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि दक्षिण मध्य रेलवे जो कि आंध्रप्रदेश के अधिकांश भागों में से गुजरती है में टिकट खिड़कियों से हुई टिकटों की बिक्री, में 1-4-81 से 31-1-82 तक पिछले वर्ग की इसी अवधि की तुलना में 11.47 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई है (बिना टिकट यात्रा के राज्यवार आंकडे नहीं रखे जाते हैं) ।

(ख) 1-4-81 से 31-1-82 तक दक्षिण मध्य रेलवे ने 30, 365 विशेष जाँचों का आयोजन किया जबकि पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि के दौरान 23, 104 जांचों का आयोजन किया गया था ।

बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए निम्नलिखत उपाय किए गये हैं :—

(1) वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के पर्यवेक्षण में टिकट जाँच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के कर्मचारियों का विशाल दल लगातार, बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर विशेष जांच की जाती है ।

(2) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों के समन्वय से संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं ।

(3) चल टिकट परीक्षकों द्वारा सादी पोशक में गुप्त रूप से जांच की जाती है ।

(4) बार-बार सकेन्द्रित अचानक जांच आयोजित की जाती है. विशेष रूप से चल जांच दलों द्वारा यह काम सड़क परिवहन से यात्रा करके किया जाता है । इन दलों में रेलवे सुरक्षा दल /पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं ।

(5) मुख्यालय और मंडल के टिकट जाँच दलों द्वारा मध्य खण्डों में गाड़ियां रोककर कर्मचारियों की अदला-बदली करके, जांच की जाती है ।

(6) एक रेल प्रणाली के जांच कर्मचारियों को दूसरी रेल प्रणाली पर टिकटों की जांच के लिए तैनात किया जाता है ।

(7) यात्री जनता, विशेषकर विद्यार्थी समुदाय में बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शैक्षणिक प्रचार किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विशाखापत्तनम तथा हैदराबाद के बीच एक गाड़ी चलाना

4150. **श्री के. ए. स्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विशाखापत्तनम तथा हैदराबाद के बीच चलने वाली गाड़ियों की संख्या अपर्याप्त है : और

(ख) उत्तरी आंध्र क्षेत्र तथा हैदराबाद के बीच वर्तमान यात्री यातायात की माँग पूरी करने हेतु एक नई रेलगाड़ी चलाना आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और

(ख) इस समय विशाखापत्तनम से हैदराबाद/सिकन्दराबाद जाने वाली यात्री बाल्तेरु से 2 जोड़ी गाड़ियां अर्थात् 19/20 कोणार्क एक्सप्रेस और 7/8 गोदावरी एक्सप्रेस का उपयोग कर सकते हैं जो 45/46 ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस और 5/6 कृष्णा एक्सप्रेस में हावड़ा और सिकन्दराबाद के बीच चलने वाले 5 थ्रु सवारी डिब्बों के अतिरिक्त है।

7/8 गोदावरी एक्सप्रेस में 1-7-81 से दूसरे दर्जे का एक शयन यान और 5-6-81 से पहले दर्जे के डिब्बे के बजाय एक वातानुकुलित 2 टियर यान लगाकर इसके भार में वृद्धि की गई थी और इस प्रकार यातायात की आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से दूसरे दर्जे और पहले दर्जे दोनों के स्थान में वृद्धि की गयी।

मार्गवर्ती खण्ड पर कोचिंग स्टाक और लाइन क्षमता की कठिन स्थिति के कारण विशाखापत्तनम/बाल्तेरु और हैदराबाद के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

रोगियों को दक्षिण दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करने से इंकार किया जाना

4151. **श्री हरीश कुमार गगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 28 दिसम्बर, 1981 में "मन्डे डायरी होरर स्टोरी" शीर्षक के अंतर्गत छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गंभीर रूप से जख्मी एक स्कूटर चालक को 8 बजे म पू के लगभग दक्षिण दिल्ली के एक अस्पताल में में ले जाया गया तथा सिर के एक्सरे की मशीन न होने के नाम पर आहत व्यक्ति को दाखिल करने से इन्कार किया गया और प्राथमिक उपचार आदि भी नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के ब्यौरे क्या हैं और अस्पताल कौन सा है तथा रोगियों के साथ इस प्रकार के अवांछनीय व्यवहार के क्या कारण हैं तथा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि वार्डों में प्रभारी डाक्टरों का व्यवहार रोगियों के प्रति तथा उनसे मिलने आने वाले रोगियों के प्रति सौहार्द पूर्ण और संतोषजनक हो ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (श्री बी. शंकरानन्द) (क) से (ग) जी, हां। अखबार की रिपोर्ट में रोगी के नाम या घटना से संबंधित अस्पतालों के नाम का उल्लेख नहीं है। दक्षिण दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के किसी अस्पताल से ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

4152. **श्री हरीश कुमार गगवार** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में यह प्रावधान है कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर तथा ऐसे क्षेत्रों तथा स्थानों पर भी, जिनका उल्लेख कर दिया गया हो, गैर सरकारी स्वामित्व वाली स्टेज कैरिजों में निर्धारित स्थलों के अलावा, कहीं अन्य स्थानों से यात्री अथवा सामान नहीं उठाये या उत्तारे जायेंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली में कैसे इतनी बड़ी संख्या में बसें चल रही हैं तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है।

(ग) क्या ऐसी बसों की सीटें तथा दरवाजे हटा दिए गए होते हैं ताकि ज्यादा यात्री भरे जा सकें और दिल्ली परिवहन की बसों से प्रतियोगिता की जा सके; और

(घ) यदि हां तो उक्त अधिनियम के उल्लंघन को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं'

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) मोटर व्हेकिल एक्ट 1939 के खंड 2 (29) में परिभाषित स्टेज कैरिज का अर्थ है सिर्फ मोटर व्हेकिल या ड्राइवर को छोड़कर छह व्यक्ति से अधिक मोटर व्हेकल को ले जाते हुए जो या तो पूरा यात्रा के लिए यात्रा की स्थिति पर एक किश्त या व्यक्तिगत यात्री से अलग-अलग भाड़ा पर या पुरस्कार पर यात्री होता है।

परिवहन निदेशालय दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जहां अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करती हुई बसें चल रही हैं ; दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चल रही प्राइवेट बसों को व्यक्तिगत आपरेटरों के लिए स्टेज कैरिज की आज्ञा नहीं दी जाती है। ऐसी आज्ञा दिल्ली परिवहन निगम को दी गई है। इन प्राइवेट बसों के दरवाजे यात्रियों की सुविधानुसार हटाए गये हैं लेकिन बैठने की प्रणाली को नहीं छेड़ा गया है।

हुगली नदी के नौवहन चेनल में गाद को साफ करने हेतु प्रस्तावित कदम

4153. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों के सुचारु रूप से कार्यक्रम हेतु हुगली नदी के नौवहन-चेनल की गाद को साफ करने के लिए छठी पचवर्षीय योजना में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख), कलकत्ता पत्तन न्यास ने हाइड्रोलिक और मैथमेटिकल माडल स्टडीज आधार पर कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के नौवहन चेनल के गार के सुधार के लिए प्रस्तावना बनाया है। बलारी वार पर कैप्टिल ड्रेजिंग निष्पादन के लिए कार्रवाई की जाती है। ड्रेज्ड स्पायल के निपटान के लिए नदी प्रशिक्षण कार्य और तट टर्मिनल बनाया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित मूल्य 33 करोड़ रुपए हैं। इस परियोजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 12.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

बंगलादेश से यात्री स्पेशल के साथ दुर्घटना

4154 **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला देश से मिदनापुर के उर्स के लिए जाने वाली यात्री स्पेशल गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।

(ख) यदि हाँ तो दुर्घटना किस तारीख को हुई और कितने व्यक्ति हताहत हुए [illegible] लिखित उत्तर

(ग) क्या उक्त गाड़ी के इन्जन का प्रयोग प्रायः शंटिंग के काम के लिए [illegible] और माल-गाड़ियों के लिए किया जाता है और पैसेंजर गाड़ियों के लिए नहीं।

(घ) क्या उस दिन उप इन्जन का ड्राईवर मालगाड़ी का ड्राइवर था।

(ङ) क्या इस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की गई थी। और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) [illegible]): (क) जी हां।

(ख) यह दुर्घटना 18-2-82 को हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप एक रेल [illegible] कर्मचारी की मृत्यु हो गई।

(ग) तीर्थयात्री विशेष गाड़ी का इन्जन सवारी गाड़ी में लगने वाला इन्जन [illegible] था। यह टिंग के प्रयोजन के लिए अथवा मालगाड़ियां खींचने के लिए नहीं होता।

(घ) जी हाँ।

(ङ) और (च) रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच [illegible] की गयी है जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में कर्मचारियों की संख्या

4155. **श्री त्रिलोकचन्द्र :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में तथा उसके सहायता प्राप्त स्कूलों में [illegible] अध्यापकों, प्रयोगशाला सहायकों, पुस्तकाध्यक्षों, लिपिकों तथा चपरासियों की अलग-अलग संख्या [illegible] संख्या क्या है और उनमें से अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों की अलग-अलग [illegible] संख्या क्या है; और

(ख) उसमें अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को पूरा करने के लिए क्या [illegible] प्रयास किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. [illegible] के. थुंगन) (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लिपिकों के [illegible] पद दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं, जिनके लिए भर्ती शिक्षा निदेशालय [illegible] द्वारा नहीं की जा सकती है। जबकि अनुसूचित जन जातियों के लिए पद निर्धारित कोटा के [illegible] अनुसार आरक्षित किए जाते हैं, किन्तु पिछड़े वर्गों के लिये पदों का आरक्षण नहीं किया जाता [illegible] है। शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित राजकीय स्कूलों में शिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों, पुस्तकाध्यक्षों तथा चपरासियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	1-3-1982 को नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की संख्या
शिक्षक	18705	40
प्रयोगशाला सहायक	1061	10
पुस्तकाध्यक्ष	443	2
चपरासी	3431	72

सहायता प्राप्त स्कूलों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथाशीघ्र रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के न मिलने के सम्बन्ध में खुला-विज्ञापन देने तथा उपयुक्त उम्मीदवार लेने के लिए रोजगार कार्यालय को मांग-पत्र भेजने और संबंधित अनुदेशों के अनुसार आरक्षित रिक्त स्थानों को आगे ले जाने जैसे उपचारी उपाय निदेशालय द्वारा किए जा रहे हैं ताकि अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित कोटा को पूरा किया जा सके ।

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971 में संशोधन

4156. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-कानूनी गर्भपात के लिए कठोर दंड की व्यवस्था करते हुए गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस प्रयोजन के लिए गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अवैध गर्भपातों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में पहले ही कड़े दण्ड की व्यवस्था है ।

दिल्ली परिवहन निगम में निवेशित पूंजी

4157 **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन निगम में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई जा चुकी है ।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : चूंकि दिल्ली परिवहन निगम के पास कोई इक्विटी पूंजी नहीं होती है इसलिए इसे इक्विटी ऋण के रूप में अब तक 82 करोड़ रुपये की धन राशि दी जा चुकी है ।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

4158. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की पुनरीक्षा करने और उसमें सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु एक समिति की स्थापना की गई है; यदि हाँ, तो इसकी स्थापना कब की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी तथा समिति द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा ये सुझाव किस तारीख को कार्यान्वित किए गए थे और इन्हें

कार्यान्वित करने का तरीका क्या है तथा उसके प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले परिणाम क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की सभी पहलुओं से समीक्षा करने के लिए सरकार ने अक्तूबर 1979 में एक समिति नियुक्ति की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 अप्रैल, 1980 को प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें दर्शाने वाला **एक विवरण सलग्न** है। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम मे सम्बन्धित समीक्षा समिति की मुख्य सिफारिशें

1. प्रौढ़ शिक्षा बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए।

2. 15-35 आयु वर्ग के सभी निरक्षर व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कम से कम सम्भव समय में शामिल कर लिया जाना चाहिए।

3. कार्यक्रम की विषय वस्तु गहन और विस्तृत होनी चाहिए।

4. साक्षरता को विकास के साथ जोड़ने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाने चाहिए।

5. यह कार्यक्रम लचीला और शिक्षुओं की आवश्यकताओं तथा स्थानीय पर्यावरण से सम्बद्ध होना चाहिए।

6. कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा भाग लिए जाने पर बल दिया जाना चाहिए।

7. अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कार्यक्रम में उनकी विशेष समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

8. अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में, जहां भी आवश्यकता हो जन जातीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए और उसमें उनकी विशेष सांस्कृतिक दाय और दस्तकारी की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

9. इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को शामिल किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए। उन्हें अपने उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं की ओर सचेत किया जाना चाहिए और उनका प्रयोग करने के योग्य बनाया जाना चाहिए।

10. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

11. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड स्वायत्त होना चाहिए और केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री इसका अध्यक्ष होना चाहिए।

12, यदि एक सुविचारित नीति का अनुसरण किया जाय और स्वैच्छिक एजेंसियों को अपने कार्यकरण में सुधार लाने में सहायता करने हेतु कदम उठाये जाएं तो इससे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है।

13. ऐसे इलैक्ट्रानिक माध्यम और फिल्म की क्षमता का इस कार्यक्रम में उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, फिल्म दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल हैं।

14. उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए अपेक्षित साहित्य तैयार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।

15. कार्यक्रम की दक्षता और कोटि एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए ।

16. समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए और आदर्शवाद निष्ठा और लोगों, विशेषकर युवकों के प्रति बचनवद्धता में, भागीदार बनाया जाना चाहिए ।

रेल भूमि का अतिक्रमण

4159. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनल रेलवों की ऐसी भूमि का क्षेत्र कितना-कितना है जिसका अतिक्रमण किया गया है, इस प्रकार की भूमि पर किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है और ये अतिक्रमण किस किस तारीख को किए गए ।

(ख) क्या इनको खाली कराने के लिए गत दो वर्षों में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी;

(ग) यदि हां तो वापस ली गई भूमि का व्यक्तिवार, क्षेत्र कितना है और उनसे मुआवजे के रूप में कितनी धन राशि वसूल की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में प्राचीन गुफाओं/कंदराओं की खोज

4160. **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में प्राचीन गुफाओं/कन्दराओं (रौक शोल्टर्स) का पता चला है ।

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल कितनी गुफायें/कन्दरायें पाई गई हैं तथा उनमें से कितनी की एतिहासिकता का अब तक पता लगा लिया गया है तथा तत्सम्बन्धी आगामी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) (क) जी हां ।

(ख) चोरपुरा, जिला शिवपुरी में पहली-दूसरी तथा चौदहवीं शताब्दियों की 10 गुफायें/कन्दरायें (रौक शैल्टर्स) मिली हैं, जिनमें गेरू के लेप चित्र तथा चित्रित लिपियां हैं ।

(ग) कुल लगभग 10 गुफाओं/कंदराओं का अन्वेषण किया गया है और उनके बारे में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सूचित किया गया है । इस जिले में गुफाओं/कन्दराओं के अन्वेषण का अभी कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है ।

फरुखाबाद तथा दिल्ली के बीच सीधी गाड़ी

4161. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में फरुखावाद के लोगों की ओर से फरुखाबाद से दिल्ली तक एक सीधी रेल गाड़ी चलाये जाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली और फरुखावाद के बीच कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाना मार्गवर्ती खंड पर लाइन क्षमता की कठिनाइयों, दिल्ली क्षेत्र में टर्मिनल सुविधाओं की अपर्याप्तता और कोचिंग स्टाक की कमी के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

पोर्ट ब्लेयर तथा अन्य बन्दरगाहों के बीच चलने वाले जहाजों पर केबिन बंकों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव

4162. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सी" केबिन के यात्रियों की बढ़ती हुई सख्या तथा उनके द्वारा उठाई जा रही बहुत सी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार पोर्ट ब्लेयर और अन्य बन्दरगाहों के बीच चलने वाले जहाजों पर केबिनों और बंकों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) देश में पोर्ट ब्लेयर और अन्य पत्तनों के बीच चलाये जा रहे जहाजों पर बंकों और केबिनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर और मुख्य भूमि पत्तनों के बीच चलाए जा रहे यात्री व माल जहाजों के बंकों और केबिनों की यात्री ले जाने की मौजूदा क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो रहा सिवा गर्मियों में अप्रैल से जून तक की अवधि में यातायात अधिक होता है और वह भी केवल पोर्ट ब्लेयर से मुख्य भूमि तक।

देश में प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई छोड़ने वाले

4163. **श्री वी. एस. विजय राघवन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में अलग-अलग, राज्यवार, एक वर्ष के दौरान प्राइमरी कक्षाओं में कुल कितने छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी :

(ख) क्या इसके मुख्य कारण का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एन. सी. ई. आर. टी. ने इस समस्या के हल के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) सामाजिक-आर्थिक पहलू स्कूली शिक्षा की अपर्याप्त सुविधाएं, भौतिक सुविधाओं की कमी, पाठ्यचर्या का केन्द्रित निर्माण आदि इसके मुख्य कारण हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एस. सी. ई. आर. टी./एस. आई. ई. के सहयोग से कुछ प्रयोगात्मक पाठ्यचर्या सुधार परियोजनाएं अर्थात् पोषण-आहार/स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावरणात्मक सफाई, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण तथा प्राथमिक शिक्षा को व्यापक रूप से सुलभ करना, कार्यान्वित कर रही है, जिनके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए औपचारिक तथा गैर-औपचारिक दोनों माध्यमों से सम्बद्ध तथा आवश्यकता आधारित पाठ्यचर्या तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् विभिन्न राज्यों में स्थित अपने चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों तथा क्षेत्र सलाहकारों के जरिए प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए 238 प्रयोगात्मक गैर-औपचारिक केन्द्र संचालित करने में भी लगी हुई है।

विवरण-2 संलग्न है जिसमें किए गए/अनुशंसित उपायों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दाखिला कक्षा 1974-75	दाखिला कक्षा 1978-79	प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की संख्या, 1978-79
1. आंध्र प्रदेश	1405779	528621	877158
2. असम	916956	234126	682830
3. बिहार	1928233	636281	1291952
4. गुजरात	997708	496874	500834
5. हरियाणा	271067	194966	76101
6. हिमाचल प्रदेश	114691	81928	32763
7. जम्मू तथा कश्मीर	124803	65062	59741
8. कर्नाटक	1227808	446692	781116
9. केरल	642794	571470	71324
10. मध्य प्रदेश	127941	539833	739628
11. महाराष्ट्र	2268879	960666	1308213
12. मणिपुर	121773	21069	100704
13. मेघालय	70913	15410	55503
14. नागालैंड	38101	11960	26141
15. उड़ीसा	955386	290296	665090
16. पंजाब	498145	275044	223101
17. राजस्थान	738164	291305	447159
18. सिक्किम	—	3127	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4
19. तमिलनाडु	1466093	877137	608956
20. त्रिपुरा	72491	23234	49257
21. उत्तर प्रदेश	4337215	912535	3424680
22. पचिश्म वंगाल	2229592	576904	1652688
2 . अडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	4790	3154	1636
24. अरुणाचल प्रदेश	15978	3491	12487
25. चण्डीग.ढ़	5638	5632	6
26. दादरा तथा नागर हवेली	4902	938	3964
27. दिल्ली	133086	97378	350708
28. गोवा दमन तथा दीव	42253	25436	16817
29. लक्षद्वीप	1565	1041	524
30. मिजोरम	25447	8818	16629.
31. पांडिचेरी	15531	11928	3603
भारत	21975542	8212356	13763186

विवरण-2

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम के संदर्भ में व्यापक कदम उठाए गए हैं तथा विशेष रूप से स्कूल छोड़ जाने वालों की दरों को कम करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सुजाए गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) समस्त "प्रारभिक शिक्षा" को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम. एन. पी.) के अन्तर्गत शामिल किया गया है और योजना के अन्तर्गत शिक्षा में "प्रारंभिक शिक्षा" को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(2) सभी बस्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिकता तथा मिडिल स्कुल ऐसे स्थानों पर खोलना जहां बच्चे आसानी से पैदल चल कर पहुंच सकें।

(3) स्कूली शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं का अधिक उपयोग करना।

(4) एकल-शिक्षक स्कूलों को दो-शिक्षक स्कूलों में बदलना।

(5) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं को सुधारना।

(6) काफी बड़े पैमाने पर अनौपचारिक अंशकालिकि शिक्षा की व्यवस्था करना।

(7) महिला-शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नियुक्त करना तथा प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए सहायक के रूप में शिशु सदनों/पूर्व-स्कूलों की व्यवस्था करना।

(8) शैक्षिक योग्यता तथा सेवारत प्रशिक्षण के बेहतर स्तरों का प्रयोग करके शिक्षक क्षमता को सुधारना ।

(9) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, भूमिहीन श्रमिक तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग जैसे लक्ष्य-समूहों तथा लड़कियों की ओर विशेष ध्यान देना ।

(10) निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक तथा लेखन-सामग्री निःशुल्क वर्दियों विशेष रूप से लड़कियों के लिए, उपस्थित छात्रवृत्तियों विशेष रूप से लड़कियों के लिए तथा मध्याह्न भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करना ।

(11) पाठ्यचर्याओं के विकेन्द्रीकरण के जरिए शिक्षा की कोटि को सुधारना तथा इन्हें विविध सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं जीवन-स्थिति और पर्यावरण के उपयुक्त बनाना ।

(12) बिना ग्रेड वाली स्कूल प्रणाली शुरू करना तथा गतिरोध को समाप्त करना ताकि प्रत्येक बच्चा एक कक्षा को प्रत्येक वर्ष पूरा कर सके तथा तब तक उसकी कक्षोन्नति होती रहेगी जब तक वह कक्षा VIII पूरी करता है. किन्तु इसके लिए निरन्तर आधार पर आवधिक मूल्यांकन और निर्धारण के जरिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए ।

(13) प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में बहु-बिन्दु प्रवेश की व्यवस्था करना ।

(14) शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में संकेन्द्रित प्रयासों को इन राज्यों तथा प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों उप-क्षेत्रों में भी अनौपचारिक कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा बढ़ाया गया है ।

(15) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में उपस्थिति का अनुश्रवण ।

(16) पर्यवेक्षी तन्त्र को सुदृढ़ करना तथा नीचे ब्लाक स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन को विकेन्द्रित करना ।

(17) माता-पिता को शिक्षित करना ताकि बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता को समाप्त किया जा सके और विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्कूल समितियाँ गठित करना ।

(18) शिक्षक-प्रशिक्षण सहित प्रारंभिक शिक्षा के लिए जन-संचार साधन का अधिकाधिक प्रयोग ।

(19) शैक्षिक रूप से पिछडे नौ राज्यों में शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन करने के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा समिति गठित करना तथा इन राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्य कार्य-बल स्थापित करना ।

(20) प्रारंभिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के वास्ते अध्यापन तथा अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज की केन्द्रीय सहायया ।

रेलवे के लिये वित्तीय नियतन

4164. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 के लिए रेलवे हेतु वित्तीय नियतन 1,170 करोड़ रुपये की अनुमोदित योजना में से बहुत ही घटकर 38 करोड़ रुपये रह गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने एक अनुदेश द्वारा मंत्रालय से कहा है कि वह कुछ लाइनों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हाथ में ले और साथ ही राज्य सड़क विकास निगम को भी 30 करोड़ रुपये का अंशदान दे,

(ग) यदि हां, तो उस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है,

(घ) क्या परिव्यय में कटौती के कारण कई नई परियोजनायें त्याग दी गई हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इससे किन किन योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, वित्तीय नियतनों को घटाकर निम्नतम स्तर पर नहीं रखा गया है और न ही अनुमोदित योजना में कोई कटौती की गयी है । कटौती हमारे प्रस्ताव में की गयी थी ।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है । लेकिन धन की कमी के कारण एक बैठक में प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं ।

राज्य सड़क परिवहन निगमों को अन्शदान भी योजना आयोग के कहने पर नहीं किया जाता । केन्द्रीय सरकार ने रेल मन्त्रालय के माध्यम से राज्य सड़क परिवहन निगमों के निवेश में अन्शदान करने की व्यवस्था कर रही है ।

योजना परिव्यय का विभाजन योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है और अनुमोदित विभाजन में राज्य सड़क परिव्यय निगमों में निवेश के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

(घ) और (ङ) विभिन्न परियोजनाओं के लिये धनराशि का नियतन उनकी पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है और विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन राशि का नियतन बजट प्रलेखों में दिया गया है ।

कलकत्ता पत्तन पर रोके गये जहाज

4165. **श्री वी. वी. देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कलकत्ता पत्तन पर नाविकों के एक वर्ग द्वारा रोक लिए गये बहुत से जहाजों से सम्बन्धित गतिरोधपूर्ण स्थिति में हस्तक्षेप करने हेतु 18 फरवरी, 1982 को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कलकत्ता पत्तन पर जहाजों के रुके रहने से वहाँ भारी भीड़ हो गई थी;

(ग) क्या इस कारण जहाजों के मालिकों को प्रति दिन 50,000 से लेकर एक लाख रुपये मूल्य तक की हानि हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पत्तन से जहाजों की भीड़ हटाने हेतु केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये थे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां । मैंने 17-2-1982 को

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को एक टलैक्स भेजा था जिसमें मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया था ।

(ख) कलकत्ता पत्तन पर जहाजों की इस तरह की कोई भीड़ नहीं थी । इससे पत्तन के कार्यों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । परन्तु, नाविकों के एक वर्ग द्वारा किये गये आन्दोलन के कारण सात जहाजों की यात्रा में बाधा आई ।

(ग) जी, हां, जिन जहाज मालिकों के जहाज रुके रहे, उन्हें प्रतीक्षा प्रभार चुकाने से प्रतिदिन प्रति जहाज लगभग /40,000/-का नुकसान हुआ ।

(ग) मेरे निवेदन किये जाने पर, पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने 19-2-82 को एक बैठक बुलाई जिसमे अन्य व्यक्तियों के साथ नौवहन उपमहानिदेशक उपस्थित थे जिन्हें इस प्रयोजन के लिए कलकत्ता भेजा गया । उक्त जहाजों को 20-2-1982 से जाने दिया गया ।

चीन भारत सम्बन्ध

4167. **श्री आर. पी. गायकवाड़ :**

श्री रीरन घोष :

श्री दिगवांग कोनयक :

श्री बाल कृष्ण वासनिक :

डा. कृपासिंधु भोई :

श्री एच. एन. नरगे गौडा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के उप-विदेश मन्त्री ने भारत को हाल की यात्रा के दौरान यह आशा व्यक्त की थी कि निकट भविष्य में होने वाली बातचीत में सीमा सम्बन्धी मामले पर सहायक तथा अनुकूल रवैया अपनाया जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों में सम्बन्धों को मजबूत बनाने की बातचीत चल रही है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच वार्ता पुनः शुरू करने हेतु समय के बारे में निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां । बताया जाता है कि दक्षिण विचार विमर्श में भाग लेने के लिए 20 से 24 फरवरी तक अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान चीन के उप विदेश मंत्री पू शोऊ वांग ने पी. टी. आई. को दिए गए एक इन्टर्व्यू में यह विचार व्यक्त किया था कि दिसम्बर, 1981 में पीकिंग में अधिकारी स्तर की बातचीत लाभकारी रही है और वे आशा करते हैं कि बातचीत के अगले दौर भी लाभदायक सिद्ध होंगे ।

(ख) दिसम्बर में पीकिंग में हुई इस बातचीत में द्विपक्षीय सम्बन्धों के पूरे आयाम पर चर्चा हुई थी जिसमें सीमा का प्रश्न और आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में निरन्तर बढ़ते हुए सम्बन्ध शामिल है। जिन क्षेत्रों में दोनों में सहमति है उनमें अनुवर्ती कार्यवाही शुरु की जा रही है ।

(ग) और (घ) चीन सरकार के साथ आगे बातचीत की तारीख और अन्य ब्यौरे दोनों पक्षों की सुविधानुसार राजनयिक माध्यमों से तय किए जायेंगे।

छठी योजना के दौरान विद्युतीकरण

4168. **प्रो. नारायण चंद पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण के लिये अनुमोदित की गई रेलवे लाइनें कौन-कौन सी हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक रेलवे लाइन का परिव्यय कितना है;

(ख) क्या इन रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के लिये कोई लक्षित तारीखें भीनिर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो वे तारीखें कौन सी हैं और प्रत्येक मामले में अनुमानित लागत कितनी है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण सलग्न है।

विवरण

छठी पचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित खंड का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये परिव्यय (करोड रुपयों में)	इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धता पर आधारित लक्ष्य
1. दिल्ली रिंग रेलवे सहित दिल्ली-मथुरा-झांसी	45.05	28.27	1983-84
2. गोधरा-आनन्द सहित बडोदरा-रतलाम	36.38	20.74	1983-84
3. तिरुबल्लूर-अरकोणम	3.86	2.64	1982-83
4. मथुरा-गंगापुर सिटी	18.24	2.25	1984-85
5. चन्द्रपुरा कपलैश के कोयला और स्टील बेल्ट क्षेत्र	14.53	2.02	1984-85
6. सीतारामपुर-दानापुर मुगलसराय	86.61	0.01	1988-89
7. विजयवाड़ा-बल्हारशाह	76.75	5.49	1986-87
8. झांसी-बीना-इटारसी	63.65	0.50	1985-86
9, गंगापुर सिटी-रतलाम	70.46	0.50	1984-85
10. भुगवल-नागपुर	60.43	1.00	1986-87
11. अरकोणम-रेणुगुन्टा-गूडूर	21.50	1.66	1984-85
12. इटारसी-नागपुर	34.61	—	1987-88

1	2	3	4
13. बल्हारशाह-वर्धा	21.56	—	1986-87
14. भोपाल-नागदा	29.00	—	1986-87
15. इटारसी-मुसावल	48.23	—	1985-86
16. मौलाएली-सनतनगर वाई माम लाइन सहित काजिपेट-सिकन्दराबाद हैदरावाद-टिकाराबाद	28.00	—	1986-87
17. अरकोरणम-जोल्लारपेट्टै	24.37	0.25	1984-85

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा हिन्दी का प्रयोग

4169. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारत के कौन-कौन से मिशन/दूतावास सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं; और

(ख) वहां हिन्दी को बढ़ावा देने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा किन किन मिशनों/दूतावासों में हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों की नियुक्ति की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) हमारे अधिकांश मिशन सरकार के निर्देशों के अनुसार अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। हम ने सभी मिशनों को आवश्यक हिन्दी साहित्य टाइपराइटर, देवनागरी चार्ट, सिंग्वाफोन रिकार्ड और हिन्दी-अंग्रेजी/अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोश भेज दिए हैं। कतिपय बड़े मिशनों में राज्यभाषा कार्यान्वयन समितियां भी स्थापित की गई हैं। हमारे मिशनों के पुस्तकालयों को बड़ी संख्या में हिन्दी पुस्तकें सप्लाई की गई हैं और उन सबको हिन्दी के समाचार-पत्र और पत्र-पत्रिकाएं भी नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

इस समय मारिशिस, फिजी और त्रिनिदाद स्थित हमारे मिशनों में हिन्दी अधिकारी के पद हैं और काठमांडू स्थित हमारे राजदूतावास में एक हिन्दी अनुवादक काम कर रहा है।

समेकित बाल कल्याण योजना पर विचार

4170 **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में 600 समेकित बाल कल्याण सेवा योजनाएं/परियोजनाएं आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) उन योजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम को विस्तृत करने का निर्णय किया गया है

ताकि छठी पचवर्षीय योजना के अन्त तक 1,000 परियोजनाओं का लक्ष्य पूरा हो जाए। पहले छठी योजना में 600 परियोजनाओं की व्यवस्था थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर भारत सरकार द्वारा लगभग ६० करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने की सम्भावना है। इसमें पूरक पोषाहार पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है, जिसे राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा उठाया जाता है।

(ग) 1975-76 से 1981-82 तक मंजूर की गई समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या छठी योजना की शेष अवधि के लिए मजूर की गई परियोजनाओं की संख्या तथा उन राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम जिन में वे स्थित हैं या स्थित होंगी, नीचे विवरण में दिए गए हैं :—

विवरण

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1981-82 तक मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या	छठी योजना की शेष अवधि के लिए मजूर की गई परियोजननाओं की सं०	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	49	70
2.	असम	10	22	32
3.	बिहार	23	71	94
4.	गुजरात	16	29	45
5.	हरियाणा	9	12	21
6.	हिमाचल प्रदेश	5	5	10
7.	जम्मू और कश्मीर	3	5	10
8.	कर्नाटक	17	31	48
9.	केरल	14	21	35
10.	मध्य प्रदेश	21	49	70
11.	महाराष्ट्र	22	62	84
12.	मणिपुर	5	5	10
13.	मेघालय	5	5	10
14.	नागालैंड	5	5	10
15.	उड़ीसा	16	24	40
16.	पंजाब	9	17	26
17.	राजस्थान	16	29	45
18.	सिक्कम	2	—	2
19.	तमिलनाडु	3	57	60
20.	त्रिपुरा	5	5	10

1	2	3	4	5
21.	उत्तर प्रदेश	24	120	144
22.	पश्चिम बंगाल	21	52	73
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	2	2	4
24.	अरूणाचल प्रदेश	4	6	10
25.	चण्डीगढ़	1	—	1
26.	दादरा और नागर हवेली	1	—	1
27.	दिल्ली	8	9	17
28.	गोवा, दमन और दीव	4	5	9
29.	लक्षद्वीप	1	—	1
30.	मिजोरम	3	3	6
31.	पांडिचेरी	2	—	2
		जोड़ 300	700	1000

समेकित बाल कल्याण योजना पर किया गया व्यय

4171. **श्री निहाल सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान समेकित बाल विकास योजना के लिए जिला-वार कितने अनुदान दिये गये तथा उस पर कितना व्यय किया गया;

(ख) उसे जिलावार कितने बाल लाभान्वित हुए; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा 1981-82 के लिए इस योजना हेतु राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी राशि दी जानी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 197>-80 और 1980-81 के दौरान परियोजना-वार दिए गए अनुदान नीचे दर्शाए गए हैं :—

क्रम सं.	स०बा० वि०से० परियोजना	जिला	विमुक्त की गई धनराशि 1979-80	1980-81
			रु०	रु०
1.	शंकरगढ़	इलाहाबाद	2,88,000	2,88,000
2.	दलमाऊ	रायबरेली	2,88,000	2,88,000
3.	जावन	अलीगढ़	2.88,000	2,88,000
4.	रेवतीपुर	गांजीपुर	2,88,000	2,88,000
5.	नवागल	सहारनपुर	2,88,000	2,88,000
6.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	3,65,400	3.68,600

1	2	3	4	5
7.	गोरखपुर	गोरखपुर	3,65.400	3,68,600
8.	लखनऊ	लखनऊ	1,62,500	3,68,600
9.	हलदौर	बिजरौर	1,28,100	2,88,000
10.	मानिकपुर	बांदा	1,28,100	2,88,000
11.	बेरहाल	देवरिया	1,44,000	1,28,000
12.	सिद्धौर	बारावंकी	1,44 000	1,28,000
13.	सोहावल	फैजाबाद	1.44,000	1,28,000
14.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	1,60,200	1.62,400

(ख) समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को समेकित रूप में अनेक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मार्च, 1980 और मार्च, 1981 के सम्बन्ध में मिली सूचना के अनुसार प्रत्येक समेकित बाल विकास सेवा परियोजना में पूरक पोषाहार और स्कूल-पूर्व शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं	मंजूर करने का वर्ष	स. बा. वि. से. परियोजना खण्ड	जिला	0-6 वर्ष के आयु पूरक पोषाहार पाने वाले बच्चे		3-6 वर्ष के आय वर्ग में स्कूल पूर्व शिक्षा पाने वाले बच्चे	
				मार्च 1980	मार्च 1981,	मार्च 1980	मार्च 1981
1.	1975-76	शंकरगढ़	इलाहादाद	6,047	8,901	3,789	6,001
2.	1975-76	दलमाऊ	रायगरेंली	8,003	9,412	3,032	3.456
3.	1975-76	जावन	अलीगढ़	11,566	6,502	10,573	5,589
4.	1978-79	रेवतीपुर	गाजीपुर	—	5,685	—	5,685
5.	1978-79	नागल	सहारनपुर	—	5,301	—	4,098
6.	1978-79	गोरखपुर	नगर	—	5,756	—	3,939
7.	1979-80	हलदौर	बिजनौर	—	7.680	—	2,766
8.	1979-80	मानिकपुर	बांदा	—	5,800	—	1,724
9,	1979-80	अलीगंज	लखनऊ	—	7,970	—	5,242

1978-79 की परियोजनाएं 1980-81 में पूरी तरह चलने लगी थी। 1979-80 की परियोजनाएं 1980-81 में पूरी तरह नहीं चलने लगी थीं।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशियाँ नीचे दर्शाई गई हैं :—

क्रम स.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1981-82 के लिए धनराशि (रुपए लाख की राशियों में)
1.	आंध्र प्रदेश	55.15
2.	आसाम	39.36
3.	बिहार	53.36
4.	गुजरात	57.81
5.	हरियाणा	29.31
6.	हिमाचल प्रदेश	15.28
7.	जम्मू और कश्मीर	19.69
8.	कर्नाटक	48.84
9.	केरल	31.74
10.	मध्य प्रदेश	39.26
11.	महाराष्ट्र	57.33
12.	मणिपुर	13.79
13.	मेघालय	13.91
14.	नागालैंड	11.50
15.	उड़ीसा	37.77
16.	पंजाब	19.26
17,	राजस्थान	40.68
18.	सिक्किम	6.53
19.	तमिलनाडु	9.79
20.	त्रिपुरा	20.38
21.	उत्तर प्रदेश	49.54
22.	पश्चिम बंगाल	49.40
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3.45
24.	अरुणाचल प्रदेश	3.63
25.	चंडीगढ़	4.79
26.	दादरा नगर हवेली	2.94
27.	दिल्ली	34.35
28.	गोवा, दमन और दीव	3.47
29.	लक्षद्वीप	0.98
30.	मिजोरम	9.50
31.	पांडिचेरी	4.93

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद की परीक्षाओं के लिए पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रों की स्थापना किया जाना

4172. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद अपने केन्द्रों को विशेषकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है जिससे कि उन क्षेत्रों के छात्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग ले सकें; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में ऐसे केन्द्रों की संख्या क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) राज्य शैक्षिक प्राधिकारियों के परामर्श से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियों के लिए परीक्षाओं के सचालनार्थ केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। सामान्यत: प्रत्येक जिले के मुख्यालय में कम से कम एक केन्द्र होता है। 1982 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के केन्द्रों के स्थानों को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है और नये केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

योजना को विकेन्द्रित करने का एक प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद के विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत प्रथम स्तर का चयन राज्य स्तर पर किया जायेगा ताकि राज्य सरकारें चयन पद्धति में अधिकाधिक भाग लें। यह आशा की जाती है कि इससे प्रतिभा का व्यापक रूप से पता लगाने में सहायता मिलेगी तथा अन्तिम चयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के छात्र अधिक सख्या में आएंगे।

1982 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी और अनुमानित आय

4173. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 के एशियाई खेलों में भारत में कितने खिलाड़ियों के भाग लेने की सभावना है; और

(ख) खेलों से कुल अनुमानित आय कितनी होगी और विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत एशियाई खेलों की तैयारी में अब तक कुल कितना खर्च हो गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) भारतीय ओलिम्पिक संघ का यह अनुमान है कि नौवें एशियाई खेल, 1982 में जिन भारतीय खिलाड़ियों के भाग लेने की सम्भावना है, उनकी संख्या 475 और 500 के बीच होगी।

(ख) एशियाई खेलों की विशेष संचालन समिति के अद्यतन अनुमानों के अनुसार, खेलों से प्राप्त होने वाली आय की कुल राशि के लगभग 9 करोड़ रुपये होने की आशा है। एशियाई खेलों के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत 15-2-82 तक दर्ज (बुक) किए गए व्यय की कुल राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सरकार द्वारा एशियाई खेल परियोजनाओं पर वहन किए जाने वाले व्यय, जो 15-2-1982 तक दर्ज (बुक) किया जा रहा है, के विस्तृत ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	मद्द	नवम्बर, 1980 में तथा अनुमोदित	15-2-1982 तक किया गया व्यय
1	2	3	4
		(आंकड़े करोड़ रुपयों में)	
(क)	**निर्माण कार्य**		
1.	विद्युत उप-केन्द्र सहित लोधी रोड कोम्पलैक्स में निर्माण किया जाने वाला नया स्टेडियम	16.21	9.19
2.	राष्ट्रीय स्टेडियम का नवीकरण	2.47	
3.	हौज खास में नया लान टेनिस स्टेडियम	0.20	
4.	राजघाट में नया इन्डोर स्टेडियम	6.00	4.80
5.	मुक्केवाजी और टेबल टेनिस खेलों के आयोजन के लिए प्रगति मैदान में स्थान ।	1.75	कुछ नहीं
6.	राजघाट खेल कोम्पलैक्स में निर्मित नया साइकिल वेलोड्रोम	1.00	0.72
7.	निर्माण किए जाने वाले निशानेबाजी के नये क्षेत्र	0.70	0.70
8.	ताल कटोरा गार्डन में निर्माण किया जाने वाला नया तरणताल	6.50	3.74
9.	एशियाई खेलों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले दिल्ली में विद्यमान स्टेडियमों में सुधार ।	2.00	0.35
	कुल	36.83	19.50
(ख)	**अन्य मद्दें**		
1.	खेल, स्टाफ, कला प्रदर्शन विविध का आयोजन	6.00	2.24
2.	स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था	0.70	कुछ नहीं
3.	सुरक्षा कानून और व्यवस्था का प्रबन्ध ।	1.50	कुछ नहीं
4.	सूचना और संचार व्यवस्था	4.20	0.08
5.	उपस्कर	2.00	0.72
6.	भारतीय टीमों को तैयार करना	1.50	0.40
7.	खेल ग्राम को सुसज्जित करना आदि	1.50	कुछ नहीं
8.	परिवहन	0.60	कुछ नहीं
	कुल	18.00	3.44
	कुल (क और (ख)	54.83	22.94

एशियाड परियोजनाएं

4174. **श्री त्रिलोक चन्द्र :**

डा. ए. यू. आजमी :

प्रो. मधु दंडवते : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम द्वारा एशियाड 82 के लिए अलग-अलग क्या कार्य किया जा रहा है और कार्य के प्रत्येक मद पर कितना व्यय किया जा रहा है; और

(ख) ये कार्य कब तक पूरे होने की संम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम द्वारा एशियाई खेल 1982 के लिए शुरू की गई परियोजनाएं, जिन्हें पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में एशियाई खेल बजट में से वित्त पोशित किए जाना है, इन परियोजनाओं पर किये जाने वाला खर्च और इनके पूरा होने की सम्भावित तारीख **संलग्न विवरण में** दर्शाई गई हैं।

विवरण

क्र. सं.	नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रु.	पूरी होने की सम्भावित तिथि	कैफियत
1.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	(I) राजघाट खेल परिसर में अंतरंग स्टेडियम	15.35 (संशोधित 25.83)	31-7-72	6 करोड़ रु. एशियाई खेल बजट में से और शेष दि. वि. प्रा. के बजट में से वहन किया जाएगा।
		(II) साइकिल वेलोड्रम राजघाट खेल परिसर	0.72	30-6-82	एशियाई खेल बजट से पूर्ण रूप से वित्त पोषित
		(III) निशानेबाजी रेंज तुगलकाबाद	0.70 (संशोधित 0.74)	30-6.82	—वही—

1	2	3	4	5	6
2.	दिल्ली प्रशासन	माडल टाउन स्टेडियम का नवीकरण	0.14	30-6-82	—वही—
3.	दिल्ली नगर निगम	डा. अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली गेट का नवीकरण	0.53	30-6-82	—वही—

मिडिल और हाई स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरना

4175. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है क देश में मिडिल और हाई स्कूल में शिक्षा का स्तर वर्ष-दर-वर्ष गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार मामले की छानबीन करने और शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) शिक्षा के स्तर की विचारधारा बहुत व्यापक है। यदि इसको समग्र रूप से लिया जाय तो पाठ्यचर्याओं को समृद्ध बनाकर, कोटि की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करके, अध्यापकों की क्षमताओं को उतरोन्नत करके तथा मूल्यांकन तकनीकों में सुधार करके स्कूल शिक्षा के स्तरों को बढ़ाने पर नियमित रूप से बल दिया गया है।

तथापि, शैक्षिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है। स्कूल स्तर पर शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए दोनों, केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

विभिन्न समितियों ने समय-समय पर इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया है तथा उनकी सिफारिशें राज्य सरकारों को परिचालित कर दी गई हैं। इस मामले की जांच करने के लिए एक और समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एशियाड से संबंधित किया गया कार्य और उसका पूरा होना

4176. **श्री हन्नान मोल्लाह** :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी एशियाड से संबंधित कार्य कितने प्रतिशत किया गया है;

(ख) आज तक कितना कार्य किया जाना निर्धारित किया गया था और उसमें से कितना किया गया है; और

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले 54.83 करोड़ रुपये के व्यय के समग्र

अनुमान को, एशियाई खेल, 1982 के लिए सरकार द्वारा नवम्बर, 1980 में अनुमोदित किया गया था। आगामी एशियाड से सम्बन्धित विभिन्न कार्यकलापों पर किए गए कार्य की प्रतिशतता का अनुमान इसी तथ्य से लग पाएगा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग 38 करोड़ रुपये का खर्च होने की सम्भावना है। अभी खर्च की जाने वाली अधिकतर व्यय राशि को 1982 के अन्त में सुनिश्चित समय पर खेलों के वास्तविक आयोजन के लिए रखा गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में एशियाड के लिए रखे गये 31.24 करोड़ रुपये का लगभग सम्पूर्ण बजट प्रावधान इसी वर्ष के अन्दर खर्च कर दिया गया है :

किसी भी स्थिति में, एशियाड 1982 को आयोजित करने के लिए आवश्यक विभिन्न सुविधाएं उस खेल के लिए ठीक समय पर उपलब्ध कराये जाने की आशा है।

(ग) 22.94 करोड़ रुपये का व्यय 15 फरवरी, 1982 तक दर्ज (बुक) कर दिया गया है।

देश के अक्षम और आर्थिक रूप से रुग्ण कालेजों के बारे में सरकार की नीति

4177. **डा. बसत कुमार पण्डित :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह कहा है कि देश में 4600 कालेजों में से लगभग 30 प्रतिशत कालेज अकादमिक रूप से अक्षम और वित्तीय रूप से रुग्ण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि इस तरह के रुग्ण कालेजों को इनके भवनों का सांध्य कक्षाओं और अन्य अल्पावधि पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोग में लाने हेतु बंद कर दिया जाना चाहिए;

(ग) शैक्षिक सक्षमता और आर्थिक सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने के लिए, खोले जाने वाले नए कालेजों की अनुमति देने में सरकार के नियम और नीति क्या हैं; और

(घ) (क) महानगरीय क्षेत्रों में, (ख) 25 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में, और (ग) अविकसित अथवा आदिवासी क्षेत्रों में कितने कालेज स्थित हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने यह कहा था कि देश में लगभग 4,500 कालेजों में से लगभग 30 प्रतिशत कालेज शैक्षिक रूप से अक्षम थे।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है।

(ग) नए कालेजों की स्थापना पर निर्णय राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा लिए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, राज्य सरकारों द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित नहीं किये हैं। तथापि, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को एक सामान्य नीति के मामले के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि नई संस्थाएं स्थापित करने पर काफी नियंत्रण रखना चाहिए और इन्हें सामान्यत: पिछड़े क्षेत्रों को छोड़ कर, स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है कि नई संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता वास्तविक शैक्षिक विचारधाराओं पर होनी चाहिए तथा यदि वे स्थापित की जाती हैं तो उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए।

(घ) यह सूचना एकत्रित करके उसी रूप में नहीं रखी जाती, जिसमें यह मांगी गई है।

हरियाणा में नए इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना करना

4178. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्य-वार) कुल कितने इंजीनियरिंग कालेज है;

(ख) क्या इस समय हरियाणा में केवल एक इन्जीनियरिंग कालेज हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या हरियाणा में एक और इन्जनियरिंग कालेज की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या हरियाणा सरकार ने एक और इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) एक **विवरण संलग्न है**।

(ख) से (ङ) हरियाणा में 2 इन्जीनियरी/प्रोद्योगिकी संस्थाएं अर्थात् क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी वस्त्र संस्थान भिवानी हैं। नया इन्जीनियरी कालेज स्थापित करने के सम्बन्ध में हरियाणा सरकार से कोई प्रस्ताव अथवा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

देश (राज्य-वार) में उन इन्जीनियरी/प्रौद्योगिकी संस्थाओं की संख्या, जिनमें प्रथम डिग्री या समकक्ष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है (सर्वेक्षण रिपोर्ट) 1980 (के अनुसार)

राज्यों का नाम	इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकीय संस्थाओं की संख्या
उत्तरी क्षेत्र	
1. चंडीगढ	4
2. दिल्ली	5
3. हरियाणा	2
4. जम्मू और कश्मीर	1
5. पंजाब	3
6. राजस्थान	5
7. उत्तर प्रदेश	14
	34
पूर्वी क्षेत्र	
8. असम	3
9. बिहार	7
10. उड़ीसा	2
11. त्रिपुरा	1
12. प. बंगाल	14
	27

1	2
पश्चिमी क्षेत्र	
13. गुजरात	8
14. मध्य प्रदेश	11
15. महाराष्ट्र	19
16. गोआ	2
	40
दक्षिणी क्षेत्र	
17. आंध्र प्रदेश	20
18. केरल	8
19. तमिल नाडु	17
20. कर्नाटन	42
	87

अर्ध-सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा देना

4179. **श्री भोखा भाई** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पंचायत, पचायत समितियां जैसी गैर-सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वियन की इच्छा है और क्या सरकार ने इस दिशा में विचार करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या अनौपचारिक शिक्षा के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में किसी राज्य सरकार ने कोई सुझाव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो ये सुझाव किस प्रकार के है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) प्रारम्भि आयु-वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना में कोई समानान्तर प्रशासन प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था नहीं है इसे औपचारिक की प्रशासनिक पद्धति के माध्यम से ही लागू किया जाना है, क्योंकि औपचारिक तथा गैर-औपचारि कप्रणाली माध्यम अनुपूरक हैं तथा अन्ततोगत्वा इससे एक दूसरे की सहायता करने, उसे सुदृढ़ बनाने तथा समृद्ध होने की आशा है।

तथापि इस योजना के अन्तर्गत गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों संचालन के लिए गैर-राजकीय संगठनों को सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सहायता के नियमों को उदार बनाने तथा योजना को और अधिक लचीली बनाने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं।

एशियाड, 82 में खेले जाने वाले खेल और उनमें भाग लेने वाली टीमें

4180. **श्री दौलत राम सारण** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले एशियाड में खेले जाने वाले खेल क्या-क्या हैं, और इन खेलों में भाग लेने वाले देश, खिलाड़ी तथा टीमें कौन-कौन हैं;

(ख) उन खेलों में शामिल होने वाले कबड्डी, खो-खो आदि के अलावा अन्य भारतीय खेल कौन-कौन हैं;

(ग) क्या कई खेल संगठनों ने एशियाई खेलों में भारतीय खेलों जैसे कबड्डी, खो-खो को शामिल करने की मांग और उनके प्रदर्शन के कार्यक्रम जानने की मांग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई गई है तथा क्या निर्णय लिया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) नौवें एशियाई खेल 1982 में खेले जाने वाले खेलों को दर्शानेवाला **विवरण संलग्न है**। कबड्डी को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। इन खेलों में किसी अन्य पारम्परिक भारतीय खेल को शामिल नहीं किया गया है। विशेष संचालन समिति को अभी निमंत्रण पत्र जारी करने हैं, अतः इस स्तर पर उन देशों, खिलाड़ियों और टीमों के नामों का उल्लेख करना संभव नहीं कि एशियाई, 82 में कौन-कौन भाग ले सकेंगे।

(ग) और (घ) कबड्डी के अलावा खो-खो नलखाब और साइकिल पोलो जैसे अन्य भारतीय खेलों की राष्ट्रीय संघों ने इन खेलों को नौवें एशियाई खेलों में शामिल करने हेतु विशेष संचालन समिति से अनुरोध किया था। एशियाई खेल संघ के नियमों के अनुसार, प्रदर्शन खेलों के रूप में केवल दो ही खेल शामिल किये जा सकते हैं। एशियाई खेल संघ द्वारा यथा स्वीकृत कबड्डी एक भारतीय खेल और सेपाक तेकरा एक मलयालम खेल को एशियाड, 1982 के लिए प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया है।

विवरण

खेल

1- तीरंदाजी
2- एथलेटिक्स
3. बैडमिंटन
4- बास्केटबाल
5- मुक्केबाजी
6- साइकिल चलाना
7- घुड़सवार
8- फुटबाल
9- गोल्फ
10- व्यायाम
11- हैण्डबाल
12- हाकी
13- नौका विहार

14- निशानेवाजी
15- तैराकी
16- टेबल टेनिस
17- लान टेनिस
18- वाली बाल
19- भारोत्तोलन
20- कुश्ती
21- नौकायन

प्रदर्शन खेल

1- कबड्डी
2- सेपाक टेकरा

शास्त्रीय भाषा का संबर्द्धन

4181. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं अर्थात् संस्कृत, पाली और अरबी के संबर्द्धन हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार ने अनुवाद कार्य में लगे लेखकों सहित, उनकी उपलब्धियों के साथ प्रतिवर्ष लेखकों का सम्मान करने की भी कोई व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, इन भाषाओं में से प्रत्येक के सम्मानित किए गए लेखकों के नाम और पते क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) भारत सरकार द्वारा संस्कृत और अरबी की तरक्की के लिए संचालित योजनाओं की एक सूची विवरण पर देखी जा सकती है। भारत सरकार आलोचनात्मक पाली शब्दकोश तैयार तथा प्रकाशित करने के लिए भारतीय केन्द्र को वित्तीय सहायता दे रही है जो रायल डेनिस अकादमी कापनहेगन के अन्तर्राट्रीय सहयोग से कार्यान्वित एक परियोजना है। यह केन्द्र राजकीय संस्कृत कालेज, कलकत्ता में स्थित है।

बोद्ध दर्शन शास्त्र स्कूल, लेह तथा केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी जो बोद्ध दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए स्थापित तथा भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित स्वायत्त संगठन हैं, में भी पाली के अध्ययन के लिए व्यवस्था है।

(ख) साहित्य अकादमी, संस्कृत के सृजनात्मक अथवा अलोचनात्मक ग्रन्थों के संस्कृत लेखकों को सम्मानित कर रही है और ऐसे तीन लेखकों को अभी तक सम्मानित किया गया है तथापि, अनुवाद कार्य में लगे हुए लेखकों को सम्मानित करने की कोई योजना नहीं है ।

(ग) पिछले वर्षों के दौरान निम्नलिखित संस्कृत लेखकों को सम्मानित किया गया था :

1981	श्री जगन्नाथ पाठक, गंगानाथ झा केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद
ग्रन्थ	कपिशयानी (पद्य)

1980	श्री पी. सी. देवासैया जया भारतम, त्रिवेन्द्रम
ग्रन्थ	कस्तूभगवतम (महाकाव्य)
1979	श्री के. एन. एजूत्तचन, "दुर्गामन्दिर" पत्ताम्बी, डाकखाना, पालघाट जिला केरल
ग्रन्थ	केरालोदाया (महाकाव्य)

विवरण

1. मन्त्रालय द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्था, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को सहायक अनुदान ।

2. संस्कृत के प्रचार तथा विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान ।

3. संस्कृत पुस्तकों की खरीद और प्रकाशन सहित संस्कृत साहित्य का निर्माण ।

4. आदर्श संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना ।

5. छात्रवृत्तियां देना

(1) सस्कृत में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां ।

(2) शास्त्री तथा आचार्य पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां ।

(3) पारम्परिक पाठशालाओं के छात्रों कों अनुसंधान छात्रवृत्तियां ।

6. अखिल भारतीय संस्कृत वाक प्रतियोगिताओं का आयोजन ।

7. वैदिक अभिसमय का आयोजन ।

8. दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं तथा अनुसंधान संस्थाओं को सहायक अनुदान ।

9. मौखिक वेद पाठ की परम्परा का परिरक्षण

10. अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे संस्कृत पंडितों को वित्तीय सहायता ।

11. संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण और माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था ।

12. माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना । संस्कृत की प्रोन्नति की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को अनुदान ।

13. आदर्श पाठशालाओं तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों में विख्यात संस्कृत विद्वानों की सेवाओं का उपयोग करना ताकि संस्कृत के गहन अध्ययन को सुरक्षित रखा जा सके ।

14. प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों को राष्ट्रपति द्वारा मानद प्रमाण-पत्र

15. अरबी और फारसी के परम्परागत मदरसों के छात्रों को अनुसन्धान छात्रवृत्तियां देना ।

16. अरबी और फारसी के प्रचार और विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान ।

ललित कला और सांस्कृतिक धरोधर की सुरक्षा

4182. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** · क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के कोने-कोने में सर्पत्र विशेपरूप से पिछड़े ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में फैली बोली, लोकगीतों, लोक साहित्य और विशाल सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के महत्व को महसूस करती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसकी सुरक्षा के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बोलियों और लोकगीतों; जो शिक्षा और नई सभ्यता के प्रसार के साथ धूमिल पड़ती जा रही है; की सुरक्षा के लिए "टेप रिकार्ड" के साथ आवश्यक कर्मचारी कम से कम तहसील/तालुका स्तर पर नियुक्त करके ढूंढ़ेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) आदिवासीय और लोक कलाओं के परिरक्षण तथा प्रोन्नति से सम्बन्धित एक सलाहकार समिति ने आदिवासी कला और संस्कृति के परिरक्षण के प्रश्न पर विचार किया और इसकी सिफारिशें, जो राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कला और संस्कृति के प्रभारी मत्रियों की 2 जुलाई 1979 को हुई एक बैठक में अनुमोदित किया गया था, संबन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई थी।

केन्द्रीय एजेंसियाँ, उदाहरणार्थ, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, संगीत कर्नाटक अकादमी की आदिवासी और अन्य सीमावर्ती भाषाओं जिसमें बोलियां भी शामिल हैं की प्रोन्नति तथा विकास और आदिवासी नृत्य और संगीत के विभिन्न स्वरूपों के प्रलेखन की योजनाए हैं। आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा लोक तथा आदिवासी संगीत के संकलन तथा परिरक्षण की एक भी एक योजना है।

(ग) जी, नहीं।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक सहयोग

4183. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग पर संतोष प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत कोरिया व्यवसाय समिति वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्रों में पारस्परिक हित के क्षेत्रों का पता लगायेगा। सरकार इस समिति की सिफारिश की जांच करेगी ताकि उन पर अमल करने में सुविधा रहे। आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने और उनका विस्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : केरल पर एक स्थगन प्रस्ताव है।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) :राज्य सभा के चुनावों के अवसर पर केरल विधान सभा

को भंग कर दिया गया है (व्यवधान) राज्य सभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य सभा चुनावों के समय राज्य विधान सभा भंग कर दी गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

प्रो. मधु दण्डवते : आप एक-एक करके सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति दें और आप अपना विनिर्णय दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : जब वहाँ मेजारिटी खत्म हो गई थी तो अपोजीशन को वहाँ सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं दिया गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ता. 22 को डिस्कशन शुरू होने वाला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप गलियारे में क्यों खड़े हैं ? (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : आप उसे नहीं सुन सकते जो हम कह रहे हैं और हम वह नहीं सुन सकते जो आप कह रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : क्या आप एक-एक करके हमारी बात सुनेंगे कि हमें इस मामले में क्या कहना है ? आप हमें कहने का अवसर तो दें।

श्री जाज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : आप हमें सुनें। संविधान का उल्लंघन किया गया है।

प्रो. मधु दण्डवते : हमें विश्वास है कि यदि आप हमें सुने तो हम आपको सहमत करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : परसों तो आप कह रहे थे कि डिस्मिस क्यों नहीं करते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमांड आ रही हैं उन पर डिस्कशन हो जायेगा।

प्रो. मधु दण्डवते : आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते। हम आपको सहमत करा सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गृह मंत्रालय की मांगों में हमें कानून और व्यवस्था पर चर्चा करनी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस समय हमें संवैधानिक प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह सविधान के संरक्षण का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या हम संवैधानिक प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री नीरेन घोष (दमदम) : क्या आप सरकार को संविधान का उल्लंघन करने की अनुमति देंगे ?

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : दो राज्यों के सदस्यों को राज्य सभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। (व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : हमारे अनुरोध सुनने में क्या हानि है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्रालय की मांगें आ रही हैं। मैंने आप को गृह मंत्रालय की मांगों में अवसर दिया है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गृह मंत्रालय की मांगों में हमें कानून और व्यवस्था पर विचार करना है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ प्रश्न नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक नया तरीका है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर भी चर्चा की जा रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

महापत्तन न्यास अधिनियम के अधीन अधिसूचना तथा विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अन्तर्गत महापत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 अगस्त 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा. का. नि. 725 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 3550/82]

संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा ललित कला अकादमी (नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा आदि

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) संगीत नाटक अकादमी: नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 3551/82]**

(3) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 3552/82]**

(5) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (5) (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 3553/82]**

(6) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी अंचल) मद्रास* व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी अंचल) कलकत्ता** और शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी अंचल) कानपुर** के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3554/82]**

(7) राष्ट्रीय नाटक विद्यालय नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन @ तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बता नेवाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3555/82]**

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

---

* प्रतिवेदन 25 फरवरी को सभा पटल पर रखा गया था।

** प्रतिवेदन 5 मार्च 1982 को सभा पटल पर रखा था।

@ प्रतिवेदन 18 फरवरी को सभा पटल पर रखा गया था।

"मुझे लोक सभा को यह सूचित करना है कि राज्य सभा ने आज 17 मार्च 1982 को अपनी बैठक में विश्व भारती (अधिनियम) विधेयक, 1978 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :

"कि विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, 1978 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के समय को राज्य सभा के 122वें सत्र (अप्रैल मई 1982) के अन्तिम दिन तक और बढ़ाया जाये।"

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा तथा आदेश और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट

ग्रह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 मार्च, 1982 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 17 मार्च 1982 के भारत के राज्यपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 254 (अ) में प्रकाशित हुई है।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण ने राष्ट्रपति द्वारा दिए गये दिनांक 17 मार्च 1982 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 मार्च, 1982 के भारत में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 255 (अ) में प्रकाशित हुआ है।

(2) केरल के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई दिनांक 17, मार्च, 1982 की रिपोर्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए सख्या एल. टी. 3660/82]**

श्री जार्ज फर्नांडीस : (मुजफफरपुर) श्री अटल बिहारी वाजपेयी का व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अलाऊ करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) अध्यक्ष महोदय, आप श्री निहार रंजन लास्कर को इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि वे सभा पटल पर उस प्रोवलेमेशन की कापी रखें जो कि 17 मार्च को जारी किया गया है और जिसके अनुसार संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत केरल में राष्ट्रपति राज लागू कर दिया गया है। **(व्यवधान)**

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : जो कार्यवाही की गई है उसके औचित्य के सम्बन्ध में आप को हमारा निवेदन भी सुनना होगा **(व्यवधान)**

(अध्यक्ष महोदय) : नहीं, नहीं।

श्री ईराअनबारासु (चिंगलपट्टू) : राज्यपाल की कार्यवाही पूरी तरह न्यायोचित है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार के पास केरल के गवर्नर की रिपोर्ट आयी है ?

एक माननीय सदस्य : आयी है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या उस रिपोर्ट ····· (**व्यवधान**) आखिर यह जो प्रोवलेमेशन जारी किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनसे लिखित सूचना प्राप्त हुई है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप भी मामला उठा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, श्री बनातवाला.

श्री ईरा अनबारासु : कार्यवाही बिल्कुल उचित है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिणी) उन्होंने अभी समाप्त नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए। (**व्यवधान**) आप क्या कर रहे हैं ? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

में यह कह रहा था कि मेरे पास जो विधि के अनुसार लिख कर आता है, उसी के अनुसार काम लिया जाता है। इन्होंने मुझे लिखकर दिया था कि इस आइटम पर मैं अपने विचार रखूँगा। अगर कोई और रखेगा तो उनको भी अलाऊ कर दूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति दी है,

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कब बन्द किया है ?

श्री जी.एम. बनातवाला : हमें अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कब बन्द किया है ?

श्री जी. एम. बनातवाला : हमें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह हमारा निवेदन है। जैसे ही वह अपना अंतरोध समाप्त करें, हमें भी अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने आपको मना किया है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको मना तो नहीं किया। अब आप क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें कहनी हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : भई यह क्या कर रहे हैं ? आप बैठिये। आप अपोज कीजिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये डबल रोल कर रहे हैं।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) यह डबंल रोल क्या है ?

श्री अटल विहारी वाजपेयी : आप इनको एक रौल करने दीजिए अगर ये हमारे डबल रौल पर बाधा न करें तो।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर केरल की सरकार अल्पमत में रह गयी थी तो वहाँ विरोधी दल बहुमत में हो गये थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं औरों को भी इजाजत दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर विरोधी दल को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। सरकार बनाने के बाद वे अपनी ताकत का परीक्षण विधान सभा में कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि विरोधी दल का मामला है, कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं है।

मेरी दूसरी आपत्ति है कि अब राज्यसभा के चुनावों की प्रक्रिया शुरु हो गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केरल से भी राज्यसभा के लिए सदस्य चुन कर आने वाले हैं। नोमिनेशन फाइल हो चुके हैं। ऐसे समय में असेंबली सस्पेंड की जा सकती थी और राज्य सभा के चुनावों के बाद सारी परिस्थिति पर विचार किया जा सकता था, लेकिन विरोधी दल का कोई मेंबर राज्यसभा में न जाने पाये, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि यह प्राक्लेमेशन सदन के पटल पर नहीं रखा जा सकता यह संविधान के खिलाफ है। आप इसके लिए मना करिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आपकी बात सुन ली है, औरों की भी सुन लेने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सब की बात सुन रहा हूं, आपकी भी सुनूंगा। यस मिस्टर बनातवाला।

श्री जी. एम. बनातवाला : सभा पटल पर रखी जाने वाली उद्घोषणा की प्रति संविधान के बिल्कुल अनुकूल है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री जी. एम. बनातवाला केरल की स्थिति इतनी अस्थिर है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बीच में बोलते हैं ? प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले उनको सुन लेने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इन्तजार कीजिए। यह खराब बात है।

अभी मैं इनको सुन रहा हूं, फिर चन्द्रजीत यादव जी को सुनूंगा। एक-एक करके···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं, नहीं, यह ठीक तरीका नहीं है। आप मुझे कैसे मजबूर कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से मेरा बोलना बन्द नहीं कर सकते।

आप लोगों क्यों बोल रहे हैं ? क्या हो रहा है यह ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर ठीक नहीं होगा तो मैं ओवर रुल करूंगा, आप कैसे करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं (व्यवधान)

श्री चन्द्र जीत यादव : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव

श्री जी. एम. बनातवाला : यह बिल्कुल उचित है, महोदय (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : भई आप बीच में क्यों बोलते हैं, बारी-बारी से। (**व्यवधान**)

श्री जी. एम. बनातवाला : मुझे बोलने की अनुमति दी जाये।

श्री जगदीश टाईटलर : यह केरल की आवाज है। उन्हें बोलने दीजिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए, आप क्यों बोल रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इनको सुन रहा हूं, इनको सुनने के बाद···। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर कुरियन आप क्यों आपस में बात कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब वक्त आयेगा तो करुंगा। आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : कोई बैकल्पिक सूक्षम सरकार बनाने की कोई सम्भावना नहीं है। राष्ट्रपति शासन ही एक मात्र तरीका है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। आप अपनी बारी से बोलिए।

श्री जी. एम. बनातवाला : केरल में इस समय ऐसी स्थिति है कि वहां पर कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बनाई जा सकती। यह असम्भव है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री जी. एम. बनातवाला : इस लिए एक मात्र विकल्प राष्ट्रपति शासन की घोषणा करना था। प्रश्न यह है कि विधान सभा का विघटन क्यों किया गया। एक आरोप लगाया गया है और मेरा निवेदन यह है कि यह आरोप अच्छी नियत से वहां लगाया गया यह बिल्कुल ···(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई है। बिना मेरी अनुमति के एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिति नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने जो कुछ कहा है, वह मेरी अनुमति के बिना कहा है।

श्री जी.एम. बनातवाला : विद्यमान विधान सभा से राज्य सभा में प्रतिनिधित्व बिल्कुल अवैध गैर-लोकतांत्रिक और अनैतिक होगा (**व्यवधान**) केरल की जनता को विधान सभा बनाने के लिए कहा जा सकता है और तभी राज्य सभा से उचित प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। मैं एक पूर्वादाहरण का उल्लेख करना चाहता हूं। पूर्वादाहरण यह है कि राज्य सभा में दिल्ली की प्रतिनिधित्व दिया जाता था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब ठीक है। अपने अपनी बात कह ली है, इस पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इस अवस्था में केरल विधान सभा का विघटन करना राज्य पाल की कार्यवाही दो दृष्टियों से प्रचलित संसदीय प्रक्रिया और सिद्धांतों के विरुद्ध है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गगा।

प्रथमत: उसी राज्यपाल ने कांग्रेस (आई) के मुख्य मंत्री को नियुक्त किया था और एक सदस्य के बहुमत से सरकार बनाने की अनुमति दी थी। यदि वह सदस्य दल बदल लेता है और विरोधी पक्ष में शामिल हो जाता है तो स्पष्ट है कि उस पक्ष का बहुमत हो जाता है। उसी आधार पर राज्यपाल को विरोधी पक्ष को सरकार बनाने की अनुमति देनी चाहिए थी। राज्यपाल ने दोहरी चाल चली है। दूसरे क्या आप एक भी उदाहरण दे सकते हैं, जब राज्य सभा के लिए चुनाव हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी हो उस समय विधान सभा का विघटन कर दिया गया हो और विधान सभा के सदस्यों को राज्य सभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार न दिया गया हो। यह बात संविधान विरुद्ध है। यह दलगत प्रश्न नहीं है। देश में यह समझा जाने लगा है कि शासक दल के केन्द्री नेता राज्यपालों का उपयोग कर रहे हैं और उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करने लिए राज्यपालों पर दबाव डाल रहे हैं। लोकतंत्र के लिए यह बहुत गम्भीर बात है। लोकतंत्र के लिए यह गम्भीर खतरा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्हम्बु

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी ओर आ रहा हूं।

कुछ माननीय सदस्य उठे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके बुलाऊंगा ये हैं, वह नही हैं ? यह बात थोड़े ही हुई ? इस तरह से आप लोग क्यों करते हैं ? आपको जल्दी क्यों है ? यदि आप की कोई बात है तो मैं उसे सुनूंगा।

श्री के. कुन्हम्बु (कन्नानौर) : राज्यपाल की कार्यवाही बिल्कुल न्यायोचित है। उन्होंने सदस्यों को खरीदने की अनुमति नहीं दी है। उनकी कार्यवाही पूरी तरह संवैधानिक है।

(व्यवधान)

श्री मधु दंडवते : (राजापुर) मैं वर्तमान संवैधानिक संकट के दो पहलुओं के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उसके अलावा आप को क्या कहना है ?

श्री मधु दंडवते : आप कुछ अधिक अथवा कम कह सकते हैं। परन्तु यह नई बात है। दो पहलू है जिन पर मैं चाहता हूं कि आप विचार करें और अपना विनिर्णय दे।

पहली बात यह है वर्तमान सरकार के अपदस्थ होने से पूर्व संख्या 70 : 70 थी और सरकार विधान सभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर जनता के आदेश से नहीं बनी हुई थी बल्कि अध्यक्ष के निर्णायक मत के आधार पर बनी हुई थी।

दूसरी बात यह है कि एक बार एक सदस्य ने दल बदल लिया और विधान सभा के हिसाब से ही पता चलता है कि यदि एक भी सदस्य दल बदल ले अर्थात यदि सरकार अल्प मत रह जाती है तो जो पहले अल्पमत थी, फिर बहुमत हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका प्रचार करना चाहते हैं ?

श्री मधु दंडवते : नहीं, नहीं, मैं इसका प्रचार नहीं करना चाहता। वह स्थिति का बदल कर आना। यह दल बदल नहीं है।

मुझे व्यवस्था का प्रश्न पूरा करने दीजिए ।

पहली बात यह है कि विधान सभा में सदस्यों की इच्छा का पता लगाया जाना चाहिये सामान्य निर्वाचन और अप्रत्यक्ष चुनावों के बारे में यह कहा जा सकता है, लोकतांत्रिक सिद्धांत रूप में कि यदि एक बार किसी निर्वाचन की चुनाव प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है तो वह सरकार किसी कार्यवाही द्वारा नहीं रोकी जा सकती । कुछ राज्यों में राज्य सभा के लिए नामांकन पत्र पहले ही भरे जा चुके हैं और इस लिये.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पहले सुन लिया है ।

श्री मधु दंडवते : यह चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालता है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके ही नम्बर आयेगा । सबको एक साथ में कैसे सुन लूंगा ?

श्री के. लक्कप्पा (टुमकुर) : केरल के राज्यपाल ने संविधान के उपबन्धों के अनुरूप ही कार्यवाही की है और उन्होंने स्थिति का सही मूल्यांकन किया है । राज्यपाल का पद कोई डाक घर नहीं है और राज्यपाल की शक्तियां भी डाकघर के कृत्यों के तुल्य नहीं हैं । राज्यपाल ने स्थिति का सही मूल्यांकन किया है और उन्होंने पाया कि विरोधी सदस्यों की खरीद जारी है । केरल में सदस्यों की खरीद का काम चल रहा है । इसलिए राज्यपाल ने संविधान की प्रतिष्ठा अधिकारों और उपबन्धों के अनुसार उचित कार्य किया है और राज्यपाल की कार्यवाही संविधान के उपबन्धों के अनुसार और बिल्कुल अनुरूप है । राज्यपाल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । चुनाव में जनता की इच्छा का आदर किया जाता है । राज्यपाल जनता की इच्छा के अनुसार क्यों न कार्य करे ?

इसके विपरीत विरोधी पक्ष हमेशा जनता की इच्छा के विरुद्ध करता है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं अपने माननीय मित्र द्वारा उल्लिखित सभी मुद्दों और व्यवस्था के प्रश्नों की सभी बातों का समर्थन करता हूं जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया था । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । राज्य सभा के चुनावों की घोषणा की जा चुकी है । नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं । निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक कार्यवाही से सरकार निर्वाचन आयोग के प्राधिकार का अतिक्रमण नहीं कर रही क्योंकि जब निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राज्यों में, जहाँ चुनाव कराये जाने है, चुनाव कराने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठा रखे हैं, उन्होंने केरल के सम्बन्ध में भी समुचित कार्यवाही कर ली है । जब सरकार कोई निर्णय करती है और 141 विधायकों को जो चुने हुए हैं वंचित रखती है.....

अध्यक्ष महोदय : दृष्टिकोण में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : केरल विधान सभा निर्वाचक मण्डल है, वे लोग मत देने के अधिकारी हैं 141 सदस्यों को इस महीने की 29 तारीख को मतदान करना था इसलिए मैं चाहता हूं कि विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री .. (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जब आप बोट देने के इस अधिकार को नहीं दे रहे हैं, मेरा निवेदन है कि यह असंसदीय है और यह संविधान का उल्लंघन है ।

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : मैंने सुना है कि कुंआरे की याददाश्त अच्छी मानी जाती है परन्तु आज श्री वाजपेयी के भाषण को सुनकर मुझे अपना मत बदलना पड़ेगा ....

एक माननीय सदस्य : वह कुंआरे नहीं हैं।

श्री राजेश पायलट : वह कुंआरे हैं। 1977-78 में उन्होंने राज्य सभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली महानगर परिषद भंग कर दी थी। उन्होंने महानगर परिषद इसलिए भंग कर दी थी ताकि राज्य सभा के लिए हमारा उम्मीदवार दिल्ली प्रदेश से न जीत सके। आज वह कह रहे हैं कि केरल विधान सभा राज्य सभा चुनाव के लिए जान-बूझ कर भंग कर दी गई है। मैं केवल उनके कार्य की याद दिलाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह सच नहीं है। (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह सुस्थापित संसदीय प्रथा है कि यदि कोई संदेह है तो राज्यपाल विधान मण्डल में किसी दल का बहुमत सुनिश्चित करेगा और वह इस बारे में संतुष्ट होने पर अपनी रिपोर्ट देगा। यहां संसदीय प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मेरा दूसरा मुद्दा यह है। कृपया मुझे सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : वही बात।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : वह मुद्दा नहीं है। (व्यवधान) कृपया दूसरी बात पर मुझे बोलने दीजिए। लोकतन्त्र में हर एक मतदाता को चुनाव के दौरान वोट डालने का अधिकार है। (व्यवधान)। जब वे लोग चिल्लाते हैं तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल तर्क संगत बातों में आता हूं। मैंने आपको सुन लिया है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : निर्वाचन क्षेत्र को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। क्या आप यह नहीं समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार राज्य में लोकतन्त्र को नष्ट करने के लिए राज्यपाल का उपयोग अपने एजेण्ट के रूप में कर रही है? यह केन्द्रीय सरकार के लिए शर्म की बात है

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा। इसको अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) इस एक बात पर आपको गौर करना है। जबकि यह सच है विपक्ष में हम लोग सभा को भंग करने की मांग कर रहे हैं इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि सभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए ** **

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नहीं, हम भंग करने की मांग नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : चक्रवर्ती भूल गए, इनको याद कराना।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि कम्युनिस्टों का यह रवैया है तो इसको भंग किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)** .....

अध्यक्ष महोदय : जो भी बिना मेरी अनुमति के बोला जाता है वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने केवल डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी को अनुमति दी है। कुछ और रिकोर्ड में नहीं जायेगा। (**व्यवधान**)**

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : लोकतन्त्र के प्रति मेरी निष्ठा पक्की है और यह देश इस बात को जानता है। मुझे उनसे सार्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।

जबकि यह सच है कि हमने भंग करने की मांग की है और जबकि यह भी सच है कि राज्यपाल को यह निर्णय करने का अधिकार है कि यह सदस्य कब है और कब नहीं है। प्रश्न यह है कि कोई निर्वाचन क्षेत्र अचानक ही गायब कर दिया गया है; जबकि निर्वाचन की प्रक्रिया आरम्भ की गई है इस निर्वाचन प्रक्रिया में यह निर्वाचन क्षेत्र गायब कर दिया गया हैं, यह एक मुद्दा है जिस पर आपको विचार करना है इसलिए क्या यह देश में लोकतंत्र प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नीरेन घोष।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मुझे तो बात कहनी है वह यह है .....

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है आपको ? आप खड़े हैं। आपको भी टाइम मिल जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हर पार्टी को टाइम देना चाहिए.....

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बुला रहा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई डाक्टर ने बताया है कि आपको पहले टाइम दिया जाये ?

(**व्यवधान**)

श्री नीरेन घोष : जो नई बात मैं कहना चाहता हूं कृपया इस पर विचार कीजिए। यह सच है कि अनुच्छेद 174 के अधीन, राज्यपाल विधान मण्डल को भंग कर सकता है। लेकिन कब? मुख्य चुनाव आयुक्त.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुना है। क्या कुछ और बात कहनी है ?

श्री नीरेन घोष : बात यह है कि उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है कि जब ऐसी अधिसूचनाएं .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनके बारे में सुना है, श्री शास्त्री (**व्यवधान**)

श्री नीरेन घोष : निर्वाचन प्रक्रिया में इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। सरकार की कार्यवाही उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोय : श्री शास्त्री।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा निवेदन यह था कि हमारी पार्टी के सदस्य को भी अलाऊ किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं श्री राजन को अलाऊ करूं ?—श्री राजन

श्री के. एस. राजन (त्रिचूर) : जो विभिन्न बातें उठाई गई हैं इसके अलावा मेरा मामला यह है कि यह सोच समझ कर किया गया प्रयास है जबकि अभी निर्वाचन प्रक्रिया .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसके बारे में सुना है।

श्री के. ए. राजन : इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम जेठ मलानी।

श्री राम जेठ मलानी : मुझे केवल तीन वाक्य बोलने हैं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री राम जेठ मलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : जब भारत का राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के लिए आदेश जारी करता है तब राज्यपाल चुनाव को ही नष्ट कर देता है। यह एक वाक्य है। दूसरा वाक्य यह है कि संविधान में तो लिखा है उसके अनुसार राज्यपाल की कार्यवाही न्यायोचित हो सकती है, परन्तु जहां तक इसकी भावना का संबन्ध है उसने इसका खून कर दिया है। तीसरा वाक्य यह है कि श्रीमती गांधी की कांग्रेस (आई) के लिए इससे बड़ी अपमान की बात नहीं हो सकती है कि वह इसको न्यायोचित .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी गलत बात न करें (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जो कुछ बोला जा रहा है वह मेरी अनुमति के बिना है (व्यवधान) श्री राम जेठ मलानी पहले ही बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

श्री राम जेठ मलानी : मैं कैसे बैठ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हम इसको ध्यान में रखेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई मतलब नहीं है। अगर चुनाव न भी हो, तो भी हम यह नहीं करने देंगे। हम इस सदन की मानहानि नहीं होने देंगे। मैं ऐसी बातों को बढ़ावा नहीं दे सकता। आपको भी ऐसी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं गुस्सा इसलिए हो रहा हूं कि सदन की मान हानि न होने देना आपका और मेरा सब का कर्त्तव्य है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शर्म आनी चाहिए आपको। यह अच्छा नहीं लगता है। आपको गाली देंगे तो क्या होगा ? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप समझते क्यों नहीं हैं इनको ? कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना अच्छा नहीं है। यह अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात सदन से कहना चाहता हूं। विचारधारा में फर्क हो सकता है और विचारधारा अलहदा अलहदा होना जनतन्त्र की निशानी है। जनतन्त्र में अगर विचार धारायें अलहदा नहीं होंगी तो जनतन्त्र खत्म हो जायेगा। इसकी तो मैं कद्र करता हूं लेकिन कृपा करके भगवान के लिए गाली गलौज मत कीजिए। सदन के सामने जो भी कोई कुछ करता है यहां आकर वह बहुत बुरा करता है वह जनतन्त्र का रक्षक नहीं है बल्कि जनतन्त्र के लिए घातक है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैंने आपको नहीं कहा है। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि आपस में गाली गलौज मत करिए। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो शब्द कोई बगैर मेरी पर्मीशन के हाउस में बोले, मेरा आर्डर है एक भी रिकार्ड पर न जाए। केवल उसी सदस्य को बोलने की अनुमति दी जायेगी जिसे मैं अनुमति दूंगा। तब तक मुझे यह काम सौंपा गया है और मैं इस पीठ पर बैठा हूं मैं इसका अनुकरण करूंगा। बाकी यहां पर कोई भी ऐसा शब्द या अपशब्द कहना अच्छा नहीं है। मैंने यह जनरल अपील की है अब आप बैठ जाइये।

श्री राम जेठ मलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस सभा की कार्यवाही में तो इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण और खेद जनक व्यवधान डाला जाता है उसका अनुमोदन किसी को नहीं करना चाहिए। यदि इससे उन्हें शान्ति होती है तो मैं सब की ओर से उनसे क्षमा चाहता हूं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। यह असगत है और इसके लिए अनुमति नहीं दी गई है। एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत का भाग नहीं बनेगा। श्री जेठ मलानी कृपया समाप्त करिए।

श्री राम जेठ मलानी : मैं कह रहा था कि राज्यपाल की कार्यवाही संविधान के शब्दों के अनुसार न्याय सगत हो सकते हैं परन्तु यह वास्तव में संविधान की भावना की हत्या है। भारत के राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया था। राज्यपाल ने एक अनुमति आदेश से इस विशेष मामले में निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त करके निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान डाला है। (व्यवधान) तीसरा वाक्य जो मैं कहना चाहता था वह यह है कि : यह विशेष निर्णय सत्तारूढ़ दल ने श्री बनातवाला की मुस्लिम लीग की सलाह से और उसके भड़काने पर लिया है; क्या देश के लिए इससे अधिक अपमान की बात हो सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मेरा कहना है कि राज्यपाल की यह विशेष कार्यवाही असंवैधानिक है, राज्य सभा के चुनाव की घोषणा की गई है। केरल के राज्यपाल ने बहुमत सुनिश्चित करना था। उनको यह जांच करनी चाहिए थी कि क्या विपक्ष बहुमत में है और

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विपक्षी नेताओं को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया। इसलिए मैं सभा पटल पर पत्र रखने का विरोध करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी तीनों दलों को बुलाया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा)। केरल में कांग्रेस आई को छोड़ कर सभी दलों ने कल तक यह मांग की थी कि वहां विधान सभा को भंग करके चुनाव कराये जायें मेरा दूसरा मुद्दा यह है (व्यवधान) मैंने आपको धैर्य के साथ सुना है आपको भी मुझे सुनना चाहिए, श्री करुणाकरन ने 141 में से 71 सदस्यों के साथ सरकार का गठन किया था। इन सभी लोगों ने जिन्होंने नई सरकार के गठन की वकालत की थी, यह कहकर भर्त्सना की कि सरकार निर्णायक मत पर टिकी हुई है। यह 71 सदस्य बिना निर्णायक मत के सरकार का गठन कैसे कर सकते हैं ? (व्यवधान) एक और वाक्य : विधान मण्डल का मुख्य कार्य राज्य सभा के सदस्यों का चयन ही नहीं करना है। जब विधान मण्डल अपना मुख्य कार्य करना बन्द कर देती है तो क्या विधानमण्डल को दूसरा कार्य करने के लिए बने रहना चाहिए जो कि भविष्य में आयेगा ? यह प्रश्न है।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुक्कुपुजा) : अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत राज्यपाल को विधान सभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है। मुख्य मन्त्री को बहुमत प्राप्त है। इसलिए उसने विधान सभा को भंग करने का परामर्श दिया था। दूसरी बात वहाँ सदस्यों की खरीद व फरोख्त चल रही है। राज्य विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद वे राज्य सभा के सदस्य चुन सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप के दल के सदस्यों को बुलाया है। कृपया बैठ जाइये।

श्री एम. रामन्ना राय (कासरगोड) : केरल के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड में शामिल न किया जाये। मैंने 4 सदस्यों को बुलाया था, आपको मेरे विनिर्णय का पालन करना चाहिए। श्री लास्कर।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं शुरू में ही इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ किया जा रहा है वह संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत है। वे सभी ज्ञानी लोग हैं और वे इस बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं। विपक्षी दलों में उनके कुछ मित्र भी वही बातें कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 174 के अधीन राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की स्वतन्त्र शक्तियां प्राप्त हैं। यह व्यवस्था संविधान में है। कृपया संविधान को देखें। (व्यवधान) संविधान राज्यपाल को अपने स्वविवेक का उपयोग करने की शक्ति देता है और वह समिति का सबसे उपयुक्त निर्णायक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी वह कहते हैं उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) *

श्री नीहार रंजन लास्कर : श्री वाजपेयी ने पूछा कि क्या हमें राज्यपाल का प्रतिवेदन

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्राप्त हो गया है। हां, हमें राज्यपाल का प्रतिवेदन निश्चित रूप से प्राप्त हो गया है : केरल के राज्यपाल ने व्यक्तिगत रूप से इससे संतुष्ट होकर के वैकल्पिक स्थायी सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है तब ही विधान सभा भग करने के आदेश जारी किये। (व्यवधान)। वे व्यक्तिगत रूप से इस बात से सन्तुष्ट थीं कि वैकल्पिक सरकार के बनाये जाने की कोई सभावना नहीं : (व्यवधान) इन परिस्थितियों के अधीन वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राज्य के हित में विधान सभा को भग किया जाये और जनता से नया विश्वास प्राप्त किया जाये जो कि उच्च लोकतान्त्रिक परम्पराओ के अनुरूप है।

दूसरी बात राज्य सभा चुनावों के लिये अधिसूचना के बारे में है। केरल से राज्य सभा चुनावों की अधिसूचना 10 मार्च को जारी की गई। परन्तु जब यह स्पष्ट है कि वर्तमान विधान सभा इस प्रकार की स्थिति में है कि वह स्थायी सरकार को चलाने के योग्य नहीं और जनता से नया विश्वास प्राप्त करने का निर्णय किया गया है तो यह लोकतन्त्र की भावना के अनुरूप है कि जनता द्वारा नई चुनी विधान सभा को ही राज्य सभा के लिये राज्य के प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले। (व्यवधान)। यह उचित है कि मेरे मित्र प्रो. कुरियन ने भी इस सम्बन्ध में कहा है कि जो विधान सभा प्रभावी रूप से काम करने के योग्य नहीं और राज्य के लिये स्थायी सरकार नहीं बना सकती उसे राज्य सभा के लिये प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिये। अत: विधान सभा को केवल मात्र राज्य सभा के लिये चुनाव करने के लिये ही निलंबित स्थिति में रखना जरुरी नहीं था और इस लिये उसे भग कर दिया गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर सदस्यों की बातें सुनी हैं। मैं इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 (3) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

"(3) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रत्येक उद्घोषणा संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष रखी जायेगी।"

मन्त्री महोदय को संविधान के अनुच्छेद 356(3) के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुसरण में अधिसूचना की प्रति सभा पटल पर रखी जानी होती है।

जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है ये 12 मार्च 1982 को गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान उठाये जा सकते हैं।

(इस अवस्था पर कुछ माननीय सदस्य सभा से उठ कर चले गये)

प्रेस द्वारा तथ्यों का सत्यापन करने के बाद समाचार प्रकाशित करने की आवश्यकता के बारे में

अध्यक्ष महोदय : कल समाचार पत्र में 9 मार्च 1982 को मनिपुर पूर्वी जिले के उखरुल क्षेत्र में असम राइफल्स के कर्मियों द्वारा सेना के सात जवानों की हत्या के बारे में समाचार छपा था। इससे जनता तथा सदस्यों के मन में पर्याप्त चिंता उत्पन्न हुई। इस मामले को स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के द्वारा भी उठाने का प्रयास किया गया जिसके लिये मैंने अपनी अनुमति नहीं दी।

आज के समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि रक्षा अधिकारियों ने आसाम राइफल्स कर्मियों द्वारा सेना जवानों की हत्या की खबर का खंडन किया है और इस बारे में जारि किये गये समाचार को विद्वेषपूर्ण तथा काल्पनिक बताया है।

यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है कि इस प्रकार के आधारहीन तथा सनसनीपूर्ण समाचार तथ्यों का समुचित सत्यापन किये बिना समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है। जिस कारण सदस्यों तथा जनता के मन में संशय उत्पन्न हो जाते हैं। मुझे इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि समाचार एजेन्सियों तथा समाचार पत्रों से आशा की जाती है कि वे ऐसी खबरों को छापने से पूर्व उनकी सत्यता के बारे में पूरी छानबीन करें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में हिण्डन के पास अर्जित की गई भूमि के लिए किसानों को मुआवजे के भुगतान में विलम्ब

डा. वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं रक्षा मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न- लिखित मामले की ओर आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें :

"गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में हिण्डन के निकट एक हवाई पट्टी बनाने के लिये जिन किसानों की भूमि अर्जित की गई थी उन्हें मुआवजा देने में किया गया अत्यधिक विलम्ब"

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : हिण्डन हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिए, भारत रक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 29 के अधीन गाजियाबाद के निकट कुछ गाँवों की 2221.73 एकड़ भूमि का 2 नवम्बर, 1963 को पहली बार अधिग्रहण किया गया था। इसमें 119.24 एकड़ भूमि को छोड़कर जिसे वापस लौटा दिया गया था, शेष भूमि को बाद में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 30-3-1965 को अर्जित किया गया।

2. विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (रक्षा परियोजनाएं) ने मुआवजा निर्धारित करने के लिए इस भूमि को तीन भागों में बांट दिया। भूमि अर्जन अधिकारी ने इस भूमि का कुल मुआवजा लगभग एक करोड़ तीन लाख रुपये निर्धारित किया और इसे 1968-69 के दौरान भूमि के मालिकों को अदा कर दिया गया था।

3. कुछ किसानों ने जो विशेष भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे की रकम से सन्तुष्ट नहीं थे माध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऐसे मामलों में समक्ष प्राधिकरण है तदनुसार 1977 में माध्यस्थ की नियुक्ति की। माध्यस्थ के पास भेजे गए 840 मामलों में से उन्होंने अभी तक केवल 350 मामलों के बारे में ही अपना निर्णय दिया है। अभी 490 मामलों पर निर्णय किया जाना बाकी है।

विशेष भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुआवजे की कुल रकम लगभग 1.30 करोड़ रुपये अदा की जानी थी जबकि इसके माध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय के

अनुसार मुआवजा की अतिरिक्त देय रकम 4.12 करोड़ रुपये होगी। माध्यस्थ ने मुआवजे की जो रकम निर्धारित की है वह सरकार के अनुसार काफी अधिक है और उसमें कुछ कानूनी कमियां भी हैं और इसलिए सरकार ने इन निर्णय के विरुद्ध मामले न्यायालयों में उठाने का निश्चय किया है। इस समय विभिन्न न्यायालयों में अनेक मामले निर्णय के लिए पड़े हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि चूंकि अन्य बातों के साथ मुआवजे की रकम की मात्रा का न्यायालयों द्वारा अंति-निर्णय दिया जाना है इसलिए इस पर सदन में चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा।

डा. वसन्त कुमार पंडित : मैंने वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

माननीय रक्षा मंत्री ने, जो अपनी सूक्ष्मता, निर्भीकता तथा उदारता के लिये प्रसिद्ध है, दुर्भाग्य से एक बहुत ही भ्रांतिपूर्ण वक्तव्य है। यह भ्रम असाधारण देरी को दिलाने के लिये जानबूझ कर पैदा की गई है। वक्तव्य के अन्तिम वाक्य से जिसका वक्तव्य में उपयोग किया गया है, यह भ्रम साफ तौर पर दिखाई देता है—

"और मामले पर सभा में चर्चा किया जाना उचित नहीं होगा"। हम मुआवजे के मामले में गुणों पर विचार नहीं कर रहे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का पूरा उद्देश्य असाधारण विलम्ब की ओर ध्यानाकर्षण करना था और उसको बहुत चतुरता से छिपा लिया गया है। यह परिहार्य बिलम्ब और राजकोष की लागत पर परिहार्य खर्चे का स्पष्ट उदाहरण है।

सभा के लाभ के लिये मैं सम्पूर्ण घटना को एक बार फिर से क्रमबार रखता हूं।

सार्वजनिक प्रयोजना के लिये अधिग्रहण की सूचना 1963 में जारी की गई थी। सभा के अनुसार उस दिन की कीमत मुआवजे के रूप में अदा की जानी है। जब अधिसूचना जारी की जाती है तो प्रक्रिया आरंभ होती है। 1965 में अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ हुई। भूमि अधिग्रहीत की गई। अधीग्रहण अधिकारी ने पहले 1 रु. प्रति वर्ग गज का मुआवजा दिया। परन्तु मुआवजे के रूप में अदा की जाने वाली कीमत का निर्धारण करने के लिये स्वीकृत सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिये उस अवधि के दौरान साथ के क्षेत्र में बिक्री और जिन सात आठ गांवों में निर्धन किसानों की जमीन ली गई है उनको दिये गये मुआवजे में तथा उस कीमत में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये। सेना के जवान निर्धन किसानों के बीच से, हमारे गांवों से आते हैं।

और दूसरी अवस्था पर एकमात्र मध्यस्थ ने, जिसे जिला न्यायाधीश मेरठ द्वारा नियुक्त किया गया था प्रति गज 2.60 रु. का मुआवजा अर्थात सरकार द्वारा दी जा रही राशि से 160 प्रतिशत अधिक मुआवजे की पेशकश की। यह बहुत बड़ा अन्तर था। यह मध्यस्थ द्वारा दी गई कीमत थी। परन्तु यह कीमत अदा नहीं की गई। पंचाट ने यह भी कहा था कि 6 प्रतिशत की दर पर ब्याज भी अदा किया जाये। यदि हम आज तक के मुआवजे की राशि के सरकार के सारे व्यय तथा अदा किये जाने वाले ब्याज को, और जो कि एक परिहार्य व्यय था, देखें तो यह स्पष्ट होगा कि राजकोष पर कितना खर्च बैठेगा। किसानों को 11 वर्षों के पश्चात् जमीन की कीमत पाने के लिये, जो कि उनका अधिकार था, एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया।

दूसरे चरण के पश्चात सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मध्यस्थ के पचांट के विरुद्ध अपील दायर की क्योंकि जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है।

"सरकार ने इसे ऊंचा पाया।" उच्च न्यायालय ने 1980 में इस सरकार की इस अपील को लागत के साथ रद्द कर दिया। यहां पर क़िसी स्थान पर रद्द शब्द नहीं है। केन्द्र सरकार ने तब उच्चतम न्यायालय में अपील की। तब फिर परिहार्य विलम्ब था जिसके कारण किसानों को निरन्तर एक कोने से दूसरे कोने पर भेजा गया और उनको अपनी जेब से खर्च करने पड़े। परंतु उच्चतम न्यायालय ने भी जनवरी 1982 में लागत के साथ उस अपील को अस्वीकार कर दिया।

इन तीनों अवस्थाओं से बचा जा सकता था। उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार की अपील को अस्वीकार कर दिये जाने के बाद भी अब किन्हीं चुने हुए मामलों में नई याचिकाएं दायर की गई हैं। जिससे कि सारी प्रक्रिया को फिर से उखाडा जाये।

मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा मूल्यांकन किया गया था कि सरकार उनको क्या कीमत अदा करना चाहती थी ? क्योंकि 1 रु. कीमत 1963 की कीमत थी जब कि अधिसूचना जारी की गई थी। यह पहले ही कम थी। मध्यस्थ का पंचाट 2.60 रु. प्रति वर्ग था यह किसानों की मांगी हुई कीमत नहीं थी। और उसके बाद सरकार द्वारा लगातार अपीलें की जा रही हैं जो तीन बार अस्वीकार की गई हैं।

महोदय मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पंचाट के अनुसार यदि ब्याज अदा किया गया होता तो कितनी लागत अथवा कुल कितनी अदायगी की गई होती ? दूसरे सरकार ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में ब्याज की माफी के लिये किस आधार पर अपील की ?

तीसरे सदन के समक्ष लाये गये इन मामलों मे से एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है अर्थात् प्रत्येक राज्य का एक अधिग्रहण और पुनर्वास आयुक्त होता है जो इन मामलों का निर्णय करता है। भूमि अर्जित करते समय उन्हें राशि का 50 प्रतिशत नकद दिया जाता है और शेष राशि पंचाट के बाद ब्याज सहित दी जाती है। इस मामले में इस प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया गया था ? विशेषकर रक्षा विभाग के मामले में मैं दोबारा दोहराता हूं कि हमारे युवा ग्रामवासी सेना में आते है और जवान आदि हो जाते हैं। उन्होंने न्यायालयों में जाये बिना ही अपनी भूमि दी है। वे कार्यवाही को रोक सकते थे। अधिग्रहण प्रक्रिया ऐसी है कि एक बार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरु होने पर उनके पास मूल्य स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं रह जाता है।

अत: क्या रक्षा मंत्री विलम्ब और राजकोष के अनावश्यक और रोके जा सकने वाले व्यय के बारे में प्रश्न का उत्तर देंगे ?

श्री आर. वेंकटरामन : मैं कुछ तथ्य दूंगा। भूमि अधिग्रहण संबंधी विशेष अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया मूल मुआवजा 1.30 करोड़ रुपये का था। यह अदा कर दिया गया है और इस बारे में कोई मामला नहीं है। एकमात्र मामला बढ़े हुए मुआवजे के बारे में है। पंच निर्णायक द्वारा निर्धारित किया अतिरिक्त मुआवजा 1.86 करोड़ रुपये का था और उस पर 2.27 करोड़ रुपये का ब्याज बैठता है। सरकार को सलाह दी गई थी कि मुआवजे की दर, मुआवजा निर्धारण करने का तरीका, पैरामीटर और विभिन्न कारण, जो मुआवजा निर्धारित करने के लिये ध्यान में रखे गये हैं, ठीक नहीं थे। सरकार को अपील दायर करने के लिए सलाह दी गई थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) किसके द्वारा ?

श्री आर. वेंकटरामन : आपकी सरकार ने ही अपील दायर की थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब आप अपील वापस ले लें। आप अलग-अलग तरह की कुछ बातें करते हैं। इन बातों को मत बातायें।

अध्यक्ष महोदय: श्री वाजपेयी आपने जानना चाहा था किसके द्वारा ?

श्री अटल बिहारी वजपेयी : वर्ष 1972 में कुछ भूमि अर्जित की गई थी। मैं जानना चाहता था। कि क्या यह कार्य विधि मंत्रालय द्वारा किया गया था एक राजनीतिक निर्णय लिया जाना है। आप इन मामलों को अफसरों पर नहीं छोड़ सकते हैं और यदि हमने कोई गलती की तो आप उस गलती को क्यों दोहराते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप जानना चाहते थे, किसके द्वारा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने यह नहीं जानना चाहा था कि यह मेरी सरकार थी अथवा उनकी सरकार थी। मैंने जानना चाहा था कि क्या यह विधि मंत्रालय की सलाह के अधीन किया गया था ?

श्री आर वेंकटरामन : मुझे खेद है कि मैंने अपने माननीय मित्र की भावनाओं को दुख पहुंचाया है। इसके लिए मैं बाध्य हो गया था। सामान्यतया मैं एक सरकार और दूसरी सरकार के बीच कोई अन्तर नहीं करता हूं क्योंकि मेरे विचार से सरकार सतत है। लेकिन जब आप चुनौती देते हैं और कहते हैं "आपने अपील क्यों नहीं दायर की थी ?" मुझे कहना पड़ा कि आपकी सरकार ने अपील दायर की थी। (व्यवधान)

श्री अटलबिहारी बाजपेयी : जनता सरकार उन्हें किस प्रकार सलाह दे सकती है ?

श्री आर. वेंकटरामन : यह दोबारा एक ऐसा मामला है जो पिछली सरकार ही स्पष्ट करे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप रिकार्डों से पता लगा सकते हैं आप प्रभारी मंत्री हैं। आप इसे इतने हल्के-फुल्के ढंग से न लें।

श्री आर. वेंकटरामन : आप आधार न बदलें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने पूरे मामले का अध्ययन किया है। मैं जानता हूं कि जनता सरकार ने इस मामले में गलती की थी लेकिन अब यह उनके लिए है कि वे इस गलती कोसुधार लें।

श्री आर. वेंटरामन : कृपया बैठ जाइए यह अब एक अलग मामला है। रिकार्ड के आधार पर सरकार को सलाह दी गई थी कि निर्धारित किए गये मानदंड, जिनके अन्तर्गत पंचाट दिया गया था, ठीक नहीं थे और ब्याज का पंचाट भी उचित नहीं था। अतः उन्हें अपील दायर करने की सलाह दी गई थी। उन्होंने एक तकनीकी गलती की थी। उन्होंने अपील दायर की थी। सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। इस बीच भारत रक्षा अधिनियम का स्थान अधिग्रहण और अर्जन। अधिनियम, 1965 ने ले लिया था यह वर्ष 1965 नहीं था अपितु यह बाद की तारीख का है। नये अधिनियम के अन्तर्गत जब इस

अधिनियम को बदला गया था तो अर्जन के अपील के लिये कोई प्रावधान नहीं था हालांकि अधिग्रहण के लिये अपील का प्रावधान था। सलाह देने वाले व्यक्तियों ने परामर्श दिया था कि अपील दायर की जा सकती है और उन्होंने अपील दायर की थी और उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं था। इसके बाद कानूनी सलाह पर यह मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया था जहां उन्होंने पुष्टि की थी कि उन्हें अधिकार नहीं था.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मामला उच्चतम न्यायालय में कब ले लाया गया था ?

श्री आर. वेंकटरामन : हमारे शासन काल में क्योंकि जो आपने शुरु किया था उस पर अनुवर्ती कार्यवाही जारी रखी गयी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब यह कार्यवाही जारी रखी गयी है और उस समय यह गलत था।

श्री आर. वेंकटरामन : यह किये गये कार्य की अनुवर्ती कार्यवाही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गलती को जारी रखा गया है।

श्री आर. वेंकटरामन : ठीक है यदि आप इसे गलती मानते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में यही है जो मैं आपको दर्शाने का प्रयास कर रहा था कि आप अपनी गलती को मुझ पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं अब प्रश्न यह है कि यदि सरकार ने सलाह के अन्तर्गत एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया था तो वे इसे छोड़ नहीं सकते हैं जब तक उन्हें न्यायालय से पक्ष में अथवा विपक्ष में निर्णय नहीं मिल जाता है। अब यदि हम कहते हैं कि हम धनराशि देंगे तो लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा पूछा जा सकता है कि आपने अपना दावा, जो आपने स्वयं किया था, किस आधार पर छोड़ दिया था। अतः सरकार के लिए ऐसा आसान मामला नहीं है कि वह अपने आधार को बदल ले। जो मैं सहायता कर सकता हूं और निश्चित रूप से सहायता करना चाहता हूं कि यदि न्यायालय ब्याज के बारे में हमारे तर्क को उचित ठहराता है तो हम बढ़ाये गये मुआवजे के बारे में आगे विवाद नहीं करेंगे। यह पेशकश मैं सरकार की ओर से कर सकता हूं और मेरे विचार से यह सदस्यों के लिए संतोषजनक होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि क्या इस प्रकार के किसी मामले में कोई समझौता किया जा सकता है। यदि यह सभव है तो मैं सरकार की ओर से एक पेशकश करूंगा कि यदि ब्याज को समाप्त कर दिया जाये तो बढ़ाये गये मुआवजे को निपटाया जा सकता है बशर्ते कि यह संबधित भिन्न प्रधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया जाये। जैसे मैंने कहा है कि हम बढ़ाये गये मुआवजे जो दिया गया है, से लोगों को वचित नहीं करना चाहते हैं और यदि यह संभव हुआ तो हम इसे देंगे।

यह मुद्दा उठाया गया था कि हम रिट के द्वारा इस मामले को न्यायालय में ले गये हैं। दोबारा यहां पर भी लम्बी कार्यवाही हुई है। कुछ भू स्वामियों ने कानून के अन्तर्गत आदर्श के कार्यान्वयन का प्रयास किया था; जब तक आदर्श को न्यायालय का एक नियम नहीं बनाया जाता तब तक इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। अतः हमने कहा है कि आप इसे कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं, केवल पत्र-निर्माण का संचार कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है

और इसे न्यायालय का एक नियम बनाना है और पंच-निर्णय के पंचाट के आधार पर कार्यान्वयन सम्बन्धी किसी न किसी आदर्श को लागू नहीं किया जा सकता है। अतः हम इस मामले को उच्च न्यायालय में ले गये हैं। वास्तव में मुद्दा यह है कि सरकार किसानों की कठिनाइयां बढ़ाने में रुचि नहीं रखती है। हम उनके प्रति सहानुभूति रखने का प्रयास करेंगे और यह ऐसा मामला है जिसका हल निकाला जा सकता है और यदि जैसा मैंने सुझाव दिया है उसके आधार पर कोई समझौता हो सकता है तो हम उस पर भी विचार करने के लिए तत्पर होंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रक्षा मन्त्री ने इस बात का उल्लेख करके कि अल्पावधि के लिये जनता पार्टी सत्ता में आई थी, अपने दायित्व से बचने का प्रयास किया है। लेकिन यह ऐसा मामला नहीं है। जो 1977 के बाद हुआ है। यह भूमि 18 वर्ष पूर्व अर्जित की गई थी। लेकिन हमारे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मूल रूप से कोई गलती है कि किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता है। उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता है। उन्हें जगह-जगह भटकना पड़ता है। किसानों के प्रति सहानुभूति की कोई कमी नहीं है : सतारूढ़ दल द्वारा एक रैली आयोजित की गई थी और प्रधान मन्त्री ने अपना रक्त दिया था। यहां पर आप मुआवजा देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और रक्षा मन्त्री ने पेशकश की है कि यदि किसान ब्याज को छोड़ने के लिए तैयार हैं किसान ब्याज को क्यों छोड़ दें ? ब्याज भूमि अधिग्रहण अधिनियम का हिस्सा है। यदि विलम्ब होता है और इस मामले में कोई इंकार नहीं कर सकता कि इसमें असाधारण विलम्ब हुआ है तो किसान ब्याज पाने के लिए हकदार हैं। ऐसा समझौता क्यों हो जिससे किसान उस ब्याज पाने से जो इन्हें देय है, वंचित हो जायेंगे ? भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने एक रूपया प्रति गज की पेशकश की है क्या आप जानते हैं कि अब उस क्षेत्र में भूमि का मूल्य क्या है ?

श्री आर. वेंकटरामन : लेकिन यह भूमि 1963 में अर्जित की गई थी।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : जी हां, यह भूमि वर्ष 1963 में अर्जित की गई थी।

श्री आर. वेंकटरामन : आप 1963 के मूल्य को देखें न कि आज के मूल्य को।

श्री अटल लिहारी वाजपेयी : आपने उन्हें शीघ्र भुगतान नहीं किया था। किसानों द्वारा पंच निर्णायक नियुक्त करने के लिए सरकार से आग्रह करने का पूरा हक था और किसानों की यह कार्यवाही युक्ति संगत थी कि उन्हें बढ़ी हुई दर पर मुआवजा दिया जाये। लेकिन सरकार ने किसानों को 2.60 रुपये प्रति गज की दर से मुआवजा नहीं देना चाहा था और आप किसानों की बात कर रहे हैं .....

श्री आर. वेंकटरामन : यह आप हैं .... (व्यवधान)

अटल विहारी वाजपेयी : भूमि अर्जित की गई है। यह अकेला मामला नहीं है। श्री वेंकटरामन आप इस मन्त्रालय और इस अधिग्रहण के मामले में नये हैं। लेकिन यह पूरे देश में हो रहा है। जब दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का मामला सदस्यों ने उठाया था। तो कृषि मंत्री ने 19 मार्च 1981 को पक्का आश्वासन दिया था। मन्त्री महोदय ने कहा था कि सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है। अब एक वर्ष

गुजर गई है। मार्च, 1982 आ गया है। सरकार कोई संशोधन नहीं लाई है। किसानों की अभी तक कठिनाई जारी है। पंच निर्णायक पंचाट के खिलाफ अपील क्यों की गई थी ? उच्च न्यायालय ने अपील नामंजूर कर दी थी। सरकार उच्चतम न्यायालय के पास क्यों पहुंची थी ?

श्री वेंकटरामन, यह कोई बहुत महत्व की बात नहीं है कि हमने प्रयत्न किया अथवा आप प्रयत्न कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यह अफसरशाही है, जो देश को चला रहा है। मैं मंत्रियों को दोष नहीं देता। जो कुछ हो रहा है उसके बारे में शायद मत्रियों को पता भी न हो। इसलिए मैं कहता हूं कि भूमि अधिग्रहण के मामलों को निपटाने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। यदि उन्हें 2 रु. 60 पैसे प्रति गज जमीन प्राप्त होता है, तो वे अपनी जमीन खो देते हैं। उन्हें वे सुविधायें भी प्रदान नहीं की गई हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकारीकरण द्वारा प्रदान की जाती हैं कि किसानों से अधिगृहीत भूमि की सहायता से यदि कुछ रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं, तो उन्हें सर्वप्रथम उनके पुत्रों को दिया जायगा। ये अवसर भी नहीं प्रदान किया गया है। कुछ मामलों में ऐसा किया जा रहा है। किसानों को वरीयता और रोजगार दिये जा रहे हैं यदि वह भूमि उपयोग में ली जाती है, जो उनकी थी। क्या सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने तंत्र को उच्चतम न्यायालय से मामले वापस लेने का निदेश दे। मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कानून पढ़ा था किन्तु मैंने कभी वकालत नहीं की। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। क्या मुझे यह समझना पड़ेगा कि यदि सरकार यह कहते हुए "देखिये, हमने यह निर्णय लिया है कि माध्यमस्थत पंचाट को लागू किया जाये और हम मामलों को और आगे बढ़ाने नहीं चाहते हैं,' उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करें तो क्या न्यायालय इस बात से इनकार कर देगा ? किन्तु मंत्री जी ऐसा नहीं करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : कभी नहीं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किन्तु मन्त्री महोदय ऐसा कहने के लिए तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कैसे जानते हैं ! उन्होंने तो उत्तर नहीं दिया है !

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि उन्हें कोई रुचि नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना विचार प्रकट किया है। आप उनके उत्तर की प्रतीक्षा करें !

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 1975 में यथा सन्शोधित भूमि अधिगृहण अधिनियम के अन्तर्गत निम्न प्रावधान है -

"भूमि का अधिग्रहण करते समय अथवा उससे पूर्व यदि ऐसे मुआवजे की राशि का भुगतान न किया गया हो अथवा जमा न की गई हो, तो समाहर्त्ता को भूमि का अधिग्रहण किये जाने के समय से लेकर राशि का भुगतान अथवा जमा न किये जाने की अवधि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित आदोशित राशि का भुगतान करना होगा।" मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ब्याज सहित मुआवजे की कुल राशि का भुगतान क्यों नहीं करेगी। तुरन्त भुगतान किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने का नियम आ गया है। रक्षा मन्त्री को अपने उत्तरदायित्व से बचना नहीं चाहिए और उन्हें सदन में कहना चाहिये

कि वह अपने साथियों से कह देंगे। मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए था किन्तु एक वर्ष बीत चुका है। दिल्ली के किसान विक्षुब्ध हैं। ये किसान बरबाद हो गये हैं। हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि हमारे किसान न्यायालय का दरवाजा खटखटायें ?

उपाध्यक्ष महोदय : इससे कितने किसान प्रभावित हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 10,000 बीघा जमीन—जांच गाँव। मन्त्री जी का यह कहना कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इस पर विचार-विमर्श करना उचित नहीं होगा·····

श्री आर. वेंकटरामन : मैंने मामले की स्थिति पर कहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय ने निश्चित ही इस बात पर ध्यान दिया होगा कि मामले पर चर्चा करना उचित होगा या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय—किसान के रूप में अध्यक्ष महोदय सदा ही किसानों के पक्ष में हैं ! वह स्वयं भी किसान हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यहां अंतिम वाक्य यह कहा गया है कि विचार-विमर्श करना उचित नहीं होगा। क्या इस सदन में हम लोग कुछ अनुचित कर रहे हैं ? क्या इस अनुचित कार्यवाही में अध्यक्ष भी साझीदार हैं ? उस वाक्य को निकाल दिया जाना चाहिए। उस दिन जब हम लोगों ने रक्षा मन्त्री से भेंट की थी, तब उन्होंने किसानों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया था। उन्होंने उस दिन जो आश्वासन दिया था वह उससे सर्वथा भिन्न है जो वह अब कह रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से सदन में कहें कि इस मामले पर किसी भी प्रकार की चर्चा करने की अनुमति न दी जाये वह एक निश्चित समय निर्धारित कर दें कि कब तक किसानों को पूरा मुआवजा मिल जाएगा। पूरा मुआवजा, करने से मेरा तात्पर्य मध्यस्थ द्वारा बढ़ाई गई मुआवजे की राशि और साथ में ब्याज से है।

श्री आर. वेंकटरामण—माननीय सदस्य ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में से पढ़ा। ब्याज उस तारीख से देय है जिस तारीख को राशि जमा की जानी चाहिए थी। इस मामले में राशि जमा कर दी गई थी और बांट दी गई थी ! यह केवल मुआवजे की राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में है जो अब विवादग्रस्त है। मूल रूप से भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने मुआवजे की "एक्स" राशि निर्धारित की थी और वह राशि जमा कर दी गई है। वह राशि सभी लोगों को संवितरित भी कर दी गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे मुआवजे से सन्तुष्ट नहीं हैं। उन्होंने माध्यस्थ की कार्यवाही आरम्भ की। माध्यस्थ की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई है अब की स्थिति यह है। मध्यस्थ ने इस पर एक पंचाट दिया है और यदि अन्य सरकार ने कोई अपील नहीं की है, तो हम लोग उस समय से बंधे हुए हैं उस समय तक 30 दिन या 40 दिन बीत जाने चाहिए थे। उन्होंने अपील की कार्यवाही आरम्भ की और अपील प्रस्तुत कर दी। जब आप अपील करते हैं तो उस पर निर्णय भी होता है, कानून विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपील को चलते रहने देना चाहिए अथवा नहीं। हम लोग उस सलाह के मुताबित कार्य करते हैं। अन्यथा उस क्षेत्र के विशेष विशेषज्ञों द्वारा दी गई विभिन्न सलाह को न मानने के लिए हम लोगों की आलोचना की जाती। स्थिति यह है। अपील प्रस्तुत करने के मामले में हमें जो सलाह दी जाती है, हम लोग

उसके अधीन कार्य करते हैं। गुणावगुण पर, मैंने कहा था, कि सरकार इस बात से संतुष्ट नहीं है कि इस मामले में निर्धारित किया गया ब्याज न्यायोचित है। और इसलिए हम लोग उस स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं। जहाँ तक हम समझते हैं; इस मामले में जो ब्याज निर्धारित की गई है, वह उचित नहीं है क्यों कि मुआवजे की मूल राशि, जो देय थी, जमा कर दी गई है। जहां तक राशि बढ़ाने का प्रश्न है, वह अब भी विवादस्पद है, हम लोगों ने यह कहा है कि राशि और ब्याज दोनों के सम्बन्ध में हमारा विवाद है। जैसा कि सरकार का विचार है कि ब्याज के मामले में यदि किसानों का कोई मुकदमा नहीं है तो मैंने सोचा था कि यह भी एक तरीका होगा कि उसे छोड़ दिया जाय, किन्तु समझौते के रूप में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया था। मैंने यह कहा था कि सरकार का ऐसा विचार है : बढ़ा हुआ मुआवजा देने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार की आपत्ति तो ब्याज का भुगतान करने पर है जो हमारे कानून सलाहकार के अनुसार देय नहीं है और हम उसकी सलाह के अनुसार काम करते हैं।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने की बात से मैं सहमत हूं। इसकी कार्यवाही दीर्घसूत्री और देर तक चलने वाली होती है और जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। हम सभी इस बात से सहमत हैं। मेरे मान्य साथी ने इस मामले में कार्यवाही आरम्भ कर दी है और हम लोग उस पर कार्यवाही कर रहे है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि कानून में शीघ्र ही संशोधन किया जायगा।

मैंने जो कुछ वाजपेयी जी से कहा है उसे मैं पुनः दोहराऊंगा कि मैं इस मामले की ओर स्वयं ध्यान दूंगा और यह चाहूंगा कि यह मामला शीघ्र निपट जाये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किन्तु आप अपने अधिकारियों द्वारा बहकाये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह भी सन्तोषप्रद नहीं है। किसानों को 18 वर्षों तक पंचायत और कोर्ट के दायरे में रखकर परेशान किया गया, उनकी फजीहत की गई जिसके कारण किसान लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि मामला अब भी न्यायालय में लम्बित है लेकिन इसकी अपील तो सरकार ने हाई कोर्ट में की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से 10 अक्तूबर, 1980 को यह केस खारिज हुआ और 21 जनवरी 1982 को सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ। इसलिए पंचायत का जो फैसला था, मध्यस्थ का, वह बिल्कुल उचित होना चाहिए था।

मैं इस सम्बन्ध में डिफेन्स आफ इण्डिया एक्ट की धारा (30) को उद्धृत करना चाहता हूं :

"धारा 29 का अनुशरण करते हुए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार जो भी हो, जब कीसी अचल सम्पत्ति का अधिकरण करती है तब उसके दावेदार व्यक्तियों को मुआवजा दिया जायेगा जिसकी राशि का निर्णय निम्न बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा अर्थात्—

(एक) सम्पत्ति पर देय किराया अथवा यदि सम्पत्ति पर कोई किराया देय नहीं है तो उस क्षेत्र में उसी के समान सम्पत्ति पर जो किराया देय होता है :

(दो) सम्पत्ति के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप यदि दावेदार व्यक्ति को अपना निवास

अथवा और कार्यस्थल छोड़ना पड़े, तो इस प्रकार के अन्तरण पर होने वाला समुचित प्रासंगिक व्यय आदि कोई हो।

(तीन) सामान्य टूट फूट के अतिरिक्त अधिग्रहण किए जाने के पश्चात् अथवा अधिग्रहण की अवधि के दौरान प्रवेश पाने पर सम्पत्ति को हुई क्षति के लिए दावेदार व्यक्ति को वह राशि अथवा राशियाँ, यदि कोई हों, मुआवजे के लिए आवश्यक पाई गई हो; शर्त यह है कि यदि इस प्रकार निर्धारित की गई मुआबजे की राशि से दावेदार व्यक्ति को ठेस पहुंची हो और वह यथा स्थिति, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को निर्धारित समय के भीतर एक आवेदन देकर मामले को मध्यस्थ को भेजने को कहे, तो इस सम्बन्ध में यथा स्थिति केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की गई मुआवजे की राशि का भुगतान करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कहीं भी इस अधिनियम का उल्लंघन हुआ है ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मेरठ जिले के जज जो कि आर्बट्रेटर के रूप में नियुक्त हुए थे, उन्होंने फैसला दिया था। 16 मार्च, 1979 को इस बारे में फैसला हुआ है। मन्त्री जी ने कहा है कि जनता सरकार ने ऐसा केस किया है, लेकिन जनता सरकार 1979 में समाप्त हो गई थी। आर्बट्रेटर ने फैसला किया कि 2.60 पै० और 6 प्रतिशत ब्याज के साथ एवार्ड किया तो सरकार को यह बात मान लेनी चाहिए थी। धारा में स्पष्ट बताया गया है कि इसको बदला नहीं गया। जो आदमी विस्थापित हुए, डिसप्लेडस हुये, उन लोगों को पचाट के फैसले के अनुसार कम्पेंसेशन देने से क्यों मुकर रहा है। इसके क्या कारण हैं ?

पंचाट को 840 मामले सुपुर्द किए गये थे, जिनमें से 350 मामलों का निर्णय हुआ और अभी भी 490 मामले ऐसे ही पड़े हुए हैं। यह सब बिल्कुल कानून के तहत किया गया है। कानून के प्रावधान के अनुसार अगर यह उचित नहीं होता तो कोर्ट एडमिट नहीं करता। डी. डी. ए. ने बादली गाँव में जो जमीन ली है, उसका 4 28 पै. पर स्केयर यार्ड दिया गया है। यह दूरी भी काफी है। गाजियबाद के पास करेहरा, पसौंदा, सिकन्दरपुर, निस्तौली, मेवला, आगरी, असारतपुर, रजापुर, बम्बहेरा, रइसपुर, सदरपुर, चिपयाणा, डुंडाहेड़ा आदि स्थानों से किसानों से जो जमीन ली गई है, उसका मुआवजा एक रुपया प्रति यार्ड के हिसाब से देना निश्चित किया गया था। क्या इससे वह अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकता है ? मंत्री जी अपनी ओर से कोई जवाब नहीं देते हैं, कहा जाता है कि विचार किया जायेगा। इसीलिए किसानों के ये कितने हमदर्द हैं, यह इनके बयान से साफ जाहिर होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि (1) क्या सरकार प्रभावित किसानों को 2.60 पै. प्रति गज और 6 रु. प्रति सैकड़ा सूद की दर से मुआवजा देगी, जो कि डिफेंस आफ इण्डिया के सैक्शन 30 की उपधारा I, II, III के अनुसार अधिनिर्णय किया है, कब तक पूरा भुगतान करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप भविष्य के बारे में कह रहे हैं। आप यह कह सकते हैं कि इन लोगों को ब्याज का भुगतान किया जाय।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : दूसरा, जो किसान प्रभावित है, उनके आश्रितों को पुनर्वास हेतु सरकार एल. आई. जी. फलैट बनाकर देना चाहेगी ? (3) सैना में उन प्रभावित किसानों

के बच्चों को, जो कि योग्य हैं, उनकी एक पैनल लिस्ट बनाकर उनको सेवा में भर्ती करना चाहेगी ? (4) जिस तरह से डी. डी. ए. के फलैट्स बनाने के लिए बादली गांव में रोहिणि प्रोजैक्ट के लिए जमीन ली गई और 4.28 पै. कम्पैसेसन दिया गया तो क्या सरकार उन किसानों को भी उसी तरह से मुआवजा देने का विचार रखती है ?

श्री वेंकटरामण : दुर्भाग्यवश इस समय हम अपने मस्तिष्क को उन घटनाओं की ओर ले जा रहे हैं जो 1962-63 में घटी थीं। विशेष अधिकारी के अनुसार उस समय उस क्षेत्र की भूमि का मूल्य केवल एक रुपया प्रति वर्ग गज था और इसलिए यह निर्णय लिया गया था। इस समय उसका मूल्य 6/- रु. हो सकता है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : महोदय, ऐसा नहीं था··· ~

उपाध्यक्ष महोदय : यह विशेष अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई दर का उल्लेख कर रहे हैं अपनी दर का नहीं।

श्री वेंकटरामण : तब माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा कि क्या सरकार 6/- रु. देगी। सरकार को 6/- रु. अथवा 60/- रु. देने का अधिकार नहीं है। जब कभी विशेष अधिकारी मूल्य का मूल्यांकन करता है और बाजार भाव निर्धारित हो जाता है तो हम उसे मानने को बाध्य हो जाते हैं। हम तदनुसार ही उसका भुगतान करेंगे। जब कभी मामला विवादग्रस्त होता है, तो मामले को यथा विधि सम्भवत: प्राधिकारियों को सौंपा जाता है और उनका निर्णय अन्तिम होता है तथा हम उसका पालन करते हैं।

इसके बाद उन्होंने पूछा—भुगतान कब किया जायेगा ? मामलों का निर्णय होते ही भुगतान कर दिया जायगा : तब तक हम लोग भुगतान नहीं कर सकते।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या उनके आश्रितों को रोजगार दिया जायगा। मुझे नहीं मालूम है कि उस समय किन शर्तों के अधीन भूमि अधिगृहीत की गई थी। इसलिए इस बारे में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, कहानी यह है कि एक लड़का तालाब के किनारे खड़ा था और मेढ़कों को पत्थर मार रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह वही कहानी है जो आपने श्री वाजपेयी से सुनी है ?

श्री नारायण चौबे : जब आप आठ साल के थे तब आपने भी यह कहानी पढ़ी थी। और मेढ़क चिल्ला रहे थे और शिकायत कर रहे थे कि 'लड़का हमें पत्थर मार रहा है।' लड़के ने उनसे कहा कि "यह तो मेरा खेल है." मेढ़कों ने कहा कि "तुम्हारा जो खेल है उससे हमारी जान जाती है।"

महोदय, सरकार गरीबों किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। 1962 से खेल जारी है। चाहे कोई पैदा हो चाहे कोई मरे, खेल चलता रहता है। आपको याद होगा कि 1962 में चीन ने हमारे देश पर हमला किया था। उस समय आप इस देश की रक्षा के लिए भूमि ले रहे थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा सेवा में इन किसानों ने अपना योगदान दिया। बंगला में एक कहावत है—

बामन गेलो घर तो लाँगल तुले घर।

"जब ब्राह्मण चला जाता है, तो किसान कहता है, "अब मुझे कोई और काम नहीं है।" वस्तुतः अब खतरा टल गया है, आप किसानों के साथ मखोल कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ब्राह्मण को क्यों दोष देते हैं।

श्री नारायण चौबे : यह तो एक कहावत है। ब्राह्मण ही सभी उत्पातों की जड़ है, आप जानते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनका तात्पर्य उस ब्राह्मण से है जो भूमि की देख भाल करता है। वह जाति से ब्राह्मण नहीं होता है, वह तो भूमि का पर्यवेक्षक होता है। जब भूमि का पर्यवेक्षक कहीं और चला जाता है, तो किसान काम नहीं करता है। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : वास्तव में यह चिन्ता की बात है और जैसा कि श्री वाजपेयी ने ठीक कहा है, यह कोई केवल एक विशेष चीज नहीं है, बल्कि यह ऐसे मामलों में सरकार की सामान्य नीतियों की एक सतत कड़ी है। अभी-अभी पंजाब के मेरे साथियों ने मेरे से कहा था कि यही बात पंजाब में हुई है। उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और इस मामले में भी रक्षा मंत्रालय दोषी है। और मन्त्री जी ने ठीक ही कहा है, उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है, यह उस व्यक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते, उस महान व्यक्ति के बिना, जो भूमि के मूल्य का निर्धारण कर सकता है। सरकार कुछ नहीं कर सकती। उसे वही पालन करना पड़ेगा, जो उस सज्जन ने निर्धारण कर दिया है, जो भूमि के मूल्य निर्धारित करने के लिए सक्षम है। वस्तुतः हमारी पद्धति में कहीं कोई दोष है और पद्धति यह है कि नौकरशाही का शासन है और वे अनेक क्षेत्रों में अपनी मनमानी करते हैं। समय आ गया है, जब सरकार को यह सोचना है कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। उन्होंने एक विचित्र बात कही है। निःसंदेह मैं साम्यवादी दल का सदस्य हूं और हमें बताया गया है कि हम लोकतन्त्र के सिद्धांतों से बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन वे लोकतन्त्रवादी हैं। वे हमेशा लोकतन्त्र के सिद्धांतों और कानूनों से बधे हुए हैं और वास्तव में गरीब किसान ब्याज की मांग क्यों न करें? ऐसा वे क्यों न करें? यह भी उसी अधिनियम का एक भाग है जिसका वे जिक्र कर रहे हैं। अब आप समझौते की बात करते हैं कि 'आप अपना ब्याज छोड़ दो, मैं आपको अधिक दर पर मुआवजा दे दूंगा।' क्या यह उचित है? मैं नहीं सोचता कि यह उचित है।

महोदय, न तो मैं जनता पार्टी का समर्थक हूं और न ही आपकी पार्टी का। जनता पार्टी ने गलती की होगी। आप गलती को ज़ारी रख रहे हैं। (व्यवधान)। अब उच्चतम न्यायालय में वे अपना मुकदमा हार गए हैं। मुकदमें को तकनीकी कारकों से खारिज कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : उच्च न्यायालय।

श्री नारायण चौबे : नहीं उच्चतम न्यायालय में भी। अब आपने रिट याचिका दायर की है। आप किसानों के प्रति कितनी सद्भावना दिखा रहे हैं! मैं आपसे एक बात पूछता हूं: आप मुकदमे को वापिस क्यों नहीं ले लेते? यदि आप आयोग के माध्यम से जनता सरकार द्वारा शुरू किए गए मारुति केस को वापिस ले सकते हैं, वह चाहे गलत था या सही था, अच्छा था बुरा था, इसका निर्णय आपको करना है। लेकिन आपने उन दो वर्षों में शुरू किए गये

अनेक मामलों को वापिस लिया है। और यदि ऐसी बात है तो आप उस मामले को वापिस क्यों नहीं ले लेते, जिससे किसानों को लाभ होगा ? क्या आप इस मामले को वापिस लेना चाहेंगे, जैसा कि मारुति मामले को वापिस लिया है, अथवा नहीं ? (व्यवधान)

मारुति एक राष्ट्रीय वस्तु थी।

हमारे किसान राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता। वह 1962-63 का मामला हो सकता है। जहां तक बंगाल में मुझे मेरे अनुभव से ज्ञात है कि लोगों की भूमि उनके हाथ से निकल गई तो जहां तक सम्भव हो सका उनके पुत्रों की नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम दिए गए। यदि यही काम रक्षा मंत्रालय का है तो मैं नहीं कह सकता कि उनके लिए क्या किया जाता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसे पदों का सृजन किया जा सकता है—श्रेणी चार के पदों का। क्या उनकी नियुक्ति इन पदों पर की जा सकती है ?

अन्तिम बात मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार कितने घरों को खाली कराया गया। उनमें से कितने घर पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित थे ? क्या आपको इनकी जानकारी है अथवा नहीं, कि वे कहां गये, वे अब कहां रह रहे हैं और आपने उनके लिए मकानों का निर्माण करने के सम्बन्ध में क्या किया ?

श्री आर. वेंकटरामन : माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमें मामले क्यों नहीं वापिस ले लेने चाहिए। हमें यह सलाह दी गई है कि ब्याज देय नहीं है। जब तक कि न्यायालय पक्ष या विपक्ष में निर्णय नहीं दे देता, हम मामले वापिस नहीं ले सकते।

दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि क्या···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप किसी अन्य से कानूनी सलाह ले सकते हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : क्या मैं इसे आपके पास भेज दूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह चाहूंगा कि आप इसे मेरे मित्र श्री जेठ मलानी के पास भेज दें। (व्यवधान)

श्री राम जेठ मलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : क्या वे ईमानदारी से उसके अधिकारी हैं, कानून आपको यह नहीं बताएगा।

श्री आर. वेंकटरामन : दूसरा मुद्दा यह उठाया गया था कि कानून के अनुसार ब्याज देय है। यदि कानून के अनुसार यह देय होता है। तो मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मुकदमा चलाता रहूं। जिस कानून के अन्तर्गत इसका अधिग्रहण किया गया है, वह भारत सुरक्षा अधिनियम है। आपने और श्री वाजपेयी ने जिस कानून का हवाला दिया है वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम है। अतः प्रश्न यह है कि क्या भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उसका भुगतान किया जा सकता है, यदि कानून के हिसाब से इसका भुगतान किया जा सकता····· (व्यवधान) यह मामला वाकई में कानूनी विवाद का मुद्दा है।

तीसरी बात पिछड़ी और अनुसूचित जाति की संख्या·····

श्री राम जेठ मलानी : यह कानून का मुद्दा नहीं है यह अधिकार और औचित्य का मुद्दा है।

श्री आर. वेंकटरामन : माननीय सदस्य जानते हैं और श्री वाजपेयी जानते हैं कि यदि फाइल में कोई नोट लिखा होता है और यदि आप इसे बदलना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए पहले कानूनी आधार ढूंढना होगा। अतः जब वे कहते हैं कि ब्याज देय नहीं है तो कोई भी मन्त्री अपनी मर्जी से राजस्व की हानि नहीं कर सकता। यह बहुत कठिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि श्री जेठ मलानी दोनों ओर से तर्क दे सकते हैं।

श्रीराम जेठमलानी : आपको धनराशि रोके रखने की एवज में कुछ न कुछ तो मुआवजा तो अवश्य ही देना चाहिए।

श्री वेंकटरामन : हम मुआवजा दे रहे हैं। मैंने हर बात स्पष्ट कर दी है। हमने मुआवजे का भुगतान किया है। विवाद केवल दरों को बढ़ाने के सम्बन्ध में है। यह मुआवजे के सम्बन्ध में नहीं है।

तीसरी बात जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया था वह यह थी—पिछड़ी जाति के लोगों की क्या संख्या है ? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह मामला वर्ष 1962-63 से सम्बन्धित है। इसकी सूचना प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 40 मिनट म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 45 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन-मामलों को लेते हैं।

(एक) उचित मूल्य की दुकानों से वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को पर्याप्त गेहूं दिये जाने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य की दूकानों में केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष वृद्धि कर रही है, परन्तु बढ़ती हुई जन संख्या के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को उचित मूल्यों की दूकानों के खोलने के लिए अनाज, कपड़ा, सीमेंट, कैरोसीन व खाद्य तेल आदि का आवंटन नहीं किया जा रहा है। अनाज का आवंटन यदि दस किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से किया जाए तो सात प्रतिशत जनता की आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं होती।

राजस्थान में भारत सरकार के खाद्य विभाग ने जनवरी 81 में 6000 मे० टन गेहूं का आवंटन किया जो बढ़ा कर 20000 टन दिसम्बर 81 में किया गया। परन्तु राज्य की 1981 की जन संख्या जो 3 करोड़ 41 लाख है, के लिए अपर्याप्त है और सात प्रतिशत जनता की आवश्यकता की ही पूर्ति कर सकता है। राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों में चार वर्षों से सूखा है और अन्य हिस्सों में तीन वर्षों से सूखा है। प्रान्त की आधी जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार भी राज्य में अनाज पैदा नहीं हुआ है।

अनाज की उचित मूल्य की दूकानें कमजोर वर्ग के लोगों के लाभ के लिए खोली जाती हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कमजोर वर्ग के लोगों एवं गरीबी की रेखा के नीचे लोगों की अधिक संख्या है, को लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज नहीं भेजा जाता है। अनाज का लाभ नगर और शहर की ही जनता उठा रही है, ग्रामीण क्षेत्र उनकी लाभ से बिल्कुल वंचित हैं।

अतः कृषि मंत्री जी से आग्रह-पूर्वक निवेदन है कि राजस्थान प्रांत की चार वर्ष से लगातार अकाल की विषम परिस्थिति को देखते हुए एक लाख मिट्रिक टन गेहूं प्रतिमाह आवंटन किया जाये ताकि अकाल पीड़ित गांवों में दस किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से सस्ता गेहूं दिया जा सके।

(दो) वर्ष 1982 के लिए भारत सरकार की छुट्टियों की संख्या में कटौती तथा महाशिवरात्रि, रामनवमी और वाल्मीकि जयन्ती को राजपत्रित छुट्टियों के रूप में घोषित करने की आवश्यकता

डा. कर्णसिंह (ऊधमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि सरकार ने वर्ष 1982 की छुट्टियों में, तीन बड़े हिन्दू त्यौहारों-महाशिवरात्री, रामनवमी और बाल्मिकि जयन्ती की छुट्टियों को काट कर कमी की है। ये पूरे देश में करोड़ों हिन्दुओं के पवित्र त्यौहार हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में एक तरफा कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है. यदि यह सोचा भी गया था कि छुट्टियों की कुल संख्या में कुछ कमी की जाए, तो भी यह ठीक नहीं था कि केवल हिन्दू समुदाय के पवित्र त्यौहारों की छुट्टियों को इस प्रकार तुरन्त समाप्त कर दिया जाए।

सरकार वास्तव में इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई है। दिनांक 19 नवम्बर, 1981 को प्रैस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी किए गये परिपत्र में यह बताया गया है कि 16 बन्द छुट्टियों में से, दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय केवल 11 छुट्टियों को अनिवार्य मानेंगे। सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये 11 छुट्टियां ऐसी हैं, जिनमें हिन्दू त्यौहार की एक भी छुट्टी शामिल नहीं है। अतः दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के लिए यह सैद्धान्तिक रूप से सम्भव होगा कि वे पूरे वर्ष में एक भी हिन्दू छुट्टी न करे।

भारत की जनसंख्या के 80 प्रतिशत भाग से सम्बन्धित समुदाय के विरूद्ध यह भेद-भाव का एक खुला मामला है। जबकि निश्चित रूप से यह जरूरी है कि अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर किया जाये और उनकी सुरक्षा की जाये, परन्तु क्या सरकार का यह दृष्टिकोण है कि बहुसंख्यकों की कोई भावनाएं ही नहीं हैं? महोदय, मैं आप से अनुरोध करता हूँ और आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस सारी असमानता को दूर किया जाए और समाप्त की गई छुट्टियों को बहाल किया जाए। विशेष रूप से रामनवमी का त्यौहार दिल्ली में और अन्य कस्बों तथा नगरों में भारी धूम-धाम से मनाया जाता है और बड़े-बड़े जलूस निकाले जाते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी यदि उस दिन 2 अप्रैल की छुट्टी घोषित नहीं की जाती है।

(तीन) कर्नाटक में रेशम उद्योग में संकट

श्री ओस्कर फर्नान्डीस (उदीपी) : कच्चे रेशम के आयात और कोया के उत्पादन में वृद्धि से कर्नाटक के रेशम उद्योग में अभूतपूर्व संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रेशे के मूल्य अत्याधिक छुट जाने से बंगलौर दोड्डाबालापुर और अन्य प्रमुख रेशम उत्पादन केन्द्रों के बुनकरों ने प्रदर्शन और धरनों के रूप में अपना विरोध प्रकट किया है। बुनकरों ने मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 1982 को रेशम की अपनी गांठें नीलामी के लिए विपणन केन्द्रों को नहीं भेजी। गत कुछ दिनों से रेशम के रेशों के मूल्य बड़ी तेजी से घट रहे हैं। इस प्रवृति के कारण अनेक त्यौहारों और बुनकर रेशम की अभी खरीद नहीं कर रहे हैं। नीलामी का दोषपूर्ण तरीका भी उनकी कठिनाई को बढ़ा रहा है।

एक किलोग्राम रेशम का मूल्य 650/-तक पहुंच गया था लेकिन अब यह घट कर 350/ रुपए रह गया है। सिफन माल की मांग बहुत घट गई है। रोजाना लगभग 10 टन रेशम रेशम विपणन केन्द्रों पर बिकने के लिए आएगी। लेकिन अब रेशम के गोले बनाने वाले विपणन केन्द्रों को रेशम भेजने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं। इसके साथ-साथ रेशम एक्सचेंज उन्हें इसे बाहर बेचने की अनुमति नहीं देगा। बंगलौर के कब्रोनफेट में दो करोड़ रुपये मूल्य की रेशम बगैर बिक्री पड़ी हुई है।

उक्त संकटपूर्ण स्थिति के लिए थाम यही है कि रेशम निर्यात बोर्ड ने रेशम की खरीद बन्द कर दी है। बोर्ड के मतानुसार, उनके पास रेशम खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।

कर्नाटक रेशम विपणन परिसंघ के एक निदेशक या डीलर्स यूनियन के उपाध्याय ने समर्थन मूल्य के लिये जोरदार मांग की है। अतः मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह मामले पर विचार करें तथा डीलरों तथा बुनकरों को समर्थन मूल्य प्राप्त कराने में सहायता दें। यहां में सुझाव देना चाहूंगा कि बाहर से आने वाले रेशम के धागे पर आयात शुल्क लगाया जाए ताकि देश में बनानें वाले धागे के मूल्य कम न होने पायें। मैं जानना चाहुंगा कि देश में ही उत्पादन करके बुनकरों की मांग को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं रेशम विनमय केन्द्र के व्यापक सुधार करने की जरुरत है सारे नये डीलरों तथा बुनकरों से प्रोत्साहन जनक कार्य दे सकें।

(चार) स्वर्गीय डा. बी. आर. अम्बेडकर के 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले वर्षगांठ दिवस को राजपत्रित छुट्टी घोषित करने की मांग

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, डा. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के करोड़ों शोषित दलित के मसीहा हैं। वे संविधान के जनक हैं। काफी अर्से से डा० अम्बेडकर के जन्म तिथि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश दिवस (National Gazetted Holiday) घोषित करने की मांग हो रही है।

अतः आग्रह है किरोड़ों दलित समुदायों की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश दिवस (National Gazetted Holiday) घोषित करें। और उनके निवास स्थान एवं उनके सामान को राष्ट्रीय संग्रहालय (National Monuments) के रूप में सुरक्षित रखा जाय।

(पांच) राजस्थान के भरतपुर जिले में ओला वृष्टि से फसलों को हुई हानि के लिए निर्धन किसानों को राहत देने की आवश्यकता,

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : दातदा में भरतपुर जिले (राजस्थान) में भारी ओला वृष्टि हुई है और तहसील नगर तथा कामा में लगभग 24 गाँवों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। तथा कुछ अन्य गाँवों में भी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। किसानों को भारी हानि हुई है, यहां तक कि जो बीज उन्होंने खेत में डाला था उक्त क्षति के बाद वह भी वसूल नहीं हो रहा। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इन किसानों के लिए तुरन्त ही राहत देने की घोषणा करे और किसी स्वतंत्र समिति से वहां हुई हानि का प्राक्लन कराये और किसानों को उक्त अवश्यनीय हानि की क्षतिपूर्ति दी जाये क्योंकि हम क्षेत्र के किसान सूखे की स्थिति के कारण गत वर्ष भी भारी हानि उठा चुके हैं। इस हानि से तो वे पूरी तरह तबाह हो गये हैं।

मैं आग्रह करता हूं कि सरकार तुरन्त इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा राहत उपायों की घोषणा करे ताकि इस प्राकृतिक विपदा के समय इन गरीब किसानों की सहायता की जा सके।

(छः) बाढ़-नियंत्रण निर्माण कार्यों से फसलों को हुई हानि के कारण दिल्ली के चौहान पट्टी के कृषकों को पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के चौहान पट्टी गांव में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग एक हजार किसान यमुना नदी के किनारे रेतीली भूमि को भाड़े पर लेकर वहां खरबूजे तथा करेले की खेती करते हैं। दिल्ली में बाढ़ कन्ट्रोल करने वाले विभाग की तरफ से उक्त क्षेत्र में बन्ध तथा नाले बनाए जा रहे हैं। वहां उन्होंने अचानक यमुना नदी की धारा को मोड़ने का प्रयास किया। यह कार्य बिना पहले किसी को बताए या सूचित किए हुए किया गया। इसका नतीजा यह निकला है कि इन किसानों की खरबूजे और करेले की खेती बरबाद हो गई और इनका बहुत काफी नुक्सान हुआ है।

गत 11 मार्च को मैं चौहान पट्टी गांव में गया था। वहां मैंने उस स्थान को देखा, जहां खरबूजे और केरेले की खेती होती है। मैंने इस खेती में बरबादी के दृश्य को भी देखा। बाढ़ नियंत्रण का कार्य करने वाला विभाग बड़ी लापरवाही से काम कर रहा है। यमुना की धारा को मोड़ने का जो प्रयत्न उहोंने किया है, वह भी असफल प्रतीत होता है। उक्त क्षेत्र में यमुना की बाढ़ आ गई है और नदी के पानी ने खरबूजे और करेले की खेती करने वाले किसानों की भूमि और उनकी झौपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया है। यमुना नदी का तेज बहाव अभी भी खेतों को काट रहा है और फसलों को बरबाद कर रहा है।

बाढ़ नियंत्रण विभाग ने फसलों की क्षति पूर्ति के लिए किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही की है, लेकिन एक तो इसमें बहुत थोड़े किसानों को लिया गया है और दूसरे मुआवजे की रकम काफी कम रखी गई है और मुआवजा देने की कार्यवाही में काफी देर की जा रही है। बहुत से किसानों को, जिनकी फसल बरबाद हुई है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इससे वहाँ असंतोष है। साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण के कर्मचारी इन किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ मानवीय सलूक नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि अपनी

झौपड़ियों तक आने जाने के लिए यमुना और उसकी उप-धाराओं को पार करने के लिये वे नौका भी उन किसानों को नहीं देते।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन किसानों की क्षति का ठीक प्रकार से अन्दाजा लगाया जाए। इनको मुआवजे की रकम बाजार भाव से दी जाये तथा यह रकम उनको शीघ्र दी जाए ताकि जिन लोगों की खेती बरवाद हो गई है; वह मुआवजा लेकर अपने घरों को वापस जा सकें। साथ ही साथ वहां खेती करने वाले किसानों के लिए यमुना और उसकी उप-धाराओं को आर-पार करने के लिए नौका की व्यवस्था की जाये। वहाँ सस्ते गल्ले और मिट्टी के तेल की दुकान खोली जाये तथा उनकी चिकित्सा के लिये चलते-फिरते हस्पताल भेजे जायें।

(सात) छोटे तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों को सहायता देने के उपाय

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर प्रकाशित होने वाले छोटे और भाषायी समाचार-पत्रों की जो दुर्दशा इस समय हो रही है, वैसी पहले कभी नहीं थी। दिन-प्रतिदिन कागज और छपाई के दाम बढ़ रहे हैं। समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन करने से पता चलता है कि जिला स्तर पर प्रकाशित होने वाले कई समाचार-पत्र एक दो अंक निकलने के बाद ही बन्द हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि सरकार द्वारा लघु समाचार-पत्रों को उचित सहायता नहीं दी जाती है। लघु समाचार पत्रों को छोटे उद्योगों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि संचार के सभी माध्यम या तो सरकार के नियत्रण में हैं या बड़े-बड़े उद्योग समूहों के नियंत्रण में हैं। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए यह अति-आवश्यक है कि छोटे और भाषायी पत्रों को सब प्रकार की सरकारी सुविधा प्रादन की जाये।

1. सरकार को चाहिये कि लघु समाचार-पत्रों को प्रेस लगाने के लिए एक लाख रुपये तक की राशि आसान शर्तों पर दीर्घकालीन ऋण के रूप में दी जाये।

2. छोटे अखबारों को लघु उद्योग मानकर उन्हें सभी केन्द्र शासित राज्यों व सभी राज्य सरकारों द्वारा वरियता के आधार पर प्रेस लगाने के लिए औद्योगिक शैड या रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाए।

3. छोटे अखवारों को सरकारी विज्ञापन देने के लिए न्यूनतम अवधि का (पत्र प्रकाशन) के बाद चार महीने से घटाकर एक महीना किया जाए।

4. सरकारी विज्ञापन की कुल निर्धारित राशि का एक उचित भाग लघु समाचार-पत्रों के लिए सुरक्षित किया जाए।

5. लघु समाचार-पत्रों को जो डाक-शुल्क देना पड़ता है उसमें कमी की जाए। वह शुल्क वर्तमान शुल्क के आधे से अधिक नहीं होना चाहिये।

(आठ) नैपाली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करना

श्री आनन्द पाठक (दार्जीलिंग) : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं सभा में लोक महत्व का निम्नलिखित अविलम्बिनीय मामला उठा रहा हूं।

हमारे देश में लम्बे समय से बहुत से नेपाली भाषी लोग रह रहे हैं। ये लोग क्या कहें

संगठन नेपाली भाषा को संविधान की भावी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग काफी समय से करते आये हैं, केन्द्र में सत्तारुढ़ कांग्रेस (ई) ने आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर विचार कर रही है, परन्तु अब तक उसका कोई फल नहीं निकला है। यह मांग अभी तक कागज पर ही है साहित्य अकादमी भी नेपाली भाषा को एक आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में स्वीकार करती है।

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ मोर्चे ने राज्य में नेपाली भाषा को मान्यता देकर नेपालियों की आकांक्षाओं को पूरा किया है।पश्चिम बंगाल सरकार ने न केवल नेपाली भाषा को मान्यता ही दी है बल्कि उसे सरकारी प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाना भी शुरू कर कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने दो संकल्प पारित किये थे और केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि वह भी नेपाली भाषा को मान्यता दे तथा उसे आठवीं अनुसूची में शामिल करे।

इस भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने से पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा देश के अन्य भागों में रहने वाले नेपाली भाषियों की एक बड़ी आकांक्षा पूरी हो जायेगी और उनके सांस्कृतिक एवम् साहित्यिक प्रगति की रफतार तेज हो जायेगी।

उन परिस्थितियों में, सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में आवश्यक कदम उठाये और अविलंब नेपाली भाषियों की उक्त वैध माँग को पूरा करें।

मैं यह भी मांग करता हूं कि संबंधित मंत्री इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र सभा में एक वक्तव्य दें।

डा. कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : महोदय, श्री वेंकटसुब्बय्या ने, नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूचि में शामिल करने के आशय के मेरे विधेयक के उत्तर में सभा को यह आश्वासन दिया था कि प्रधान मंत्री इस मामले पर विचार कर रही हैं। महीनों बीत चुके हैं परन्तु इस बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुकर।

(नौ) 15 मार्च, 1982 को असम मेल में हुई डकैती की जांच करने, लूटे गये यात्रियों को मुआवजा देने तथा रेलों में सुरक्षा के उपाय करने की आवश्यकता

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 15-3-82 को असम मेल ट्रेन में अपने भतीजे के साथ मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा था। मुजफ्फरपुर से ही एक प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी का संयुक्त रेल डिब्बा मौर्य एक्सप्रेस में जोड़ दिया गया, जो कि बरौनी में आने पर असम मेल में जोड़ दिया गया। प्रथम श्रेणी में भी काफी यात्री थे और दूसरी श्रेणी में भारी भीड़ थी। गाड़ी बरौनी से चली और बरौनी तथा मोकामा के बीच में ही डकैतों के एक जत्थे, जो करीब पन्द्रह थे, द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में घुस कर पिस्टल और छुरे दिखा कर करीब सत्तर के आस-पास यात्रियों के जेवरात, घड़ियां यथा नकद रुपये को लूट लिया। लूट का सामान लाखों में रहा होगा। लोग बिलखते रहे, हाँ-हल्ला करते रहे, रोते-कलपते रहे, लेकिन पुलिस के कोई सिपाही वहां फटक नहीं पाए। हमारे भतीजे के हाथ की घड़ी भी डकैतों ने छीन ली।

रेल-यात्रा बढ़ती हुई डकैतियों के कारण अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह गई है। इससे जन-जीवन पर भयंकर प्रभाव पड़ रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि असम मेल में हुई 15 मार्च की रात की डकैती की पूरी छान-बीन कराई जाए तथा दोषियों को सजा दिलाई जाए। मुझे संदेह है कि इसमें रेल अधिकारी भी भागीदार हैं। लूटे गए यात्रियों को मुआवजा दिया जाए तथा रेल-यात्रा सुरक्षित बनाई जाए।

(दस) **पूना से प्रकाशित दैनिक "महाराष्ट्र हैराल्ड" द्वारा कुछ कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने का नोटिस देना**

श्री वी. एन. गाडगिल (पुणे) : मैं नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

पूना के दैनिक महाराष्ट्र हेराल्ड ने अपने 40 कर्मचारियों को इस आधार पर नौकरी समाप्त करने का नोटिस जारी किया है कि पत्र चलाने वाली फर्म ने नई आयातित फोटो कम्पोजिंग मशीन खरीद ली है। समाचार है कि पूना में सकल और तरुण भारत तथा देश के ऐसे ही कई समाचार पत्र भी नई मुद्रण प्रौद्योगिकी अपनाने जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप समाचार पत्र उद्योग में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल जायेगी। यह भी भय है कि विजुवल डिस्चले टर्मिनल, फोटो-टाईपसेटर कम्पोजिंग/एरिट मशीनों के चालू हो जाने से समाचार पत्रों की कम्पोजिंग तथा मुद्रण की छोटे प्लेट टाईप प्रणाली समाप्त करनी होगी कम से कम कुछ मामलों में तो ऐसा सन्देह है कि बड़े बड़े समाचार पत्र इस प्रकार की स्वचालन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं ताकि पालेकर निर्णय क्रियान्वित से बच जाये। ये बड़े समाचार पत्र अखबारी कागज, विज्ञापनों आदि के लिए सरकार पर तथा क्या नई मसीनें खरीदने हेतु ऋणों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों पर निर्भर करते हैं मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा जब तक वे वर्तमान गर्मचारियों को हानि पहुंचाये बिना ही आधुनिकीकरण का सिद्धान्त स्वीकार न करें, उन्हें उक्त सुविधायें न दी जायें।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद अर्थात केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1981 पर चर्चा तथा मतदान पर विचार करेंगे। श्री शिवकुमार सिंह पहले ही छः मिनट तक बोल चुके हैं। इस विधेयक के लिये अब एक घण्टा और नौ मिनट का समय बचा है। मन्त्री महोदय लगभग दोपहर 3-45 बजे उत्तर देंगे। अतः तब तक भाषण समाप्त हो जायेंगे। आप एक या दो मिनट और बोल सकते हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : अनेक सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। आप कृपया इसका समय आधा घण्टा या अधिक बढ़ा दें।

उपाध्यक्ष महोदय : समय पहले ही आवंटित किया जा चुका है। मैं इसे कसे बदल सकता हूं ?

श्री मूल चन्द डागा : आप बदल सकते हैं। अन्य विधेयक अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा एक प्रस्ताव पेश की जिये। श्री शिव कुमार सिंह

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) उपाध्यक्ष महोदय, कल इस बिल पर चर्चा करते हुए मैं निवेदन कर रहा था कि इस उद्योग में नए लोग नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी पुरानी कलाओं को सीखने से नौजवान लोग थोड़ा घबराते हैं। यह उद्योग लेबर-इन्टेन्सिव इन्डस्ट्री है और उसमें पूरे समय या आधे समय के लिए काफी काम लिया जा सकता है।

इस उद्योग की यह भी कठिनाई है कि इसमें मास्टर वीवर्ज काफी आ गए हैं, जो अपने पैसों के बल पर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि पावरलूम और हैंडलूम चलाने वाले एक्चुअल मजदूरों को अपने काम का पूरा लाभ नहीं मिलता है। इससे भी उनका उत्साह खत्म हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि :

> "वर्ष 1977-78 के दौरान नई सरकार ने कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान सघन रेशम विकास योजनाओं को केन्द्रीय योजनाओं के रूप में क्रियान्वित करने की मंजूरी दी थी। 4.4 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली इन योजनाओं के फलस्वरूप 13.5 करोड़ रुपए मूल्य का 4.9 लाख किलोग्राम अतिरिक्त रेशम उत्पादन हुआ। ये योजनायें 1 अप्रैल, 1979 से सम्बन्धित राज्य सरकारों को आवंटित कर दी गई हैं।"

इसके अनुसार सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक ही साल में नए एक लाख लोगों को रोजगार का अवसर दिया है। इस प्रकार 4.5 करोड़ रु० का लाभ इस स्कीम के तहत मिला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लाभ केवल इने-गिने चार राज्यों को जो परम्परात सिल्क का उत्पादन करते हैं, उनको मिलता है। आज हमारे देश में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, इन्दौर, उज्जैन, रायगढ़, चापा, बिलासपुर, बस्तर आदि क्षेत्रों में और महाराष्ट्र के इचलकरंजी, मालगांव, भिवण्डी, शोलापुर तथा इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बनारस, कानपुर, महुनाथभंजन, जहां पर पावरलूम और हैण्डलूम भी है तथा बिहार में भागलपुर जहां पर इस उद्योग को पनपाने और चमकाने के लिए काफी नए क्षेत्र उपलब्ध हैं, परन्तु प्रचार की कमी के कारण आज हमारे देश के किसान इस काम को नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने कल निवेदन किया कि तमिलनाडु और कर्नाटक में कपास और अंगूर की खेती को खत्म करके उन्होंने सिल्क की खेती करना प्रारम्भ कर दिया है। वहां के किसानों को इससे काफी आय होने लगी है और वह अब इसकी फसल में रूचि लेने लगा है। जिस तरह से किसानों ने नई-नई वैराइटीज कोटन की एच-4, वरलक्ष्मी, जेकेएच-I और II तथा ज्वार की शानदार खेती की, उसी तरह से यदि सिल्क में नई-नई वैराइटीज हों, तो वे सिल्क की भी शानदार खेती कर सकते हैं। इसी तरह से वे गन्ने और केले की भी दूसरी फसलों में रुचि ले रहे हैं। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि केवल दो मिनट की चर्चा की जाए, लेकिन बहुत से माननीय सदस्य इस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसलिए में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनको इस बिल पर बोलने के लिए अवसर दिया जाए। सिल्क की खेती को बढ़ाकर हम बहुत सा फारन एक्सचेंज उससे अरन कर सकते हैं।

सिल्क बोर्ड का आफिस, जो कि बम्बई में है, उसको बंगलौर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको शिफ्ट करने की आवश्यकता

नहीं है । यदि इसको शिफ्ट करके साउथ ले जाया गया तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों जो सिल्क का उत्पादन करते हैं, उनको बहुत परेशानी हो सकती है । यदि इसको शिफ्ट करना बहुत ही आवश्यक है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश, जो देश के मध्य में पड़ता है या फिर बनारस में जहां पर कि सिल्क काफी बनाई जाती है या बिहार के भागलपुर ऐसे क्षेत्रों में इसका सैन्ट्रल आफिस शिफ्ट किया जाए या उसके जोनल आफिसेस बना दिए जायें, जिससे कि सिल्क की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिल सके ।

इसके साथ साथ जैसा कि टैक्सटाइल की पौलिसी में कहा गया है कि नए स्पन मिल स्थापित किए जायेंगे मै आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान तीन स्पन मिल काम कर रहे हैं और तीनों एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं । यदि इनको ठीक ढंग से चलाया जाए और तीनों शिफ्टों में काम किया जाए, तो हमारे देश में बहुत सा सिल्क यार्न बन सकता है । एग्रीकल्चर के सब-ग्रुप ने 260 करोड़ रु. इस उद्योग को देने के लिए सिफारिश प्लानिंग कमीशन से की थी, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस उद्योग को प्लानिंग कमीशन की ओर से 167 करोड़ रु. दिया गया है । मैं आपसे निवेदन करते हुए, प्लानिंग कमीशन से कहना चाहता हूं कि इस उद्योग को बढ़ाने के लिए, फारन-एक्सचेंज को प्राप्त करने के लिए इसमें काफी संभावनायें हैं, क्षमतायें हैं, इसलिए इसको अधिक से अधिक पैसा दिया जाए । अभी हमारे ट्रेडिशन्ल पायर्स मलेशिया, हांग-कांग, एडिन, फिजि, आयलैंड और केनिया हैं और इसका मार्केट यू. एस. ए., वैस्ट-जर्मनी, स्वीटजरलैंड, इटली, कनाडा, साउथ-अरब, जापान आदि है, इन जगहों पर हमारा बहुत सा सिल्क भेजे जाने के चांसेज हैं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिल्क बोर्ड का जो अमेन्डिंग बिल लाया गया है उस में मेरे छोटे-छोटे पांच सुझाव हैं । मेरा पहला सुझाव यह है कि जो बिल लाया गया है उस की धारा 4 में आप जो अमेण्डमेंट लाये हैं वह इस प्रकार है ।

"6(क) केन्द्र सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति को उन्हें कम से कम तीन मास का नोटिस देकर समाप्त कर सकती है ।"

इस में कहा गया है कि चेयरमैन की सर्विसिज को टर्मिनेट करना है तो उसको तीन महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए । मेरा कहना है कि यदि कोई आदमी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार करता है, पैसा खाता है या सिल्क बोर्ड का संचालन अपनी पूरी क्षमता से नहीं करता है तो उसे तीन महीने तक अवसर क्यों दिया जाय ? मेरी दृष्टि में ऐसे आदमी को रखने से पैसे की हानि होती है, उसको तीन महीने का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उसको तत्काल डिस्मिस किया जाना चाहिए ।

2. मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सदस्य का जो तीन वर्ष का कार्यकाल रखा गया है इस में यह स्पष्ट है कि जो मेम्बर एक बार बन चुका है वह री-इलैक्ट होगा या नहीं होगा ।

3. तीसरा सुझाव-इस बोर्ड में केवल उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सदस्य आते हैं, जब कि यू. पी. में बनारस, बिहार में भागलपुर और मध्य प्रदेश में रायगढ़, चांपा तथा विलासपुर में सिल्क का काफी उत्पादन होता है । इन प्रदेशों के प्रतिनिधियों को और खास कर किसानों को, इस बोर्ड में लिया जाना आवश्यक है ।

4. अभी हाल में कर्नाटक में ककुन में पेस्ट का आक्रमण हो गया है, कीड़ा लग रहा है तथा धीरे-धीरे यह रोग आन्ध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, जिससे सिल्क की पैदावार खराब हो रही है। एग्रीकल्चर विभाग तुरन्त इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे और फसलों का संरक्षण करे।

5. न केवल मेरी तथा कई अन्य माननीय सदस्यों की यह भावना है कि जब से सिल्क बोर्ड बना है···1948 में यह अधिनियम पारित हुआ था और 1950 में यह बोर्ड बना था तब से इसका चेयरमैन साउथ से आता है। सैन्ट्रल इण्डिया और नार्दन इण्डिया को भी इस में अवसर दिया जाय ताकि यह उद्योग एक सीमित क्षेत्र तक ही न रहे, इसका लाभ देश के किसानों को मिले और देश में अधिक से अधिक फौरन एक्सचैन्ज आये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री इरा मोहन (कोयम्बटूर) : उपाध्यक्ष महोदय द्रमुक की ओर से मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मूल अधिनियम 1948 में पास हुआ था जिसमें चेयरमैन (अध्यक्ष) के कार्यकाल को निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं था क्या उसे हटाने की भी कोई प्रक्रिया नहीं दर्शाई गई थी। इन 34 वर्षों में यह बोर्ड इस खामी के लिए कार्य करता रहा है और सरकार इस दौरान ऐसे अध्यक्ष को हटाने में असमर्थ रही है जो कार्य योग्य न पाया गया हो। इस संशोधन विधेयक द्वारा अब यह खामी दूर की जा रही है।

मैं अपने इस मत को सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड इन वर्षों में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं करता रहा है। हाल ही का सबूत यह है कि विगत तीन महीनों से तो यह बोर्ड अस्तित्व में ही नहीं है। बोर्ड के कार्यालय को बम्बई से बंगलौर स्थानान्तरित करने के आदेश कुछ वर्ष पूर्व जारी हुए थे। तब से कर्मचारी तथा अधिकारी वस्तुतः हड़ताल पर ही हैं। वे बंगलौर नहीं जाना चाहते हैं। बोर्ड का सारा काम ठप्प हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार कर्मचारियों के इस व्यवहार को सहन करती जा रही है। उन्हें तीन महीने और सोचने को दे दीजिये। इसके बाद भी यदि वे बम्बई के बाहर नहीं जाते तो उन्हें किन्हीं अन्य केन्द्रीय सरकारी विभाग में तैनात करदें तथा बोर्ड में नए कर्मचारी भर्ती करलें और उसे बंगलौर स्थानान्तरित कर दें।

हमारे जैसे विस्तृत देश में उद्योग तथा उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रख कर ये निर्णय किये जाते हैं। हमारे देश में खतरनाक लक्षणों को पनपने नहीं देना चाहिये।

इसी तथ्य से कि हम चीन से सिल्क यार्न भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं, प्रमाणित हो जाता है कि सैंट्रल सिल्क बोर्ड ने इन 34 वर्षों में उद्योग की कितनी भारी उपेक्षा की है। जब इस उद्योग को सक्षम कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता था, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकते थे जहां करोड़ों लोग बेरोजगार पड़े हैं, हमें दुर्भाग्य से सिल्क यार्न का आयात करना पड़ रहा है। आयातित सिल्क यार्न का मूल्य देशी यार्न से बहुत कम है। इसका अर्थ यह है कि चीन ने इस उद्योग के विकास में भारी रुचि ली है और चीन का

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सिल्क यार्न हमारे देश में प्रचुर मात्रा में आ गया है। वास्तव में यह स्थिति देशी सिल्क उद्योग के लिए घातक है। देशी यार्न का मूल्य आयातित चीनी यार्न के स्तर पर नहीं लाया जा सकता क्योंकि आयात लागत में भारी वृद्धि हो गई है। फिर आयातित यार्न के विवरण के लिये की गई व्यवस्था में भारी खामियाँ हैं। वास्तविक बुनकरों को सिल्क यार्न नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु में 10,000 से भी अधिक परिवार सिल्क यार्न पर निर्भर करते हैं। यदि उनको पर्याप्त मात्रा में यार्न न सप्लाई किया गया तो उनके लिए जीविका अर्जित करना असम्भव हो जायेगा। मन्त्री महोदय को इस मामले पर स्वयं ध्यान देना चाहिए और सिल्क यार्न का समुचित वितरण सुनिश्चित करना चाहिये।

विदेशों में भारतीय सिल्क का उपयोग गर्व से किया जाता था। हम सिल्क के प्रमुख निर्यातकर्ता हैं। हम सिल्क यार्न का आयात करके, आयातित यार्न का अनुचित वितरण करके और सिल्क यार्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए कारगर कदम न उठा कर इस उद्योग को धीरे-धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। इस अवसर पर अब एक अफवाह है कि सरकार सिल्क निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने पर विचार कर रही है। जब सिल्क के निर्यात की कोई सम्भावना ही नहीं है, फिर निर्यात संवर्धन परिषद की आवश्यकता ही क्या है? लोक सभा के इस सत्र के पहले दिन इस बारे में एक तारांकित प्रश्न था और मन्त्री महोदय ने सभी पूरक प्रश्नों के ब्यौरेवार उत्तर दिये थे। हम सिल्क के लिए निर्यात परिषद स्थापित करके गलती करेंगे। इसके बजाय सिल्क विकास एवं वित्तपोषी परिषद गठित करने की आवश्यकता है। सिल्क उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। वाणिज्यिक बैंक ऋण नहीं देते। इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंक भी ऋण नहीं देते। केवल इस उद्योग के वित्त पोषण के लिए एक उच्च स्तरीय संस्था होनी चाहिए जिससे इस उद्योग में लगे लोगों की वित्तीय सहायता दी जा सके। मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह इस सुझाव को साधारण बात न समझें। वह इस पर ध्यान दें और उचित व्यवस्था करें। उन्हें सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए तुरन्त आदेश देने चाहिए और इसे संस्था की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिये। बंगलौर की तरह तमिलनाडु में भी अनेक कस्बे हैं जहां रेशम के कीड़ों के पालन के लिए अनुकूल जलवायु है। विशेष रूप से कोयम्बतूर इस प्रयोजन के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोयम्बतूर।

श्री ईरा मोहन : जी, हां। मुझे इस पर बहुत गर्व है। जब बंगलौर में सैंट्रल सिल्क बोर्ड का कार्यालय खोला गया है तो कोयम्बतूर में भी एक क्षेत्री कार्यालय खोला जाना चाहिए ताकि रेशम उत्पादन में रुचि रखने वाले लोगों को आवश्यक प्रोत्साहन दिये जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपने दल डी. एम. के. की ओर से इस संशोधनकारी विधेयक का समर्थन करता हूं। और अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक एक सीमित प्रयोजन के लिए इस सभा में लाया गया है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जो बड़ी कार्यकुशलता से कार्य कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उनसे प्रमाण-पत्र मिल गया है। आरम्भ ही रेशमी है।

श्री जैनुल बशर : मैं उनको रेशमी सम्मान दे रहा हूं। महोदय जब हम सिल्क की बात करते हैं तो कर्नाटक और बंगलौर का नाम अवश्य लिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : मैसूर भी

श्री जैनुल बशर : कर्नाटक में मैसूर भी सम्मिलित है। परन्तु, महोदय अन्य स्थानों का जो सिल्क का उत्पादन करने वाले हैं या सिल्क या सिल्क उत्पादनों का उपयोग करने वाले हैं, नाम भुलाया जा रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि कर्नाटक का सिल्क उत्पादन अथवा सिल्क के उपयोग के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सिल्क और सिल्क उत्पादों के उत्पादन के सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा :—

टसर सिल्क— बिहार में 70 प्रतिशत और शेष महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व उड़ीसा में।

इरी सिल्क— आसाम में 80 प्रतिशत और शेष बिहार और उड़ीसा में।

मुगा सिल्क— आसाम में शत प्रतिशत।

मलबर्री सिल्क — कर्नाटक में 50 प्रतिशत और शेष पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।

जहां तक सिल्क और सिल्क उत्पादों की खपत का सम्बन्ध है, उसके आंकड़े निम्नलिखित हैं —

कच्चे रेशत के उत्पादन के 75% भाग का उपयोग बनारस, भागलपुर और मालदा के बुनकरों द्वारा किया जाता है।

तीन स्थानों पर 70% सिल्क का उपयोग किया जा रहा है। 80 प्रतिशत सिल्क हथकरघे उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। और आप जब भी रेशम का मामला आता है, बंगलौर, कर्नाटक का ही उल्लेख करते हैं। फिर प्रमुख बात यह है कि सैन्ट्रल सिल्क बोर्ड अनुसंधान, विज्ञान, प्रौद्योगिकीय, और विस्तार सम्बन्धी 70 प्रतिशत सुविधाएं कर्नाटक राज्य को उपलब्ध कराता है। सैन्ट्रल सिल्क बोर्ड का 70 प्रतिशत बजट अन्य राज्यों की उपेक्षा करके कर्नाटक के लिये रखा जाता है।

आज कर्नाटक में रेशम के कीडे पालने वाला एक एकड़ शहतूत से प्रतिवर्ष 10,000 रुपये अर्जित करता है जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आसाम में लाखों आदिवासी टसर रेशम के कीड़े पाल कर मुश्किल से 500 रुपये प्रति वर्ष अर्जित कर पाते हैं। इन पिछले लोगों के प्रति हमारी अधिक जिम्मेदारी है जिनके लिये 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है। सैंट्रल सिल्क बोर्ड का मुख्यालय स्थापित करने के बारे में कुछ विवाद है जिसका उल्लेख तमिलनाडु के मेरे मित्र कर रहे थे। सैन्ट्रल सिल्क बोर्ड का मुख्यालय बम्बई से बंगलौर स्थातान्तरित किया जा रहा है। क्यों ? कर्नाटक इतना अधिक महत्वपूर्ण केन्द्र नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्योंकि महत्वपूर्ण संसद सदस्य उस क्षेत्र के हैं।

श्री जैनुल बशर : आसाम के भी एक महत्वपूर्ण संसद सदस्य हैं। आसाम में 100 प्रतिशत मुगा सिल्क का उत्पादन होता है।

मुख्यालय बम्बई में ही रहना चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : परन्तु विवाद के कारण वह काम नहीं कर रहा है।

श्री जैनुल बशर : उक्त कार्यालय क्यों बम्बई से कर्नाटक ले जाने के लिये बहुत जोर लगाया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले की जाँच करें। सैंट्रल सिल्क बोर्ड बोर्ड का कार्यालय बम्बई में ही रहना चाहिये।

अब क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करता हूं। श्रीनगर, बम्बई, बंगलौर, मद्रास और कलकत्ता में कुछ क्षेत्रीय कार्यालय है परन्तु मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश अथवा आसाम में कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है जहां 75% से अधिक सिल्क का उपयोग किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कम से कम बाराणसी में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाये। वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक सिल्क का उपयोग किया जाता है। एक क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर में स्थापित किया जाना चाहिये क्योंकि उन क्षेत्रों में रेशम के कीड़ों के पालन का विकास नहीं किया गया है। वास्तव में कुछ निहित स्वार्थों के कारण ऐसे क्षेत्रों में विकास की अनुमति ही नहीं दी गई जहां सिल्क का उपयोग अधिक होता है। इन क्षेत्रों में जहां जलवायु अनुकुल है रेशम के कीड़ों के पालन की व्यवस्था की जानी चाहिये। वास्तव में और सब बातें अनुकूल हैं परन्तु प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप ऐसे स्थानों पर रेशम के कीड़ों के पालन की व्यवस्था नहीं की जा रही जहां रेशम का उपयोग अधिक होता है।

अब मैं वाराणसी की समस्याओं का उल्लेख करूंगा। शीतकालीन सत्र में मैंने इस प्रतिष्ठित सभा में नियम 377 के अधीन एक मामला उठाया था कि पांच लाख से अधिक सिल्क हथकरघा बुनकर बेरोजगार हैं। करघे सिल्क यार्न के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण बन्द हो गये थे। मूल्यों में 50 प्रतिशत वृद्धि हो गई थी और हथकरघा बुनकर रोजगार से हाथ धो बैठे थे। वाराणसी में हड़ताल थी। यह हड़ताल सिल्क उपलब्ध न होने के कारण नहीं हुई थी बल्कि सिल्क बोर्ड अथवा कर्नाटक सरकार की अन्य एजेंसी ने जो सिल्क विकास और सिल्क की बिक्री के लिये जिम्मेदार हैं, ऐसी व्यवस्था की कि कुछ बड़े लोगों ने सिल्क के पूरे स्टाक को इकट्ठा कर लिया और मूल्यों में असाधारण वृद्धि कर दी, इसलिये हड़ताल की गई थी।

मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सहायता की। उन्होंने स्थिति का मुकाबला करने के लिये चीन तथा अन्य देशों से आयात की व्यवस्था की फिर भी स्थिति वैसी ही रही। इसका कारण यह है कि वाराणसी साड़ियों के लिये एक विशेष किस्म के सिल्क यार्न की आवश्यकता होती है परन्तु उनको उस किस्म के सिल्क यार्न की सप्लाई नहीं की गई। मैंने सुना है कि जिस सिल्क की आवश्यकता वाराणसी को थी, भागलपुर को सप्लाई कर दी गई जिसको भिन्न प्रकार के सिल्क की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम ने आयातित सिल्क खरीदने के लिये करोड़ों रुपये लगा दिये हैं और सिल्क का भंडार वाराणसी में जमा हो रहा है क्योंकि वह वहाँ के बुनकरों के लिये लाभप्रद नहीं है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि कृपया इस मामले की जाँच करें और सप्लाई की इस प्रकार से व्यवस्था करे कि वाराणसी सिल्क बुनकरों को जिस किस्म के सिल्क यार्न की आवश्यकता हो वही उनको उपलब्ध कराया जाये।

महोदय, मैं दक्षिण के विरुद्ध नहीं हूं। मैं दक्षिण को बहुत पसंद करता हूं। बल्कि मैं दक्षिण का भक्त हूं। परन्तु स्थिति ऐसी है कि सैंट्रल सिल्क बोर्ड में दक्षिण के लोग, विशेष रूप से कर्नाटक के अधिक हैं। वे उत्तरी राज्यों के हितों पर ध्यान नहीं देते।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : श्री जार्ज कर्नाटक के हैं।

श्री जैनुल बशर : जी हां, दोनों फर्नान्डीस कर्नाटक के हैं। परन्तु वे पूरे देश का भ्रमण करते हैं और आप वहीं पर रुके रहते हैं।

इस लिये मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इस बात का ध्यान रखे कि जब बोर्ड का गठन किया जाये उसमें देश के विभिन्न भागों के लोगों को, जो सिल्क का उत्पादन करते हैं या उपयोग करते हैं, प्रतिनिधित्व दिया जाये। और मंत्री महोदय को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बोर्ड का चेयरमैन सिल्क का उपयोग करने वाले क्षेत्र से सम्बन्धित हो। मैं अपने आपके लिये नहीं कह रहा बल्कि सिल्क का उपयोग करने वाले क्षेत्र से किसी अन्य व्यक्ति को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया जाना चाहिये।

श्री टी. आर. शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : महोदय मैं कर्नाटक प्रदेश का हूं जो बड़ी मात्रा में कच्चा रेशम सप्लाई करता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो रेशम व्यापार का केन्द्र है।

महोदय, मैं यह समझ नहीं पाया हूं कि मेरे माननीय सहयोगियों ने यह विवाद क्यों उठाया है। चिरकाल से कर्नाटक पूरे देश के लिए अपेक्षित रेशम का उत्पादन करता रहा है। हाल ही में तमिलनाडु ने कच्चे रेशम का पर्याप्त उत्पादन करने के लिए कदम उठाने के प्रयास किये हैं। परन्तु मेरी विचारधारा अपने कुछ सहयोगियों की तरह संकीर्ण नहीं है। मैं यह कहूंगा कि रेशम बोर्ड उस राज्य में होना चाहिए जो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, और जहां सर्वाधिक परिमाण में इसका व्यापार होता है। तमिलनाडु भी कर्नाटक राज्य के समीप है। और मैं तमिलनाडु के माननीय मित्र से निवेदन करना चाहता हू कि हमें इस पर इस तरह नहीं लड़ना चाहिए कि यह कश्मीर में भेज दिया जाए।

महोदय, बंगलौर में ही इसका मुख्य उद्योग है और यह विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। इससे भी अधिक बंगलौर में बड़ी संख्या में रेशम बुनकर कार्यरत हैं। अतः मैं सरकार और अपने माननीय मित्रों से नम्र निवेदन करता हूं कि इस समय यह कर्नाटक में ही स्थापित किया जाए। और रेशम उद्योग का विस्तार होने पर और अन्य राज्यों द्वारा अधिक रेशम उत्पादन करने के लिए आगे आने पर वे इसके लिए कह सकते हैं। परन्तु वे जल्दी में ऐसा कुछ न करें, क्योंकि यह उद्योग पहले से ही संकट में है। मैं नहीं चाहता कि इस उद्योग को अपेक्षित समय से पहले ही बंगलौर से किसी अन्य स्थान में स्थानांतरित कर और अधिक संकट में डाला जाए। बंबई न तो रेशम उत्पादक क्षेत्र है और न ही यहां कोई रेशम उद्योग है। अतः मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि रेशम बोर्ड को बम्बई ले जाने का शोर क्यों मचाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भाषण का ऐसा अंश है, जिसका उत्तर देना मंत्री के लिए बहुत कठिन है, वह बम्बई का समर्थन कर रहे हैं और आप बंगलौर का।

श्री टी. आर. शमन्ना : महोदय, इस अधिनियम में बहुत पहले संशोधित कर दिया जाना

चाहिए था। रेशम बोर्ड ने रेशम व्यापार और रेशम उद्योग की कोई विशेष सहायता नहीं की है। न ही इसने इसके विकास या अनुसंधान कार्य की दिशा में कुछ काम किया है। पिछले वर्ष "हुजी फ्लाई" द्वारा रेशम की फसल को नष्ट किए जाने से रेशम उत्पादन पर बुरा असर पड़ा था। अतःएव रेशम उद्योग को बहुत परेशानी उठानी पड़ी और रेशम की कीमतें उस समय आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। रेशम उद्योग ने हुजी फ्लाई के कारण हुई क्षति का सामना करने और बचाव का कोई उपाय नहीं किया, अतः जहां तक रेशम उद्योग के विकास का सम्बन्ध है, मैं रेशम उद्योगों को पूर्णतः असहयोगात्मक रुख अपनाने का दोषी मानता हूं। रेशम बोर्ड का यह कर्तव्य है कि वह यह देखें कि अनुसंधान कार्य इस प्रकार से हो जिससे हम कम कीमत पर अच्छी किस्म का रेशम प्राप्त कर सकें।

इस समय जो रेशम बोर्ड गठित है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। मेरी सिफारिश यह है कि बोर्ड काफी बोर्ड के नमूने पर गठित किया जाए जिसमें रेशम उद्योग से सम्बद्ध सभी लोगों के हितों को ध्यान रखा जाए। रेशम उद्योग को यह भी देखना चाहिए कि यह उद्योग समग्र रूप से उपयुक्त ढंग से विकसित हो और इस उद्योग में कार्यरत लोग आर्थिक दृष्टि से लाभान्वित हों. मैं दावे से कह सकता हूं कि रेशम उद्योग लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। इसी तरह यह विदेश व्यापार के माध्यम से बहुत सी विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकता है। अतः इस दृष्टि से कि रेशम उद्योग सही दिशा में विकसित हो, रेशम बोर्ड को उपयुक्त तरीके से पुर्नजीवित किया जाना चाहिए। रेशम उद्योग बहुत हद तक बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकता है इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम रेशम का निर्यात करें तो इससे विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

रेशम उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। मैं पहले कभी केन्द्रीय भिखारी सहायता समिति का चेयरमैन था, भिखारियों को कुछ रोजगार देने की दृष्टि से हमने कुछ भिखारी लड़कों को और उन्हें रेशम कातने के काम पर लगाया, हमने उन्हें प्रतिदिन 2 रुपया दिया, प्ररिक्षण प्राप्त करने के बाद, इन लड़कों को रेशम कातने के कारखानों में रख लिया गया और उन्हें प्रतिदिन 12 से 14 रुपये दिये गये।

रेशम उद्योग के विकास के लिए देश में पर्याप्त क्षेत्र हैं। विश्व बैंक ने रेशम के विकास के लिए बड़ी धनराशि प्रदान की है। इसे रेशम उद्योग पर खर्च किया जाना चाहिए।

यह दुर्भागय की बात है कि रेशम बोर्ड और कर्नाटक सरकार ने उपयुक्त कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने सारी बातों को मिला दिया है। न केवल कर्नाटक बल्कि तमिलनाडु में भी जो रेशम 250 रु० प्रति कि० ग्रा० बिकता था वह बढ़कर 720 रु० प्रति कि० ग्रा० हो गया, तमिलनाडु में काँचीपुरम, आंध्र में धर्मावरम, उत्तर प्रदेश में बनारस और काश्मीर में बुनकर अत्यधिक आर्थिक मुसीबत में है। कच्चे रेशम की ऊंची कीमत के कारण बुनकरों को बहुत परेशानी हो रही है बुनकरों की बड़ी दुर्दशा हो रही है।

मैंने संसद में यह मामला नियम 377 के अन्तर्गत और ध्याकर्षण के अन्तर्गत उठाया है। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इस समय बाजार में रेशम की स्थिति बहुत खराब है। कर्नाटक राज्य सरकार ने बुनकरों की परेशानियों को कम करने के उपाय करने की बजाय रेशम विनिमय गठित किया जो

माल निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए है, इसलिए वे रेशम का मूल्य बढ़ाते गए और अब उन्होंने करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के कच्चे रेशम का भंडार कर लिया है। चार महीने पूर्व इसी मूल्य 600 रु० और 720 रु० के मध्य थे। अब यह घटकर 350 रु० रह गया है। इससे विभिन्न राज्यों के बुनकरों को बहुत नुकसान हुआ है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मूल्यों के गिरने से, रेशम उद्योग को बहुत से लोग विशेषकर बुनकर बहुत बड़ी विपत्ति में फस जायेंगे।

रेशम उद्योग को उत्पादकों, उपभोक्ताओं और बुनकरों के हितों को देखते हुए इस सीमा तक युक्तियुक्त बनाना चाहिए कि उद्योग न केवल रोजगार उपलब्ध कराने में वरन देश के आर्थिक विकास में मदद करने में सक्षम होगा।

मेरे मित्र श्री ओस्कर फर्नान्डीस कन्नड़ में यही कह रहे थे कि रेशम उद्योग को पुर्नगठित किया जाए जिससे इसका ठीक से विकास हो। उपभोक्ता के तौर पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जहां तक दक्षिण भारतीय महिलाओं का सम्बन्ध है—चाहे वह मध्यवर्गीय हो या उच्च वर्गीय—रेशमी साड़ी पहनना अनिवार्य है। मेरी पांच पांच लड़कियां हैं। पहली लड़ली के विवाह में मैंने रेशमी साड़ियों पर 2000 रुपए खर्च किये। मेरी सबसे छोटी लड़की, जिसका विवाह मैंने हाल ही में किया है- मैंने रेशमी साड़ियों पर 10000 रुपया खर्च करना पड़ा, परन्तु इस समय 10000 रु० कीमत वाली साड़ियों की क्वालिटी और भार पिछली कम कीमत वाली साड़ियों से बहुत निम्न स्तर का था।

रेशम उद्योग निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों जुआ बनकर रह गया है। दुर्भाग्य से, उत्पादकों और उपभोक्ता की मदद करने की बजाए सरकार उन बिचौलियों की मदद कर रही है जो अन्य दो वर्गों की कीमत पर भारी मुनाफा कमा रहा है। बिचौलियों ने लाखों रुपया कमा लिया है। जब तक बिचौलियों को हटाया नहीं जाता और सहकारी संस्थाओं या उच्च उपयुक्त संगठन की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक रेशम उद्योग समुचित विकास नहीं कर सकता।

ऐसे समय में कर्नाटक सरकार ने रेशम विनिमय कार्य शुरू किया है। रेशम बुनकरों को सहायता देने की बजाए रेशम विनिमय से बाजार में हैं प्रति स्पद्धा आरंभ हो गई है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ धनी लोगों के निहित स्वार्थ हैं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, कि जैसे यह देखना कि उत्पादकों, उपभोक्ताओं और बुनकरों को न होकर सिर्फ उन्हें ही फायदा हो, ये बिचौलिए बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने यथार्थतः रेशम उद्योग से जुआ खेलना शुरू कर दिया है। और सरकार को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि रेशम उद्योग आधुनिक पद्धति से विकास करे जिससे उत्पादकों का हित, बुनकरों का हित, वेल्लकों के हित और अन्ततः उपभोक्ता हित की रक्षा हो। वह यह भी देखें कि इसमें किसी भी तरह का बिचौलियां न रहे। तब उसे यह भी देखना चाहिए कि रेशम उद्योग राजनीतिज्ञों के हाथों न जाने पाऐं। श्री देवराज अर्स मंत्रालयों से हटने के बाद रेशम बोर्ड के चेयरमैन बने। उनके पास रेशम उद्योग के विकास पर ध्यान देने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। उनके बाद सत्ताधारी दल का एक अन्य व्यक्ति रेशम बोर्ड का चेयरमैन बना, उसके बाद जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो वह अपने आदमी को लाई और उन्हें रेशम बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, इस समय भी वही व्यक्ति चेयरमैन है। मेरा पक्का विश्वास है कि यदि रेशम बोर्ड राजनीतिज्ञों के हाथ में रहा तो उससे न तो रेशम उद्योग और लोगों का भी भला नहीं होगा, अत मेरी

सरकार से अपील है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रेशम उद्योग को कभी भी राजनीतिज्ञों के हाथों में नहीं सौपना चाहिए।

मेरी सरकार से अपील है कि रेशम उद्योग के उचित विकास के लिए, कर्नाटक के किसी व्यक्ति को जो रेशम व्यापार, रेशम व्यवसाय से अच्छी तरह परिचित हो रेशम बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया जाना चाहिए। हमारा अनुभव यही बताता है कि जब भी ये राजनीतिज्ञ बोर्ड में रहे हैं उन्होंने अपने पद का अपने स्वार्थों, अपने निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया है। उद्योग के विकास और लोगों की भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अतः रेशम उद्योग के बारे में अन्य माननीय सदस्यों का जो भी आग्रह रहा हो, मैं सरकार से दृढ़ अपील करता हूं कि वह रेशम उद्योग में किसी राजनीतिज्ञ को न लाए।

रेशम उद्योग के विकास के लिए बहुत से क्षेत्र हैं, तमिलनाडु में, कच्चे रेशम का उत्पादन शुरू कर दिया गया है, इसी तरह आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम और देश के अन्य बहुत से स्थानों में इसका विकास किया जाना चाहिए जहां शहतूत की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां हों।

विश्व बैंक ने सरकार को भारी सहायता राशि दी है, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दे कि रेशम उद्योग ऐसी आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों पर विकसित किया जाए कि यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण के राष्ट्रीय उद्योग के रूप में गिना जाने लगे। जहां तक रेशम उद्योग का सम्बन्ध है, मैं एक बार फिर माननीय मन्त्री और केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि वह यह देखे कि कोई दलगत राजनीति न फैले। यह ऐसे वैज्ञानिक ढग से विकसित किया जाए कि हम इससे अधिकतम फायदा उठा सकें। धन्यवाद,

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ओस्कर फर्नान्डीस :

श्री ओस्कर फर्नान्डीस (उदीपी) : मैं आपसे कन्नड़ में बोलने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

**श्री ओस्कर* (उदीपी) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेशम उद्योग के जन्म स्थान कर्नाटक से हूं। मैसूर जो कि राज्य का प्रमुख नगर है रेशम का पर्याय है। हाल ही में मक्खियों के कारण शहतूत के पौधों को खतरा होने से समस्या उठ खड़ी हुई है।

यह प्रसन्नता की बात नहीं है कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीन से रेशम का आयात करना पड़ रहा है।

रेशम बोर्ड के मुख्यालय का स्थानान्तरण बम्बई से बंगलौर करने के लिए, जहां पर रेशम उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है, मैं सरकार का आभारी हूं। इस कदम से उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान और रेशम उत्पादकों और रेशम रेशे के प्रभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा।

* मूल कन्नड में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कर्नाटक सरकार को रेशम उद्योग के विकास के लिए विश्व बैंक से 80 करोड़ रुपये की ऋण/सहायता प्राप्त हुई है और राज्य सरकार रेशम उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए भरसक कोशिश कर रही है। इस उद्योग के विकास से देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में काफी सहायता मिलेगी।

मेरे आदरणीय मित्र श्री जैनुल बशीर ने बताया कि कर्नाटक के रेशम उत्पादकों ने एक एकड़ पर लगभग 10000 रु. कमाये जबकि महाराष्ट्र के उत्पादकों को लगभग 500 रुपए मिले। मैं यह कहूंगा कि यदि महाराष्ट्र और आसाम के उत्पादक भी कर्नाटक के उत्पादकों की भांति वैज्ञानिक तरीके से कार्य करें तो वे अपनी आय को कर्नाटक के रेशम उत्पादकों के स्तर तक बढ़ा सकते हैं। यदि हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो हम रेशम का आयात करने के बजाए इसका निर्यात करने की स्थिति में होंगे। यदि केन्द्रीय सरकार इस उद्योग का उचित तरीके से विकास करने में सहायता करे तथा उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करे तो उद्योग के साथ साधारण व्यक्ति और देश को भी लाभ पहुंचेगा।

भर्ती तथा सेवा के स्पष्ट नियमों के अभाव में केन्द्र बोर्ड के कामगारों को कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में काम करने वाले कामगारों को नैमित्तिक मजदूर माना जाता है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में ध्यान दे ताकि मजदूर अधिकतम उत्पादन कर सकें। बोर्ड के मुख्यालय को बंगलौर स्थानान्तरित करने के बावजूद जिस समस्या का सामना इसे करना पड़ रहा है वह खेतों में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी से सम्बन्धित है और जो मेरे चुनाव क्षेत्र दक्षिण कनारा में काफी गम्भीर है। खेतों में काम करने वाले कर्मचारियों की इसी प्रकार की कमी आसाम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भी है। बोर्ड के बेहतर रूप से कार्य करने के लिए इन्हें दूर करना अवश्यक है।

यदि रेशम के आयात पर व्यय किए जाने वाले धन को इसके अनुसंधान पर लगाया जाए तो हम अपने देश में ही इतना उत्पादन कर सकेंगे कि हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। शहतूत के पत्तों को प्रभावित करने वाली मक्खी से सबसे पहले निपटना होगा एक स्थाई बाजार तन्त्र की स्थापना की जानी चाहिए ताकि रेशम की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को न्यूनतम किया जा सके। हमें चाहिए कि यह सुनिश्चित करें कि उत्पादकों को लाभकारी मूल्यों की अदायगी की जाए जैसाकि कपास जैसी कृषि वस्तुओं के मामले में किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उत्पादक अन्य वस्तुओं को उगाना आरम्भ कर देंगे।

मेरे विचार से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष का चयन सरकार पर छोड़ देना सबसे अच्छा होगा ? हमें इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चयन के लिए केन्द्रीय सरकार पर विश्वास करना चाहिए। उस राज्य को, जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, इस सम्बन्ध में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति उस पद के लिए उपयुक्त हो और उसे उस पद के लिए आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त हो।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, रेशम उद्योग के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है और इस बात का उल्लेख उस योजना के हिन्दी संस्करण के 173वें पृष्ठ पर है। इस समय चार प्रकार का रेशम हमारे देश में पैदा होता है—शहतूत, टसर, एरी, मोंगा। ये प्रायः देश के सभी राज्यों में, खास कर कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, प्रायः सभी जगहों पर, परन्तु इन राज्यों में विशेष रूप से रेशम की पैदावार होती है। बिहार का भागलपुर सिल्क के लिए बहुत मशहूर स्थान है। वाराणसी और बंगलोर में साड़ियां और दूसरे वस्त्र बहुत ही अच्छे किस्म के मिलते हैं.....

एक माननीय सदस्य : लुंगी :

श्री रामावतार शास्त्री : लुंगी से लेकर कंचुकी तक।

हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा रेशम शहतूत का रेशम होता है, 80 प्रतिशत उसकी पैदावार देश में है और आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में भी कहा गया है—शहतूत के अतिरिक्त अन्य किस्म के रेशम उद्योग के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। यह सरकार की योजना कह रही है। इसका यह अर्थ हुआ कि अन्य प्रकार के रेशम के विकास की तरफ सरकार का ज्यादा से ज्यादा ध्यान जाना चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि शहतूत के रेशम के विकास पर कम ध्यान दिया जाय। इस समय हमारे यहां जो रेशम पैदा होता है—1979-80 में 48 लाख किलोग्राम पैदा हुआ और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 90 लाख किलोग्राम हो

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए।)

जाने की आशा की जाती है। ठीक इसी तरह से निर्यात भी ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि हम को विदेशी मुद्रा मिल सके। इसलिये उसको 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये तक ले जाना चाहते हैं—छठी पंचवर्षीय योजना में। इस समय इस उद्योग में लगभग 16 लाख लोग काम करते हैं आप इसको बढ़ाकर साढ़े इक्कीस लाख तक ले जाना चाहते हैं। तो यह कैसे होगा। इसके लिये यह आवश्यक है कि अनुसंधान का काम रेशम के कीड़ों के सिलसिले में किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इसको विकसित करके सब जगहों पर इसकी पैदावार को बढ़ाया जाए। जितने स्थानों पर हमारे मुल्क में रेशम होता है, वहां पर इसकी पैदावार को बढ़ाया जाए लेकिन दुःख की बात है कि खुद बनारस में 5 हजार करघे बेकार पड़े हैं।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : 5 हजार करघे बेकार पड़े हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो मैं बहुत कम कह रहा रहा था। हमारे भागलपुर में भी हजारों करघे बेकार हैं और हर स्थान पर जहां रेशम की पैदावार होती है वहां पर करघे बेकार हैं। आपको ऐसा इन्तजाम करना चाहिए कि रेशम के धागे उनको मुनासिब दाम पर मिलें क्योंकि इसमें भी मुनाफाखोरी चलती है जैसी हमारी सूती करघों के व्यापार में गड़बड़ चल रही है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं कि जो लोग रेशम का उत्पादन करते हैं, उनको कच्चे रेशम का अगर आप मुनासिब दाम नहीं दिलवायेंगे, उनके सामान को आप खरीदेंगे नहीं, तो धागे बन कर तैयार हो जायेंगे और उनके खपत की व्यवस्था नहीं होगी। बनारस, बंगलौर, भागलपुर आदि जो प्रमुख केन्द्र हैं, उनको अगर आप अच्छे किस्म का रेशम नहीं देंगे, तो हमारे देश का नाम जो कपड़ों के मामले में है, साड़ियों के मामले में है, यहाँ पर मटका, मुंगा, एरी और टसर जो इतनी अच्छी होती है, अगर ये नहीं बन पाएंगे, तो हमारे देश की बदनामी होगी।

अगर आप सचमुच में बोर्ड के जरिए इसको विकसित करना चाहते हैं, तो बोर्ड का मतलब यह होता है कि वह इस बात को देखें कि जो रेशम उपजाने वाले हैं, उनको मुनासिब दाम मिले। इस उद्योग में 16 लाख से अधिक लोग काम करते हैं और उनके परिवारों के करोड़ों लोग इस व्यवसाय पर जिन्दा हैं। तो मजदूरों की स्थिति कैसी है, यह भी आप को देखना होगा। मजदूरों को ट्रेड यूनियन कानून के मुताबिक तन्खवाह मिले और अगर नहीं

"नियम 8 के उप-नियम (2) में किए गए प्रावधान के अलावा बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति, नामांकन अथवा चुनाव होने के पश्चात अधिनियम की धारा 4137 के अन्तर्गत तीन वर्ष का कार्यालय में रहेगा।"

आपने पहले ही रुल्स में प्रेस्क्राइब कर दिया 3 साल की मियाद। फिर ऐक्ट में क्यों लाए ? ऐक्ट को पढ़िए, क्या जरुरत है इन चीजों को लाने के लिए ? अधिनियम के परन्तुक के अनुसार एक सदस्य का कार्य काल तीन वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। यह नियमों में पहले ही उपबन्धित किया गया है। यह नियम प्रभावी है। आपके रुल्स प्रोमल्गेट होने के बाद फोर्स में आ गये, और रुल्स 1955 में प्रोमल्गेट हुए और आज अमेंडमेंट आ रहा है मेम्बर की मियाद 3 साल होगी। तो यह रूल्स क्यों बनाये गये ? जैसा विनिर्दिष्ट किया गया है तीन वर्ष से अधिक न हो। कुछ नियमों के अन्तर्गत इसे पहले ही विनिर्दिष्ट किया गया है। वे संविधिक नियम हैं।

तीसरे आपने अमेंडमेंट किया :

"यह उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से केन्द्रीय सरकार अपने राजपत्र में अधिसूचित करेगी।"

ला डिपार्टमेंट क्या देखता है ? जब आलरेडी यह ऐक्ट फोर्स में है 1948 से .....

(व्यवधान)

उन्होंने पहले से ही नियम बना रखे है। उनमें कहा गया है "जैसाकि विनिर्दिष्ट किया गया है" यह पहले से ही प्रभावी है।

कमेटी आन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ने मेरे ख्याल से दूसरी लोक-सभा में यह बात कही थी कि हरेक बिल जो एक्ट बन चुके हैं, उनमें आप इस प्रकार का सशोधन कर दें, लेकिन आज 20, 25 साल के बाद ये अमेंडमैंट यहां लाये हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों आवश्यता पड़ी। एक कारण तो चेयरमैंन को हटाने का था लेकिन इसमें यह कोई प्रोवीजन नहीं है कि चेयरमैंन कौन बनेगा, कैसे बनेगा। चेयरमैन टर्मिनेट कर दिया जायेगा, लेकिन क्यों किया जायेगा यह कुछ पता नहीं है।

मेरा कहना यह है कि जो कुछ आपने बिल बनाना है, सोच समझ कर बनाना चाहिए, उसमें पावर्स के बारे में होना चाहिए, मेम्बर्स की क्वालीफिकेशन के बारे में होना चाहिए। इसके बोर्ड में लेबर का भी कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है। जो बेचारा सिल्क बनाता है, जो तैयारी करता है, उसका कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं है, लेकिन कुछ अफसरों की जमात की जमात हो गई है और साथ ही लोक-सभा के 4 सदस्य और राज्य-सभा के दो सदस्य इसमें आगये हैं और एक कर्नाटक का आ गया है।

इसमें 66 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है, यह बोर्ड आफ पैराडाइज है, जहां चेयरमैंन को काम कम करना है। और आराम ज्यादा करना है। इसमें यह भी नहीं है कि इसकी एनुअल रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी ताकि लोग जांच सकें कि पैसे का किस प्रकार उपयोग होता है। इस सारे एक्ट में यह प्रावीजन नहीं है कि हर साल आडिटेड रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। सरकार जो एक्ट बनाती है, उसे सारी बातें देखनी चाहिएं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक आया है,

तनख्वाह मिले। अगर इन सब बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो इस बोर्ड से आप लाभ उठा सकेंगे।

वैसे यह जो बिल बनाया गया है यह कंट्रोवर्सियल नहीं है लेकिन इन बातों की तरफ सरकार को जरूरत ध्यान रखना चाहिए।

श्री समीनुद्दीन (गौड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, टसर, रेशम, की बहुत सी किस्में हैं। मूंगा टसर, मालबरी और एरी इत्यादि अगर सारे हिन्दुस्तान का जायजा लिया जाए तो सब से ज्यादा टसर की पैदावार बिहार में है और मूंगा 100 फीसदी असम में होता है और माल बरी 50 फीसदी बंगलौर में कर्नाटका होती है। वैसे तो थोड़ा-बहुत रेशम और जगहों में भी होता है। मगर ये तीन जगहें ऐसी हैं जहां यह सब से ज्यादा होता है। मगर अफसोस की बात है कि हमारे सिल्क बोर्ड के क्षेत्रीय केन्द्र कश्मीर, बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता और मद्रास में है। जहां बिहार में 80 फीसदी टसर होता है वहां भी इसका कोई सेन्टर नहीं है। इसी तरह 100 प्रतिशत मूंगा असम में होता है लेकिन वहां भी कोई क्षेत्रीय केन्द्र नहीं है। कलकत्ता में जो क्षेत्रीय मरकज है उसके साथ यू० पी०, बिहार, असम नागालैण्ड और सिक्किम को शामिल कर दिया है। जरूरत इस बात की थी कि जहां 80 प्रतिशत टसर पैदा होता है, वहां सेन्टर होना चाहिए था इसी तरह असम में भी इसका सेन्टर होना चाहिए अफसोस की बात है कि सिल्क बोर्ड का केन्द्रीय सेन्टर बंगलौर में है लेकिन इन जगहों पर क्षेत्रीय केन्द्र भी नहीं है। इस सदन को यह देखना है कि पैदावार के लिहाज से जहां सब से ज्यादा टसर होता है वहां पर कम से कम क्षेत्रीय सेन्टर होने चाहिएं। पहले नम्बर पर असम में होता है। और दूसरे नम्बर पर बिहार में होता है और तीसरे नम्बर पर बेंगलौर में होता है। लेकिन बेंगलौर में तो है और बिहार और असम को नजरन्दाज कर दिया गया है। इनको नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए।

बम्बई एक्सपोर्ट के लिहाज से बहुत बेहतर है। इसलिए बंगलौर केन्द्रीय सेन्टर के मैरिट में नहीं आता—न पैदावार में और न एक्सपोर्ट में, लेकिन बंगलौर के लिए पैरवी हुई, क्योंकि नुमाइंदगी बंगलौर की ज्यादा है। केन्द्रीय सेन्टर को लेकर मौजूदा चेयरमैन किसी को आसाम भेज रहे हैं, किसी अधिकारी को गोहाटी भेज रहे हैं, लिहाजा ये कि परेशान किया जा रहा है। यह सब नहीं होना चाहिए। हम तो कहेंगे कि एक्सपोर्ट के लिहाज से बांबे दुरूस्त है और पैदावार के लिहाज से आसाम ठीक है और बंबई और बंगलौर की लड़ाई के बीच सारी बातो को छोड़कर इसको दिल्ली में रख दिया जाए। ताकि किसी को किसी तरह की आपत्ति नहीं हो।

बिहार पैदावार ज्यादा करता है, फिर भी बिहार में कोई क्षेत्रीय आफिस नहीं खोला गया है, यह अफसोसनाक बात है। इसलिए बिहार में और आसाम में क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिएं। सेंट्रल आफिस सारे झगड़ों को बलाएताक रख कर दिल्ली में होना चाहिए।

अभी रामअवतार शास्त्री जी कह रहे थे कि मजदूरों को यह मिलना चाहिए, वह मिलना चाहिए, मगर मैं कहता हूं कि असल चीज के बारे में उन्होंने तवज्जह नहीं दिलाई है। आज चाइना से सिल्क आ रहा है और यहां के सिल्क से उसकी बनावट अच्छी है और 1/4 किफायत भी मिलती हैं। फिर कपड़ा बुनने वाला क्यों दूसरा सिल्क लेगा। मैंने नागपुर में यह प्रस्ताव रखा था कि इम्पोर्ट बद किया जाए। चाइना की यह एक पालिसी है कि वह किफायत दामों

पर सिल्क एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे हमारे यहां सिल्क का उत्पादन घट जाएगा और यहां के मजदूर भी बेकार हो जाएगा।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं पार्लियामेंट की तरफ से सिल्क बोर्ड में मेंबर हूं। मैं जब वहां पर सूरतें देखता हूं तो पाता हूं कि बोर्ड में मजदूरों की नुमाइंदगी नहीं है। और सिल्क पैदा करने वालों की नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि बड़े-बड़े एक्सपोर्टर लोग उसके नुमाइन्दे हैं और यही वजह है कि बिहार और आसाम सिल्क के मामले में तरक्की नहीं कर रहा है ना उनको किसी किस्म की रियायतें मिल रही है। मैं चाहूंगा कि सिल्क पैदा करने वालों की नुमाइन्दगी इसमें होनी चाहिए।

इसके अलावा मैं एक चीज की तरफ आपके महोदय से सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चाहे आसाम सिल्क पैदा करता हो चाहे बिहार या बगलौर पैदा करता हो या कोई और प्रदेश पैदा करता हो, लेकिन कपड़ा तैयार करने वाले बनारस और भागलपुर के हैं लेकिन बनारस और भागलपुर की ओर से बड़े-बड़े साहूकारों की नुमाइन्दगी है, कपड़ा तैयार करने वाले बुनकरों की नुमाइन्दगी नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि कपड़ा तैयार करने में भागलपुर और बनारस 80 फीसदी सिल्क तैयार करते हैं। जहां 80 फीसदी सिल्क कपड़ा तैयार होता हो वहां की नुमाइन्दगी बोर्ड में न हो, यह बहुत अफसोसनाक बात है। मेरी तजवीज है कि बुनकरों की भी उसमें नुमाइन्दगी होनी चाहिए।

1951-52 में सिल्क बोर्ड कायम हुआ था। लेकिन आज तक इसका जो चेयरमैन होता आ रहा है वह दक्षिण भारत से बनता रहा है जहां कम पैदावार होती है, मतलब यह कि साउथ से ही बनता रहा है। आप देखें कि टसर बिहार में पैदा होती है, मूंगा सौ फीसदी आसाम में पैदा होता है, मलबरी बगलौर में पैदा होती है। टस्सर अस्सी परसेंट बिहार में होती है इतने साल हो गए हैं लेकिन एक बार भी चेयरमैन नार्थ का नहीं हुआ है, यही वजह है कि आज बिहार और आसाम आगे बढ़ नहीं पाया है। आप क्षेत्रीय कार्यालय जैसे बम्बई, बगलौर, मद्रास में खोलते हैं इसी तरह से आसाम, बिहार वगैरह में भी खोलें। साथ ही चेयरमैन जिस को सरकार नामजद करती है और जिस का चुनाव नहीं होता है, किसी ऐसे इलाके से उसको नामजद किया जाए जो पसमांदा हो, बिहार से करें, आसाम से करें, या कश्मीर से करें, कहीं से भी करें लेकिन वह उत्तर भारत का होना चाहिए, दक्षिण भारत का नहीं। जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनकी मुद्दत करीब-करीब खत्म हो चुकी है। दूसरा चेयरमैन नार्थ से होना चाहिए साउथ का चेयरमैन करीब तीस साल तक रह चुके हैं। अब तो कम से कम नार्थ का चेयरमैन होना चाहिए।

मैं इस संशोधन सिल्क बिल की ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने सरकार के सामने रखी हैं उन पर गौर किया जायेगा। और उनको अमलीजामा पहनाया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एमेंडमेंट्स हम रखते हैं क्या डिपार्टमैंट उनको देखता है या जो हम बोलते हैं क्या उनको पढ़ा जाता है, उनको स्टेडी किया जाता है ? एमैंडिंग बिल तो आप ला कर रख देते हैं लेकिन क्या इस तरफ भी ध्यान दिया जाता है ?

सिल्क बोर्ड एक्ट 1948 में बना। सैंट्रल सिल्क बोर्ड की एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा है।

यह बोर्ड का निर्णय है :

"सदस्य ने सुझाव दिया कि विकास की गति को तेज करने तथा कतिपय अन्य बातों में विस्तृत भूमिका निभाने के लिए अधिक शक्तियाँ देने के उद्देश्य से वर्तमान केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।"

कामर्स मिनिस्टर भी तथा दूसरे मंत्री भी नए आए हैं। इनको समझने में समय लगेगा। आप 1949 के एक्ट को एमेंड करने जा रहे हैं।

चैयरमैन के बारे में आप कहते हैं :

"केन्द्रीय सरकार तीन माह से अधिक की अवधि का नोटिस देकर अध्यक्ष की नियुक्ति समाप्त कर सकती है।"

अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी होती है। बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।

कोई कह रहा है कि नार्थ का चैयरमैन होना चाहिए और कोई कह रहा है कि साउथ का होना चाहिए।

कोई चेयरमैन बन जाय चाहे राजस्थान का ही हो जहां कि सिल्क पैदा नहीं होती। चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन्स होगी, कुछ मालूम नहीं। न ऐक्ट में है और न रूल्स में है। चेयरमैन को क्यों हटाया जायगा कोई रीजन्स नहीं दिए हुए हैं। एक सेन्टेंस लिख दिया कि :

"केन्द्रीय सकार तीन महीने का नोटिस देकर, अध्यक्ष की नियुक्ति समाप्त कर सकती है।"

अगर वह चेयरमैन ईमानदार नहीं है चरित्र का गया गुजरा है बोर्ड को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको 90 दिन का समय क्यों देते हैं आप ? उसको तुरन्त हटाइये। ओवजैक्टस और रीजन्स में क्या लिखा है ? चेयरमैन को हटाने के लिए 3 महीने का नोटिस दिया जायेगा। क्या कामर्स डिपार्टमैंट में ऐसा कानून है ? मेरी समझ में नहीं आया। यह तीन महीने का नोटिस देकर अध्यक्ष की सेवाएं समाप्त कर सकती है। इसका अर्थ हुआ 90 दिन। अध्यक्ष के पास बहुत अधिक शक्तियाँ है। तो 90 दिन में तो वह 90 लाख रु० खर्च कर देगा। चेयरमैन को 10, 000 रु० तक की पावर्स खुद को है। तो चेयरमैन को किस कारण पर हटायेंगे ? दूसरे कलाज अमेंड किया है :

"अधिनियम के परन्तुक के अनुसार एक सदस्य का कार्य काल ऐसा होना चाहिए जो तीन वर्ष से अधिक न हो।"

आगे कहा गया है "जैसा विनिर्दिष्ट हो"

आप एक कानून बताने जा रहे हैं, डेलीगेशन करने जा रहे हैं। कानून बनायें तो 3 साल से कम मेम्बर की मियाद नहीं होनी चाहिए। तो यह जरूरत क्यों हुई। आप जरा पढ़ क्या लिखा है :

"नियम 8 के उप-नियम (2) में किए गए प्रावधान के अलावा बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति, नामांकन अथवा चुनाव होने के पश्चात अधिनियम की धारा 4137 के अन्तर्गत तीन वर्ष का कार्यालय में रहेगा।"

आपने पहले ही रुल्स में प्रेस्क्राइब कर दिया 3 साल की मियाद। फिर ऐक्ट में क्यों लाए ? ऐक्ट को पढ़िए, क्या जरुरत है इन चीजों को लाने के लिए ? अधिनियम के परन्तुक के अनुसार एक सदस्य का कार्य काल तीन वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। यह नियमों में पहले ही उपबन्धित किया गया है। यह नियम प्रभावी है। आपके रुल्स प्रोमल्गेट होने के बाद फोर्स में आ गये, और रुल्स 1955 में प्रोमल्गेट हुए और आज अमेंडमेंट आ रहा है मेम्बर की मियाद 3 साल होगी। तो यह रूल्स क्यों बनाये गये ? जैसा विनिर्दिष्ट किया गया है तीन वर्ष से अधिक न हो कुछ नियमों के अन्तर्गत इसे पहले ही विनिर्दिष्ट किया गया है। वे संविधिक नियम हैं।

तीसरे आपने अमेंडमेंट किया :

"यह उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से केन्द्रीय सरकार अपने राजपत्र में अधिसूचित करेगी।"

ला डिपार्टमेंट क्या देखता है ? जब आलरेडी यह ऐक्ट फोर्स में है 1948 से .....

(व्यवधान)

उन्होंने पहले से ही नियम बना रखे है। उनमें कहा गया है "जैसाकि विनिर्दिष्ट किया गया है" यह पहले से ही प्रभावी है।

कमेटी आन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ने मेरे ख्याल से दूसरी लोक-सभा में यह बात कही थी कि हरेक बिल जो एक्ट बन चुके हैं, उनमें आप इस प्रकार का सशोधन कर दें, लेकिन आज 20, 25 साल के बाद ये अमेंडमेंट यहां लाये हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों आवश्यता पड़ी। एक कारण तो चेयरमैन को हटाने का था लेकिन इसमें यह कोई प्रोवीजन नहीं है कि चेयरमैन कौन बनेगा, कैसे बनेगा। चेयरमैन टर्मिनेट कर दिया जायेगा, लेकिन क्यों किया जायेगा यह कुछ पता नहीं है।

मेरा कहना यह है कि जो कुछ आपने बिल बनाना है, सोच समझ कर बनाना चाहिए, उसमें पावर्स के बारे में होना चाहिए, मेम्बर्स की क्वालीफिकेशन के बारे में होना चाहिए। इसके बोर्ड में लेबर का भी कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है। जो बेचारा सिल्क बनाता है, जो तैयारी करता है, उसका कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं है, लेकिन कुछ अफसरों की जमात की जमात हो गई है और साथ ही लोक-सभा के 4 सदस्य और राज्य-सभा के दो सदस्य इसमें आगये हैं और एक कर्नाटक का आ गया है।

इसमें 66 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च होता है, यह बोर्ड आफ पैराडाइज है, जहां चेयरमैन को काम कम करना है। और आराम ज्यादा करना है। इसमें यह भी नहीं है कि इसकी एनुअल रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी ताकि लोग जांच सकें कि पैसे का किस प्रकार उपयोग होता है। इस सारे एक्ट में यह प्रावीजन नहीं है कि हर साल आडिटेड रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। सरकार जो एक्ट बनाती है, उसे सारी बातें देखनी चाहिएं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक आया है,

वस्तुतः मंत्री जी ने इसे अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहां पर रखा है। जहां तक इस उद्योग के विकास का सवाल है, उस दिशा में मंत्री जी ने कोई संशोधन का प्रावधान नहीं किया है। मंत्री जी चाहते हैं कि सारी ताकत इनके हाथ में आ जाये, केन्द्रीभूत कर रहे हैं। उद्योग को अपनी मुट्ठी में लाने के लिए अध्यक्ष को हटाया जाये, किस को लाया जाये, कौन जी हजूरी में रहेगा, यह बात इसमें मुख्य है।

इन्होंने यह नहीं सोचा कि रेशम उद्योग कृषि पर आधारित श्रम प्रधान कुटीर उद्योग है जिसमें 35 लाख लोग काम कर रहे हैं, यह अल्पकालिक या पूर्णकालिक रोजगार पा रहे हैं लेकिन इसमें 10 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग काम कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर वह उद्योग चल रहा है, इसका वैज्ञानकि ढंग से किस प्रकार विकास किया जाये, इस दिशा में कोई चिन्तन इन्होंने नहीं किया है। इस इन्डस्ट्री के विकास तथा प्रगति की उन्हें कोई चिन्ता नहीं हैं। उन्हें तो केवल इस बात की चिन्ता है कि जो कुछ करे, अध्यक्ष करे, जब चाहे किसी को अध्यक्ष बना दें और जब चाहे तीन महीने का नोटिस देकर उसको हटा दें।

उस ओर न जा कर इस उद्योग के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि रेशम उद्योग भारत का बहुत प्राचीन उद्योग है। ईसा की दूसरी शताब्दी में भारत में बगाल काफी मात्रा में रेशम निर्यात करता था। उन्नीसवीं शताब्दी में भी उसका काफी निर्यात हुआ। इस समय भी हमारे देश में जो रेशम पैदा होता है, वह बहुत अच्छी किस्म का है। भारत को यह सौभाग्य प्राप्त है कि प्राकृतिक रेशम चारों प्रकार शहतूत, एरी, टसर और मूगा—भारत में हैं। जहां तक शहतूत के उत्पादन का सवाल है, भारत का विश्व में पांचवा स्थान है, टसर में दूसरा स्थान है और मूगा के सम्बन्ध में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। अगर भारत सरकार इस उद्योग में अभिरुचि ले, श्रम-प्रधान उद्यमियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे, अनुसंधान की व्यवस्था करे और अन्य प्रकार की अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करे, तो यह देश के लिए बहुत लाभदायक होगा।

देश में रेशम का उत्पादन 30 लाख किलोग्राम प्रति-वर्ष है, जिससे 50 करोड़ रुपए की आय होती है। अगर इस उद्योग को बढ़ाया जाए, तो 100 करोड़ रुपए के उत्पादन की संभावना हो जाती है। इस उद्योग के विस्तार की काफी गुंजाइश है। देश में इसके लायक वातावरण है विहार, कर्नाटक, बंगाल, आसाम और मणिपुर आदि सब जगहों में इसका अधिक से अधिक विस्तार किया जा सकता है। रांची में रेशम उद्योग अनुसंधान केन्द्र है, जो कि उत्तर भारत का एक ही केन्द्र है, मगर वहां पर जो काम होना चाहिए, उसका अभाव है।

कई कारणों से कई जगहों में रेशम उद्योग के कारोबार में गिरावट आ गई है। कर्नाटक में 600 सिल्क इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें से 80 परसेंट सिल्क होने जा रही हैं, क्योंकि वहां से सिल्क का डाइवर्शन दूसरी जगह कर दिया जाता है। इसी तरह से अन्य जगहों में भी इस उद्योग की हालत खराब है। पिछलें साल सरकार ने सिल्क उद्यमियों को आश्वान दिया था कि ढ़ाई लाख किलोग्राम बाहर से इम्पोर्ट किया जाएगा और उनकी आवश्यकता पूरी की जाएगी। लेकिन पता नहीं, उनमें कहां तक प्रगति हुई है। पिछले वाणिज्य मंत्री, श्री प्रणव मुकर्जी, ने बनारस के सिल्क उद्यमियों की एसोसिएशन को आश्वासन दिया था कि हम इस उद्योग को डूबने नहीं देंगे और उसमें गति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन पता लगा है कि अभी भी उन

लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। सरकार को इस बारे में शीघ्र पहल करनी चाहिए।

सट्रल सिल्क बोर्ड का कार्यालय बम्बई में हो या किसी अन्य जगह, लेकिन उसको किसी केन्द्रस्थ स्थान पर रखना चाहिए। माननीय सदस्य, श्री समीनुद्दीन, ने कहा है कि 1948 में यह कानून बनाया गया था और तब से आज तक जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वे साउथ के ही रहे हैं, इस लिए उत्तर भारत में सब जगह यह उद्योग गिर रहा है। उनका भी कहना मैं यथार्थ समझता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

जहां तक सिल्क बोर्ड का संबंध है, इसमें हर वर्ग के लोगों, खास कर इस उद्योग में लगे हुए, को इस बोर्ड में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। यह नहीं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर केवल अपने ही लोगों को अनुचित लाभ उठाने के लिए शामिल कर लें। इसमें श्रमिकों का खासकर आदिवासी हरिजन और जंगलों में निवास करने वाले लोगों का कल्याण इस उद्योग में सभव है, इसलिए इस उद्योग में लगे लोगों का कल्याण होना चाहिए। जिस तरह से कोयला उद्योग में वैलफेयर आर्गेनिजेशन है, लोह उद्योग में है और दूसरे उद्योग में भी है, उसी तरह की वैलफेयर आर्गेनिजेशन सिल्क उद्योग में भी होनी चाहिए। जो श्रमिक भी इस उद्योग में लगे हुए हैं, उनको आधुनिक ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके बच्चों को पौष्टिक-आहार, शिक्षा की व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य की चिन्ता—इन सब दृष्टिकोणों पर भी विचार होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन पर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जब सरकार ने इसे प्रस्तुत किया है तो वह इसे पास भी करवा लेगी। इसलिए मैं अपना ध्यान मूलतः आसाम की समस्याओं की ओर देना चाहूंगा।

जैसा कि बहुत से अन्य सदस्यों ने कहा कि आसाम में विशेष किस्म के मैगा का उत्पादन होता है और आसाम के किसानों का इस पर एक अधिकार है। वे इसका 80 प्रतिशत देश से बाहर निर्यात करते हैं। इसके उत्पादक न केवल आसाम में बड़ी संख्या में हैं बल्कि मेघालय में भी हैं जहां से हमारे वाणिज्य उप मन्त्री हैं तथा इसके साथ-साथ मणिपुर में भी हैं। किन्तु दुर्भाग्य से रेशम बोर्ड, जिसका गठन इस उद्योग विशेष जो एक श्रमोन्मुखी कुटीर उद्योग है को बढावा देने और विकसित करने के लिए किया गया।

देश के इस भाग में भली प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यालय बम्बई, अथवा पटना अथवा कलकत्ता में है किन्तु यदि मंत्रालय निगरानी रखे और कुशल व्यक्तियों को ठीक स्थान पर नियुक्त करे तो यह ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है और उद्योग का विकास कर सकता है।

परामर्श दात्री समिति की एक बैठक में मैंने आदरणीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और मैं उनका ध्यान फिर से वित्त के प्रश्न की ओर करता हूं। यह एक कुटीर उद्योग है और बैंकों को चाहिए कि वह उत्पादकों को वित्तीय सहायता दे किन्तु दुर्भाग्य से

आसाम में इस कारोबार में कई सहकारी समितियां हैं जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से कोई सहायता नहीं मिलती है। इसकी छानबीन की जानी चाहिए। कई मौकों पर मैंने बैंकों के नामों का उल्लेख करते हुए वाणिज्य मन्त्रालय को लिखा है किन्तु उसके बावजूद भी कोई मूर्त्त परिणाम सामने नहीं आया। यह उत्पादक या तो अपना धन लगा रहे हैं। जो कि बहुत कम है अथवा निजी व्यक्तियों से ब्याज की ऊंची दरों पर वित्त ले रहे हैं। उत्पादकों की सहायता करने के लिए एक प्रभावी खरीद बोर्ड होना चाहिए ताकि उत्पादकों को वह धन वापिस मिल सके जिसका निवेश वे इसे पैदा करने में करते हैं।

मैं सात माह पूर्व चीन गया था और वहां पर मैंने उसका रेशम उद्योग देखा। उन्होंने विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए मोगा तथा अन्य रेशम उत्पादों की कई किस्में और डिजाइन तैयार किए हुए हैं। रेशम बोर्ड को चाहिए कि वह रेशम और मोगा उद्योग में विश्व बाजार में आने वाले विभिन्न डिजाइनों के सम्बन्ध में बाजार आसूचना जुटाए तथा रेशम बोर्ड में विशेषज्ञों को नियोजित करके हमारे अपने देश में इन डिजाइनों को विकसित करें ताकि उन्हें बाजार आसूचना और तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में जानकारी मिल सके।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं और जो बहुत से अन्य सदस्यों ने भी कही है कि रेशम बोर्ड में उत्पादकों के हितों की रक्षा करने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं है मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा करना सम्भव है। हमारे देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ जब विदेशों में व्यापार मेले लगते हैं तो उन उत्पादकों, जिन्होंने अपनी कुशलता प्रमाणित की हुई है, को उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से अधिकारी लोग जाते हैं और उनके उत्पादों को इकट्ठा करके लौट आते हैं। वे उनकी वस्तुओं की नुमाइस लगाते हैं। यह उचित नहीं है। उत्पादकों को वहां पर जाना चाहिए उन्हें वहां जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें पता लग सके कि उनकी वस्तुएं किस प्रकार प्रदर्शित की जाती हैं और यही एक तरीका है जिससे वह बहुत सी बातें सीख पाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे सुझावों को नोट कर लें। उन्हें चाहिए कि वह इन्हें क्रियान्वित भी करें और या पहले की भांति फाइलों में बन्द न पड़े रहें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं सिल्क बोर्ड अमेण्डमेंट बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं तथा चन्द सुझाव जो मेरे दिमाग में हैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बोर्ड की फार्मेशन के सम्बन्ध में जिस प्रकार की मेम्बरशिप इस में होनी चाहिए, उसका उल्लेख आप ने आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज में किया है।

"बोर्ड में उन सभी के प्रतिनिधि हैं जिनके रेशम उद्योग के साथ हित जुड़े हुए हैं।"

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं जब आप ने आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज में खास तौर से इस बात को कहा है कि बेरियस-इन्टरेस्ट्स को इस में एसोशियेट किया जायेगा, तो अब तक जितने सिल्क बोर्ड बने हैं उन में कौन-कौन ने इन्टरेस्ट्स को शामिल किया गया है? जैसा अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, इस में वीवर्स का इन्टरेस्ट शामिल रहता है, क्या वीवर्स का कोई प्रतिनिधि अभी तक इस में शामिल किया गया? इसमें मजदूरों का इन्टरेस्ट

रहता है, क्या मजदूरों का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल किया गया ? क्या ग्रोअर्स का कोई प्रतिनिधि इस में शामिल किया गया है। यदि इन लोगों को इस में शामिल किया जाता तो जिस प्रकार का शोषण आज हो रहा है, जिसमें मिडिल-मैन सारा प्राफिट खुद हड़प जाता है, ग्रोअर्स कन्ज्यूमर्स, लेबर, वीवर्स सब सफर कर रहे हैं, वह न होता। इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप जो नया बोर्ड बनायें इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि वह सब का प्रतिनिधित्व रखने वाला बोर्ड हो जो इस उद्योग से सम्बन्धित सबके इन्टरेस्ट को वाच करेगा।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि वह बोर्ड इस तरह का होना चाहिए जो इस में काम करने वालों के इन्टरेस्ट को वाच करे। बोर्ड यह देखे कि इस में काम करने वाले मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलती है या नहीं। इस इण्डस्ट्री में काम करने वाले मजदूर, वीवर्स, ग्रोअर्स, उनको क्या-क्या फैसिलिटी सिल्क बोर्ड की तरफ से इस इन्डस्ट्री को पनपाने के लिए दी जानी चाहिए उन बातों पर यह बोर्ड ध्यान दे तथा उन को वे सुविधायें उपलब्ध करायें। जब तक इस तरह का काम बोर्ड नहीं करेगा, तब तक यह इण्डस्ट्री नहीं पनप सकेगी।

यहां पर यह कहा गया है कि हमारी यह इण्डस्ट्री बहुत पुरानी .इण्डस्ट्री है, हजारों वर्षों से चली आ रही है. इसकी तरफ ज्यादा तवज्जह न देने की वजह से यह इण्डस्ट्री खत्म होती जा रही है। दूसरे मूल्य इस दिशा में आज हम से ज्यादा बढ़ रहे हैं। यदि हमने अभी से इस दिशा में सही कदम नहीं उठाये तो इससे आगे चल कर इस उद्योग को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। मेरा अनुरोध है कि इस में काम करने वाले लोगों को तरह-तरह की सुविधायें, जैसे मैडिकल फैसिलिटी तथा अन्य फैसिलिटीज की तरफ ध्यान दिया जाय ! उन की वेलफेअर एक्टिविटीज, उनकी एजूकेशन, उनकी हैल्थ, रेक्रिएशन तथा अन्य सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए जिससे उनका विकास हो और यह इण्डस्ट्री आगे बढ़ सके

बोर्ड के सदस्यों की अवधि आप ने तीन साल रखी है मेरा यह निवेदन है कि तीन साल की अवधि तो ठीक है, लेकिन अलग-अलग लोगों को इस में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे अभी बताया गया कि देश में बहुत से राज्य इस उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं उन सारी स्टेट्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को, चाहे वीवर्स हों, मजदूर हों, एक्सपर्टस हों, जितने भी इन्टरेस्ट्स इस में शामिल किये जा सकते हैं उन को यहां पर लेना चाहिए, खास तौर से जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है उनको इसमें शामिल करना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो यह बोर्ड ज्यादा अच्छी तरह से चल पायेगा और इस इण्डस्ट्री के पनपाने में ज्यादा योगदान देगा।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि एक दफा मेम्बर बन जाने के बाद तीन साल के बाद उन्हीं मेम्बरों को रिपीट नहीं किया जाना चाहिये। उन के स्थान पर नये-नये लोगों को चान्स दिया जाना चाहिये, जिससे वे और ज्यादा मुस्तैदी से इस बोर्ड की एक्टिविटीज को बढ़ाने में अपना योगदान दें। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये।

अगला मेरा सुझाव चेयरमैन के सम्बन्ध में है। चेयरमैन के लिए आप ने जो यह प्रावधान किया है, कि उसको हटाने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जायेगा, यह ठीक नहीं है। जैसा हमारे डागा जी ने कहा कि किसी मजदूर को हटाने के लिए, किसी अधिकारी को हटाने के लिये आप एक महीने का नोटिस देते हैं, तो चेयरमैन को हटाने के लिये आपने तीन महीने के नोटिस

का प्रावधान क्यों किया है। तीन महीने का समय बहुत ज्यादा होता है। किसी चेयरमैन पर सरकार का विश्वास नहीं है, तो उसको इतना लम्बा समय देने की आवश्यकता नहीं है। उसको तुरन्त हटाना चाहिये और अगर आप कानून की खाना-पूरी ही करना चाहते हैं, तो उसको एक महीने का नोटिस दिया जाना काफी है। इसलिए मेरा कहना यह है कि 3 महीने का जो समय आपने रखा है, वह बहुत ज्यादा है।

अगला मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई चेयरमैन खुद पदमुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए भी तीन महीने का समय आपने रखा है। यह बहुत ज्यादा है। कोई आदमी रहना नहीं चहता तो वह अनमने मन से काम करेगा और उसको आप तीन महीने का और समय देंगे। इससे इण्डस्ट्री खराब होगी और बोर्ड की जो एक्टिविटीज हैं, उनमें सुस्ती छा जाएगी और वह कोई काम नहीं करेगा। इसलिए यह जो तीन महीने का समय रखा है, इस को भी एक महीना किया जाये। ये मेरे सुझाव हैं, जिन पर माननीय मन्त्री जी ध्यान देंगे, ऐसा मैं समझता हूं।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का विधेयक का समर्थन करने तथा देश में रेशम उद्योग के विकास में अत्यधिक रुचि दिखाने के लिए भी आभारी हूं।

महोदय, हालांकि संशोधन चेयरमैन को हटाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के मामले तक ही सीमित है फिर भी चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से रेशम उद्योग से संबन्धित सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए इन सभी पहलुओं पर इस दृष्टि से ध्यान देना प्रस्तावित नहीं करता कि शीघ्र ही सदन को इस पर चर्चा का अवसर प्राप्त होगा जब वाणिज्य मत्रालय से संबन्धित अनुदान मांगों पर इस सदन में चर्चा की जायेगी। फिर भी कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाए हैं, मैं कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूँगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि देश में रेशम का उत्पादन बढ़ा नहीं है, और इसमें अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि विशेष रूप से यह कहना सही नहीं होगा। वास्तव में इस देश में रेशम का उत्पादन 195। में 9000 लाख टन से 1981 में 50410 लाख टन तक बढ़ा है। निर्यात के क्षेत्र में भी 1951 में जहां हमारा निर्यात 53 लाख रुपए का था वह 1980-81 में बढ़कर 53 करोड़ रुपये तक का हो गया। हम विश्वासपूर्वक आशा करते हैं कि हमारे 1981-82 के निर्यात आंकड़े 65 करोड़ रुपये के होंगे।

फिर मैं सदन को यह भी सूचित कर दूं कि रेशम उत्पादन उद्योग के विकास के लिए जो निवेश हमने किया है उसमें पहली पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक काफी वृद्धि हुई है। प्रथम पचवर्षीय योजना के दौरान हमने 45.97 लाख रुपये आबंटित किए और जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 167.37 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। इसमें से राज्य योजना के अन्तर्गत 136.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं और केन्द्र परियोजना के अन्तर्गत 31 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। मैं ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि माननीय सदस्य अपने ध्यान में यह बात रखें कि रेशम उत्पादन उद्योग या रेशम उद्योग के विकास की प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी राज्यों की है और इस उद्योग में हमारा

कार्य यह देखना है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करे और उसे बढ़ाए तथा राज्य सरकारों को सभी प्रकार के मार्ग निर्देश और सहायता प्रदान करे। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि जहां तक हमारे मंत्रालय का संबंध है इस उद्योग के विकास में हमारी ओर से कोई कमी नहीं पाई जाएगी।

अब, मैं कुछ मुद्दों पर बात करूंगा जो कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि अब विशेष रूप से अधिनियम में यह संशोधन क्यों लाया गया है श्री डागा ने भी यह प्रश्न किया है कि जबकि 1949 में बोर्ड का गठन 1948 के अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था, इस समय संशोधन को लाने की क्या आवश्यकता थी और पहले क्यों नहीं लाया गया। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जब यह रेशम बोर्ड गठित किया गया था इसकी अध्यक्षता वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री ने की और प्रथम अध्यक्ष डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और एक समय पंडित जवाहर लाल नेहरू केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात कपड़ा आयुक्त इसके अध्यक्ष रहे जो कि मंत्रालय का ही अधिकारी होता है। 1968 में ही इस प्रथा को तोड़ा गया और एक गैर सरकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अब भी अध्यक्ष एक गैर सरकारी व्यक्ति है। अतः अध्यक्ष को हटाने का प्रश्न उस समय उठा ही नहीं।

फिर महोदय श्री डागा ने अध्यक्ष के लिए योग्यतायें निर्धारित करने का एक विशेष मुद्दा उठाया है। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अध्यक्षता के लिए योग्यताओं का निर्धारण क्यों नहीं किया गया है। यहां एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि यह एक ऐसा पद है जो सामान्यतया अंश-कालीन कार्य है और अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य किसी संस्था द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। अतः योग्यता निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता और जब अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तब हमेशा यह ध्यान में रखा जाता है कि जो व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष हो वह ख्याति प्राप्त और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तथा उसे रेशम तथा रेशम उत्पादन उद्योग का पर्याप्त अनुभव हो। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जब अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तब सरकार को यह देखना चाहिये कि उसे रेशम उत्पादन की अच्छी जानकारी हो और रेशम उत्पादन उद्योग में रुचि हो आदि। मैं समझता हूं कि श्री टी. आर. शमन्ना ने ऐसा कहा।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और सरकार जब भी कोई अध्यक्ष नियुक्त करेगी हमेशा इसे ध्यान में रखेगी. फिर कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने केन्द्रीय रेशम बोर्ड में मजदूर सदस्य तथा एक बुनकर के प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठाया है। क्या मैं माननीय सदस्यों का ध्यान केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (ग) की ओर आकर्षित कर सकता हूं, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा आठ सदस्य नामांकित किये जा सकते हैं जिनमें से एक 'स्पन सिल्क', एक सिल्क थ्रोइंग एण्ड टिवस्टिंग इन्डस्ट्री' एक 'सिल्क वीविंग इन्डस्ट्री, एक मजदूर का प्रतिनिधित्व करते हों और उनमें से दो रेशम उत्पादन विशेषज्ञ हों। अतः अधिनियम में पहले से ही बुनकरों के साथ-साथ मजदूरों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग एक कुटीर उद्योग है,

यह ग्रामीण उद्योग है। अतः ग्रामीण लोग ही स्वय इस उद्योग में लगे हुये हैं और इसलिए इस बोर्ड में और अधिक मजदूर प्रतिनिधित्व या कामगारों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। यह पहले से ही है।

माननीय सदस्य श्री जैनुल बशर ने विभिन्न राज्यों में रेशम के उत्पादन के आंकड़े दिए तथा कहा कि कर्नाटक में रेशम की अधिकतम मात्रा का उत्पादन नहीं होता। व्यापारिक रूप से जाने जानें वाले रेशम की चार किस्में हैं, उन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक 'मलवेरी' तथा दूसरा 'नान मलबेरी। जहां तक 'नान मलबेरी' रेशम का सम्बन्ध है श्री जैनुल बशर की धारणा सही हो सकती है। 1980-81 के दौरान रेशम के 5041 मीट्रिक टन के कुल उत्पादन में से, 'मलबेरी' रेशम का उत्पादन 4593 मीट्रिक टन था तथा नान मलबेरी रेशम का केवल 448 मीट्रिक टन था। 'मलबेरी सिल्क' के 4593 मीट्रिक टन में से, कर्नाटक 2800 मीट्रिक टन का उत्पादन करता है। माननीय सदस्य का तर्क यह था कि हालांकि कर्नाटक रेशम का अधिक उत्पादन नहीं करता अतः केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मुख्यालय को बंगलौर स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार मुख्यालय को बम्बई से बंगलौर स्थानांतरित कर रही है यह सच नहीं है कि सरकार मुख्यालय को बम्बई से बंगलौर स्थानांतरित कर रही है। वरन् सच्चाई यह है कि यह पहले ही स्थानांतरित हो गया है।

फिर कुछ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पिछले तीन महिनों के दौरान रेशम बोर्ड कार्य नहीं कर रहा है और कोई भी बगलौर नहीं गया है यह सत्य नहीं है। रेशम बोर्ड कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ नियोक्ता हैं जो कि अभी भी बम्बई में हैं; उन्होंने अपनी कठिनाइयाँ व्यक्त की हैं और हम इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

शास्त्री और अन्य कुछ सदस्यों ने वाराणसी बुनकरों की समस्याओं के बारे में कहा है। हम उन्हें जानते हैं जिसे विशेष प्रकार के तन्तु की वाराणसी में आवश्यकता है वह इस समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसा कि सदन को मालूम है हम चीन से 250 मीट्रिक टन रेशम का आयात कर रहे हैं। कुछ मात्रा पहुंच चुकी है, लेकिन यह विशेष तन्तु अभी नहीं पहुंचा है। हमें आशा है कि अप्रैल के अन्त में या मई के प्रारम्भ में यह विशेष-प्रेषण पहुंच जाएगा। जब भी यह पहुंचेगा। हम इस तन्तु को वाराणसी के बुनकरों में वितरित कर देंगे और हमें आशा है कि कुछ हद तक उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

माननीय सदस्यों, प्रो. पाल, श्री सन्तोष मोहनदेव, सौर कुछ अन्य सदस्यों ने असम तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का जिक्र किया तथा साथ-साथ यह भी कहा कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार विशेष रूप से स्वयं प्रधान मंत्री जी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

जहाँ तक वाणिज्य मंत्रालय का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि रेशम हथकरघा या हस्तकला या बागवानी के मामले में हमें उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में उनके विकास के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि वह पीछे न रह जाएं। वास्तव में पिछले वर्ष, 1981-82 में हमने रेशम उद्योग में कई कदम उठाये हैं। मैं समझता हूं कि यह एक लेबी बात है। मैं नहीं समझता कि मुझे यह पढ़ने के लिये समय नहीं मिल पाएगा कि क्या कुछ किया

गया है। मैं श्री देव को व्यक्तिगत तौर पर सूचित कर दूंगा। मैं उन्हें वे सभी जानकारियां दे दूंगा जो वे चाहते हैं। मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। अन्यथा मैं इसे पढ़ सकता हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है मैं पहले ही जब विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा था तभी कह दिया है, यह एक छोटा सा संशोधन है, वर्तमान अधिनियम में कमी को सुधारने के लिए छोटा सा संशोधन है क्योंकि इसमें ऐसी स्थिति में जब हमें अध्यक्ष को हटाना हो प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। इसमें केवल प्रक्रिया बताई गई है। अतः मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि उनके द्वारा दिए गये समर्थन की दृष्टि से, वे अपने संशोधनों को वापिस ले लें और इस सशोधन को मंजूरी दें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, 31 मार्च 1982 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विचार के लिये प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खण्ड-2

उपाध्यक्ष महोदय : हम खण्ड 2 को लेते हैं। इसके बारे में कुछ संशोधन है।

श्री टी. आर. शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट 1,

पंक्ति 14 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"परन्तु यह अध्यक्ष को, उसे हटाये जाने के कारण बताये जाएगे।" (3)

पृष्ठ 2—

पक्ति 5 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"परन्तु यह कि उसी अध्यक्ष को दूसरी बार नियुक्त किया जा सकेगा, यदि अध्यक्ष के रूप में उसका कार्य संतोषजनक है।" (4)

श्री सुधीर कुमार गिरि (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,

पंक्ति 15 "सकेगी" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"और उसे इस प्रकार उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के आरोपों से अपना बचाव करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।" (8)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1—

पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"(5 क) किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में दूसरी बार नहीं चुना जायेगा।"

"(5 ख) एक सदस्य रेशम उद्योग में श्रमिक संघ के सदस्य निर्वाचित करेंगे।" (10)

पृष्ठ 1,

पक्ति 14 "सूचना" के पश्चात् "और कारण" अन्त:स्थापित किया जाये। (11)

पृष्ठ 1

पंक्ति 13—"तीन" के स्थान पर "दो" प्रति स्थापित किया जाये। (12)

पृष्ठ 1,

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्तलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"परन्तु यह कि अध्यक्ष को उसे हटाये जाने के लिखित रूप में कारण बताये जायेंगे, जो तकनीकी या व्यवसायी होंगे, कोई अन्य कारण नहीं।" (13)

पृष्ठ 2,

पंक्ति 1—"तीन" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाये (.4)

पृष्ठ 2—

पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"परन्तु यह कि अध्यक्ष को दूसरी बार भी नियुक्त किया जा सकेगा, यदि अध्यक्ष के रूप में उसका कार्य संतोषजनक एवं बोर्ड के कार्यों के विकास के लिए आवश्यक हो। परन्तु किसी भी व्यक्ति को दो बार से अधिक अध्यक्ष पद पर नियुक्त न किया जायेगा।"(15)

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने एमैंडमैंट नम्बर 10 में एक धारा जोडने के लिए कहा है। यह पंक्ति ग्यारह के बाद है। यह एमैंडमेंट इस प्रकार है :

5 (ख) एक सदस्य रेशम उद्योग में श्रमिक संघों के सदस्य निर्वाचित करेंगे।

अभी मंत्री जी ने कहा कि इस बात की व्यवस्था है और मजदूरों के प्रतिनिधि बोर्ड में रखे जाएंगे। यह तो मान लिया। लेकिन उसका निर्वाचन कौन करेगा ? अगर सरकार करेगी तो मैं इसे पसन्द नहीं करता। इसका निर्वाचन उस उद्योग में काम करने वाले मजदूर संघों को करना चाहिए और यही मेरा एमैंडमेंट है। यह नहीं कि ऊपर से थोप दे या आई एन. टी. यू. सी. के आदमी को लाकर बिठा दें। यह नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए जितनी यूनियनें हैं या संगठन हैं जो इस उद्योग के अन्दर काम करते हैं सब की राय लेनी होगी और जनतांत्रिक प्रणाली के मुताबिक जिनको ज्यादा वोट आयेगा वह चुना जायेगा, किसी को शिकायत नहीं होगी। यही मेरा संशोधन है।

श्री सुधीर कुमार गिरि (कन्टाई) : जब से यह राज्य बना है तब से व्यक्ति और राज्य में विवाद है। जब गम्भीर विवाद होता है, तो राज्य को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं की जा सकती, तो वह अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर सकता।

यह स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है ? जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, उनके लिए कुछ सेवा शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं जिनके अनुसार वे अपना कर्तव्य सम्मान और स्वतन्त्रता से निभा सकते हैं। मैंने यह संशोधन इस विचार से किया है कि अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार चेयरमैन की स्वतन्त्रता न छीन ले।

आजकल, हमें पता है कि उन लोगों को राजनैतिक संरक्षण दिया जाता है जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और कोई ऐसा अवसर आ सकता है जब सरकार किसी चेयरमैन को हटा सकती है, और किसी अन्य व्यक्ति को नया चेयरमैन नियुक्त कर सकती है ताकि किसी को राजनैतिक संरक्षण दिया जा सके।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कार्यकुशलता न होने पर भी वह बना रहे अर्थात यदि अयोग्य चेयरमैन है, वही वहां नियुक्त रखा जाए। मैं उसका समर्थन नहीं करता। परन्तु मैं समझता हूं कि चेयरमैन के पद पर कोई ऐसा व्यक्ति न नियुक्त किया ताकि कुछ राजनैतिक संरक्षण दिया जा सके। वास्तविक न्याय यही कहता है कि जब कभी भी चेयरमैन को हटाया जाए, उस पर मुकदमा चलाया जा सके, और उसे भी आरोपों से अपना बचाव करने का मौका दिया जा सके।

संशोधन विधेयक में, ऐसा, कोई प्रावधान नहीं है कि जिस अधिकारी या अध्यक्ष को सरकार हटा रही है, उसे अपने बचाव का मौका दिया जाएगा। इसलिए, मैंने यह संशोधन पेश किया है, ताकि जब कभी भी चेयरमैन को हटाया जाए या उसे उसकी सेवा से बर्खास्त करने का नोटिस दिया जाए, तो उसे जवाब देने का मौका दिया जा सके।

श्री पी. ए. संगमा : जहां तक श्री रामावतार शास्त्री के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने उसका जबाब पहले ही दे दिया है। मैं और कुछ नहीं कहता क्योंकि यह अधिनियम प्रावधान करता है कि इसमें श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होगा। इसलिए, मैंने आपका ध्यान अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों की ओर दिलाया है।

श्री गिरी ने प्राकृतिक न्याय के बारे में कहा है, और यह भी कहा कि चेयरमैन को अवसर दिया जाना चाहिए। इस तथ्य कि हम उसे तीन महीने का समय दे रहे हैं इससे पता चलता है कि हम न्याय कर रहे हैं। इस पर सदस्यों ने कहा है कि आप उसे तीन महीने के नोटिस का समय क्यों दे रहे हैं, यह समय केवल एक मास का होना चाहिए, और हमने वह संशोधन अस्वीकृत कर दिया और हम कहते हैं कि हम निरंकुश नहीं होना चाहते, और इसलिए, हम उसे तीन महीने का समय दे रहे हैं, इसमें तीन महीने के नोटिस का प्रावधान है। इसलिए, मनमानी कार्यवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता, और सरकार द्वारा यही आधार लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रख दिए गए और अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 3

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है ।

"खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 4

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ट 1 पंक्ति 4, प्रतिस्थापित किया गया

"1981" **के स्थान पर** "1982"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पुष्ठ 1 पंक्ति 4—

"1981" **के स्थान पर** "1982" प्रतिस्थापित किया गया

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

" कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियम सूत्र

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"बत्तीसवां" **के स्थान पर** "तेतीसवां" प्रतिस्थापित किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"बत्तीसवां" **के स्थान पर** "तेतीसवाँ" प्रतिस्थापित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

वाणिज्य मंत्रालय के उप-मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दर्शक-दीर्घा में कुछ व्यक्तियों द्वारा किये गये सभा के अवमान के सम्बन्ध में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को मालूम है, आज लगभग 12-35 बजे छः दर्शकों ने जिन्होंने अपने नाम केशर शर्मा, भगत राम गुप्ता, अनिल, श्याम लाल गर्ग, महावीर सिंह और रवीन्द्र पाल सिंह, बताए, दर्शक-दीर्घा से नारे लगाए और सभा में कुछ पर्चे 4.1 फेंकने की कोशिश की संसद सुरक्षा अधीकारी ने उन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। दर्शकों ने ब्यान दे दिए हैं लेकिन अपने कृत्य के लिए कोई खेद प्रकट नहीं किया है।

मैं यथा उपयुक्त कार्यवाही हेतु इस घटना को सभा के ध्यान में लाता हूं।

एक माननीय सदस्य : एक वर्ष (व्यवधान)

एक अन्य माननीय सदस्य : एक महीना (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त ! श्री पी. वेंकटसुब्बया।

गृह मंत्रालय तथा संसद कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा प्रस्ताव करती है कि अपने नाम केशर शर्मा, सुपुत्र श्री तेजराम शर्मा, भगत राम गुप्ता, सुपुत्र श्री राम कुमार गुप्ता अनील, सुपुत्र श्री पी. सी. मितल, श्यामलाल गर्ग सुपुत्र श्री हजारी लाल, महाबीर सिंह, सुपुत्र श्री चन्दगी राम और रवीन्द्र पाल सिंह सुपुत्र श्री पी. पी. सिंह बताने वाले जिन व्यक्तियों ने आज लगभग 12-35 बजे दर्शक दीर्घा से नारे लगाए और वहां से सभा में कुछ पर्चे फैं ने का प्रयत्न किया तथा जिन्हें संसद सुरक्षा अधिकारी ने तत्काल हिराशत में ले लिया, उन्होंने एक गंभीर अपराध किया है तथा वे इस सभा की अवमानना के दोषी हैं।

यह सभा यह भी प्रस्ताव करती है कि उक्त केशर शर्मा, भगत राम गुप्ता, अनील, श्याम लाल गर्ग, महाबीर सिंह और रवीन्द्र पाल सिंह को सभा की उपर्युक्त अवमानना करने के लिए बुधबार, 24 मार्च, 1982 के सायं 6 बजे तक साधारण कैद की सजा दी जाए तथा उन्हें सैन्ट्रल जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेजा जाए।" (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, नहीं, । (व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : केवल आज ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफरपुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाता हूं :

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : मैं इससे पहले कि श्री जार्ज फर्नान्डीस कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रस्ताव ··· । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपना प्रस्ताव पूरा कर दिया है ?

श्री पी. वेंकटसुब्बा : जी हां (व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस से पहले बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक स्थानापन्न प्रस्ताव की सूचना है। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : श्री जार्ज फर्नान्डीस के बोलने से पहले बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूरज भान, आप कोई प्रस्ताव करना चाहते हैं ?

श्री जगदीश टाइटलर : उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : जो सूचना आपनें दी है वह पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : जो सूचना आपने दी है वह अपर्याप्त है।

एक माननीय सदस्य : हम उनके नाम जानना चाहते हैं जिन्होंने इन व्यक्तियों को दर्शक प्रवेश पत्र देने केलिए हस्ताक्षर किए हैं।

श्री कमल नाथ : हम उन संसद सदस्यों के नाम जानना चाहते हैं जिन्होंने प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : हम उन सदस्यों के नाम जानना चाहते हैं। जिन्होंने···पर हस्ताक्षर···(व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : केवल उन सदस्यों के ही नहीं जिन्होंने हस्ताक्षर किया बल्कि···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें स्थनापत्र प्रस्ताव करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री पी. वेंकटसुब्बया : श्री उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं श्री सूरज भान से यह अपील कर सकता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जो इस सभा के गौरव और गरिमा से संबंधित है। इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को चाहिए कि वह सभा के गौरव तथा गरिमा को बनाए रखें। यह सभा राजनैतिक अथवा कतिपय व्यक्तिगत उद्देश्यों को लेकर विभाजित नहीं होना चाहिए। मेरी उनसे अपील हैं कि वे स्थानापन्न प्रस्ताव न रखें। मेरे द्वारा किया गया प्रस्ताव पारित किया जाए। जो प्रस्ताव मैंने किया है उसे पारित किया जाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूरज भान, कृपया। (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : हम उन संसद सदस्यों का नाम जानना चाहते हैं जिन्होंने प्रवेश पत्रों के लिए हस्ताक्षर किये हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। श्री सूरज भान। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किस नियम के अधीन ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव किस नियम के अधीन किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : मैं नहीं जानता कि सुबह जब ये पर्चे फैंके गए थे और गड़बड़ पैदा की गई थी उस समय आप उपस्थित थे या नहीं। आपने इस ओर की प्रतिक्रिया देख ली होगी। वे कौन लोग थे ? जो इस प्रकार से उनका समर्थन कर रहे थे ? ये वे सदस्य हैं जो विपक्ष में बैठे हुए थे और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। (व्यवधान) इसे भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डिस : सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं। वह कौन सा नियम है जिसके अधीन यह प्रस्ताव आया है।

श्री पी. वेंकटसुब्बया : उन्होंने नारे लगाए हैं, पर्चे फैंके हैं। संसद सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार···।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको जानकारी दे रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इससे पूर्व कि मन्त्री हमें संसद सुरक्षा अधिकारियों का हवाला दें, हम चाहते हैं कि सभा नियमों के अनुसार चले। तब हम संसद सुरक्षा अधिकारियों के बारे में सुनेंगे। वह कौन सा नियम है जिसके अधीन यह प्रस्ताव किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है और माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यह किस नियम के अधीन किया जा रहा है। सभा संबंधी नियमों में सभा के गौरव की रक्षा करने के लिए उपबंध हैं, और यदि कोई विशिष्ट नियम न भी हो तो भी इस सभा को और माननीय अध्यक्ष को सभा की प्रतिष्ठा और मर्यादा की रक्षा के लिए अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। यदि हम कहते हैं, हमेशा यह कहते आ रहे हैं कि लोकतन्त्र की रक्षा की जानी चाहिए, संसदीय संस्थान की रक्षा की जाना चाहिए, तो फिर हमें यह बात समझ नहीं आती कि जिन व्यक्तियों ने यहां उपस्थित सभी सदस्यों के सामने अपराध किया है उन्हें दंड देने पर आपत्ति क्यों है, क्यों तकनीकी प्रश्न उठए जा रहे हैं और सभा को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करने दी जा रही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का समाधान नहीं किया गया है। नियम 31 के अधीन, एक कार्य सूची होती है। यदि किसी दिन की कार्य की सूची में कोई परिवर्तन किया जा रहा हो तो उसके लिए सरकार अथवा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री को एक विशिष्ट प्रस्ताव करना, अपेक्षित होता है। उस प्रस्ताव पर भी उन्होंने प्रस्ताव करने अथवा जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसके सिवाए कोई विचार व्यक्त नहीं किए हैं। हमें यह नहीं बताया गया है कि उक्त व्यक्तियों ने क्या नारे लगाए हैं, क्या पर्चे फैंके हैं, उन्होंने क्या किया है, आदि। उन्होंने हमें इसमें से कोई भी बात नहीं बताई है। इससे पहले कि हम इस प्रस्ताव पर विचार करें, यह मानते हुए कि अवशिष्ट शक्तियां उपलब्ध हैं, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर विचार किया है कि जहां तक सभा के सम्मुख कार्य सूची सम्बन्धी जो नियम हैं

उन्हें एक तरफ तो नहीं रख दिया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय से इस प्रश्न का स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 'आप प्रस्ताव न करें'। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब आप प्रस्ताव करते हैं तो नियमों का पालन कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इस प्रस्ताव पर तब विचार करूंगा जब आप यह सिद्ध कर दें कि यह प्रस्ताव वैध है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश कर दिया गया है और मैं इसे सभा के मत विभाजन के लिए रखूंगा। (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : एक स्थानापन्न प्रस्ताव भी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : स्थानापन्न प्रस्ताव पर आप बोल सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों ही प्रस्ताव सभा के सम्मुख हैं। आप प्रस्ताव पर बोल सकते है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यदि सभा के सम्मुख कोई प्रस्ताव है तो कोई भी सदस्य उस पर बोल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय। पहले हम उन्हीं की बात सुन ले।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किस नियम के अधीन प्रस्ताव किया गया है। क्या यह नियमानुसार है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव नियमानुसार है। मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं नियम पढ़ता हूं। नियम 222 इस प्रकार है :

"कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से, ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का अंग अन्तर्गस्त हो।"

इस सभा के विशेषाधिकार का भंग हुआ है। एक सदस्य वह प्रश्न उठा रहा है। नियम विद्यमान है। यदि यह नियम न भी होता तो भी माननीय अध्यक्ष महोदय को अवशिष्ट शक्ति प्राप्त है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं भी उसी नियम 222 के बारे में बोल रहा हू जिसके बारे में मंत्री महोदय ने अभी इशारा किया है (**व्यवधान**) माननीय वाणिज्य मंत्री ने नियम 222 को पढ़कर सुनाया जिसमें कहा गया है कि सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से, आदि..... । उसके बाद उन्हें नियम 223 भी देखना चाहिए। यह क्या कहता है ? इसमें लिखा है :—

"जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना, उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, महासचिव को देगा। यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा।"

जिस विशेष नियम पर मन्त्री महोदय बोल रहे हैं, उसी में प्रक्रिया भी दी गई है। इसलिए इस मामले पर कल सुबह विचार हो सकता है।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं यह कह रहा हूं कि यह पहली दफा नहीं है कि लोक सभा में यह हो रहा है। पहले भी 15 दफा लोक सभा ऐसे लोगों को जेल की सजा दे चुकी है। 15 दिसम्बर को यह हुआ, 9 अप्रैल को भी यही हुआ। सदन की यही परिपाटी है। मैं नियम का उल्लेख नहीं कर रहा। यह नियम पहले से ही है। हम हर दफा यही करते हैं। इसलिए कुछ और करने की बात ही नहीं है। यह तो सदन के उच्चतम अधिकार के अन्तर्गत किया गया है।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। आपने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है। दुर्भाग्यवश वाणिज्य मन्त्री आपकी सहायता के लिए आये और आपको गलत राय दे गये। (**व्यवधान**) श्री भागवत झा आजाद ने आपको सही राय दी है। पर इसी बीच दुर्भाग्यवश वाणिज्य मन्त्री ने आपको गलत राय दी। उन्होंने आपको यह संतोष कराने की कोशिश कर रहे हैं कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। अगर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाता, चूंकि मैंने भी कई दफा विशेषाधिकार के मामले उठाये हैं, हालांकि वे अनेक बार अस्वीकार किये गये; मैं आपको बता सकता हूं कि इसके लिए सूचना नियम 223 के अधीन दी जाती है। अनुमति नियम 222 के अधीन मांगी जाती है और अनुमति मिलजाने पर ही विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया जाता है और उसके बाद ही बाकी की प्रक्रिया आती है। वह प्रक्रिया अलग है। यदि विशेषाधिकार का प्रश्न होता है तो उस पर निर्णय तुरन्त दिया जा सकता है अथवा जैसा कि श्री सतीश अग्रवाल ने कल किया था उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। वह प्रक्रिया भिन्न है। वास्तव में श्री भागवत झा आजाद ने ठीक ही कहा है कि इस मामले पर विभिन्न तरीके से निपटा जा सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम विरोधी पक्ष के सदस्य भी यह बिल्कुल नहीं चाहते कि सदन की गरिमा का उल्लंघन किया जाए। इस मामले पर हम आपके साथ हैं। यह विरोधी पक्ष या सत्तारूढ दल का सवाल नहीं है। यह तो समस्त सदन की गरिमा का प्रश्न है, प्रधान मंत्री से लेकर विरोधी पक्ष के नेता तक का। हम इस मामले पर एक हैं। यही हमारा दृष्टिकोण है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि, जब कभी भी ऐसी घटना घटित होती है जैसा कि एक सदस्य ने ठीक ही कहा है कि सारे सदन के सामने यह घटना हुई है उसमें दो बातें होती हैं, सुनने की अनुभूति और देखने की अनुभूति। हमने घटना को घटते हुए देखा है हमने नारे को भी सुना है कि 'आप दिल्ली में चुनाव जरूर करवायें।' यही नारा हमने सुना था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सुनने की शक्ति अभी ठीक है क्यों कि हमने नारा सुना है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमें सही कार्य ही क्यों न करना हो, इसके सही मंच से और सही ढग से करना चाहिए। यही हमारा मत है। और इसलिए भूतकाल में भी अगर किसी घटना से सारा देश ही खिन्न हो गया था, और किसी ने ऐसाकरने की कोशिश की है तो भी इस सदन ने उस पर कार्रवाई की है। उन्होंने प्रस्ताव पास करके उन्हें दण्ड दिया है। लेकिन ऐसा करते हुए भी यह जानते हुए कि उद्देश्य हुड़दंग मचाना नहीं था लेकिन वे अशान्त थे और उत्तेजित थे उस हालत में भी जबकि कतल किया जाता है, जब मामला न्यायालय में जाता है तो··· (**व्यवधान**)

कृपया मुझे पूरा कर लेने दें। मैं अपनी बात के समर्थन में कुछ निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान) उसको इस तरह न खत्म करें। पीछे भी हमने····· (व्यवधान)। उन्होंने भूतकाल के 15 मामलों का उल्लेख किया है मैं श्री आजाद से सहमत हूं। अगर हम पूर्वदृष्टान्तों का अनुसरण करते हैं तो, हमें ··· (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : 1979 में जब श्री फर्नान्डीस और प्रो. दंडवते सत्ता पक्ष में थे और हम विपक्ष में थे, तो उस समय भी इसी तरह की घटना हुई थी·····

प्रो. मधु दण्डवते : जब आप अपनी बात कर रहे थे तो मैंने बीच में बिल्कुल भी व्यवधान नहीं डाला। मैं आपसे सहमत हूँ। हमें पूर्व दृष्टान्तों के अनुसार चलना चाहिए और पूर्वदृष्टान्त प्राय: यह बताते हैं कि कारण को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा यही प्रस्ताव पास किया है कि लोक सभा की बैठक समाप्त होने तक इन लोगों को यहाँ रखा जाय ·····(व्यवधान) यही हम करते रहे हैं····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अवसर दिया है। मैं सभी सदस्यों को अवसर दूंगा।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : जब वे ये कहते हैं कि इसके पीछे कोई कारण नहीं था, तो उनकी इस बात से मैं सहमत हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान मैंने एक औचित्य प्रश्न उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके औचित्य प्रश्न को पहले ही अस्वीकार कर दिया है। मैंने पहले ही यह कह दिया था। अब आपके औचित्य प्रश्न पर विचार नहीं हो रहा है। अब कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अब किस विषय पर विचार हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उस पर विचार हो रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : स्थानपन्न प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। उस पर वे कुछ बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं उनको बोलने की अनुमति दे रहा हूं; विशेषाधिकार के प्रश्न पर नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम इस पर भी अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं। ··· ····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके औचित्य प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक मौका दूंगा।

प्रो. मधु दण्डवते : श्रीमान, इससे पहले कि मंत्री महोदय, अपना वक्तव्य दें मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में अपना निर्णय दें कि क्या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है, इसके लिए उचित सूचना दी गई है और क्या आप इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया हुआ मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवराज वी. पाटिल : मुझे मौका दिया जाए। जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, उसके हित में ही मैं कुछ कहना चाहता हूं मैं समर्थन ····· (व्यवधान) उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सब को सुनूंगा। मैंने श्री शिवराज पाटिल को बोलने की अनुमति दी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वे तीसरी दफा अपने विचार पेश कर रहे हैं ·····(व्यवधान)

श्री शिवराज वी. पाटिल : कृपया मुझे अपनी बात कहने दें। अगर कोई माननीय सदस्य कोई औचित्य प्रश्न उठाना चाहते हैं तो उन्हें उसको पूरी तरह से उठाने देना चाहिए। और उस विशेषाधिकार के प्रश्न पर माननीय अधिष्टता महोदय द्वारा निर्णय दिया जा सकता है। अगर उसे पूरी तरह रखा जाता तो हम भी पूरी तरह जवाब देते। अब मैं 'कौल और शकधर' की पुस्तक जो कि व्यवस्थाओं के बारे में है, में से कुछ अंश पढ़ रहा हूं जोकि इस प्रकार है :—

'जब कभी मामला तात्कालिक आवश्यकता का हो और सूचना देने के लिए समय न हो तो ऐसे मौके पर अध्यक्ष ने बिना पूर्व सूचना के भी सदस्य को विशेषाधिकार का प्रश्न पेश करने की अनुमति प्रदान की है।"

यह इस सदन द्वारा दी गई व्यवस्था है। अन्य सदनों द्वारा भी ऐसी व्यवस्थायें दी गई हैं कि पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है और उसी नियम के अधीन वैसा किया जा सकता है।

श्री राजेश पाइलट : प्रो. दंडवते ने कहा है कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है। अगर आप समय देखें तो, यह एक ही है लोक सभा में भी 12.24 बजे और राज्य सभा में भी 12.24 बजे अतः यह योजनाबद्ध था। कोई भी नहीं कह सकता कि कोई कारण नहीं था। उन्होंने दोनों सदनों में यही किया है। सिर्फ लोक सभा में ही यह नहीं किया गया, राज्य सभा में भी यह किया गया है। और समय भी एक ही रखा गया है। इसलिए कारण को छुपाया नहीं जा सकता। कारण था ·····(व्यवधान) आप नहीं कह सकते कि कोई कारण नहीं था। मैंने कहा कि कारण था···(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : मैंने यह कहा था कि यह एक गड़बड़ी है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने कहा था कि उद्देश्य·····(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : इससे पहले कि इसे सदन में पेश किया जाय, हमें इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम मतदान नहीं चाहते। हम इसे नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। इस पर उत्तेजित न हों। हर कोई इस पर उत्तेजित है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर सभी सहमत हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : हर कोई जानता है कि मतदान न हों।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपके मतदान आदि से कोई मतलब नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमन्, जहां तक जो कुछ सदन में हुआ है, उसके बारे में कठोर रुख अपनाने की बात है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। मैं इस सदन की गरिमा और अनुशासन के बारे में किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए सत्ता पक्ष को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि केवल वे ही इस सदन की गरिमा और अनुसासन के रखवाले हैं। हमें भी इस बारे में चिन्ता है प्रश्न यह है, कि प्रक्रिया क्या अपनाई जाय। हमें कुछ अच्छा करने के जोश में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए जो कि अब तक न अपनाई

गई हो। इसलिए मैं अपने श्रम मंत्री से सहमत हूं कि सदन के पूर्व दृष्टान्तों को देखते हुए, ऐसे मामले में जो कि सदन और सदस्यों के सामने हुए हैं, प्रक्रिया अध्याय 20 को नहीं अपनाना चाहिए यह ठीक नहीं होगा। परन्तु अगर यह नियम 222 के अधीन है तो आप निर्धारित नियमों की तब तक अवज्ञा नहीं कर सकते जब कि नियम 228 का सहारा न लिया जाए पर किसी ने भी नियम 228 का हवाला नहीं दिया है। इसलिए, आइये इस बात का फैसला करें कि सही प्रक्रिया क्या है। यह घटना सदन और सदस्यों के सामने घटित हुई है इसलिए हम इसे नजरन्दाज नहीं कर सकते और एक सदन, एक संस्था के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्वदृष्टान्त के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

दूसरा प्रश्न जिसके कारण सदस्यों—कम से कम हम कुछ लोगों—रोष है, वह है सजा की अवधि। मैं नहीं समझता कि इस बारे में कोई सलाह—मसविरा या विचार विमर्श किया गया है। क्या आप में से किसी ने हममें से किसी से यह पूछा है कि सजा की अवधि कितनी होनी चाहिए। इसलिए विरोध प्रकट किया जा रहा है। आप साधारण प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाते ? श्रीमान सजा का निर्णय एक विशेष नारा लगाने के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। यही हम कह रहे हैं. (**व्यवधान**) आपने इस बारे में हममें से किसी से भी विचार-विमर्श नहीं किया आपने अपने आप ही यह फैसला कर लिया कि सजा कितनी होनी चाहिए और इसीलिए एक स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किया गया है। स्थानापन्न प्रस्ताव में केवल यह कहा गया है कि सजा किस प्रकार की और कितनी हो।

श्री संतोष मोहन देव : पिछले मामलों में अपराधियों ने खेद प्रकट किया था, पर इस दफा नहीं।

प्रो. मधु दण्डवते : पिछले मामलों में उन्होंने हम से सलाह-मशविरा किया था और हमने सहमति प्रदान की थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप तो हमारे अस्तित्व को ही भूल जाते हैं और अचानक अपना फैसला हम पर थोप रहे हैं कि यह सजा दी जा रही है। अगर आप इसका निर्णय मतदान द्वारा करना चाहते हैं, तो ठीक है करें। पर यह कोई तरीका नहीं है। आप कहां तक संसदीय प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। हमें संसदीय प्रजातंत्र के बारे में आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है देश में क्या हो रहा है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह जो प्रक्रिया मैं अपना रहा हूं·····(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस पर पूरा वाद-विवाद होना चाहिए, और तभी फैसला लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब की मर्जी से फैसला लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : "कभी-कभी दर्शक उपद्रव कर बैठते हैं।"

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप क्या पढ़ रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह पुस्तक कौन सी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। मेरी बात सुनने के बाद आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं। आप मुझे पढ़ने से रोक नहीं सकते। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम इसका उल्लेख करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं कि ये पूर्वोदाहरण हैं और इसका तरीका है।

"कई बार लोक सभा की दर्शक दीर्घा में दर्शकों द्वारा विघ्न डाला जाता है। ऐसे दर्शक को ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा तथा संसद सुरक्षी कर्मचारियों द्वारा दर्शक दीर्घा से तुरन्त हटा दिया जाता है।

"18 फरवरी, 1978 को अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई लोक सभा की पार्टियों तथा ग्रुपों के नेताओं की बैठक में इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि किसी दर्शक द्वारा दर्शक दीर्घा में विघ्न डाले जाने की स्थिति में यह तरीका अपनाया जायेगा··· ।"

जोकि हम अभी अपना रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या तरीका है ?

उपाध्यक्ष महोदय : तरीका यह है कि अध्यक्ष द्वारा कोई घोषणा की जाए। अब, श्री सूरजभान। क्या आप स्थानापन्न प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं। कृपया आप बोलिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम उसका समर्थन करना चाहते हैं. इसे ठीक ढंग से करें। (व्यवधान) हम इसका समर्थन करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता आप क्या पढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूरजभान। आप स्थानापन्न प्रस्ताव पर बोलिए।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, हम उस तरीके का समर्थन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक स्थानापन्न प्रस्ताव रखा है मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैंने श्री सूरजभान को अनुमति दी है। उन्होंने एक स्थानापन्न प्रस्ताव रखा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि जिस प्रक्रिया का मैं पालन कर रहा हू।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : श्री सोमनाथ चटर्जी ने सत्तारूढ़ दल से एक निवेदन किया है क्या वे इस पर विचार कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह बिल्कुल ठीक है, मैंने अन्तिम फैसला दे दिया है। मैंने कहा है जिस प्रक्रिया को अपना रहे हैं।

अब श्री सूरजभान बोल सकते हैं। क्या आप भाषण देने जा रहे हैं ? मैंने केवल श्री सूरजभान को बोलने की अनुमति दी है। दूसरा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

प्रो. मधु दंडवते : मंत्री महोदय सम्पूर्ण विपक्ष की अपील का उत्तर देना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : केवल एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि वे न बोलें ? कृपया आप बैठ जाइये, आप

सभी लोग बैठ जाइये । कृपया उन्हें बोलने दीजिए—केवल स्थानापन्न प्रस्ताव पर, प्रक्रिया के बारे में कुछ न बोलिये । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । उस पर बिल्कुल चर्चा न करें । (व्यवधान)

कृपया इनमें से किसी को संसद की कार्यवाई में शामिल न किया जाए ।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या मैं इस विषय पर आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या राज्य सभा में सभी सदस्यों से परामर्श करने का तरीका नहीं अपनाया जा सकता····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । हमारा अपना तरीका है । हमें उस तरीके को यहां अपनाने की आवश्यकता नहीं है । लोक सभा के बारे में हमारे पास हमारा अपना तरीका मौजूद है ।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : क्या यह उनकी समस्या है ? यह हमारी भी समस्या है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं । आप उन्हें बोलने दें । उन्होंने स्थानापन्न प्रस्ताव रखा है, क्या उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए । मैंने श्री सूरजभान से बोलने के लिए कहा है । (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : संसदीय कार्य मंत्री ने राज्य सभा में विपक्ष के सदस्यों के साथ परामर्श किया था (व्यवधान) । यह 6 मास हो सकती है । आप उस प्रक्रिया को अपना सकते थे । आपने उस प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें लोक सभा के अलावा किसी भी तरीके को अपनाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सतीश अग्रवाल : आपको वह तरीका अपनाना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । इसे अपनाने की आवश्यकता नहीं है श्री सूरजभान ।

प्रो. मधु दण्डवते : उन्हें भी हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हाथ को हाथ है । उन्हें भी हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मुझे परामर्श नहीं लेना है, यह केवल अध्यक्ष महोदय के ऊपर है । ((व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : कार्य मंत्रणा समिति में उन्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी । गणपूर्ति के सम्बन्ध में उन्हें हमारी आवश्यकता पड़ेगी । प्रत्येक अवस्था में उन्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी । इसको ध्यान में रखकर आगे कार्यवाई करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूरजभान । आप अपने स्थानापन्न प्रस्ताव पर बोल सकते हैं ।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस की डिग्निटी का मैं उतना ही ध्यान रखता हूं, जितना आदरणीय सुब्बैय्या साहब रखते हैं और उसी डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुये मैंने यह सब्स्टीट्यूट मोशन दिया है । मेरा मोशन यह है—मेरा प्रस्ताव यह है कि :

"यह सभा बाहर के व्यक्तियों द्वारा दर्शक दीर्घा से आज सदन में नारे बाजी करने तथा पर्चे फेंकने को बुरी बात मानते हुए उन्हें चेतावनी देकर छोड़ती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह जो घटना हुई है उसको मैं ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन यह क्यों हुआ, इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस घटना के लिए ···। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव रखने दिया जाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया, बैठ जाइये। मैं आपको बोलने के लिए कहूंगा। कृपया बैठ जाइये।

श्री सूरजभान : इस घटना के लिए केन्द्र सरकार उन नौजवानों से ज्यादा जिम्मेदार है जो ढाई साल से दिल्ली में चुनाव नहीं करवा रही है। ये डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले राजधानी में इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थानापन्न प्रस्ताव के बारे में बातचीत करें। अब उस पर भाषण की आवश्यकता नहीं है। आप उसकी गहराई में क्यों जा रहे हैं। आप यहां राजनीतिक भाषण मत दीजिए आप जो कुछ बोलना चाहते हैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव पर बोलिए। आप नरमी बरतने के लिए कह रहे हैं। आप उन बातों को अपने भाषण में शामिल न करें जो कुछ उन्होंने कही है नहीं नहीं। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने कहा कि आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे, आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए कहूंगा। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें

श्री सूरजभान : उसके लिए कुछ कारण अवश्य होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में अफसरशाही चल रही है और यह पब्लिक और पब्लिक के नुमाइंदों के लिए ठीक बात नहीं कही जा सकती। इस ओर हमें विचार करना चाहिए, अगर आप मक्खियां मच्छर हटाना चाहते हैं तो पहले गन्दगी को हटाना चाहिए। इसलिए दिल्ली में इलेक्शन करवाइये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रस्ताव पर ही बोलें। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यहां कोई राजनीतिक भाषण न दें। मैं इस मामले पर राजनीतिक भाषण की अनुमति नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता।

श्री सूरजभान : इसीलिए मैं इस बैकग्राउंड के आधार पर कहता हूं कि उनको ज्यादा से ज्यादा आज तक की सजा देकर वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने कहा है कि आप मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति देंगे।

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : महोदय, मैंने केवल विषय पर बोलने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए कहा था क्योंकि इसका संबंध हम सब से है वे टिप्पणी भी कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हम सभी से संबंध है मैं आज आपकी जानकारी में इस बात को लाना चाहता हूं कि यह एक सुनियोजित चाल है। प्रथमतः हम यह जानना चाहेंगे कि वे संसद सदस्य कौन से हैं जिन्होंने दर्शकों के प्रवेश बनवाये हैं? हम जानते हैं कि जब हम किसी दर्शक को संसद के

अन्दर लाते हैं, तब हमें दो रजिस्टरों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, एक प्रवेश पत्र पर और एक उस रजिस्टर पर जब वह प्रवेश प्राप्त करता है; और इसके बाद मैं यह जानना चाहूंगा कि वे कौन से ससद सदस्य हैं जिन्होंने यहां ऐसा किया है, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि इसकी योजना बड़ी ही प्रभावशालीबद्ध तरीके से बनाई गई है। ऐसा समय दिया गया है जो राज्य सभा और लोक सभा के लिए साथ-साथ पड़ता है; यह उनकी चाल है जिसे उन्होंने खेला है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस बात पर विचार करें कि आज, एक पर्चे की बात है; कल वे कुछ और करेंगे, वे वहां से हमारे ऊपर कूद पड़ेंगे। इसलिए, यदि हम कोई कदम नहीं उठाते हैं और हम सख्ती नहीं बरतते हैं और इसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाई नहीं करते हैं, तो यह स्थान चौपाल बन जायेगी और यह एक सार्वजनिक स्थान बन जाएगा, यह संसद नहीं रह जाएगी। मेरा आप से अनुरोध है और मैं यहाँ बैठे अपने सब वरिष्ठ साथियों से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में आपस में कोई विवाद नहीं है और इस पर किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता नहीं है और हमें इस पर अत्यन्त गम्भीर कार्यवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में लोग इसे महसूस कर सकें। अन्यथा आज इनकी संख्या चार है, कल यहां इनकी संख्या 50 हो सकती है और एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब हम यहां मुश्किल से 50 सदस्य बैठे हों। और वहां से 100 आदमी आकर हमें पकड़ कर लें (व्यवधान); कभी-कभी गणपूर्ति नहीं होती है और हो सकता है कि हम यहाँ केवल 10 सदस्य ही बैठे हों। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें इस पर सख्त तथा अत्यन्त कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, जहां तक सदन की मर्यादा बनाए रखने का सम्बन्ध है, इस बारे में दो राय नहीं हैं। मैं यह नहीं समझ पाया कि इस प्रश्न पर सदस्य इतने गर्म क्यों हैं। (व्यवधान) लोगों में इतनी समझ है और सदन के दो पक्षों के विचारों में इस बात की एकता है कि सदन की मर्यादा बनाये रखी जानी चाहिए। इस बारे में दो राय नहीं हैं। लेकिन महोदय, प्रश्न यह है कि क्या आप उन कारणों की जांच करेंगे जिनकी बजह से ऐसा हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा इन कारणों से कोई मतलब नहीं है।

श्री के. माया तेवर (डिन्डीगल) : यदि आप कारणों की जाँच करें तो उनको कठहरे में खड़ा कर दिया जायेगा और वे परेशानी में पड़ जायेंगे। (व्यववान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कारणों, तरीकों तथा अन्य बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है। आपने यह ठीक बात कही है कि सदन की मर्यादा बनाई रखी जानी चाहिए। आपको इससे आगे नहीं जाना चाहिए। (व्यवधान) नहीं, श्री जार्ज आप एक गलत परिपाटी डाल रहे हैं मुझे खेद है मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, आपको मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए। आप सभी...

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : जब हम सत्ता में भी थे, हम इस तरह का व्यवहार नहीं करते थे।

(व्यवधान)

उपाध्याक्ष महोदय : अब मैं श्री सूरजभान द्वारा रखे गये "स्थानापन्न प्रस्तवाव" को सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा आज दर्शकदीर्घा में बाहर से आये हुए व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी करने तथा पर्चे फेंकनें का अनुमोदन नहीं करती है तथा उन्हें चेतावनी देकर छोड़ती है"

उपाध्याक्ष होदय : जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे "हां" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके पक्ष में नहीं हैं उन्हें "नहीं" कहना चाहिए।

कई माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अधिकांश मत 'नहीं' वालों के पक्ष में है··· **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्यगण : हां अधिकांश मत हाँ वालों के पक्ष में है।

प्रो. मधुदंडवते (राजापुर) : श्रीमन यह "स्थानापन्न प्रस्ताव है" आपने इसमें ··

(व्यवधान)

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : श्रीमन, मैं आपसे स्थानापन्न प्रस्ताव को फिर से सभा में मतदान के लिये रखने का अनुरोध करता हूं · **(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : श्रीमन, आप श्री सूरजभान जी द्वारा रखे गये "स्थानापन्न प्रस्ताव" को रखें। उन्होंने हाँ कहा है। उन्होंने हाँ कहा है।··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सूरजभान जी द्वारा रखे गये "स्थानापन्न प्रस्ताव" को फिर से मतदान के लिये रखता हूं।··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आज दर्शक दीर्घा में बाहर से आये हुए व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी करने तथा पर्चे फेंकने का अनुमोदन नहीं करती है तथा उन्हें चेतावनी देकर छोड़ती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्यगण इसके पक्ष में है उन्हें "हां" कहना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्यगण इसके पक्ष में नहीं है उन्हें नहीं कहना चाहिए।

कई सदस्यगण : "नहीं"

उपाध्यक्ष महोदय : अधिकांश मत "नहीं' वालों के पक्ष में हैं स्थापन्न प्रस्ताव···

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : अधिकांश मत "हां" वालों के पक्ष में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : लाबी खाली की जायें।··· **(व्यवधान)** लाबियां खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा आज दर्शक दीर्घा में बाहर से आये हुए व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी करने तथा सभा में पर्चे फेंकने का अनुमोदन नहीं करती है तथा उन्हें चेतावनी देकर छोड़ती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पी. वेंकट सुब्बय्या द्वारा रखे गये प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :—

"यह सभा संकल्प करती है कि केशर शर्मा सुपुत्र श्री तेजराम शर्मा, भगतराम गुप्त सुपुत्र श्री रामकुमार गुप्त, अनिल सुपुत्र श्री पी. सी. मित्तल, श्यामलाल गर्ग सुपुत्र श्री हजारीलाल, महाबीरसिंह सुपुत्र श्री चंदगीराम, तथा रविन्दरपालसिंह सुपुत्र श्री पी. पी. सिंह नामक व्यक्तियों ने, जिन्होंने आज लगभग 12-35 बजे दर्शक दीर्घा से नारेबाजी की और वहां से सदन में कुछ पर्चे फेंकने का प्रयास किया तथा जिन्हें तत्काल वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त पकड़ लिया, एक भारी अपराध किया है तथा वे इस सदन की अवमन की दोषी हैं।"

सभा यह भी संकल्प करती है कि कथित श्री केशर शर्मा. भगतराम गुप्त, अनिल, श्यामलाल गर्ग महावीर सिंह तथा रविन्दरपाल सिंह को बुधवार दिनांक 24-3-1982 के 6 बजे सायं तक के लिये सदन की कथित अवमानना के लिये साधारण कारावास का दंड दिया जाये और इन्हें सैन्ट्रल जेल, तिहाड़ नई दिल्ली भेज दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ

(व्यवधान)

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सदन छोड़ कर चले गये)

वास्तुविद (संशोधन) विधेयक 1980

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं प्रस्ताव रखती हूं :

"कि वास्तुविद अधिनियम 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गये रूप में विचार किया जाये।"

वास्तुविद के शीर्षक के संरक्षण को ध्यान में रखकर 1 सितम्बर, 1972 से वास्तुविद अधिनियम, 1972 लागू किया गया था। इस अधिनियम में वास्तुविदों तथा वास्तुविदता से सम्बंधित मामलों का पंजीकरण करने का उपबंध किया गया है। इस अधिनियम की धारा 44 (3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमों को संसद की दोनों सभाओं के पटलों पर रखने के लिए वाद्य करती है। तथापि वास्तुशिल्प परिषद जिसके अधिनियम की धारा-3 के अनुसार गठन किया गया है, उसे भी केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेकर विनियम बनाने का अधिकार है। तथापि, इस धारा में इस प्रकार बनाए गए विनियमों को ससद के पटल पर रखे जाने का उपबंध नहीं है।

छठी लोक-सभा के अधीनस्थ विधान सम्बंधी समिति ने अपने सातवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि संसद के सम्बंधित अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत अधीनस्थ निकायों द्वारा बनाए गए इस प्रकार के नियमों विनियमों को भी ससद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए तथा सम्बधित कानूनों में इस सम्बंध में एक उपबध होना चाहिए। इसी प्रकार सम्बंधित कानूनों के अन्तर्गत बनाये जाने वाले विनियमों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने का भी अनिवार्य रूप से सम्बंधित कानूनों में उपबध होना चाहिए।

सरकार ने अधीनस्थ विधान सम्बंधी समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अतः अधिनियम में निम्न रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है।

"वास्तुविद अधिनियम, 1972—

1972 का 20—की धारा 45 में :—

(एक) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसे विनियम" शब्दों के पश्चात्, "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे।

(दो) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में है, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जायें तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जायें कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात क विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 1980 राज्य-सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1980 को पास किया गया था। राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विधेयक को 8 दिसम्बर, 1980 को लोक-सभा के पटल पर रखा गया था। विधेयक में अन्तर्निष्ट संशोधन अधीनस्थ विधान सम्बंधी समिति द्वारा इस सम्बंध में की गयी सिफारिशों के अनुरूप हैं कि विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत बनाए गए विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाएगा। किये जा रहे संशोधन बिल्कुल औपचारिक स्वरूप के हैं।

इसलिये मैं प्रस्ताव रखता हूं कि वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव रखता हूं :—

"कि वास्तुविद अधिनियम 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पास किये गए रूप में विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोक-सभा की बैठक कल 11 बजे प्रातः तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 19 मार्च 1982/30 माघ, 1903 (शक) के 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

मुन्ना प्रिंटिंग वर्क्स, 472 साईकिल मार्किट दिल्ली-6